राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेईसवां दिवस संख्या: 14

गुरुवार,

25 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री कालीचरण सराफ।

मंदिरों हेतु नंदन कानन योजना

220. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश के मंदिरों में उपवन व नक्षत्र वाटिका विकसित करने के लिए नंदन कानन योजना प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश के कितने मंदिरों में उक्त योजना को प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस मंदिर में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

देवस्थान मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी, हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश के मंदिरों में उपवन व नक्षत्र वाटिका विकसित करने के लिये नंदन-कानन योजना दिनांक 04 जनवरी, 2023 को प्रारंभ की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के निम्न मंदिरों में योजना की स्वीकृति जारी की गई:-

1. राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी, उदयपुर की कविता स्थित भूमि पर वृक्षारोपण कार्य हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 2398 दिनांक 5.7.2024 द्वारा 14.41 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराये जाने है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री श्यामसुन्दर जी, उदयपुर की ग्राम सवीना स्थित भूमि पर उद्यान विकसित करने हेतु पत्रांक 132 दिनांक 13.03.2024 द्वारा स्वीकृति जारी की गई।

जिसमें उदयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य कराया जाना है। स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य में जो भी व्यय होगा वह उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री ऋषभदेव जी की बडे बाग स्थित भूमि पर नगर पालिका ऋषभदेव के माध्यम से नंदन-कानन विकसित करने की स्वीकृति पत्रांक 1208-10 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अनुमानित 20 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका ऋषभदेव द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत समतलीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, आगे कार्य प्रगतिरत है।

4. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणेछोड जी, जोधपुर व राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कुंज बिहारी जी, जोधपुर की रिक्त भूमि पर कार्यालय स्तर से वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। जिसमें 60 वृक्ष लगाये गये हैं।

5. राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी, परशुराम द्वारा, आमेर रोड, जयपुर की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया। जिसमें 50 वृक्ष लगाये गये।

वर्तमान सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत नंदन-कानन योजना अंतर्गत वाटिकाएं/वृक्षारोपण के लिए भूमि चिह्निकरण की कार्यवाही की जाकर संबंधित जिला कलक्टर को DMFT Fund के माध्यम से उक्त योजना के विस्तार के तहत 14 स्थानों की भूमि चिन्हित की गई जिसकी सूची परिशिष्ट - 1 पर उपलब्ध है, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) बिन्दु संख्या 1 में इसका उल्लेख किया गया है।

श्री अध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि यह योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के आनन-फानन में शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जवाब में कहा है कि हमने अभी तक केवल पांच मंदिरों की इसमें कार्यवाही चालू की है। जबकि योजना यह थी कि जयपुर के 37 मंदिरों के साथ पूरे प्रदेश के 593 मन्दिरों में आपको इस योजना को लागू करना था और वृंदावन की तर्ज पर इसको विकसित करना था। आपने यह भी बताया कि केवल 14 मंदिरों की अभी तक भूमि चिह्नित की गई है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस हिसाब से बिना बजटीय प्रावधान पिछली सरकार ने इस योजना को चालू किया, तो आप क्या इसको चालू रखेंगे या इसकी समीक्षा करेंगे? आपने जो प्रगति बताई है, उसके हिसाब से तो इसमें सालों लग जायेंगे। कृपया यह बताएं कि इसके बजटीय प्रावधान हैं या नहीं हैं?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नंदन-कानन योजना का प्रमुख उद्देश्य देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के साथ जुडी हुई राजकीय देव भूमियों के सुरक्षात्मक व्यवस्थापन हेतु पारंपरिक वनस्पति से भूमि विकास के

साथ मन्दिर संस्कृति के अनुरूप नंदन वन उपवन एवं नक्षत्र वाटिकाएं तैयार किया जाना है। इस योजना के तहत ऐसी राजकीय देव भूमियां सम्मिलित होंगी जो अतिक्रमण मुक्त होकर विभाग द्वारा लीज पर नहीं दी गई हैं। ऐसी भूमियां जो कृषि प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप इनका जवाब दीजिए।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): पहाड़ पर मगरी श्रेणी से वर्गीकृत प्राथमिकता से ली जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वह बात सही है कि पिछली सरकार ने इस योजना में बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, इसलिए यह योजना पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सकी, अच्छी योजना है। हम इसकी समीक्षा करके आगे इसको लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

देवगढ़ (भीम) में अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना

221. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की तहसील देवगढ़ में नवीन अतिरिक्त जिला न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): किसी स्थान पर नवीन अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

देवगढ़ में अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा दिनांक 27.07.2022 एवं दिनांक 10.07.2023 को अस्वीकार कर दिया गया है।

भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार देवगढ क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। मेरा एक पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब तो हमेशा की तरह रटा-रटाया है कि 1000-1200 केस होने चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो आज के नये कानून भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 25 से ज्यादा प्रकरण जिला न्यायालय में आने की वजह से जनता को ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प खोल सकती है। अध्यक्ष महोदय, करीबन 100 किलोमीटर

दूर है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न पहले भी आया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ए.सी.जे.एम. कोर्ट हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, वैसे तो होना यह चाहिये कि वहां ए.डी.जे. कोर्ट खुले, अगर ए.डी.जे. कोर्ट संभव नहीं है तो कम से कम कैम्प कोर्ट की व्यवस्था तो करें। अध्यक्ष महोदय, अगर आज इसकी घोषणा कर दें तो हमारी जनता के लिये न्यायोचित होगा, इसलिए प्लीज आप आज घोषणा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी विधायक की पीड़ा सही है, वह अपने क्षेत्र के लिटिगेंट के लिये बात कर रहे हैं। यह बात भी सही है कि उनके क्षेत्र के जो लिटिगेंट हैं, जो पक्षकार हैं, उनको अपने सिविल प्रकरण या फौजदारी प्रकरण के लिये 90-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यह बात भी इनकी सही है कि यदि कैम्प कोर्ट हो जाये तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि इनके क्षेत्र के सिविल केस सिर्फ 64 हैं और क्रिमिनल केस 105 हैं। हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार और सरकार की आज तक की नीति के अनुसार 1000-1200 केसेज होते हैं, तो जनरली कोर्ट खोला जाता है। हम गंभीरता से प्रयास करेंगे, आपके क्षेत्र के जो भी लिटिगेंट हैं, पक्षकार हैं, आमजन हैं, जिनको कोर्ट से कोई काम है, उनको दूर नहीं जाना पड़े। सारी बातों पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत आपके कैम्प कोर्ट पर कोई न कोई हितैषित निर्णय लेंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आज ही घोषणा करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया।

प्रश्न संख्या 222

अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टांकडा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

223. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत व कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार द्वारा किन-किन चिकित्सा संस्थानों में किन-किन कार्यों हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत बजट में से किस-किस संस्थान में कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए व्यय की

गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाड़ा को 100 बेड के जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
विशेषज्ञ/चिकित्सक	84	53	31
अराजपत्रित संवर्ग	465	328	137

(परिशिष्ट अ पर संलग्न है)

जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किए जायेगें।

चिकित्सा अधिकारी के 1220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित की गई ।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2024 को लैब टैक्नीशियन के 08 एंव सहायक रेडियोग्राफर के 01 कार्मिक को विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में पदस्थापित किया गया है।

वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3067, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जायेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित बजट व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	सिविल कार्य हेतु आवंटित बजट राशि लाखों में रु.	सिविल कार्य हेतु व्यय राशि लाखों में रु.	अन्य आवंटित बजट राशि लाखों में रु.	व्यय राशि लाखों में रु.
2019-20	0.00	0.00	80.24	70.37
2020-21	139.00	94.66	84.11	72.64
2021-22	2118.32	210.79	90.87	75.44

2022-23	572.00	9.36	98.26	79.04
2023-24	418.00	0.00	107.02	97.85

(परिशिष्ट ब पर संलग्न है)

(3) परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में 100 शय्याऔंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाडा जिला जोधपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है।

msk/rtm/25.07.2024/1110/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके अन्दर वर्ष 2022-23 में 572 लाख के अंगेस्ट में मात्र 9.36 लाख का खर्चा किया। 2023-24 में 418 लाख का था, उसमें व्यय जीरो दिया है। फिर वह हॉस्पिटल कैसे चले? क्या गत सरकार ने जो घोषणाएं कीं, वे थोथी घोषणाएं थीं? मैंने क्वेश्चन में यह मांगा था कि किस-किस संवर्ग के, आपने सिर्फ चिकित्सक और विशेषज्ञ का जवाब दिया है। जबकि मैंने संवर्ग का पूछा था कि कौनसी तरह के डॉक्टर्स वहां लगे हुए हैं और कितने पद रिक्त हैं? वैसे ही पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ वगैरह के लिए भी पूछा था, लेकिन आपने संयुक्त दे दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो पद रिक्त हैं, 40 परसेंट पद रिक्त पद पड़े हैं, इनको आप कब तक भर देंगे?

दूसरा सवाल इसी के सन्दर्भ में है कि मैंने जानकारी बजट के लिए मांगी थी, आपने विभाग द्वारा व्यय की गयी राशि की जानकारी मद वार नहीं दी। इसके अन्दर जो मशीनरी की खरीद की गयी है, जो सीआरएम की मशीन खरीदी है या दूसरे जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या आप उसकी जांच करवाना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा है, उसके अन्दर वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिपाड़ सिटी में है। अभी वर्तमान में इस बजट के अन्दर जो बिलाड़ा प्रोपर है, वह एसडीएच बन गया है। बोरूंदा में सीएचसी है, 16 पीएचसी हैं, 91 सब-सेंटर हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है।

मैं माननीय सदन को एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि माननीय सदस्य ने जो पांच साल के आंकड़े मांगे थे, उसके अन्दर जो आवंटित बजट में सिविल वर्क्स था, वह 3 हजार 247 लाख है और खर्चा केवल 314 लाख का हुआ है। यानी 30 करोड़ रुपये पिछली सरकार के दरमियान खर्च नहीं हुए। इनका वह पैसा लैप्स हुआ है। सिविल वर्क के अलावा जो दूसरे वर्क हैं, उसके अन्दर 5 साल में।

श्री अध्यक्षः वे तो यह कह रहे हैं कि पद कब तक भरेंगे ?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने इसका भी पूछा है कि हमारा यह पैसा क्यों नहीं आया। दूसरे जो अन्य काम हैं, उसमें 4 करोड़ 60 लाख के थे, उसमें से 3.9 करोड़ खर्च हो गये। मैंने इसकी जानकारी ली कि इतना फासला क्यों हुआ? इसके अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मिल चुकी थी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः या तो उत्तर सुन लीजिये या दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, आपका खर्चा बहुत कम हुआ है। आपके सिविल वर्क्स में 32 करोड़ की एवज में खाली तीन करोड़ का खर्चा हुआ है। इसकी मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी ली। इसका मैं कारण बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक तो उसके अन्दर जमीन के विवाद थे। इनके पिपाड़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई, जो कि चार साल पहले सेंक्शन थी। इसके अन्दर कोर्ट के स्टे भी थे। इस वजह से काफी राशि इसमें खर्च नहीं हो पायी। अब ये पद के बारे में अर्ज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पद के बारे में ऐसा है कि जो विशेषज्ञ और चिकित्सक हैं, उनके सेंक्शन पद 84 हैं, अभी 53 लगे हुए हैं, रिक्त पद 31 हैं। 63 परसेंट इनकी वेकेंसीज भरी हैं, जो कि राजस्थान में It is high. दूसरी चीज नॉन-गजेटेड ऑफिसर हैं, उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त हैं, इसका मतलब है 71 परसेंट लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच-हॉयर हैं। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी हम 50 हजार भर्तियां कर रहे हैं। हम जितने भी जहां-जहां रिक्त पद हैं, हम पूरे राजस्थान में भर देंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मंत्री महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि आपने जो खर्चा बताया है, इसमें 2018 में मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने उस समय घोषणाएं की थीं, वे धर्मशालाओं के नाम पर सारी पीएचसी, सीएचसी में बनी थीं और उसके ऊपर वाले हॉस्पिटलों पर भी बनीं। लेकिन उनका भुगतान 2018 का बाकी है और यह पैसा लैप्स हो रहा है, इसका क्या कारण है। जिसमें अभी बीएसएम ऑफिस भी चल रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा प्रश्न है, वह सेंटर्ड है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक (पांच वर्ष) इसके अन्दर आप 2019 की बात कर रहे हैं। वह न तो इसके दायरे में है। लेकिन उसका फिगर भी मैं इनको आज शाम तक प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न श्रीचन्द्र कृपलानी।

चित्तौड़गढ़ में मगरा विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

224. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मगरा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा मगरा क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में किन-किन जिलों एवं स्थानों पर उक्त

योजना लागू है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कितने कार्य एवं राशि स्वीकृत की गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1)जी हां। मगरा क्षेत्र विकास योजना राज्य के - पांच जिलों यथा ब्यावर, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, पाली एवं राजसमंद के 1746 गांवों में क्रियान्वित है। विधान सभावार गांवों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौडगढ़ में विगत तीन वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 58.42 लाख के 24 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट2 पर संलग्न है।

mdp/rtm/25.07.2024/11:20/1c

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, मेरा पहला सवाल है, सबसे पहले तो मगरा विकास क्षेत्र योजना के विकास का आधार क्या है? जब राजस्थान के 5 जिले आपने उसमें ले रखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में इन 5 जिलों में विकास का आपने कितना पैसा दिया और उसके आधार पर चित्तौड़ जिले का जो 5वां हिस्सा बनता है, वह दिया या नहीं दिया? वह बताइए।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उसमें 5 जिले हैं, 5 जिलों में अभी तक 38 करोड़ 93 लाख 10 हजार रुपये दिये हैं। उसमें आपके चित्तौड़ में 66 लाख 46 हजार रुपये दिये। उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7 करोड़ 16 लाख 53 हजार रुपये, भीलवाड़ा में 4 करोड़ 2 लाख 65 हजार और चित्तौड़ में 66 लाख 46 हजार, पाली में 3 करोड़ 71 लाख 78 हजार, राजसमंद में 23 करोड़ 35 लाख 58 हजार। इतने पैसे आपके जिले में दिये गये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे जिले में 35 गांव हैं। 35 गांवों में कुल 58 लाख रुपये इन्होंने दिये तीन सालों में, एक गांव में कितनी पांती आते हैं, डेढ़ लाख, सवा लाख रुपये पांती नहीं आते। एक गांव में एक सड़क क्या, सीसी रोड क्या, एक हैंडपम्प भी नहीं लग सकता। जूली साहब, आपकी वजह से ही हुआ है ये। तीन साल आपका ही राज था। हमारा राज आए तो 6 महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस के राज में तीन सालों में 58 लाख रुपये लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि क्या भविष्य में आप चित्तौडगढ़ जिले के मगरा विकास में और गांव जोड़ना चाहते हैं? यदि हां, क्योंकि चित्तौड़ में, बड़ी सादड़ी में, बेगूं में, चित्तौडगढ़ में घाटा में अभी भी 175-200 गांव बाकी हैं, ये मगरा क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनकी क्या

आर्थिक स्थिति है, किस तरह वह जीवन गुजारा कर रहे हैं, क्या उनके भले का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो आप मुझे बताइए, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2024-25 में 20 प्रतिशत राशि में से जिला भीलवाड़ा को 87 लाख 30 हजार रुपये, चित्तौड़गढ़ को 60 लाख रुपये, पाली को 50 लाख रुपये के प्रस्ताव अभी अनुमोदन किये गये हैं। जल्दी ही आपके पैसे आ जायेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं तो जोड़ने की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इनका कौनसा एरिया जोड़ेंगे, गांव जोड़ेंगे, ये प्रश्न है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या सरकार नये गांव जोड़ने का विचार रखती है या नहीं रखती है?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें जिलों के आवंटन, जिसमें बीपीएल परिवारों के आधार पर 50 प्रतिशत है और गांवों की संख्या के आधार पर 50 प्रतिशत है। अगर फिजिबिलिटी होगी तो जल्दी ही आपके गांवों को जरूर जोड़ा जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल जो था, मंत्री जी माफ करना, कि 5वां हिस्सा चित्तौड़ जिले को क्यों नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से चित्तौड़ में 66 लाख 86 हजार रुपये मगरा क्षेत्र में जो पहले आवंटन हुए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कितने करोड़ में से?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): उसमें अभी हमने मगरा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष: यह आप चर्चा कर लेना, आप ध्यान रखना इनका।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, 60 करोड़ में से 58 लाख दिये हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? मंत्री महोदय, आपकी गलती नहीं है] ये इनकी गलती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्य। ध्यान रख लेंगे, कह दिया।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत। शंकर सिंह जी, अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। जब आपका नाम पुकार दिया तो खड़े हो जाइए।

ब्यावर की बूजारेल से दूधालेश्वर सड़क का डामरीकरण

225. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेडा से दूधालेश्वर महादेव सड़क का निर्माण कब किया गया था तथा उक्त की मरम्मत कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क में बूजारेल से दूधालेश्वर गांव तक प्रथम व अन्तिम बार डामरीकरण कब किया गया? वर्तमान में उक्त सड़क की क्या स्थिति है? क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण अथवा डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर महादेव सड़क की कुल लम्बाई 30 किमी. है। इस सड़क के लिए किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) बूजारेल से दूधालेश्वर गांव तक का प्रथम व अन्तिम बार वर्ष 1980 से पूर्व डामरीकरण सड़क निर्माण का कार्य किया गया। वर्तमान मे यह सड़क क्षतिग्रस्त अवस्था /नॉनपेचेबल सड़क है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 14.39 के द्वारा 15 करोड़ की घोषणा की गई है। सड़क का यह भाग (चेनेज 0/0 से 10/0 तक) रावली टाडगढ वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात नवीनीकरण का कार्य किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। अगर आप चाहे तो पूरक प्रश्न कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछ लीजिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमारे जो सड़क पास की है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। उसमें थोड़ी-सी कमी रह गयी है कि 44 करोड़ का उस पर बजट एस्टीमेट था और 15 करोड़ ही पास हुए हैं, वह पूरी नहीं बन पायेगी। तीसरा हिस्सा भी नहीं बना पायेगी। आपये प्रार्थना है कि वह पूरी बन जाए। क्या पूरी बना देंगे?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बजट घोषणा 2024-25 के बिंदु संख्या 14.01 के तहत इस सड़क के 15 किलोमीटर के लिए राशि 15 करोड़ स्वीकृत की गयी है। इस सड़क के आंशिक भाग का अपग्रेडेशन वर्ष 2020 से 2022 के मध्य करवाया गया है एवं कुछ भाग डीएलपी अवधि में है। तथापि इस सड़क के उन्नयन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अगर लगेगा की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसमें अधिक राशि देकर इसका हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अतुल भंसाली।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: हो गया। जो मांगा था, उत्तर आ गया। आपका स्वभाव है। श्री अतुल भंसाली।

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति

226. श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आई.ए.एस, आई.पी.एस, आर.ए.एस एवं आर.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है।

प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया/परीक्षण उपरांत गुणावगुण पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, चूंकि जो सूची आपने उपलब्ध करायी है उसमें 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 सभी प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित प्रकरण किस स्तर पर, किस अधिकारी के पास, कब से और क्यों लंबित हैं? ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों को बचाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब हमारी जीरो टोलरेंस की सरकार है। इन प्रकरणों को कब तक निपटा देगी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है कि सन 2018 से केसेज विचाराधीन हैं। सन 2018 का एक प्रकरण है, सन 2019 का एक प्रकरण है, 2020 में कोई नहीं है, 2021 में तीन हैं, 2022 के पांच हैं, 2023 के 6 और 2024 के 2 हैं। इन प्रकरणों में अलग-अलग कारणों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। किसी में हाइकोर्ट का आर्डर है, किसी में स्टे है, किसी में भारत सरकार की अनुमति बाकी है। आप चाहेंगे तो कारणों सहित अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। धन्यवाद।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि अभियोजना की स्वीकृति जो लेट होती है और समय निकल जाने के, जो समय देते है इतना लम्बा स्वीकृति में, उसमें जो अभियोजक होता है, वह येन-केन-प्रकारेण उस मैटर को डिले करने में या अपने हिसाब से सैटल करने का प्रयास करता है। उसका सीधा प्रभाव नीचे के कर्मचारियों पर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): वह भी अगर इस तरह के अभियोजन में लिप्त पाये जाते हैं, वह भी बचने का कोई न कोई जुगाड़ निकालते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस

प्रकार के कोई भी प्रकरण हो, उनमें त्वरित कार्यवाही करें और दूसरी ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो उसके सम्बन्ध में स्पष्ट करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शंका सही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, यह बात सही है कि प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति शीघ्र मिले, उसका शीघ्र प्रोसिक्यूशन हो और उसका रिजल्ट जल्दी आवे। चाहे उसका अपराध नहीं है तो उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाती है। तुरंत निर्णय मिल जाता है कि मेरा कोई अपराध नहीं है और यदि अपराधी है या गुनाह किया है तो उसका रिजल्ट मिल जावे, लेकिन आज तक जो मैंने देखा है कि उसमें कोई न कोई कारण से प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है। हम प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति मिले और गुणावगुण पर उसके विरुद्ध निर्णय हो, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष। आपके दो प्रश्न हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टोलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो यह बता दें कि पिछले आठ महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आपने दी हैं या निस्तारण किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

ans/rtm 11.30 1d 25.07.2024

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह मूल प्रश्न का विषय नहीं था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मूल नहीं है तो क्या है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं, आप इतनी जल्दी ना करे। जवाब दे रहा हूं ना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह मूल नहीं है तो मूल क्या है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुनो तो सही। जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मूल तो उन्होंने पूछ लिया। अब ब्याज है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): तसल्ली से सुनो, सबका जवाब है। पिछले 8 माह से, या दस माह से, इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था, उन प्रकरणों में पिछले आठ माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं आपको एक-एक प्रकरण का बता दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही जीरो टोरलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी, हम यही तो पूछ रहे हैं। आठ महीने में एक भी प्रकरण का आपने निस्तारण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: सुनिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सुनने की क्षमता नहीं, वह गड़बड़ होता है।

2018 से 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो आठ महीने का बता दो ना।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आठ महीने की करेंगे और पांच साल की भी करेंगे। पूछोगे सबका जवाब देंगे। जीरो टोलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे, शीघ्र निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भाषण करने से नहीं होता, काम करना पड़ता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं करे। बिना अनुमति के कोई बोले अंकित नहीं करे। जो बिना अनुमति के बोले, कोई अंकित ना करे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री धर्मपाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: जिसका प्रश्न था, उसको जवाब आ गया ...(व्यवधान)... उनका प्रश्न था, उन्होंने जवाब दे दिया। आप कौन होते हो पूछने वाले। आप बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, अंकित नहीं होगा। रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। सदन आप चलाओंगे क्या ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):000

श्री अध्यक्ष: सदन आप नहीं चलाओंगे, सदन मैं चलाऊंगा। नो, नोट एट ऑल। नहीं तो मुझे प्रस्ताव लाने के लिए करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... मुझे प्रस्ताव लाने के लिए करना पड़ेगा। मुझे प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर मत करो। आपके लिए प्रस्ताव लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। ...(व्यवधान)... आपके अनुसार जवाब नहीं आएगा। आप जो चाहेंगे वह जवाब आएगा क्या, जवाब आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अंतिम बार कह रहा हूं। प्रश्न काल में आपको व्यवधान ड़ालने की आदत पड़ गई है। यह बर्दाश्त नहीं करुंगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): प्रश्न संख्या 227

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि हमने इन आठ माह में 11 स्वीकृतियां जारी कर दी है प्रोसीक्यूशन की, 11 (A) में।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, हो गया। अगला प्रश्न आ गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक लाइन और।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अनुमति नहीं है, इस प्रश्न पर। अपने सदस्यों को रोकिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बैठे-बैठे 100 प्रश्न पूछना, 100 का जवाब मिलेगा। मेरा जवाब पूरा कर दूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप चाहते हो कि आप जैसा चाहो वैसा जवाब दूं, वह नहीं मिलेगा। जवाब वह मिलेगा जो तथ्यों पर आधारित है। ...(व्यवधान)... जवाब वह मिलेगा जो हमने काम किया है। ...(व्यवधान)... वह जवाब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 11 स्वीकृति हमने दी है आठ महीने में। अब आप बता दो, पांच साल में कितनी दी? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह क्या तमाश है? अध्यक्ष कुछ भी नहीं है क्या? अध्यक्ष की मानते नहीं हो। मैं कई बार कह चुका कि बीच में नहीं बोलेंगे, फिर भी लगातार खड़े हो रहे हो। प्रश्न काल भी नहीं चलने देना चाह रहे हो। अगला प्रश्न।

खेतड़ी के बबाई डेयरी प्लांट की क्षमता

227. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बबाई गांव में डेयरी प्लांट लगा हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्लांट में कितना लीटर दूध संकलित किया जाता है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त डेयरी प्लांट की दूध संकलन की क्षमता कितनी है? क्या उक्त डेयरी प्लांट में दूध संकलन की क्षमता के अनुरूप दूध संकलन के लिए आता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी के ग्राम बबाई में सरस डेयरी प्लांट स्थापित है।

उक्त प्लांट में वर्ष 2023-24 में औसतन 5133 लीटर दुग्ध प्रतिदिन संकलित किया गया। माह वार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त डेयरी प्लांट में 25 हजार लीटर दुग्ध प्रतिदिन संकलन की क्षमता है।

जी नहीं। उक्त डेयरी प्लांट में दुग्ध संकलन की क्षमता के अनुरूप दुग्ध संकलन के लिए नहीं आता है, क्योंकि बबाई नीम का थाना क्षेत्र में जो बीएमसी स्थापित है, उन बीएमसी समितियों पर संकलित लगभग 8 हजार लीटर दुग्ध, सरस डेयरी प्लांट पलसाना में सीधा संकलन हो रहा है।

वर्तमान में 34 समितियां एवं 03 संकलन केन्द्र क्रियाशील है एवं वंचित क्षेत्र में संकलन केन्द्र शीध्र स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न संख्या-1, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित डेयरी प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है, उसके बावजूद भी चालू नहीं हो पाई है, जिससे दूध, दही, छाछ, पनीर, श्रीखण्ड इत्यादि का पैकिंग कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि क्या प्रोसेसिंग यूनिट को प्रारम्भ किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बबाई डेयरी संयंत्र सीकर एवं झुंझुनू, दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पलसाना सीकर के अधिनस्थ है। जिसमें 21 जनवरी, 2022 से दूध संकलन प्रारम्भ किया गया था। यह संयंत्र विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी एवं नीम का थाना क्षेत्र दूध उत्पादकों के हितो को ध्यान में रखते हुए देवनारायण परियोजना में स्थापित किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बबाई डेयरी प्लांट में 34 समितियां हैं व 3 संकलन केन्द्र हैं। बीएमसी एक भी नहीं है। बबाई डेयरी प्लांट से जुडी 16 ग्राम पंचायतों में अभी नई सहकारी समितियां खुली है। दूध समितियां कम होने से, दूध संकलन कम हो रहा है, जो दूध आ रहा है उससे प्लांट नहीं चल पा रहा है। प्लांट को चलाने के लिए प्रतिदिन समुचित दूध की आवश्यकता रहती है। प्रतिदिन 5 हजार 133 लीटर दूध संकलन होता है, जबकि प्लांट की क्षमता 25 हजार लीटर है। अब वर्तमान में आ रहे दूध को ठंडा करके सरस प्लांट, पलसाना क्षेत्र में भेजा जा रहा है। दूध संकलन हेतु वंचित 16 ग्राम पंचायतों पर दूध समितियां खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूध की आवक बढाएंगे और दूध की आवक प्राप्त होगी तो बबाई प्लांट में दूध प्रोसिसिंग की कार्यवाही की जाएगी और प्लांट को चालू किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): पूरक प्रश्न संख्या-2, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ग्राम स्तर पर दूध संकलन समितियों का आज तक गठन नहीं हुआ है, यह गठन कब तक हो जाएगा? समितियां खोलने का विचार है या नहीं?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 के बजट में माननीया उप मुख्य मंत्री जी ने 1500 नई सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की है। इसी के तहत बबाई क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायतों में समितियां नहीं है, उनमें समितियां

खोलने की कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही समितियां खोलेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री महेन्द्र पाल मीना

जमवारामगढ़ में नवीन न्यायालय की स्थापना

228.श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में न्यायालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मुख्यालय जयपुर (जिला) पर स्थित है एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए उस क्षेत्र के प्रकरण निर्धारित मापदण्ड 1000-1200 से कम है।

(2) किसी स्थान पर न्यायालय की स्थापना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जमवारामगढ में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

भविष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जमवारामगढ क्षेत्र के प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ क्षेत्र बहुत बड़ा तथा अति पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर काफी थाने हैं। यहां केवल सिविल न्यायालय एवं कनिष्ठ खण्ड मजिस्ट्रेट ही बैठता है। मेरी मांग है कि यहां वरिष्ठ खण्ड न्यायालय एवं अतिरिक्त जिला न्यायालय एडीजे कोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह मांग काफी समय से की जा रही है। साथ ही, सिविल कोर्ट, सीनियर डिविजन एडीजे कोर्ट की यहां जरूरत है।

VPS-RTM-25.07.2024-11.40-1e

तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि आप इसको सदन की मेज पर रखें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मांग नहीं, आप तो प्रश्न पूछें। मांग नहीं होती इसमें। आप तो प्रश्न पूछें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): हां, मेरा प्रश्न यह है कि जिला न्यायालय, ए.डी.जे. कोर्ट क्या सरकार खोलेगी? इसको सदन की मेज पर रखें। यदि आपकी मंशा है तो कब तक खोलेंगे?

श्री अध्यक्षः हां। विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मांग वाजिब है। इनके यहां पर अभी एक सिविल कोर्ट है और इनकी मांग यह है कि एक एडिशनल सिविल कोर्ट और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट खोली जाये परंतु जैसा कि अभी मैंने आपसे यह निवेदन किया कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा और सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, उन निर्धारित मापदंडों के अनुसार यह प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इनके क्षेत्र से सिविल केसेज सिर्फ 401 और क्रिमिनल केसेज 102 हैं, तो इस प्रकार कुल 503 केसेज ही हैं और इन केसेज की नियरेस्ट जयपुर स्थित जिला न्यायालय में एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है फिर भी आपका जो प्रस्ताव है कि हमारे यहां पर एडिशनल सेशन कोर्ट खोला जाये और एडिशनल मजिस्ट्रेट का कोर्ट खोला जाये चूंकि, यह मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सामने विचाराधीन है। वहां से जैसा भी प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार करके आपके यहां पर कोर्ट खोलने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर कोई न कोई न्यायोचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भैराराम।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः श्री भैरा राम चौधरी।

ओसियां में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन

229. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में अनुदान हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितनों को अनुदान जारी किया गया तथा कितने वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित अनुदान का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के तहत जोधपुर जिले के निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलग्रहण विकास घटक योजना के अन्तर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

कृषि विभाग के अधीन पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत "पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (पीडीएमसी) के रूप में संचालित है, के तहत विगत 3 वर्षों में जोधपुर जिले में कुल 15298 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12077 को अनुदान मिला तथा 2724 आवेदक अनुदान से वंचित रहे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्रीजी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा आप जोर से पढ़ें और माइक आपके नजदीक होगा तो आवाज आयेगी।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (2) जी हां। लंबित देनदारियों का समावेश वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में किया गया है तथा इनके निस्तारण हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो रही राशि के अनुरूप बजट आवंटन किया जा रहा है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य-योजना जारी की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले को गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी 10885 हैक्टेयर की कार्य-योजना को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 16256 हैक्टेयर के भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत जो गत समय के लम्बित अनुदान के मामले हैं, उनके बकाया भुगतान किसानों को करने का कोई विचार रखती है? इसके लिए कोई समय सीमा, पीरियड तय कर रखा है या कब तक भुगतान कर देंगे? नम्बर एक।

नम्बर दो, यह जो आपने जमीन ली है 10885 हैक्टेयर तो आपने इसको बढ़ाकर 16256 की है तो इसको बढ़ाने का क्या क्राइटेरिया है? आप जमीन को किस आधार पर बढ़ाते हो या किस आधार पर घटाते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि बाकी है वह एस.सी., एस.टी. के लोगों की भी बाकी है, उसको हम बहुत जल्दी ही भुगतान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट पर बैठें। दूसरों की सीट पर बैठकर फिर सुनते नहीं हैं इसलिए सभी से मेरा यह आग्रह है कि सभी कम से कम प्रश्न काल में तो अपनी सीट पर बैठें। चलिये, जो किसी दूसरे की सीट पर बैठे

हैं, वे अपनी-अपनी सीट पर आइये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सामान्य श्रेणी की बाकी है, उसको लगभग हम 15 अगस्त तक भुगतान करेंगे परंतु यह जो भुगतान नहीं हुआ उसका कारण यह पूर्ववर्ती सरकार है क्योंकि उनकी किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं थी, वह किसान विरोधी सरकार थी और इसके कारण से भुगतान नहीं किया गया था।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है? डिमांड के आधार पर यह क्राइटेरिया बनता है कि पिछली बार कितने आवेदन आये थे और कितने लोगों के लिए कितना पैसा हमारे पास था, तो उसी अनुपात के हिसाब से हम अगली डिमांड करते हैं और उसी प्रकार से लक्ष्य तय करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जितने भी आवेदन आते हैं, उन आवेदनों को बहुत सारे अधिकारी तो बिना देखे ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप उन अधिकारियों को यह पूछें कि आप इनके आवेदनों को बिना देखे ही रिजेक्ट क्यों कर देते हैं?

दूसरा, जो जमीन का हैक्टेयर बढ़ाने/घटाने वाला क्राइटेरिया है तो आप यह स्पष्ट नहीं कर पाये, क्या इसका कोई क्राइटेरिया तो है कि किस आधार पर आप इनको घटाते हो या किस आधार पर बढ़ाते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको यह बता दिया है कि जिस प्रकार की डिमांड होती है, उसके आधार पर अगले वर्ष में हम टार्गेट तय करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुर (करणपुर) में शय्याओं की वृद्धि

230. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करणपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुर को 30 बेड से 50 बेड क्षमता किये जाने हेतु बजट घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त केन्द्र में बेड क्षमता के विस्तार का कार्य कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुर को दिनांक 25.10.2021 के द्वारा 30 शय्याओं से 50 शय्याओं में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति प्रति परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

क्षमता के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। नॉर्म्सनुसार 50 शय्यायुक्त राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमपुर के भवन विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध एवं आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर बजट आवंटन करवाया जाकर भवन विस्तार कार्य करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष: हां, आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है कि 30 से 50 बेड क्षमता का विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया गया लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि पदमपुर हॉस्पिटल में अभी 150 बाई 225 की जगह खाली पड़ी है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 30 बेड से 50 बेड की क्षमता आप कब तक बढ़ा देंगे? वहां पर जगह खाली पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, करणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आठ सी.एच.सी. है, 12 पी.एच.सी. है और 114 सब सेंटर्स हैं। वहां पर आठ सी.एच.सीज. है जो कि एक बहुत ही भारी मात्रा में है। पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुरा, यह सब आपकी सी.एच.सीज. हैं। 25.10.2021 को जब आपकी सरकार थी और आदरणीय स्वर्गीय आपके पिताजी एम.एल.ए. थे वहां पर तो 25.10.2021 को 76 लाख 96 हजार का बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेंक्शन किया गया और जो कार्य था उसकी अवधि थी कि 31 दिसम्बर, 2024 को वह कार्य कम्प्लीट किया जाये। इसके अन्दर 30 से 50 बेड्स बढ़ाने थे और टोटल जो बजट आपके 2021-22 का था, आपकी ही सरकार ने लगभग 32 करोड़ रुपये आपके हॉस्पिटल्स के अन्दर स्वीकृत किये थे, जिसके अन्दर केवल 617 लाख रुपये ही अभी तक खर्च हुए हैं तो मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पिताजी की हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम आपको ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक बार उत्तर आ जाये, फिर आप पूरक प्रश्न दूसरा पूछ लेना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके यह जो बेड्स 30 से 50 बढ़ाये जाने हैं इसके अन्दर मैंने जानकारी ली है और मैंने यह कहा है कि 20 बेड बढ़ाने के लिए एक मंजिल विस्तार करके हम कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग जरा कमजोर है। मैंने कहा कि स्टील्थ के ऊपर लगाकर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह भी सम्भव नहीं है। तो वहां पर कुछ क्वार्टर वगैरह जो कुछ फालतू में पड़े हुए हैं, उनको डिस्मेंटल करके हम आपका 30 से 50 बेड्स का कार्य शीघ्र ही चालू करेंगे और हम इनको

कम्प्लीट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक करणपुर में टाइफाइड, वायरल बुखार से काफी बीमारी फैल चुकी है जिससे दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है, तो वहां पर दस पद स्वीकृत हैं और डॉक्टर्स सिर्फ तीन ही हैं और यही हाल पदमपुर में है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह पद कब तक भर दिये जायेंगे, पदमपुर और करणपुर में?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इन्होंने जो पूछा है, यह इसके दायरे में नहीं है लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो पचास हजार पद नवम्बर तक लेंगे और एज ए मिनिस्टर मेरा सबसे भारी इस विभाग के अन्दर अगर फोकस रहेगा तो वह यह रहेगा, चाहे वह विपक्ष हो या चाहे हमारे एम.एल.एज. हैं, तो यह मेरा सबसे भारी चैलेंज होगा और मेरी सबसे भारी जो टास्क रहेगी वह यह रहेगी कि राजस्थान के हॉस्पिटल्स के अन्दर रिक्त पद नहीं रहें, इनको शीघ्र करेंगे।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): सर, यह करणपुर का बहुत ही सेंसेटिव मैटर है, इसको थोड़ा जल्दी ही करवा देना।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री घनश्याम।

ओलावृष्टि से पीडित किसानों को देय मुआवजा

231. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में ओलावृष्टि से पीडित किसानों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? जिलेवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में केन्द्र से कितनी राशि का अनुदान प्राप्त हुआ तथा कितनी राशि कितने किसानों को वितरित की गयी? जिलेवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायता राशि का वितरण भूमि की गुणवत्ता व नुकसान के आधार पर किया जाता है? यदि नहीं, तो किस आधार पर सहायता राशि निर्धारित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) प्रदेश में विगत 05 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित कुल 3,41,133 (तीन लाख इकतालीस हजार एक सौ तैंतीस) काश्तकारों को राशि 377.52 करोड़ (तीन सौ सतहत्तर करोड़ बावन लाख) रुपये कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है।

जिसका जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ओलावृष्टि के लिए भारत सरकार से पृथक से राशि प्राप्त नहीं होती है। भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ गाइडलाइन के अनुसार वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश अनुसार गत पांच वर्षों में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	एसडीआरएफ	एनडीआरएफ	कुल राशि (राशि करोड़ में)
2019-20	1340.00	1949.59	3289.59
2020-21	1975.00	68.65	2043.65
2021-22	1580.00	-	1580.00
2022-23	1659.20	-	1659.20
2023-24	1742.00	-	1742.00

ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को वितरित की गई कृषि आदान-अनुदान राशि का जिलेवार/वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' के अनुसार है।

(3) फसल खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता है।

अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के प्रावधान अनुसार प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जाता है। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ लो।

SSY/RTM/24.07.2024/11:50/1f

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां ना तो सर्वे हुआ है, ना किसानों को मुआवजा मिला है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पाला और अधिक वर्षा के कारण जिलेवार नुकसान किसानों को कितना हुआ है और उनकी क्या संख्या है? नुकसान का कितना मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया है?

एक आपने जवाब में लिखा है कि एसडीआरएफ के निर्देशों के अंतर्गत राशि कौनसा किसान प्राप्त करने का हकदार है? एसडीआरएफ का क्या तात्पर्य है, यह क्या मापदंड हैं और किन किसानों को इसके माध्यम से राशि मिलेगी? यह मेरा मंत्री जी से पूछना है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एसडीआरएफ के अन्दर हमें आपदा प्रबंध सहायता, नागरिक सुरक्षा के ओलावृष्टि के भारत सरकार से अलग से 12 ऐसे हैं, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के नियम हैं, उसके अनुसार राशि वितरित की जाती है। उसमें आज दिन तक 5 वर्षों में भारत सरकार से 10,314 करोड़ 44 लाख रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। 2020 से 2024 तक, तो हमने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वितरित की गई कृषि आदान अनुदान राशि की जिलेवार आपको सूची दी गई है।

फसल खराब होने पर कृषि आदान, अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता है। अधिकृत प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों द्वारा बोई गयी फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट में 33 परसेंट जो खराबा होता है, उसके आधार पर की जाती है। इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नार्म्स के अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान किया जाता है। यह परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि क्या सरकार इस प्रकार के नुकसान में मुआवजे को बढ़ाने का इरादा रखती है? पाले और वर्षा से किसानों को जो नुकसान होता है,क्या उनके भी कोई मापदंड हैं? उसमें भी नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है? उसका भी खुलासा करें। जबकि वर्षा और पाले से ओले से भी ज्यादा नुकसान किसानों को होता है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सहायता राशि देने का 6 महीने के अन्दर-अन्दर जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार उसको सहायता दी जाती है। 6 महीने के बाद भी विभागीय स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर उसका भुगतान किया जाता है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सरकार इसको बढ़ाने का विचार करती है क्या? पहले से जो नुकसान का है, उसको बढ़ा सकती है?

प्रश्न संख्या 232

श्री अध्यक्षः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री शान्ती धारीवाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्षः यह इनका अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में दर्ज परिवाद

233. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 मई, 2024 तक कुल कितने परिवाद प्राप्त हुए? प्राप्त परिवादों में कितने परिवाद जांच योग्य मानते हुए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से अनुसंधान के लिये अनुमति मांगी व कितनों में अनुमति प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त ब्यूरो को पद के दुरूपयोग के संबंध में कितने परिवाद प्राप्त हुए तथा कितनों में जांच की अनुमति प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) प्रदेश में दिनांक 31 मई, 2024 तक रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी व कर्मचारी के कितने अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 मई 2024 तक कुल 10128 परिवाद प्राप्त हुए। कुल प्राप्त 10128 परिवादों में से 254 परिवादों में अनुसंधान हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति मांगी गई है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं। जांच योग्य 254 परिवादों के अनुसंधान हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति मांगे जाने पर कुल 20 परिवादों पर अनुमति प्राप्त हुई।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पद के दुरुपयोग के संबंध में 254 परिवाद प्राप्त हुए। जिनमें से 20 परिवादों में जांच की अनुमति प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) 31 मई, 2024 तक रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए कुल 182 अधिकारियों/ कर्मचारियों की अभियोजन स्वीकृति लंबित है। विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): माफ कीजियेगा अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है। विराजें, माननीय मंत्री जी। हां, पूरक प्रश्न पूछो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा पहला प्रश्न यह है कि रंगे हाथ पकड़े गये और जिनका इनवेस्टिगेशन भी हो गया। वह प्रोसीक्युशन सेंक्शन के लिए केन्द्र सरकार के पास कितने प्रकरण भेजे गये? कितनी वहां से मंजूरी होकर आई और कितने पैंडिंग पड़े हुए हैं? इसी के साथ-साथ केन्द्र सरकार के अलावा भी वेस्ट बंगाल में आपने एक प्रकरण भेजा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी आपने 2 प्रकरण भेजे। वह भी आज तक नहीं आये। पहला प्रश्न तो मेरा यह है। इसका जवाब दे दें आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 31.05.2024 तारीख तक रंगे हाथ 182 ऑफिसर्स, कर्मचारियों का प्रोसीक्युशन सेंक्शन होकर पेंडिंग है। वह मैंने आपको परिशिष्ट-ग में जितने भी लोग हैं, उनके नाम हैं। आप बोलें तो मैं आपको वह भेज दूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरे पास है, वह परिशिष्ट आ गया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ठीक है। 182 के फिगर्स हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा निवेदन यह है कि आप खुद ही अच्छी तरह से देख लेना। मेरा सवाल केन्द्रीय सरकार पर था। एक बात। 1 जनवरी, 2023 से लेकर के मई, 2024 तक का सवाल था। वह केन्द्र सरकार को आपने कितने भेजे, कितने नहीं भेजे, उसका आप जवाब नहीं दे पायेंगे। आप मुझे लिखकर भिजवा देना।

दूसरा सवाल है कि मैंने जिस तरह से अभी आपको बताया कि 01 जनवरी, 2023 से लेकर के मई, 2024 तक का जो मैंने सवाल पूछा था, वह सिर्फ इस पीरियड के लिए पूछा था। आपने जो मुझे दी है कि परिवाद कितने आये, तो आपने बता दिया 2017 का भी बता दिया, 2018 का भी बता दिया, 2019 का भी बता दिया, 2020 का भी बता दिया और ऐसा करते हुए आपने 10238 मामले बता दिये कि जांच के लिए इसकी अनुमति मांगी गई है। वह गलत है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सिर्फ मैंने इतने से पीरियड के लिए मांगा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पीरियड में मुश्किल से 113 मामले आपके पास आये हैं। 01 जनवरी, 2023 से लेकर के मई, 2024 तक 113 मामले आये हैं। 113 मामलों में से 10 में तो आपने प्रोसीक्युशन सेंक्शन के लिए मना कर दिया। जांच की अनुमति देने से मना कर दिया और 5 में दे दी। अब 98 रह गये। अब यह 98 कब से पेंडिंग पड़े हुए हैं? किन कारणों से पड़े हुए हैं और किस अधिकारी के पास पड़े हुए हैं? अगर उस अधिकारी ने 30 दिन से ज्यादा, इन केसेज को डिसपोज ऑफ नहीं किया तो क्या आप उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को कितने मामले भेजे हुए हैं, इसकी मैं डिटेल निकालकर के आपको भेज दूंगा। जो दूसरा भी आपने बोला है उसकी भी डिटेल मैं निकलवाकर, अधिकारी का उसके अन्दर क्या रोल रहा है, आपको मैं भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान

234. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुल कितनी पंजीकृत गौशालाओं में कुल कितने गौवंश हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान मिल चुका है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गौशालाओं में प्रत्येक गौवंश के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितना अनुदान देय है?

क्या सरकार गौवंश के अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री जी, जवाब आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मंत्री जी से यह तो उम्मीद रखते हैं कि जिस अधिकारी ने नियम विरुद्ध एक महीने से ज्यादा अगर रोका है तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा सवाल आ गया। सवाल आ गया ना। मेरा सवाल आ गया।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहेंगे?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकार दिया उसके बाद।

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न पुकार लिया। चलिये। माननीय मंत्री जी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुल 13 पंजीकृत गौशालाओं में कुल 4831 गौवंश संधारित है। गौशालावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 पात्रता की शर्त पूर्ण करने वाली गौशालाओं को सहायता राशि रुपये 3,51,63,225/- का भुगतान किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण (नवम्बर, दिसम्बर, 2023 एवं जनवरी, फरवरी, मार्च 2024) में पात्रता की शर्त पूर्ण करने वाली 09 गौशालाओं को सहायता राशि की वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1,16,14,500/-जारी की जा चुकी है। गौशालावार विवरण परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गौवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश को उक्त समान दर पर 12 माह की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। जी हां। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार बढाया जाता है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न। अगला प्रश्न पुकार लिया उस समय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको 8 महीने हो गये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप विराजो, विराजो।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। धारीवाल जी का प्रश्न है, बतायेंगे इनको।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 9 गौशालाओं का 75 दिन का अनुदान, सहायता राशि कब तक देंगे? 9

गौशालाओं का 75 दिन का बकाया अनुदान है, एक मिनट, मंत्री महोदय, इसको कब तक देंगे और क्या इन गौशालाओं को 12 महीने तक देना चाहते हैं? दोनों का साथ ही दे दो। एक तो यह हो गया। दूसरा, गायों का बीमा कब तक करेंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 9 गौशालाओं का अनुदान कब तक देंगे? वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 22.07.2024 तक 2843 गौशालाओं की 653.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा 1987 गौशालाओं की राशि 238.7 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। 210 गौशालाओं का 27.38 करोड़ इनके खाते में राशि भी जारी की जा चुकी है। इनकी गौशालाओं की भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। शीघ्र ही इनके खाते में वह राशि डालने की कार्यवाही हो जायेगी।

दूसरा प्रश्न इनका था कि अनुदान 12 महीने करने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को अनुदान प्रथम चरण में, अलग-अलग चरणों में दिया जाता है। प्रथम चरण में अप्रैल, मई, जून, जुलाई का दिया जाता है। बीच में बरसात का मौसम होता है तो 3 महीने चारे की पर्याप्त व्यवस्था होती है। हरी घास गायों को पर्याप्त मात्रा में मिलती है इसलिए 3 महीने का गैप रखते हुए 5 महीने दूसरे चरण में दिया जाता है। अभी वर्तमान में 12 महीने देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Spp/Rtm/25.07.2024/12:00/1g

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बीमा कब तक करेंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): बीमा वाली जो बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, उस पर अभी शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। नो। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। ..(व्यवधान).. आपको पता है, व्यवस्था दे रहा हूं। नहीं, बैठिये। आसन पांवों पर है।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन के अनुशासित संचालन में आसन को कार्रवाई की तरफ प्रेरित न करें

माननीय सदस्य, मुझे एक बात बड़ी स्पष्ट करनी है। कुछ व्यवस्थाएं जो मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है कुछ सदस्य इसको लाइटली ले रहे हैं और कह रहे हैं इनका तो स्वभाव है, कहते रहते हैं। लेकिन आज सबके सामने कह रहा हूं कि सब लोग आकर अपनी सीट पर बैठेंगे। कुछ लोग दूसरी सीट पर बैठकर गप्प लगा रहे हैं, कोई बीच में खड़ा हो रहा है, कोई बिना अनुमति के बोल रहा है। विपक्ष का नेता बोल रहा है, इनके ही सदस्य बीच में अड़चन डालते हैं। यह अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और सीधा संसदीय मंत्री से कह रहा हूं कि जो यह कहना नहीं माने, आप प्रस्ताव लाइये और जो कुछ कठोर कार्यवाही करनी होगी, उस पर भी

मैं कहीं संकोच नहीं करूंगा, यह स्पष्ट सबको कह रहा हूं। अनुशासन का पालन करिये। नियम 269 का पालन करिये। उसके बाद जिसको अनुमति देते हैं, कई बिना अनुमति के ही खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कि कोई भी अनुमति के बिना खड़ा होगा, जब आप लोग बीच में बात करते हैं, भाषण चल रहा होता है, कोई कुछ कहता है, मैंने कभी नहीं टोका, लेकिन सदन में अभी आये ही नहीं और आते ही दूसरी सीट पर बैठ जायेंगे, गप्प लगायेंगे और अनुशासन भंग करेंगे और फिर यहां आकर जबरदस्ती खड़े हो जायेंगे। एक बार, यह मेरी आदत नहीं है, मैं केवल लिहाज रख रहा हूं और सबको बार-बार आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। यह सदन नियमों से चलेगा, परम्पराओं से चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा, नियम भंग करेगा, चाहे कितना ही पुराना हो, उस पर कहीं भी मैं संकोच नहीं करूंगा। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से विधान सभा भवन के नजदीक धरना प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रामनिवास गावडिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में निर्माणाधीन राजकीय स्टेडियम का कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जल जीवन योजना के अन्तर्गत साबी नदी से 15 गांवों को जोड़े जाने हेतु बनाई गई योजना का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री जयकृष्ण पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से मेघवाल स्वामियों की ढाणी ढीगाल, जिला झुंझुनूं निवासी प्रधानाध्यापक की करंट से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ में चित्तौडगढ़ दुर्ग के निवासियों के बारिश से जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के पौराणिक महत्व के

ऊषा मंदिर की देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में बिजली की अघोषित कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के अधिकांश चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में जनता जल योजना के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(13) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में झींगा मछली पालक किसानों के विद्युत कनैक्शन कॉमर्शियल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को समय पर वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में हो रहे अवैध नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से नगर परिषद सांचौर परिक्षेत्र में विगत 05 वर्ष में जारी किए गए पट्टों की जांच करवाकर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), श्री हरिमोहन शर्मा, श्री गणेशराज बंसल एवं श्री जीवाराम चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहौर में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में।

(3) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु कतिपय स्थानों पर नवीन जी.एस.एस. स्थापित करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के संबंध में।

(6) श्री भैरा राम चौधरी (सियोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ओसियां में गायों पर तेजाब डालने वालों पर कार्यवाही के संबंध में।

(7) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से नगरपालिका थानागाजी के लिए स्वीकृत की गई शहरी जल प्रदाय योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कतिपय गांवों में सेम की समस्या से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की तहसील बकानी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।

(10) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत रायपुर में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(11) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय व्यावर के जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन के निर्माण हेतु बजट आवंटन किए जाने के संबंध में।

(12) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गांव सीतारामपुरा में बरसात के दिनों में पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(13) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के कस्बे रुदावल को नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में।

(14) श्री सोहन लाल नायक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के उपखण्ड श्री विजय नगर में भामाशाह श्री विजय नगर शिक्षा समिति की सहायता से राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में।

(15) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से बीसलपुर बाँध में डिसिल्टंग-गाद की सफाई की आड़ में हो रहे अवैध बजरी खनन एवं निविदा में अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 57 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	21	श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ)	विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के नवीन निर्माण व खस्ताहाल से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।
2.	10	श्री पूसाराम गोदारा	विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ सहित चूरू जिले में

		(रतनगढ़)	कई गांवों के रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी दर्ज नहीं होने एवं कृषि भूमि का विक्रय पत्र उप-पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत होने से तुरन्त जमाबन्दी में खरीददार का नाम अपने आप ही दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	56	श्री अरूण चौधरी (पचपदरा)	विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में व्याप्त पानी की समस्या के संबंध में।
4.	8	श्रीमती इन्द्रा (बामनवास)	विधान सभा क्षेत्र बामनवास की नगरपालिका बौंली में सफाई टेण्डर की प्रक्रिया में अनियमितता एवं बामनवास नगरपालिका के कार्यों के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत माननीय मंत्रीगण द्वारा लिखित भाषण पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकषित करना चाहूंगा कि अध्यक्षजी के जो निर्देश दिये गये हैं, आसन की जो व्यवस्था है, उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी की ओर से यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई लिखित भाषण पढ़ना चाहे तो वह नहीं पढ़ सकता। कोई रेफरेंस देना चाहे तो दे सकता है। यहां जिस प्रकार से माननीय मंत्रियों के द्वारा लिखित भाषण पढ़े जा रहे हैं, तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, उस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें।

MLS/RTM/25.07.2024/12:10/1h

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सादुलपुर में झींगा मछली पालकों को कॉमर्शियल के स्थान पर कृषि विद्युत कनेक्शन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र झींगा मत्स्य पालन के लिए बहुत बड़ा हब है, स्थान है, जिससे मेरे यहां के लगभग 400-500 किसानों ने झींगा मछली पालन का कार्य कर रखा है। झींगा मछली के कनेक्शन में एक व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में उनके बिलों का भुगतान लिया जाता है। वे उसे

वहन करने में सक्षम नहीं हैं। वहां जमीन का पानी खारा है। न सिंचाई है। किसानों के लिए झींगा फार्म एक बहुत बड़ा उपयोगी संसाधन साबित हुआ है। उसमें सरकार उनके विद्युत कनेक्शनों को किसान की श्रेणी में मानते हुए, जिस प्रकार से किसान को रियायती दरों पर कनेक्शन दिये जाते हैं, उस आधार पर झींगा पालन के किसानों को कनेक्शन दिये जाएं। इससे उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा और ज्यादा से ज्यादा किसान इस झींगा मच्छी पालन को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। मेरे क्षेत्र में पूरा खारा पानी है। वह मच्छी पालन का बहुत बड़ा स्थान बन गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें और इन्हें कृषि कनेक्शनों की तरह ही कनेक्शन दें जिससे उनका व्यवसाय फलीभूत हो और वे लाभान्वित हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग की राशि का आवण्टन

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, पंचायती राज की जो स्थापना हुई और पं. जवाहर लाल नेहरू ने नागौर में जो इसकी शुरुआत की, 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो अधिकार जन प्रतिनिधियों को दिये गये, उसके बाद राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं की क्या दुर्दशा है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पंचायत समितियों और जिला परिषद् की जो सभाएं और मीटिंग्स होनी चाहये, जिनके लिए समय तय किया गया है, 75 प्रतिशत जिला परिषद् और पंचायत समितियां निर्धारित समय पर ही नहीं, 7-7, 8-8 महीनों तक भी मीटिंग्स नहीं करतीं। इसके साथ ही, जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, सरपंचों की अधिकारियों के द्वारा दुर्दशा की जाती है।

इसके साथ एक नयी परम्परा और चालू हो गयी है। जिला परिषद् के अधिकारी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी आपस में ऐसा गठबन्धन करते हैं कि पंचायतों में विकास के जो काम जिला परिषद् से दिये जाते हैं और पंचायत समितियों से दिये जाते हैं, उनमें उन सरपंचों से 10 प्रतिशत राशि लेकर विकास के कामों की स्वीकृति करते हैं। 10 प्रतिशत तो जिला परिषद् और पंचायत समिति ले लेती है, 10 प्रतिशत ले लेते हैं वहां के स्थानीय अधिकारी, 10 प्रतिशत बच जाता सरपंच के पास और 10 प्रतिशत हो जाता है व्यवस्थाओं पर खर्च।

जितना पैसा स्वीकृत होता है, उससे 50 प्रतिशत भी काम पंचायतों में नहीं हो पा रहे हैं। हालात खराब हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार जो केन्द्र सरकार को, जिला परिषद् को और पंचायत समितियों को अनुदान देना था, वह अनुदान केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। वित्त आयोग 2023-24 की द्वितीय किश्त की राशि 872 करोड़ है। इसी प्रकार

चालू वित्त वर्ष की राशि लगभग 2000 करोड़ है। इस प्रकार कुल 2872 करोड़ का अनुदान बाकी है। इसे जल्द ही जारी किया जाना चाहिये।

मनरेगा सामग्री बकाया भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 का लगभग 7 हजार करोड़ रुपया बकाया है, जो पंचायतों के पास वह अनुदान नहीं पहुंचने से पंचायतों के विकास कार्य ठप हो गये हैं। मैं निवेदन करूं, इसके पीछे जो हालात हैं, वे जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, इनके और जो दूसरे पंचायती राज मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, उनके बीच के विवाद के कारण, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज पंचायती राज संस्थाओं के हालात बिगड़ रहे हैं।

आश्चर्य की बात है कि किरोड़ी लाल जी जैसे मंत्री को अपना प्रार्थना पत्र लेकर इस सरकार के अधिकारियों के पास जाकर निवेदन करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। 2 मिनट ही दिये थे, 5 मिनट हो गये। श्री गणेशराज बंसल।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि उन मंत्री महोदय को राजस्थान सरकार के अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र लेकर जाना पड़ता है, इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेशराज बंसल। नहीं बोलना है? क्या गणेशराज बंसल नहीं हैं? चलिये। श्री जीवाराम चौधरी।

सांचोर नगर परिषद परिक्षेत्र में जारी पट्टों की जांच

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में सरकारी जमीनें और जो आरक्षित जमीनें हैं, सरकार के विभिन्न विभागों के लिए जो आवण्टित की हुई थीं, उनमें पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी कोइ सीमा नहीं है। मैं उसका कुछ उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर के शहर सांचोर में पिछली कांग्रेस सरकार के समय 2019 से 2023 तक निम्नलिखित स्थानों पर करोड़ों रुपये की जमीन फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को बेच दी गयी- कांजी हाउस बीडानी रोड सांचोर, सिंचाई विभाग नर्मदा परियोजना की जमीन जो कि पीएचईडी कार्यालय के पास नेशनल हाइवे के पास है, हवाई पट्टी की जमीन जो कॉलेज और स्टेडियम के लिए आरक्षित थी, उसमें से भी निजी लोगों को पट्टे दे दिये गये, नेशनल हाइवे के पास माखूबरा चैक पोस्ट के पास, सार्वजनिक निर्माण विभाग और एनएचएआई की जमीन के पट्टे भी दे दिये गये।

शहर में मात्र एक मनोरंजन सिनेमाघर की जमीन जिसमें थियेटर बना हुआ था, कई सालों तक उसमें थियेटर संचालित भी था, उसे भी तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पट्टे बनाकर कॉम्प्लैक्स और शोरूम्स बना दिये गये। खसरा नं. 1425 सुभाष नगर सांचोर,

नेशनल हाइवे, बिजली विभाग के सामने पीएचईडी का चालू बोर था, उस जमीन पर भी पट्टे बनाकर बेच दिये। श्री हेमाराम जी विश्नोई की ढाणी के पास गोचर भूमि और तालाब था, उसे भी पास के खसरे नम्बर से पूरी जमीन के पट्टे बनाकर बेच दिया गया। डाउड़ा नाड़ी के नाम से सालों पुराने तालाब की लगभग 28-30 बीघा जमीन जिसमें वर्तमान में शहर के सारे सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, उस पर भी लोगों को पट्टे दे दिये गये।

उपरोक्त उल्लेख की गयी सारी जमीनों के पट्टे निरस्त किये जाएं और वापस कब्जा लेकर जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करवाकर जो फर्जीवाड़ा किया गया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके आम जनता को राहत प्रदान करें। मेरा मंत्री जी से पुनः निवेदन है, हमारी नगरपालिका में जितना फर्जीवाड़ा हुआ है, शायद जोधपुर सम्भाग में किसी नगरपालिका में इतना फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होगा। अतः उनकी जांच करवाकर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः 295, श्री छगनसिंह राजपुरोहित। ...(व्यवधान)... आप थे नहीं। आपका नाम पुकार दिया। ...(व्यवधान)... आपका नाम पुकारा था। गणेशराज बंसल, तीन बार कहा है, रिकॉर्ड देख लें। ...(व्यवधान)... सुनने में नहीं आया तो अपने माइंड को प्रैजेंट रखें। ...(व्यवधान)... तीन बार रिकॉर्ड पर नाम है, उसके बाद भी आपने नहीं सुना तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ...(व्यवधान)... बैठिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिपरजॉय तूफान एवं आपदा से विधान सभा क्षेत्र आहोर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने को लेकर विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत सूचना।

अध्यक्ष महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में गत वर्ष 2023 में भयंकर प्राकृतिक आपदा बिपरजॉय की वजह से विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से निम्न सड़कों पर राहगीरों एवं वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही, इन खराब सड़कों पर दुर्घटना होने से जन हानि भी हो रही है, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि इसी वर्ष निम्न सड़कों का नवीनीकरण करवाना अति आवश्यक है जो इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क का नाम	विशेष विवरण
1.	ग्राम ऊण से भैंसवाड़ा तक।	03 किमी
2.	ग्राम सुगालिया बालोतान सेदरिया-पावटा से रसियावास प्याऊ तक।	06 किमी
3.	ग्राम रोडला-भुती-कंवला तक।	11 किमी
4.	ग्राम कवराड़ा-नारवणा-पादरली से तखतगढ़ की ओर।	15 किमी

5.	ग्राम आहोर से सनवाडा-चरली तक।	04 किमी
6.	ग्राम छीपरवाड़ा से मेड़ा उपरला भेटाला-दीगांव डूडसी प्याऊ तक।	28 किमी
7.	एनएच-325 से बेदाना कलां तक।	01 किमी
8.	एनएच-325 से बेदाना खुर्द तक।	01 किमी
9.	ग्राम डोडीयाली से आलावा सी तक।	02 किमी
10.	ग्राम निम्बला से किशनगढ़-मुलेवा तक।	07 किमी
11.	ग्राम चुण्डा से किशनगढ तक।	06 किमी
12.	ग्राम चांदराई से पांचोटा-तरवाड़ा तक।	06 किमी
13.	ग्राम सांडन से एमडीआर सड़क तक।	02 किमी
14.	ग्राम देबावास से ओड़वाडा-रायथल तक।	10 किमी
15.	ग्राम पावटा से तखतगढ़ तक।	08 किमी

अतः श्रीमान जी से निवेदन है उक्त विषय को गम्भीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाये। धन्यवाद।

mkd/rtm/25.07.2024/12:20/1j

श्री अध्यक्षः रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विषय प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

महोदय, निवेदन है कि प्रदेश द्वारा करवाई जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में आर.जे.एस. की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उक्त परीक्षा में सिख समाज के कई परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित रखा गया, क्योंकि उनके द्वारा सिख समाज का धार्मिक पहनावा धारण किया हुआ था। ऐसी घटना दिनांक 23/06/2024 को पीएलवी मेमोरियल कॉलेज, शिकारगढ़, जोधुपर में हुई है। इसी प्रकार के बहुत से प्रकरण प्रदेश में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हो रहे हैं। सिख समाज के पहनावे के सम्बन्ध में संविधान में भी स्पष्ट रूप से स्थिति को स्पष्ट किया गया है, लिखा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली एवं राजस्थान सरकार दवारा जारी परिपत्र में भी इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया गया है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है। यह घटना केवल सिख समाज ही नहीं, जिन महिलाओं के द्वारा मंगलसूत्र धारण किया जाना है या जिन महिलाओं के द्वारा शादी होने पर धार्मिक रिवाज अनुसार चूड़ा धारण किया जाता है। उन सभी परीक्षार्थियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है तथा उनकी धार्मिक भावना

को आहत पहुंचती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे को संज्ञान में ले और समस्या का समाधान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः डॉ. जसवन्त सिंह यादव। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलियाएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जिसके कारण आने-जाने वाले राहगीरों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पी.एम.जी.एस.वाई से बनी रपटों पर भी बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण कई घंटों तक जाम लग जाता है। इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई तो बरसात के समय आने-जाने वाले राहगीरों का रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा। जिसके कारण क्षेत्र की समस्त जनता का शहरों तक आना-जाना बाधित हो जायेगा। जिससे कारण बहुत सारी जगह पर पढ़ने वाले छात्र-छात्रा विद्यालय में भी समय पर नहीं पहुंच पायेंगे। जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जायेगी और यदि कोई भी व्यक्ति के बीमार होने पर उसको अस्पताल तक ले जाने पर रास्ते में पुलिया के अभाव के कारण कैसे पहुंच पायेंगे। जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस ओर विशेष ध्यान देकर क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाई जाये। जिससे बरसात के समय मार्ग अवरुद्ध न हो और आमजन को राहत मिल सके।

	मरम्मत वाली पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं:-
1.	इस्लामपुरा से बोरबन्द रोड के मध्य।
2.	गुराडीया चौराहे से बामलाबेह रोड़ के मध्य।
3.	उमरिया से राकड़ा रोड़ के मध्य
4.	सरडा से मानपुरा रोड के मध्य
5.	रामपुरिया से अखेपुर रोड़ के मध्य
6.	टाढी सोहनपुरा से रातादेवी रोड़ के मध्य
	ऊंचाई वाली पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं:-
1.	घाटोली से खेलखोयरा रोड के मध्य।
2.	एनएच 52 से गेहूंखेडी रोड के मध्य।
3.	सरडा से मानपुरा रोड के मध्य।
4.	हरनावदा मनोहर थाना मार्ग से देवरी जागीर के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण
5.	असनावर से रातादेवी 5 रोड के मध्य।
6.	मनोहर थाना से टोडरी जगन्नाथ रोड के
7.	आदर्श विद्या मंदिर मनोहर थाना से महाविधालय मनोहर थाना के मध्य

श्री अध्यक्ष: श्री विकास चौधरी। माननीय बैठियें। सभी से आग्रह है कि मंत्रियों से उनके कार्यालय में 1 से 2 बजे के बीच में जाकर मिलें। यहां कार्यवाही चलने दें।

किशनगढ़ में सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में सडकों एवं पुलियाओं के लिये बजट में प्रावधान कर सडकों का निर्माण करवाती है, लेकिन सडकें एक वर्ष में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सडकों का नवीनीकरण व डामरीकरण करवाये जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। जो निम्नलिखित हैं:-

1. बुहारु-हरमाडा-भेजियावास से मार्बल एरिया पर्यावरण रोड़ तक चौडाईकरण।
2. बड़गांव, डीडवाड़ा, खण्डाच, टिहरी भोगादीत होते हुए सिंरोज तक चौडाईकरण।
3. जोगियों के नाडे से-बरना-देवपुरी-दादिया होते हुए छोटा लाम्बा तक दोहरीकरण चौड़ाईकरण।
4. ढसूक-झिरोता-जोरावरपुरा तक डामरीकरण ।

साथ ही अभी भी कई ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत तक सड़कें आज तक नहीं बनी हैं:-

1. बुहारु से तिलोनियां तक नवीन सड़क निर्माण कार्य।
2. नलू से तिलोनियां तक नवीन सड़क निर्माण कार्य।
3. सान्दोलिया से आरोडिया तक नवीन सड़क निर्माण कार्य।
4. देवपुरी से काढा तक नवीन सड़क निर्माण कार्य कर क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाये।

आज मंत्री जी बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि किशनगढ़ की जनता को राहत देंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरा राम चौधरी।

ओसियां में गायों पर एसिड अटैक की घटनाओं पर रोकथाम

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 295 के तहत बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महोदय जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम- 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नेवरा सहित अन्य जगहों पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गायों पर एसिड व तेजाब डालने की घटना घटित हुई है जिससे गायों की मौतें भी हुई हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार से ओछी व कायराना हरकत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हमारी सनातन संस्कृति में गायों को गोमाता के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की घटित घटना से जन भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है।

मेरा सदन में इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार व गृह मन्त्री से निवेदन है कि ओसियां क्षेत्र में गायों पर एसिड व तेजाब डालने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री कान्ति प्रसाद। श्री कान्ति प्रसाद। श्री विनोद कुमार।

पीलीबंगा के गांवों में सेम की समस्या का समाधान

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांव बडोपल, माणकथेडी, जाखडावाली, भैरूसरी एवं मोधूनगर में सेम की वर्षों पुरानी समस्या है। जिस वजह से उक्त क्षेत्र के किसानों को उनके खेत में उपज ना के बराबर होने के कारण जीविकोपार्जन करने में परेशानियों का सामना करना पडता है।

महोदय सिंचित क्षेत्र होने के बावजूद किसानों की माली हालात खस्ता है तथा क्षेत्र में निर्मित सिंचाई व्यवस्था की हालात जर्जर हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं किसानों के मुद्दे पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त क्षेत्र के सेमग्रस्त किसानों की समस्या का स्थायी समाधान किया जावे एवं अध्यक्ष महोदय जब तक समस्या का स्थायी समाधान ना हो, तब तक किसानों को विशेष सहायता स्वीकृत की जावे। इसके साथ ही महोदय सिंचाई खालों का पुनर्निर्माण करवाया जावे एवं क्षेत्र में लगे हुए पम्पों पर सोलर पैनल अनुदान पर लगाया जाये, ताकि किसानों को बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति मिले, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश गुर्जर।

Bhs/Rtm/25.7.24/12.30/1k

बकानी (खानपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुडे एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के तहसील बकानी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की नितांत आवश्यकता है। बकानी ब्लॉक में 28 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमे लगभग 1900 से अधिक छात्र छात्रायें अध्य्यनरत हैं, वहीं यदि समीपवर्ती अकलेरा एवं रायपुर को सम्मिलित कर लिया जाये तो विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक हो जाती है। बकानी की ज़िला मुख्यालय की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है, महाविद्यालय के अभाव में छात्र-छात्राओं को या तो इतनी दूर रोज़ जाने को विवश होना पड़ता है या फिर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। स्वामी रामेश्वर आश्रम राजकीय

उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल परिसर में महाविद्यालय हेतु पर्याप्त भवन एवं ज़मीन उपलब्ध है। यहाँ पर अविलंब महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है, जिससे राज्य सरकार को भूमि के चयन और भवन निर्माण में लगने वाले समय और धन की भी बचत हो जाएगी और हज़ारों छात्र-छात्राओं को इसी वर्ष महाविद्यालय की सौगात मिल सकती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि हज़ारों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बकानी के गुरुकुल में अविलंब महाविद्यालय खोला जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के नवीन भवन के निर्माण हेतु बजट आवंटन

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाने हेतु 80 करोड़ रुपये का बजट जारी करने बाबत्।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जोकि पाली, राजसमंद, भीलवाडा जिलों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय का भवन काफी वर्षों पूर्व बना होने के कारण वर्तमान में पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इस बाबत विभागीय अधिकारियों द्वारा भी इस भवन को कन्डम घोषित कर इसे गिराकर नया भवन बनाने हेतु प्रस्ताव व तकमीना बनाकर भी भेज दिया गया है। अमृतकौर अस्पताल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पूर्व की सरकार ने राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र में नवीन भवन बनाने की घोषणा भी कर रखी है। यह बिल्डिंग अंग्रेजों के समय से बनी हुई है। इसके साथ बना हुआ ब्यावर डाक बंगला कुछ समय पूर्व गिर चुका है। इस डाक बंगला में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भी चल रहा था। यह तो गनीमत रही कि यह डाक बंगला रात को गिरा, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। यह अमृतकौर की बिल्डिंग भी कभी गिर सकती है तथा बड़ी जनहानि हो सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर के जर्जर भवन को नये स्थान पर नया भवन बनाने हेतु 80 करोड़ रुपये का बजट जारी करने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

रायपुर ग्राम पंचायत (सोजत) में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत रायपुर में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी 6 वर्षों से अधिक समय से इसी ग्राम पंचायत में कार्यरत है। रायपुर पंचायत

समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में यह कार्मिक विगत 15 वर्षों से अधिक के समय से कार्यरत है। पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति में आने से पूर्व यह कार्मिक भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा ग्राम पंचायत में कार्यरत रहते हुए लाखों रूपये का घोटाला किया है। रायपुर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतें यथा पचानपुरा, प्रतापगढ़, झुंठा, पिपलिया कलां, रायपुर में कार्यरत रहते हुए इस कार्मिक ने नरेगा कार्य, निर्माण कार्य, पट्टा बुकों में फर्जीवाडा कर लाखों रुपयों की राशि का भ्रष्टाचार किया है। वर्ष 2017-18 में रायपुर पंचायत समिति द्वारा रायपुर ग्राम पचायत को जारी किये गये विभिन्न विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक इस ग्राम विकास अधिकारी ने ना तो कार्य प्रारम्भ करवाया है ना ही लाखों रुपये की सरकारी राशि पुनः समिति को लौटायी है। लगभग 6 साल पूर्व जो विकास कार्य पूर्ण हो जाना था लेकिन इस कार्मिक के द्वारा कार्य नही करवाये जाने पर होने वाली असुविधा की सजा रायपुर ग्राम पंचायत के देवला एवं प्रजापतों के बेरे वाले ग्रामीण जन भुगत रहे है। इस कार्मिक पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों के कारण अलग-अलग मामलों में कई बार पंचायत समिति रायपुर, जिला परिषद पाली एवं राज्य सरकार द्वारा चार्ज सीट, स्थानान्तरण, ए.पी.ओ., निलंबन जैसी कार्यवाही की गयी लेकिन हर बार यह कार्मिक माननीय उच्च न्यायालय में असत्य दलीलें पेश कर प्रत्येक कार्यवाही पर स्थगन आदेश लाकर पुनः वही पदस्थापित हो जाता है। इसके खिलाफ प्रस्तावित विभागीय जांच को रोकने के लिए भी यह कार्मिक स्टे ले आता है। रायपुर पंचायत समिति में सर्वाधिक स्टे इसी कार्मिक द्वारा लिये गये है।

दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक की समयावधि में पंचायत समिति रायपुर द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर को कुल 37 पट्टा बुकें जारी की गई। पंचायती राज नियमानुसार कार्य समाप्ति पश्चात पट्टा बुक की तृतीय प्रति पंचायत समिति कार्यालय में जमा करवायी जानी आवश्यक होती है, लेकिन आज दिनांक तक इस कार्मिक द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है। इसके द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टों पर लाखो रुपये की अवैध राशि वसूलना, घटिया निर्माण कार्य करवाना और बिना कार्य करवाये सरकारी राशि ऐंठना और गांव में विभिन्न आवासीय एवं दुकानों के निर्माण कार्य की एनओसी जारी करने के नाम लाखों रुपये वसूलना इसका प्रमुख कार्य है।

महोदय जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि रायपुर ग्राम पंचायत में वर्तमान में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किये गये समस्त भ्रष्ट कार्य पटटा बुक, कैश बुक एवं निर्माण कार्यो की जांच एवं आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की ए.सी.बी. से जांच करवायी जाए। इसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करवाते हुए इसे बर्खास्त कर क्षेत्र की समस्त जनता को राहत प्रदान करावें।

जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील बराला।

सीतारामपुरा (चौमूं) में बरसाती पानी के निकासी की समस्या

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, चौमू के गांव सीतारामपुरा में पिछले 10-15 सालों से बरसात के दिनों में गांव के मुख्य चौक में पानी भरने से लोगों को महीनों परेशान होना पड़ता है। बरसात आते ही ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। पहली बारिश में ही ग्राम सीतारामपुरा में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। चारों दिशाओं से यह ग्राम निचले स्तर पर है। एक बारिश से ही गांव के लोगों का बाहर आने-जाने का अन्य गांवों से संपर्क का एक मात्र रास्ता 10-15 दिन के लिये बिल्कुल बंद हो जाता है। हालात इतने खराब हैं कि पानी 02 फुट से ज्यादा तक भरने से घरों तक में पानी चला जाता है। उक्त समस्या के कारण लोगों के घरों के 2-3 दिन तक चूल्हा-चौका चलाना दूभर हो जाता है।

जहां एक तरफ संपूर्ण देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहीं गांव सीतारामपुरा में स्वच्छ भारत अभियान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। इसी महीने की घटना है कि इतना ज्यादा जल एकत्रित होने की वजह से एक छोटे बच्चे की जान जाते-जाते बची। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो उसके दाह- संस्कार के लिये मोक्षधाम भी नहीं जाया जा सकता। उक्त संदर्भ में बार-बार शिकायत करने के उपरान्त भी प्रशासन द्वारा स्थायी समाधान का प्रयास नहीं किया जाता है।

अतः इस सदन के माध्यम से में सरकार से मांग करना चाहूंगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए बड़ी पाइप लाइन डाल इस पानी का ड्रेनेज पास में नदी का प्रस्तावित करें। सादर।

श्री अध्यक्षः डॉ. ऋतु बानावत।

रुदावल कस्बा (बयाना) में नगरपालिका की स्थापना

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना-रूपवास के कस्बे रुदावल की समीपवर्ती ग्राम पंचायत खेड़ा ठाकुर व माड़ापुरा को मिला कर नगरपालिका का दर्जा दिये जाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। ग्राम पंचायम रुदावल, विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग के बाद, ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर और स्वायत्त शासन विभाग के बीच कई बार पत्र व्यवहार भी हुआ है। लेकिन आज दिन तक रुदावल क नगरपालिका का दर्जा नहीं दिया जा सका है।

रुदावल कस्बे में तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ, विभिन्न गैर सरकारी संस्थान व पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान मन्दिर होने से दूर दराज के इलाकों से लगातार श्रदालुओं का आवागमन होता रहता है। पिंक स्टोन का उत्खनन क्षेत्र बंसी पहाड़पुर का रास्ता रुदावल होकर होने से यह कस्बा, आबादी और विकास की दृष्टि से लगातार विकसित हो रहा है। रुदावल कस्बा स्टेट हाइवे पर

स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

रुदावल कस्वा और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर नगरपालिका गठन के सभी निर्धारित मापदण्डों का पूरा करता है। ऐसे में, मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस माँग की अति शीघ्र पूरा करके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की विकास की उम्मीदों को पूर्ण करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री सोहन लाल नायक।

श्री विजय नगर उपखण्ड (रायसिंह नगर) में भामाशाह की सहायता से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर मेरे विधान सभा क्षेत्र में ब्लॉक श्री विजयनगर में उच्च शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। यहां राजकीय उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय न होने से अनुसूचित जाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र के भामाशाह 10 बीघा जमीन पर राजकीय मानदण्डों के आधार पर भवन निर्माण करके देने को तैयार है। यह भामाशाह श्री विजयनगर शिक्षा समिति है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि MOU कर राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके।

Kas/rtm/25.07.2024/12.40/1l

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

बीसलपुर बांध में अवैध बजरी खनन एवं निविदा में अनियमितताओं की जांच

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-295 के तहत बीसलपुर बांध में डिसिल्टिंग-गाद की सफाई की आड़ में हो रही अवैध बजरी खनन एवं निविदा में की गई अनियमितता व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि टोंक एवं बून्दी जिले में स्थित बीसलपुर बांध से प्रदेश के जयपुर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाडा एवं टोंक सहित कई जिलों में पेयजल सप्लाई होती है। इसकी डिसिल्टिंग गाद की सफाई का कार्य जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत आने वाले ईआरसीपी द्वारा नियमों की अवहेलना कर निविदा दिनांक 21.11.2022 को जारी कर 20 वर्ष के लिये एन.जी. गढ़िया फर्म को कार्य दिया गया है। अवैध बजरी निकालने एवं बेचने का कार्य एन.जी. गढ़िया फर्म द्वारा राजस्थान के सबसे भ्रष्ट ठेकेदार फर्म गैलेक्सी इन्फ्रा के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से स्वच्छ बजरी को निकाला जा रहा है। एन.जी. गढ़िया फर्म जो कि इस टेण्डर प्रक्रिया में रिजेक्ट हो गई थी, परन्तु अपने राजनीतिक प्रभाव एवं भ्रष्ट अफसरों से सांठ-गांठ के चलते नियमों के विपरीत यह ठेका इसी फर्म को दिया गया। माननीय एन.जी.टी. भोपाल द्वारा

दिनेश बोथरा बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2023 से उक्त जारी बीसलपुर डिसिल्टिंग परियोजना पर पाबंदी लगाते हुए भ्रष्ट फर्म एन.जी. गढ़िया को बीसलपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर रोक लगाई गई, परन्तु तत्पश्चात भी फर्म एन.जी. गढ़िया द्वारा अवैध खनन का कार्य किया गया है। मशीनों द्वारा बांध के तल से बजरी को बेचने से बांध के पानी में रहने वाले जीव भी इसकी चपेट में आते हैं। इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने क्रिमिनल मिसलिनियस बेल एप्लीकेशन नं. 2910/2024 में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई को निर्देशित किया कि बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उक्त फर्म के टेण्डर को निरस्त किया जाए एवं फर्म द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकारी राजस्व को हानि व चोरी पंहुचाने के लिए इस फर्म पर पेनल्टी लगाकर वसूली की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि अवैध बजरी खनन एवं निविदा में किए गए भ्रष्टाचार की एसीबी से निष्पक्ष जांच कराने व दोषी फर्म के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रदान कराएं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जसवंत सिंह।

बहरोड़ की विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं नवीन जी.एस.एस. की स्थापना

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली की खपत बहुत ज्यादा है तथा 33/11 जी.एस.एस. ओवरलोड है व ओवरलोड होने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती है, अर्थात विद्युत वितरण सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में एवं किसानों को सिंचाई में अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा ओवरलोड होने के कारण बार-बार ट्रिपिंग होती रहती है तथा विद्युत सप्लाई की लाइन पुरानी होने के कारण, लाइन टूट जाती है व बार-बार फॉल्ट होती रहती है। इसलिए विद्युत की सप्लाई सुचारु रूप से हो सके, इसके लिए इन गांवों में 01. कारोड़ा, 02. गुर्जरवास, 03. गादोज, 04. ऊंटोली, 05. अंतपुरा, 06. जटगावंडा, 07. खोहर-वसई, 08. वसई, 09. ढुंढारिया, 10. दोसोद, 11. तलवाना, 12. रोडवाल, 13. माजरा, 14. सुंदरोठ, 15. रामचन्द्रपुरा, 16. काठुवास, 17. डाबडवास, 18. गिगलाना, 19. नंगली बलाहिर, 20. सांतो, 21. नांगल खोडिया, 22. भीटेडा, 23. मांचल में नये 33/11 जी.एस.एस. स्थापित करवाया जावे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची। श्री गोपाल लाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

माण्डलगढ़ में सड़कों का नवीन निर्माण

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। मेरे विधान सभा क्षेत्र की लाइफ लाइन कहलाने वाली ग्रामीण सड़कों का खस्ता हाल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन

करना चाहता हूं कि हमारी रोड खराब हैं, जो चलने की स्थिति में नहीं हैं, उनका नवीनीकरण कराए। जहां रोड नहीं बनी, वहां नये रोड के निर्माण की आवश्यकता है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ककरोलिया घटी से नंदराय वाया काचोला की रोड स्वीकृत हुए दो साल हो गये हैं, उसका ठेका भी हो चुका, परंतु वह ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है।

जावल चौराहा से वाया कंकरोलिया घाटी थलकलां काछोला तक 25 किलोमीटर सड़क।

नंदराय से वाया कंकरोलिया घाटी से गंहूली तक 16 किलोमीटर।

बिजौलियां से शक्करगढ़ बूंदी होकर जाना पड़ता है। अगर यह रोड बन जाता है 50 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। अगर यह 35 किलोमीटर का रोड बन जायेगा तो बहुत अच्छा होगा।

जोर का खेड़ा वाया देवली खेडा किशनगढ तक 4 किलोमीटर।

सातूर की झोपडियां से गधेरी तक 2 किलोमीटर।

गुर्जर खेडा से वाया बागला की झोंपडिया तक 4 किलोमीटर।

भेरूखेडा से वागला की झोपडिया तक 2.5 किलोमीटर।

पंडेरी से वाया गंधेरी बडा खेडा तक 3 किलोमीटर।

मनकडी से बंजारों का झोपडा 2 किलोमीटर।

जावल से मरडा की झोपडिया 4 किलोमीटर।

मूणपुरा से देवतलाई लाला की निमडी बिगोद बनेडा मुख्य सडक तक 4 किलोमीटर।

खेरपुरा चौराहा कोटा भीलवाडा रोड से बोहरी माता मंदिर तक 3 किलोमीटर।

आमा से कालियास तक 4 किलोमीटर।

सुठेपा से सिंहपुरा वाया कडाकडा तक 4 किलोमीटर।

देवली से बलिया खेडा 2 किलोमीटर।

सांडेडा श्याम जालिया से गोविंदपुरा तक 4 किलोमीटर।

ऊंकारपुरा से रीछ्या नाका गंहूली सडक तक 2 किलोमीटर।

आकोला से सौपुरा तक 3 किलोमीटर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पर्ची है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): संग्रामपुरा से बागल की झोंपडिया तक 3 किलोमीटर।

बडलियास से भवानीपुरा तक 2 किलोमीटर।

कुडी चौराहा से हाथीपुरा होलिरडा तक 3 किलोमीटर।

रेण चौराहा से रेण गांव तक 1 किलोमीटर।

नंदराय-जालिया सडक पर कोठारी नदी में पुलिया निर्माण 05 किलोमीटर।

उदपुरिया गांव से भूति तक 2 किलोमीटर।

धामणिया से मिठा तक 2 किलोमीटर।

बडलियास भेरूघाटी वाया चौधरियास से सिंहपुरा तक 5 किलोमीटर।

एनएच बिजौलिया से गोपालपुरा से सतकुडिया तक 10 किलोमीटर।

महुआ से रामडूंगरी 4 किलोमीटर की रोड बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह पर्ची है। श्री पूसाराम।

चूरू के गांवों के रास्ते राजस्व रिकार्ड में कटाणी दर्ज नहीं होने से समस्या

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ और पूरे जिले में प्रकरण है, जो कटाणी रास्ता स्टेट में एक लाइन थी और अब दो लाइन कर रखी हैं। एक ही रास्ता अगर दो या तीन गांवों से गुजरता है तो दो में कटा हुआ है और एक में नहीं कटा हुआ है। वहां रास्ता रोक दिया जाता है, इससे किसानों के लिये आवागमन की गंभीर समस्या पैदा होती है। इसलिए इसको रिकार्ड दुरुस्ती और रिकार्ड संशोधन के नाम एसडीएम कोर्ट, इसलिए आप सभी प्रकरणों को चिह्नित करके उपखण्ड स्तर पर इनको रिट्रीएंसी एक्ट की धारा 55 के तहत कैम्प लगाकर इनका संशोधन राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जाये।

दूसरा, नामांतरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 133 और 135 के अंतर्गत बेचान और उसका नामांतरण दर्ज कर तस्दीक करने का प्रावधान है। नामांतरण दर्ज कर तस्दीक करने की प्रक्रिया राजस्व लैंड रिकार्ड 1957 में दी गई है। जिसमें हल्का पटवारी दर्ज करता है, गिरदावर जांच करता है, ग्राम पंचायत तहसीलदार तसदीक करता है एवं उसके बाद उसका जमाबंदी में रिकार्ड में नाम दर्ज होता है। अब एक नई व्यवस्था आई है, उसमें जैसे ही विक्रय पत्र संपादित हुआ, तहसीलदार को पेश किया, सीधा ही वह तत्काल जमाबंदी में अपने आप बिना जांच दर्ज हो जाता है। यह पंजीयन विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन पंजीयन विभाग को इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राजस्व अधिनियम के अंतर्गत ही ऑन लाइन राजस्व रूल रिकार्ड 169 ख में नामांतरण ऑन लाइन दर्ज करने का प्रावधान है, उसको ही लागू रखा जाये और 251 और 251 ए में तत्काल रास्ता खोलने की व्यवस्था है। 30 दिन में तहसीलदार को वह रास्ता खोलना चाहिये। किसान इतने परेशान हो रहे हैं, इतनी मुकदमेबाजी बढ़ रही है।

msk/rtm/25.07.2024/1250/1m

मैं चाहूंगा कि ऑल ऑवर राजस्थान के तहसीलदारों का निर्देश जारी करें कि 251 का फैसला वन-मंथ में करें, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। पूरे राजस्थान में हमारे किसानों के रास्तों को लेकर और सीमाओं को लेकर झगड़े हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सदन में रखकर रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके आदेश तत्काल जारी किये जाने चाहिए ताकि इनका निस्तारण 30 डेज में हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय

हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री अरूण चौधरी।

पचपदरा में व्याप्त पानी की समस्या

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बलोतरा, पचपदरा, जसोल, असरा, टापरा, बूड़ीबडा, जागसा, दूधवा, चांदेसरा, घोड़, लुहारों की ढाणी, रणिया देसिपुरा, डोली, गुडालदा, गोदावास, रेवाड़ा, थोप, नेवाई, मंडली, कोरना, इसके अलावा भी कई गांवों के अन्दर पानी की विकट समस्या है। बालोतरा के पास में स्टोरेज की भी समस्या है, जो कि काफी टाइम से बनना था, लेकिन नहीं बना है। पोकरण-फलसूंड योजना, जिसका पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज दिन तक वह हमेशा फूटती रहती है, उम्मेदसागर-धवा परियोजना जो कल्याणपुर क्षेत्र में बनी हुई है। उसको आज 15 साल हो गये। वसुन्धरा जी की सरकार में उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज 15 साल के बाद भी उसमें जो गांव लगते हैं, उन गांवों में प्रोपर रूप से पानी नहीं पहुंचता है। मैं आज आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सम्बन्धित अधिकारी हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, कमी है तो वहां के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, सही डिस्ट्रिब्यूशन के कारण प्रॉब्लम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिलायें।

एक दूसरा छोटा-सा निर्देश और दिलायें कि जो अधिकारी हैं, उनको ग्रामीण जनता फोन करती है। अगर हम रात तक फोन उठाते हैं, हर गांव का फोन उठाते हैं, कम से कम अधिकारी भी फोन उठायें। नहीं उठाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्रीमती इन्द्रा।

बौंली में सफाई टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नगरपालिकाओं में जिस तरीके से टेण्डर किये जाते हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि बामनवास के अन्दर तो कई दिन से प्रशासक लगे हुए हैं। वहां कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। कई बार ग्रामीण शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं होने का क्या कारण है? आठ महीनों के अन्दर ईओ को एपीओ भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसको पांच दिन में वापस बहाल कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि बिना बोर्ड मीटिंग के क्या कोई 1 करोड़ से ऊपर के टेण्डर कर सकता है? क्या बिना डीएलबी की परमिशन से क्या कोई 1 करोड़ से ऊपर वाले कर सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके

अलावा जो परमिशन नहीं ली गयी और दूसरी नगरपालिका का ईओ है और दूसरी नगरपालिका में जाकर टेण्डर खोलता है। अपनी डीएसी यूज करते हैं व एसटीपी पर अपना टेण्डर डालते हैं, उसके अलावा सारे के सारे टेण्डर अभाव में हैं। वे कौन ठेकेदार हैं? वह ठेकदार वो है, जो पहले ईओ के साथ अलवर में था, हरियाणा की फर्म है। फिर उसके बाद बामनवास में उसका ट्रांसफर हुआ था, बौंली का टेण्डर उसी फर्म के नाम कर गये। फिर बामनवास के अन्दर उसी फर्म के नाम टेण्डर हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेशल नियम लगाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, ऐसा करके टेण्डर किये जाते हैं और कई सारे टेण्डर लगातार लगाये जाते हैं, नारायण गुप्ता, ईओ, बामनवास के द्वारा। अगर इस प्रकार की कोई थोड़ी-सी शिकायत होती है, फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर पांच-दस दिन वापस उन्हीं को लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, जिनके लिए मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करें। मेरे पास एक लिस्ट है, उसको भी मैं टेबल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से नारायण गुप्ता, ईओ के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। उसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा करायी जाये। इस प्रकार से जो खर्चा बामनवास नगरपालिका का हुआ। चाहे वह कोटेशन के माध्यम से हुआ हो। चाहे टेण्डरों के माध्यम से हुआ हो, सबकी जांच करायी जाये। जब से नगरपालिका बनी है। मैं नहीं कहती कि आठ महीने की करायें। जब से नगरपालिका बनी है, तब से इसकी एसीबी से जांच करायी जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज पूरे राजस्थान के अन्दर, चाहे आप कहीं की भी नगरपालिका देख लीजिये। क्योंकि जनता का पैसा ठेकेदारों, उच्च अधिकारियों के खातों के अन्दर जा रहा है। आप इस पर ध्यान की कृपा करें। नगरपालिका एक ऐसी संस्था है, जिसके अन्दर गरीब, किसान, सभी लोग रहते हैं। उनके अन्दर सफाई नहीं होती है। सफाई के नाम पर बहुत सारा घपला वहां पर किया जाता है तो सभी की जांच करायी जाये, विशेष कर मेरे बामनवास की। यहां किसी का आरोप-प्रत्यारोप भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। मैं तो यह चाहूंगी कि बौंली के अन्दर भी वही काम कर रहा है। वही ठेकेदार आ रहा है, ऐसा नियम विरूद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और मंत्री महोदय को एक बार और अवगत कराना चाहूंगी कि इनको संज्ञान में लें।

श्री अध्यक्ष: कुमारी रीटा चौधरी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मंडावा में जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत 03 कार्य स्वीकृत हैं। प्रथम पेयजल योजना चूरू बिसाऊ में पंचायत समिति अलसीसर के 109 ग्रामों में, 02 कस्बों मंडावा बिसाऊ एवं द्वितीय पेयजल योजना इंटीग्रेटेड तारानगर झुन्झुनू सीकर, खेतड़ी (आईटीजेएसके) के अधीन विधान सभा क्षेत्र मंडावा के 59 ग्रामों एवं तृतीय पेयजल योजना बुंगी राजगढ़ के अधीन 13 ग्रामों को कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना आधारित सतही पेयजल से लाभान्वित करने हेतु योजना का कार्य प्रगतिरत है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: इनका आ जाने दें, आपको फिर पूरी अनुमति होगी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तीनों काम, लगभग 129 करोड़ का पहला पैकेज, दूसरा 186 करोड़ एवं तीसरा पैकेज 119 करोड़ का है। पहला काम तो लगभग 85 परसेंट हो चुका है। दूसरा काम लगभग 36 परसेंट, यह डिले है, इसके खिलाफ विभाग कार्यवाही भी कर रहा है। इनके पैनल्टी भी लगायी है। तीसरा काम लगभग 61 परसेंट के आसपास पूरा हो चुका है।

उक्त कार्यों के तहत विधान सभा क्षेत्र मंडावा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने हेतु कुल 265 किलोमीटर रोड काटी जाकर 192 किलोमीटर की मरम्मत की गई है। शेष का कार्य प्रगति पर है, जो कि पाइपलाइन के टेस्टिंग के पश्चात माह अगस्त 2024 तक मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा। विभागीय अभियंताओं एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (थर्ड पार्टी) के द्वारा समय-समय पर सड़कों के मरम्मत के कार्य की जांच की जाती है। जांच के दौरान मरम्मत कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संवेदक से मापदण्डों के अनुरूप पुनः सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जाता है।

ग्राम मलसीसर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 37वीं एसएलएसएससी की बैठक दिनांक 30.05.2023 को राशि रू.12.59 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जाकर कार्य करवाया जाना संभव हो सकेगा। ग्राम लुट्टू पूर्व में विभागीय पाईप्ड योजना अन्तर्गत लाभान्वित है। ग्राम लुट्टू में जल जीवन मिशन के तहत 350 केएल क्षमता का उच्च जलाशय का निर्माण पूर्ण कर ढाणियों में स्वीकृत कार्य के अनुसार ढाणियों को पाइपलाइन द्वारा जोड़ दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मंडावा के कस्बे बिसाऊ की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु अमृत 2.0 योजना अन्तर्गत राशि रू. 5.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके अन्तर्गत वितरण पाइपलाइन एवं 02 उच्च जलाशयों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत तीन प्रश्न पूछना चाहूंगी। इन्होंने कहा है कि लगभग सब जगह पर काम पूरा हो गया है,

लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है। अलसीसर खारे पानी से ग्रस्त है, वहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा। ढाणी चारन पंचायत गोखरी के अन्दर पड़ता है, वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। जटावा, ऐसी बहुत सारी पंचायतें और गांव हैं, जिनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। दूसरा, सड़कें हैं, जो आपके सचिव भी हैं और हमारे झुन्झुनू के प्रभारी भी हैं, समित शर्मा जी। वे खुद भी जाकर देखकर आये थे, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। वहां पर यह पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं।

mdp/rtm/25.07.2024/13:00/1n

जितनी सड़के बनी हैं, उनके अन्दर घटिया मेटेरियल यूज किया गया है। वह सड़कें उखड़ गयी हैं। इंटरलॉक सड़कें जो थीं, उनको उखाड़कर फेंका था, पाइप लाइन डालने के लिए, इंटरलॉक सड़कों को आप देखेंगे तो उनका अता-पता नहीं है। कहीं पर मिट्टी लगा दी और कहीं पर इंटरलॉक जड़ दिए। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है।

तीसरा, मंत्री महोदय, जो मलसीसर की आप कह रहे हैं 30/05 को मीटिंग के अन्दर उसकी स्वीकृति मिली थी, उसके बाद टेंडर लग गये थे और आचार संहिता की वजह से वह काम पूरा नहीं हुआ। यह तो दिया तले अंधेरे की बात है क्योंकि कुम्भराम लिफ्ट परियोजना, जिसके द्वारा हम गांवों के अन्दर पानी पहुंचा रहे हैं, यह उसी मलसीसर गांव के अन्दर पंचायत के अन्दर (समय समाप्ति सूचक घंटी), थोड़ा-सा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हालांकि एक बज गया है। आप पूरा कीजिए।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): उसके अन्दर ये डेम वहां बना हुआ है और मलसीसर के लोगों को ही पानी नहीं मिल रहा है। आप इसकी वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी करवा देंगे और बिसाऊ का काम कब तक शुरू हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्या की वास्तव में चिंता जायज है। सभी सदस्यों की, जब से मैंने विभाग देखा है, सड़कें टूटी होने की शिकायतें आती हैं। सड़क की रिपेयरिंग का कार्य संवेदक द्वारा निर्धारित मापदंड से लगभग 0.15 लगभग 6 इंच के आसपास इसकी मोटाई में और लगभग 1 फीट के आसपास की चौड़ाई में उनको किया जाना है। जब कांट्रेक्टर कम्प्लीट कर देता है, उसका सर्टिफिकेट सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच के देने के बाद में उसका काम फाइनल किया जाता है। चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो तो वह देने के बाद में ही फाइनल होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि जहां-जहां अगर आपको लगता है कि इन्होंने, सरपंच ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, फिर भी कोई कमी है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। गलत दिया है तो उसकी जांच करवा लेंगे। उससे वापस दोबारा करवाएंगे। इस वजह से कई कांट्रेक्टर के काम हमने अभी फाइनल नहीं

किए कि आप इनका सर्टिफिकेट लेकर आएं। जन-प्रतिनिधि भी कहीं न कहीं इसमें पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वे देखेंगे, करेंगे तो सारे नियम यही है कि जब तक जन-प्रतिनिधि उसका सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक कांट्रेक्टर का काम फाइनल नहीं किया जाता। अभी हमने ग्राम सभाओं के अन्दर लास्ट में रखा है, सरपंचों को हमने डायरेक्शन दिये हैं कि आप मौके पर जाकर इनको देखें और जिन कांट्रक्टर्स ने सही काम नहीं किया है, तो उनके लिए लिखकर दें कि दोबारा कराया जाना है या नहीं कराया जाना है।

दूसरी चीज, जो यह काम चल रहे हैं, जो आपने कुछ गांवों के नाम बताए हैं, उन गांवों के लिए इन तीनों पैकेज के अन्दर जो काम बाकी हैं, आने वाले 6 महीने के अन्दर हम जो भी काम बचेगा, किसी भी गांव को, किसी भी ढाणी को नहीं बचने देंगे। दिक्कत यह हुई कि जब सर्वे करके भेजा, वैसे तो मंडावा में तो विधायक आप ही थे, हो सकता है आपने तो नहीं किया बाकी दूसरी जगह प्रॉब्लम है कि भेदभावपूर्ण एस्टीमेट करके उनको फाइनल कर दिया और उनका सर्टिफिकेट भेज दिया कि काम कम्प्लीट हो गया। वहां तो दूसरी प्रॉब्लम है। फिर भी आपके ऐसी कोई बची हुई ढाणी है तो वह मुझे लिखकर दे देना, सौ प्रतिशत अभी जेजेएम का काम वहां चल रहा है, उसको जोड़ दिया जायेगा। कोई काम नहीं बचेगा। मलसीसर का जो है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, हो गया। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.03 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Ans/rtm 14.00 2c 25.07.2024

(समय: **14.00** बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम विश्नोई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जनरल मैनेजर, जोधपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, प्रधान कार्यालय, जोधपुर द्वारा की गईं अनियमितताओं की जांच

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के तहत जोधपुर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किसानों के कृषि बीमा एवं बैंक में हुई वित्तीय अनियमितता की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों

से अल्पकालीन फ़सली ऋण प्राप्त करने वाले 18 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा पात्रता अनुसार अनिवार्य है। इस बीमा हेतु ऋण लेने वाले किसानों के प्रीमियम की कटौती सीबीएस पोर्टल द्वारा शीर्ष बैंक से निर्धारित दर पर स्वचालित रूप से की जाती है तथा नियमानुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं पात्र होने पर ही बीमा कंपनी द्वारा बीमित किया जाता है। दस्तावेज के अधूरे/अभाव होने पर बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटा दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में इसी प्रक्रिया अनुसार कृषकों का ऋण वितरण के समय प्रीमियम ऋण खाते से स्वतः डेबिट हुआ है, जिसे बैंक द्वारा नियमानुसार बीमा कंपनी को भिजवा दिया गया था। कृषकों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, बीमा कंपनी द्वारा जिन कृषकों का प्रीमियम वापस बैंक को लौटाया गया, उसे संबंधित कृषक के खाते में जमा कर दिया गया है। अतः बैंक द्वारा अपने पास कोई प्रीमियम नहीं रखा गया है। बैंक द्वारा अन्य बैंकों में किये जाने वाले समस्त निवेश संचालक मण्डल द्वारा अंगीकार की गई निवेश नीति के अनुरूप, प्रबंध निदेशक के अनुमोदन उपरान्त ही किये जाते हैं। समस्त निवेशों को त्रैमासिक आधार पर संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त निवेशों की समीक्षा एवं पुष्टि विभिन्न बैठकों में की गई है। समस्त निवेशों की त्रैमासिक आधार पर बैंक के ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। बैंक द्वारा किये गये निवेशों के संबंध में नियंत्रक संस्थाओं क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है एवं नियंत्रक संस्थाओं के निरीक्षणों में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। शीर्ष बैंक, जयपुर द्वारा डीबीटी/एनपीसीआई का कार्य सोफ्टवेयर के माध्यम से सीधा बैंक के ग्राहकों के खातों में स्थानान्तरित किया जाता है ।

बैंक द्वारा इनकम टैक्स के रिटर्न सदैव समय पर भरे जाते है एवं समय पर रिटर्न नहीं भरने के कारण बैंक से किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं भरी गई है। बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच ब्रान्च मिलान आज दिनांक तक पूर्ण है। बैंक में नियमित रूप से रिकन्सीलेशन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अतः मिलान का अभाव के तथ्य का कोई आधार नहीं है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसान ऋण लेता है तो साथ में प्रीमियम कटता है। प्रीमियम कटता है तो उस समय किसान के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। किसान वहां गया है, स्वस्थ है तब गया है। बैंक कर्मी द्वारा जानबूझकर, बीमा कम्पनी के साथ मिलकर उन्होंने स्वस्थ प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करवाए। अगर वह अस्वस्थ होता हो आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटल जाता, बैंक मैं पैसे लेने क्यों आता। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन बैंक कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ना लेकर, अधूरे कागजात बीमा कम्पनी में जमा कराए हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे? पूरे राजस्थान में यह स्थिति है, यही होता है। फिर जोधपुर बैंक में ही ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बीमा प्रीमियम के साथ क्यों नहीं लिया, यह किसकी जिम्मेदारी थी?

नम्बर दो, मंत्री जी को अधिकारियों ने गलत सूचना देकर जवाब दिलवाया है। प्रधान कार्यालय में बैकिंग का मिलान पूरा नहीं है, मैं यह दावे के साथ कहता हूं, इसकी जांच करा दीजिए। निजी बैंकों में जमा करने के बाद, आप कह रहे हैं कि संचालक मण्डल से पुष्टि करवाई गई है। निजी बैंकों में पैसा जमा, आप राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं करा रहे, निजी बैंकों में करा रहे हैं, क्या कारण है? निजी बैंकों में जमा कराने के बाद महीनों बाद संचालक मण्डल से जनरल मैनेजर स्वीकृति लेता है। क्या आशय है कि वह बाद में लेता है और पहले जमा कराता है। यह डेट देख ली जाए कि जमा कब करवाये हैं और स्वीकृति कब मिली है। अच्छा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण, बीमा कम्पनी ने प्रीमियम वापस लौटाया। लम्बे समय तक उनके पास रहा है। इस कारण मेरे 17 किसानों को मृत्यु उपरांत नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच गांव का बता रहा हूं। प्रीमियम कटना जरूरी है। खारा के निवासी भगवाना राम पुत्र जोराराम। चोखाराम पुत्र पन्नाराम। तुलसाराम पुत्र सुढाराम, इन तीनों ने अल्पकालीन ऋण लिया और इनका प्रीमियम नहीं काटा गया, तो कौन जिम्मेदार है, प्रीमियम नहीं कटने का। ऋण के साथ ही प्रीमियम कटता है, एक बात।

नम्बर दो, 13 मौतें हुई। लोरडिया में 4 दुर्घटना से मृत्यु हुई है, रडकाबेरा में 4 साधारण मृत्यु हुई है, जामा में 3 साधारण मृत्यु हुई है और सांवरीज में 3 साधारण मृत्यु हुई हैं, उनके बीमा क्लैम के लिए भी भेजा गया है, परन्तु यही कारण होगा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा नहीं है। ऐसे हज़ारों है। यह कम्पनी के साथ मिलकर वहां का जनरल मैनेजर किसानों के साथ धोखा करता है। 17 किसान तो मैंने आपको बताए, ऐसे हज़ारों किसान होंगे। इन लोगों ने उनका बीमा नहीं किया।

माननीय मंत्री जी, क्या आप उस जनरल मैनेजर को हटाकर वहां एक प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में, अकाउण्टस ऑफिसर की टीम बिठाकर, इस पूरी गड़बड़ी की जांच करवाएंगे? अगर करवाएंगे तो कितने समय में करवाएंगे, आप यह बता दीजिए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बीमे की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 75 हजार से अधिक अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो बीमा कम्पनी को निष्पादित शर्तों के अनुसार, उसको अच्छा स्वास्थ्य, घोषणा पत्र देना होता है। लगभग 1 लाख 19 हजार किसानों को वहां लोन दिया गया था। 2705 कृषकों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम लोटाई गई थी। वापस उनके खातों में जमा भी हो गई। यह कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की कोई कमी रही है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने बताया है, इसकी एक कमेटी बनाकर, जांच करके, कार्यवाही करने की आप बात कर रहे हैं, उसकी कार्यवाही करके जो भी दोषी होगा उस कार्यवाही करने का काम हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड।

शेरगढ़ की सोलंकिया तला व सेखाला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के

विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कार्यवाही का अभाव

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति सोलंकिया तला व ग्राम सेवा सहकारी समिति सेखाला के व्यवस्थापकों के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति के परिवादों में लगभग 4 वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह मंत्री ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

VPS-RTM-25.07.2024-14.10-2d

उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि आपकी दो व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायत थी। भोमसिंह व्यवस्थापक वर्तमान में सोलंकिया तला ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): भोमसिंह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): भोमसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, व्यवस्थापक ग्राम सोलंकिया तला और खेतसिंह पुत्र गणपत सिंह, वर्तमान में व्यवस्थापक सेखाला, इनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं और शिकायतें प्राप्त होने पर जिला जोधपुर के ब्यूरो स्तर पर इनका गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन करवाने पर यह पता लगा कि इन दोनों व्यवस्थापकों ने उनके पास जो वैध आय के स्रोत है, उससे भी अधिक उनकी आय हुई है और इस पर विभिन्न स्तर की जांच करने के उपरांत आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक आय पाने जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत 276/2019 अंतर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट एवं 13(1) (बी) सपठित 13(2) पी.सी. एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की गयी। जांच में आरोप सही पाये गये। अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप अनुसंधान प्रमाणित पाये जाने पर उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा-1(ई) सपठित धारा 2 पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 1(बी) सपठित धारा 2 पी.सी. एक्ट, 1988 में चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय दिनांक 11.05.2024 को लिया गया। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति हेतु एसीबी रिपोर्ट प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को दिनांक 03.07.2024 को प्रेषित की जा चुकी है। अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है और इसी तरह से खेतसिंह पुत्र गणपत सिंह के विरुद्ध भी सेम है और इसके विरुद्ध भी अभियोजन की स्वीकृति हेतु दिनांक 29 जून, 2024 को भेज दिया गया है और अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होते ही इन्हीं धाराओं में इस व्यवस्थापक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर चालान प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति के लिए आवेदन विचाराधीन है। ज्यों ही यह अभियोजन की

स्वीकृति प्राप्त होगी, इन दोनों व्यवस्थापकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलंकिया तला गांव का सरपंच बहुत गरीब था, उनकी पत्नी मधुमेह रोग से पीड़ित थी और उनके दो छोटे बच्चे थे। अब गरीबी की हालात में और बीमारी की हालात में जब वह अपने घर पर था तो इन दोनों व्यवस्थापकों ने और वहां का जो ग्राम सेवक था, इन्होंने मिलकर फर्जी उनकी सील बनाई, उनका आई.डी. पासवर्ड लिया और अपने फोन में फीड कर लिया और पचास लाख रुपये तो ग्राम पंचायत के खाते में से पैसा उठा लिया। दूसरा, उन्होंने फर्जी तरीके से यह पट्टे बनाये और पट्टों में भी काफी बड़ा गबन किया और साथ ही नरेगा के अन्दर भी प्रधान मंत्री आवास योजना में भी काफी बड़ा गबन वहां के ग्राम सेवक ने और इन दोनों व्यवस्थापकों ने मिलकर किया है।

जब हमारा कृषि आधारित अनुदान माफ होता था, ऋण माफ होता था तो पहले यह ऑफ लाइन था तो ऑफ लाइन ऋण सिस्टम में भी इन्होंने फर्जी अंगूठे लगाकर जो हमारे कृषक छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश में गये हुए थे, उनका भी पेमेंट उठा लिया और गांव में जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके नाम से ऋण माफ नहीं होता है लेकिन उनके नाम से भी ऋण देकर, माफ करके उनका पैसा भी उठा लिया। उसने खुद ने अपने नाम से भी पैसा उठा लिया तो इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा गबन किया और जब सरपंच ने उनसे कहा कि इस प्रकार से आपने यह पैसा उठाया है और टेंडर भी अपने आदमी को दिलवा दिय। टेंडर दिलवाकर स्वयं सरपंच ने गांव के विकास कार्य, खुद का पैसा लगाकर काम किये और काम करने के बाद में उसका जियो टैगिंग किया, यू.सी. की और उसका पैसा भी उन्होंने उठा लिया तो पैसा उन्होंने उधार लाकर लगाया और विकास करवाया तो उसने जाकर कहा कि मेरा पैसा तो दो। उन्होंने कहा कि पेमेंट आयेगा तो आपको दिलवा देंगे। पेमेंट ठेकेदार को दिलवाकर वह भी ठेकेदार से पैसा उन्होंने ले लिया और जब उसकी आर्थिक तंगी आयी और उन्होंने जाकर बी.डी.ओ. से शिकायत की तो उसकी कोई सुनी नहीं, उसको पूरा प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित होने के बाद में सरपंच ने अपनी इहलीला, अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी, उसने सुसाइड कर लिया और 34 पन्नों का यह सोसाइड नोट है और सोसाइड नोट में हर पन्ने पर पंचायत के गबन की कहानी, खुद की लाचारी बयां की है। उन्होंने यह लिखा कि मेरी बीमारी के कारण ग्राम सेवकों पर भरोसा किया और उन्होंने ही धोखा किया। फर्जी हस्ताक्षर कर, सीलें लगाकर पचास लाख रुपये का गबन किया और जब हिसाब पूछा तो उलटा धमकाने लगे और कहा कि यह हस्ताक्षर आपके है। मैंने कोई पैसा नहीं उठाया, मैं गरीबी में जी रहा हूं, बीमारी के इलाज का पैसा नहीं है, वकील कहां पर करता फिरूं? फर्जीवाड़ा करने वालों ने सम्पत्तियां बना लीं। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ऐसे नोट उन्होंने सांसद को भी लिखा, विधायक को भी लिखा, मेरे को भी लिखा और लिखा कि मैं तो

मेरी जीवनलीला को समाप्त कर रहा हूं लेकिन मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनका संरक्षण करना तो इस प्रकार का यह 34 पन्नों का सोसाइड नोट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोसाइड नोट में जो जन प्रतिनिधियों को लिखा, वह भी इसमें है। पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने इसमें आंदोलन किया है और वे अंतिम संस्कार में भी गये। यह बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ और आंदोलन को आप देख रहे हैं। वहां पर बड़े आंदोलन हुए, इस एक व्यवस्थापक के पास तो करीबन 46 लाख रुपये वहां पर बरामद हुए। एक के पास 46 लाख, दूसरे के पास 76 लाख, एक के यहां पर 59 लाख रुपये प्राप्त हुए तो इस प्रकार करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये की प्रोपर्टी, आय से अधिक उनके यहां पर मिली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें ये दोनों व्यवस्थापक भी लिप्त हैं जो आज भी वहीं पर लगे हुए हैं और वहीं पर नौकरी कर रहे हैं, पांच साल हो गये। न तो उनको निलंबित किया है और न उनको हटाया है। 46 लाख रुपये की राशि जब्त हुई, आय से अधिक सम्पत्ति उनके पास है, फर्जी तरीके से यह पैसे उठाये हैं तो उनकी भी शिकायतें दर्ज हुई है, उसकी भी जांच हुई हुई है तो सरकार से हम यह चाहेंगे कि राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर आप विभाग से जांच करवाये और उन व्यवस्थापकों को सरकार को निलंबित करना चाहिए नहीं तो वहां पर बैठकर इसको प्रभावित कर रहे हैं और साथ में जो सबसे बड़ा रोल वहां का ग्राम सेवक है महावीर प्रसाद उसके खिलाफ भी आप जांच करायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया तो यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। अगर एक चुने हुए जन-प्रतिनिधि को किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों की वजह से अपनी इहलीला समाप्त करनी पड़े तो यह तो बहुत ही गम्भीर विषय है और सरकार के ध्यान में आने के बाद इन दो व्यवस्थापकों के खिलाफ तो पूरी कार्यवाही की है, चालान की स्टेज आयी है और आय से अधिक सम्पत्ति का आरोप उनके ऊपर प्रमाणित माना है।

अब जो माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया है कि वह आज भी वहीं पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि वे गवाहान को प्रभावित करे या और कोई वजह करे तो मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करता हूं कि इन दोनों व्यस्थापकों को, मैं विभाग से यह निवेदन करूंगा कि वह तुरंत कार्यवाही कर उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की व्यवस्था करें, मैं यहां पर यह घोषणा करता हूं।

दूसरा विषय ग्राम सेवक का भी है क्योंकि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ग्राम सेवक का कोई रेफरेंस आया नहीं था फिर भी जैसा कि आपने अभी सदन के पटल पर बोला है और एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि, माननीय विधायक कभी गलत तथ्य नहीं कहेंगे। जैसा आपने मैटीरियल दिया है, उससे यह लगता है कि ग्राम सेवक ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल किया है

और जो सुसाइड नोट आया है, उसमें भी ग्राम सेवक का रेफरेंस आया कि उसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। फर्जी आई.डी. बनाना, अपने आदमियों को टेंडर दिलवा देना, ठेकेदार से पैसे उठवा लेना, यह जो सारे तथ्य आये हैं तो मैं इन सबकी भी जांच करवाना उचित समझता हूं। सी.ई.ओ., जिला परिषद, जोधपुर की निगरानी में इसकी जांच की जायेगी और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आयेंगे, आरोपी पाया जायेगा तो उसी के अनुसार कार्यवाही होगी और दोषी पाया जायेगा तो चाहे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो या उसका सस्पेंशन हो, सब कार्यवाही की जायेगी, यह मैं इस बात की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रकरणों की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए सरकार को गम्भीर होना चाहिए और सख्त कार्यवाही करते हुए कार्यवाही करें। चालान के लिए जब फाइल सक्षम अधिकारी के पास आ गयी है तो अब तो यह चालान हो जाये क्योंकि इस प्रकरण को पेंडिंग चलते पांच साल हो गये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह प्रकरण काफी पुराना है। अभी जून और जुलाई में ही हमने प्रोसिक्यूशन स्वीकृति के लिए विभाग को लिखा है और हम यह प्रयास करेंगे कि इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जाये और मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे जो भी हमारे कर्मचारी हैं, वे ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे जन-प्रतिनिधि कोई आहत हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, आय से अधिक सम्पत्ति नहीं हो, नियमों के अनुसार कार्यवाही करे, निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्यवाही करे, इसकी पूरी व्यवस्था करने का हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त।

अनुरोध एवं मांग

श्री श्रवण कुमार, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को बैठक में प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्द/अभिव्यक्ति के अपलोपन की मांग

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे सदन की जानकारी में एक विषय लाना है।

कल पशुपालन एवं अन्य विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा लम्बे समय तक चली। अनेक माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया, उस दौरान अच्छे सुझाव भी आये, अच्छी सकारात्मक बातें भी हुईं लेकिन एक बहुत नकारात्मक बात भी हुई जो आज के अखबारों में भी छपी है और जो बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसको लेकर हम सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण काफी उद्वेलित और परेशान हैं। ऐसा लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने देहात से लेकर दिल्ली तक यह तय कर रखा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्पराएं, सनातन संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उन पर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह एक परम्परा सी, आदत सी बना ली है।

SSY/RTM/25.07.2024/14:20/2e

उसी का एक उदाहरण कल पेश हुआ। जब पशुपालन विभाग की मांगों पर चर्चा करते हुए सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक श्रवण कुमार जी ने टिप्पणी की, +++ यह देश के +++ पर बहुत गंभीर टिप्पणी है। बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसकी मेरी तरफ से भी और पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूं। इसकी भर्त्सना करता हूं, निन्दा करता हूं। आसन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही भी करें। सदस्य से माफी भी मंगवायें और उसको विलोपित भी करें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं भी इसकी घोर निन्दा करता हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माफी मंगवाओ इनसे।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ये माफी मांगें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की यह स्थापित परंपरा रही है कि कई बार उत्तेजनावश कई तरह की बातें होती हैं। आज से नहीं, लगातार होती रही हैं।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): इतना बड़ा गंभीर विषय नहीं है। आपके संज्ञान में मामला आ गया। यदि आपको लगता है कि असंसदीय है और अमर्यादित है तो पहले भी इस तरह के कोई शब्द आये हैं तो उन्हें विलोपित किया गया है। ऐसे शब्द यदि आपको लगता है कि आप आहत हुए हैं, और हुए हैं तो इसको विलोपित किया जा सकता है। इतना बड़ा इश्यु नहीं है कि जिसको लेकर के आप सदन की विशेष चर्चा में रखें और आप यह कहें कि माननीय सदस्य के खिलाफ, कई बार उत्तेजनाओं में इस तरह के शब्द निकले हैं।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): कई बार निकले हैं। एक बार नहीं हजार बार निकले हैं। उत्तेजना में इस तरह के शब्द निकले हैं, ऐसी कोई अमर्यादित बात नहीं की थी।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): अध्यक्ष जी, इन्होंने जो कहा, मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब क्या बात हो गई? आप विराजो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इन लोगों के लिए गंभीर बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए है। हमारे लिए गंभीर बात है। हमारे लिए आपत्तिजनक बात है। हम इससे आहत हुए हैं ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप लोगों ने तो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का ठेका ले रखा है। लेकिन हम नहीं सहन करेंगे इस बात को ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक खड़े हैं,

इतने वरिष्ठ हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): हम इसको सहन नहीं करेंगे ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): उन्होंने कहा कि आपत्ति है तो शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक-एक नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको आपत्ति नहीं है इन शब्दों से ...(व्यवधान)... इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति, पूरे +++ समाज को अपमानित किया है।

श्री अध्यक्ष: एक-एक करके बोलेंगे तो ध्यान में आयेगा। एक-एक करके बोलें।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): शब्दों में बोला है कि +++ नहीं बोला तो इनके रिकार्ड को चैक कर लीजिये। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला, क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यहां आकर के बोल रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड मुझे दिखाया गया है। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। रिकार्ड में जो शब्द हैं, ऐसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिंए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सदन की स्थापित परंपरा रही है।

श्री अध्यक्ष: +++ नहीं कई प्रकार के हैं, मैंने पूरा पढ़ा ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): उत्तेजना में कई बार दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पहले यह बोल लें फिर आपको भी बुलाता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): प्लीज, प्लीज आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह के गतिरोध हमेशा होते रहे हैं। उत्तेजना में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के ही माननीय सदस्य कई बार अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। आसन को यह अधिकार है कि यदि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कोई की गई है तो उसे हटा दे। लेकिन सदन में किसी को व्यक्तिगत रूप से बाई नेम यदि किसी को इंगित किया हो तो माननीय सदस्य को निश्चित रूप से उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

एक जनरल चर्चा हुई, जनरल चर्चा में मजाक के रूप में उन्होंने यह कह दिया कि इन्होंने यह कर दिया, वह कर दिया। तो इसको लेकर के इस तरह की उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आप सबका सम्मान करते हैं ...(व्यवधान)... बिलकुल करते हैं। आप इस तरह से सिस्टम को हाई जैक नहीं कर सकते है। आप नहीं कर सकते ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप पर छोड़ता हूं यह। आपको यदि यह लगता है कि अमर्यादित टिप्पणी है तो आप उसे विलोपित कर दें।

श्री अध्यक्ष: अब विषय को आगे बढ़ायें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): प्लीज, इस तरह से उत्तेजना पैदा मत करिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्री बोल रहे हैं। इनके बाद माननीय संसदीय मंत्री

बोलेंगे। हो गया। सब बोलो एक-एक, मुझे तो ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो शब्द बोले कि +++ कांग्रेस उसको मानती है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सदस्य, अकारण उत्तेजना पैदा मत करिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): आपसे पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): कांग्रेस इसको मानती है क्या? आपने कहा कि उन्होंने मजाक में शब्द बोल दिया ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): किसी व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: आसन को संबोधित करिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): उन्होंने पूरे समाज की, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया है। सनातन धर्म में +++ ने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सनातन धर्म की बात नहीं हो रही है। आपसे ज्यादा सनातनी हैं हम लोग। आप सनातन धर्म पर और उस पर मत जाइये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सदैव समाज को जोड़ने को काम किया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह अधिकार नहीं है आपको। हम भी सनातनी हैं। हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप पर, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया गया है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सदैव समाज को एकरूपता से आगे बढ़ाने का काम किया। देश को दिशा दिखाने का काम किया ...(व्यवधान)... +++ समाज ने सदैव देश की रक्षा, सुरक्षा के लिए अपना भी बलिदान दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप अकारण उत्तेजना पैदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): देश के लोगों को भी प्रेरित किया देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, संसदीय मंत्री इसको कन्क्लुड करेंगे। हो गया आपका। यह नहीं बोलना चाहिए आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या बोला है?

श्री अध्यक्ष: मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूं। देख लिया, वह है क्या अपने पास। वह मेरे को लाओ। ऑफिसियल टिप्पणी लाओ ...(व्यवधान)... आपके संसदीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से आप जवाब दीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी ने

जो विषय उठाया है वह बहुत ही गंभीर है। यह लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य यह कहें कि मैंने क्या कहा तो उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उत्तेजना से कहा गया कोई विषय अलग होता है। लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम हैं कि मैंने क्या कह दिया।

भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में, +++ के सम्बन्ध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधान सभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि आपने ठंडा करने का प्रयास किया लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम हैं। इससे स्पष्ट है कि उनको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा। उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह नहीं मानते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++ ने यह कहा है कि राजस्थान में ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जैसा आपने कहा वह तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया। लेकिन माननीय सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम हैं तो निलंबन के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सब सदस्यों के सामने, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जो लिखा है, पढ़कर बता रहा हूं। जो रिकार्ड में है, जो रिकार्ड में है, बता रहा हूं। रिकार्ड में क्या है, 'श्री श्रवण कुमार, मैंने तो सुना है +++ लेकर आया था। +++ विदेश गया था। वहां से गाय ले आया। मैंने वही सुना था। +++ गये थे विदेश में, +++ एक गाय यह लाते हैं और बंदर बनाकर, डालकर मंजीरे और जगह-जगह, एक तो वह +++ जेल में पडा है'। यह सदन की मर्यादा तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, तो हटा दो ...(व्यवधान)... विराजिये। मैं आसन की आज्ञा से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सदन को हाई जैक नहीं करने देंगे आपको। विराजिये आप।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): विराजिये आप ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अगर माननीय सदस्य खुले रूप से, हृदय से माफी नहीं मांगें तो निलंबन के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। और नहीं तो हृदय से माफी मांग लेंकि मेरे से गलती हो गई। वह भी आत्मा से मांगे माफी, दिखावटी नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन परंपराओं और नियमों से चलता है। सदन में बहुत से गतिरोध पैदा होते हैं और कई बार गतिरोध में दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य अकारण अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। इसका मतलब यह

नहीं कि सदन की सारी मर्यादाएं छिन्न-भिन्न हो गई। यह स्थापित परंपरा रही है, आज पहली बार नहीं हो रहा है।

माननीय गर्ग साहब, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। हम पुरानी वाली विधान सभा में भी रहे हैं। वहां भी इस तरह की कई बार उत्तेजना पैदा हुई है और कई बार इससे भी ज्यादा उत्तेजना पैदा हुई है। लेकिन उसका निर्णय हमेशा माननीय अध्यक्ष ने यह कहकर किया है कि मैं इन शब्दों को विलोपित करता हूं। जब सदन की कार्यवाही से सारे शब्द निकाल दिये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां दूसरी बात यह निवेदन करुं किसी को व्यक्तिगत रूप से, बाई नेम इंगित करके किसी को ठेस नहीं पहुंचायी है ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): +++ का बोला है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): +++ के लिए हम कह रहे हैं ...(व्यवधान)... बारे में हम कह रहे है ...(व्यवधान)... +++ का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, दोनों पक्ष विराजो ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप इधर बात करें। आपस में नहीं ...(व्यवधान)... आपस में नहीं उलझें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर गौर फरमायें। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी अकारण उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। उत्तेजना की बात ही नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं भी लंबे अर्से से विधान सभा में आ रहा हूं।

Spp/Rtm/25.07.2024/14:30/2f

परम्पराओं को भी देखा है, अकारण उत्तेजना का वातावरण भी देखा है, लेकिन स्थापित परम्परा यह रही है कि आसन उन शब्दों को विलोपित कर देता है। इतना बड़ा कारण नहीं है कि आज की महत्वपूर्ण मांग को हम डिस्टर्ब करके एक इश्यू पर ऐसे खड़े हो जायें कि दोनों तरफ गतिरोध पैदा हो जाये और आज की सदन की कार्यवाही बाधित हो। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: हो गया, आपका ध्यान आ गया। आप बैठिये, आपका विषय आ गया। माननीय सदस्य बैठिये, आगे बढ़ना है। ...(व्यवधान)... मैं व्यवस्था दे रहा हूं न।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): हमारा यह कहना है ..(व्यवधान).. एक मिनट शांति से तो बैठो। अध्यक्षजी, हमारा यह कहना है ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: हो गये, 15 मिनट हो गये। ..(व्यवधान)..

महन्त बालकनाथ (तिजारा): हम यह कह रहे हैं कि मुझे निजी रूप से ..(व्यवधान).. माननीय विधायकजी, मेरी बात सुनिये। कांग्रेस के माननीय सदस्य मेरी बात सुनिये। मुझे निजी रूप से कुछ कहना है तो आप दिन-रात कहो, आप सुबह-शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी रूप से कहो मेरा नाम

लेकर जितनी गालियां देनी हैं, देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परम्परा को आपने जो अपमानित किया है, वह एक क्षण भी आपको हम नहीं सहेंगे। आपने हमारे धर्म को, आपने हमारी परम्पराओं को अपमानित किया है। ..(व्यवधान).. पूरे +++ समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग ...(व्यवधान).. मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, यह देश याद रखेगा कि विभाजन के लिये कांग्रेस ने क्या किया? अपनी सत्ता प्राप्ति के लिये कांग्रेस ने क्या किया? .. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिये। ...(व्यवधान).. बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। ...(व्यवधान)... आप बैठिये, रिकार्ड में आ गया। माननीय सदस्य, बिराजो। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। हो गया। मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं। यह शब्द यहां से एक्सपंज किये जायें और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूं कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करें। कोई भी सदस्य +++ या जो श्रद्धा के केन्द्र हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करें नहीं तो फिर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आगे बढ़ें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। ...(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक यह माफी नहीं मानेंगे, हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले। इनको माफी मांगनी चाहिये। ..(व्यवधान)... माफी मांगने में क्या तकलीफ है?

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवायी थी न।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप आसन को डायरेक्शन दे रहे हैं क्या? ..(व्यवधान)..

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): +++ के लिये सदन में कहना पड़ेगा कि मैं खेद प्रकट करता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): इनको पूरे +++ समाज से माफी मांगनी चाहिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा समाज...(व्यवधान)...

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माफी मांगो। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने माफी मांगी है। ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्यः हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने .. (व्यवधान).. टिप्पणी नहीं की थी। ..(व्यवधान)... पूरे हिन्दू समाज से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ..(भारी व्यवधान)..

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): +++ का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदयजी ने माफी मांगी है। विधायक जी को माफी मांगनी चाहिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): हम शब्द को कार्यवाही से नहीं हटवाना चाहते। ..(व्यवधान)..

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): इस बात को लेकर कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था। ..(व्यवधान) और हमारे मंत्रीजी ने माफी मांगी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मदनजी दिलावर से माफी मंगवायी है। ..(व्यवधान)..

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सनातन धर्म का अपमान करेंगे क्या? ..(व्यवधान).. +++

का अपमान करेंगे? ...(व्यवधान).. शब्द कार्यवाही से हटा...(व्यवधान).. आप कुछ भी करोगे..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.34 बजे 14.49 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/25.07.2024/14:40/2g

(समयः 14.49 बजे)
पुनः समवेत होने पर
(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः पारीक साहब कुछ कहेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो सभी माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, वे राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है और शास्त्रोक्त भी है, ''वचने का दरिद्रता'', वचन की दरिद्रता नहीं होनी चाहिये, यह हमारे शास्त्र भी हमें संस्कार में कहते हैं, लेकिन कई बार उत्तेजनावश दोनों ही पक्षों की तरफ से कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, उत्तेजना हो जाती है तो मैं सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से, चूंकि एक लम्बा समय हो गया है इस सदन में आते हुए, अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहां व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए नहीं आये हैं।

हम अपनी बात कहने आये हैं अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उत्तेजना में भी यदि आप इस तरह की बात करते हैं तो कृपया संयम रखें और अकारण कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करें। मैं सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष, दोनों से यह आग्रह करूंगा। आसन से मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी कि शब्दों को आप विलोपित करेंगे और भविष्य में आप इस बात के लिए चेतावनी देंगे कि इस तरह का आचरण नहीं हो। मैं इसका स्वागत करता हूं और यही इस सदन की परम्परा रही है।

mkd/rtm/25.07.2024/14:50/2h

श्री अध्यक्षः आपको कुछ कहना है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आपका हो गया है। अब आप विराजिये। नहीं, अब कोई अंकित नहीं होगा।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): 000

श्री अध्यक्षः अब बात हो गई। अब ये सत्ता पक्ष की ओर से बोलेंगे। नहीं, अब आप विराजें। इधर से वे बोले हैं। उधर से ये वरिष्ठ हैं, ये बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह शत प्रतिशत सही है। हम एक दूसरे का मान-सम्मान करेंगे तो जनता भी हमारा मान और सम्मान करेगी। हम अपनी जनता की बात कहने के लिए आये हैं। यह हमारा अधिकार है। व्यक्तिगत कोई भी टीका-टिप्पणी, आक्षेप या व्यक्तिगत, जो विधान सभा के सदस्य से सम्बन्धित नहीं है, हमारे विषय से सम्बन्धित नहीं है, हमारी जनता की भलाई में नहीं है। ऐसी कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है और विश्वास दिलाया है कि भविष्य में इस तरह का कोई कृत्य नहीं होगा। मैं सत्ता पक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कोई भी सदस्य कोई व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं करेगा। सदन मर्यादाओं, परम्पराओं और सबके मान-सम्मान के साथ चलेगा।

मैं ऐसी ही अपेक्षा प्रतिपक्ष के साथियों से भी करता हूं कि हम हमेशा व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी से बचें। मैं आसन की व्यवस्था को शिरोधार्य मानते हुए निवेदन करता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि भविष्य में हमारी किसी की मान, मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचें। यह सदन मर्यादाओं और परम्पराओं से चले।

श्री अध्यक्ष: इस सदन में कल सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जो भी कहा गया है, +++ या किसी के भी सन्दर्भ में, उसको मैं विलोपित करता हूं और आगे से माननीय सदस्य और पक्ष विपक्ष के बाकी लोगों को भी, इनको तो चेतावनी देता हूं और बाकी से अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की भाषा का कोई भी सदन में उपयोग नहीं करे, जिससे श्रद्धा के केन्द्रों या लोगों की श्रद्धा और भावनाओं को आहत पहुंचे।

मैं समझता हूं, इतनी ही व्यवस्था का पालन करेंगे तो भविष्य में ठीक रहेगा। मैं आगे की कार्यवाही शुरू करता हूं। श्री सुरेश चन्द रावत। इस विषय पर हो गया। अब आप सम्भालो, नहीं हो गया, कोई अंकित नहीं होगा।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश चन्द रावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बांध सुरक्षा अधिनियम , 2021 की धारा 45 (1) के अन्तर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था कर दी है। मैंने चेतावनी दे दी, अब इस पर कुछ नहीं होगा। परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25। अनुदान की मांगों पर मतदान एवं विचार। श्री गोतम कुमार।

मांग संख्या 50 - सहकारिता की प्रस्तुति

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 50 - सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,80,29,71,000/- (उन्नीस अरब अस्सी करोड़ उनतीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 50 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की प्रस्तुति

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या - 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,61,68,20,000/- (नौ अरब इकसठ करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 55 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

मांग संख्या 50 – सहकारिता व मांग संख्या 55 – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, आज मांग संख्या 50 - सहकारिता एवं मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर चर्चा है। मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सहकारिता का प्रारम्भ शोषण मुक्त समाज की स्थापना एवं आर्थिक उत्थान के लिए हुआ था। हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से ही विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार और सामूहिक कृषि इसके उदाहरण हैं। एक सबके लिए और सब एक के लिए, सहकारिता का मूल मंत्र है। इस बजट में घोषणा की गई है कि प्रदेश के 35 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जायेगा और पांच लाख नये किसानों को जोड़ा जायेगा। यह बहुत ही अच्छी घोषणा है।

गत कांग्रेस सरकार ने भी वर्ष 2023-24 के बजट में 22 हजार करोड़ के फसली ऋण बांटे जाने की घोषणा की थी, लेकिन 2300 करोड़ रुपये से भी कम का फसली ऋण बांटा गया। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अबकी बार पूरा प्रयास होना चाहिए, जिससे शत-प्रतिशत लक्ष्य हम प्राप्त करें। हम 35 लाख किसानों को ऋण वितरित करें।

(बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं गत सरकार में प्रदेश के हजारों किसान डिफाल्टर हो गये। उन्होंने जो राशि ऋण के रूप में ली थी, उसको समय पर व्यवस्थापकों ने जमा नहीं कराया। इस कारण से वे आज तक डिफॉल्टर हैं। मेरे नागौर जिले में आपका 1000 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ और अगर पूरे प्रदेश का हम देखें तो यह राशि और भी बढ़ जायेगी। जब आपकी राशि ही जमा नहीं हो रही है, बकाया ऋण जमा ही नहीं हो रहा है तो किस तरह से आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। इसलिए आप पूरा ध्यान रखकर इसमें किसानों को जो भी ब्याज और पैनल्टी है, उसको माफ करें, ताकि आपका रोटेशन बने। इस वर्ष के बजट में सहकारी बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए इसका दायरा दुगुना कर दिया गया, 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें दो प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की गई है।

मंत्री जी, जो मैं समझा हूं, 5 आप प्रतिशत का अनुदान पहले ही दे रहे थे, 2 प्रतिशत का आपने और दे दिया, 7 प्रतिशत हो गया और अगर इसको हम देखें तो 42 पैसा प्रति सैकड़ा के हिसाब से आप किसानों को ऋण देंगे, बहुत अच्छी योजना है। गत भाजपा सरकार के समय भी चल रही थी, कांग्रेस ने भी उसको जारी रखा था। मेरा आपसे यही कहना है कि हर वर्ष इसका दायरा बढ़ना चाहिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई भी बैंक इतने कम ब्याज पर किसानों को ऋण नहीं देता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि किसान यदि अकृषि कार्यो के लिए भी, नॉन फार्मिंग के लिए भी लोन लेता है तो उसमें भी 5 प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है। यह भी बहुत अच्छी घोषणा है।

बजट में यह भी घोषणा की गई है कि 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करवाया जायेगा। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गोदाम के साथ-साथ हम उसके कार्यालय का भी निर्माण करवाते हैं। इसमें मेरा कहना है कि कृषि विभाग और सहकारिता विभाग का चोली-दामन का साथ है। हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं, जिसके ऊपर दोनों की एक-दूसरे से चर्चा होना बहुत आवश्यक है।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं । हर गांव के अन्दर सहकारी भवन बने हुए हैं और गांव के दूसरे कोने में किसान भवन बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब किसान दोनों से ही जुडे हुए है तो किस तरफ बैठेंगे? अच्छा तो यह हो कि जो हमारे सहकारी भवन बने हुए हैं, उन्हीं के अन्दर किसान भवन बने और यदि वहां पर स्थान नहीं हो तो उसके बिलकुल पास में किसान भवन बने, ताकि वह किसानों के काम आ सके।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आठ हजार से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। इनका मुख्य कार्य है, अपने सदस्यों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देना, लेकिन सैकड़ों व्यवस्थापकों के पद खाली हैं और ये पद खाली रहने के कारण से, ये कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं कर रही हैं। ये अगर सिर्फ ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटती हैं। अगर यह कार्य हट जाये तो आपकी ये सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बन्द होने के कगार पर आ

जायेंगी।

मेरा आपसे यह कहना है कि पिछली भाजपा सरकार के समय हम एक संशोधन लेकर आये थे और हमने सहकारी भर्ती बोर्ड बनाया था। उस सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा ही हर तरह की भर्तियां की जानी चाहिए थीं, लेकिन उस सहकारी भर्ती बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। अभी भी कई सदस्यों ने, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया था।

मैं सदन के सामने यह लाना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्थापक लगे हुए हैं, ये तीस साल तक तो पहले लग गये और पिताजी जाते-जाते बेटे को लगा गये या अपने भतीजे को लगा गये, वहां लगातार वही रहता है। हमने इसके लिए भर्ती बोर्ड बनाया, 10 जुलाई, 2017 को और गत भाजपा सरकार में हमने यह व्यवस्था की कि इनकी नियुक्ति समिति नहीं कर सकती है।

Bhs/Rtm/25.7.24/15.00/2j

और समिति ने फिर भी कई जगह नियुक्ति कर दी राजस्थान में। मेरे वहां भी कर दी है जिले में और उनको एम.डी. ने आई.डी. भी दे दी है यह बिलकुल नियम विरुद्ध है और वो सब किसानों की गाढ़ी कमाई को खा रहे हैं, इसकी जांच करें और जो नियम विरुद्ध तरीके से लगे हैं उनको आपको हटाना चाहिये।

इसके अलावा गत भाजपा सरकार के समय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने एक घोषणा की थी, जिसमें व्यवस्थापकों का जिलास्तरीय कैडर गठित करने के लिए था और इसकी स्वीकृति भी दे दी थी लेकिन गत कांग्रेस सरकार ने इसको नहीं माना। मेरा यह आपसे आग्रह है कि इस बार आप इसका जिलास्तरीय कैडर गठित करें और इसका मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अगर यह व्यवस्था हम कर देंगे तो उनका जिले में स्थानान्तरण होने लग जायेगा और जब एक व्यवस्थापक जिसके पिताजी भी वहीं थे और बेटा भी वहीं पर है और अगर हम यह व्यवस्था कर देंगे कि वो कहीं भी जिले में स्थानांतरितहो सकता है, तो इससे पारदर्शिता भी आयेगी और भ्रष्टाचार भी आपका इससे बन्द होगा।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग द्वारा अपने सदस्य किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दो बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक है सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। जो पहली योजना है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति जिसने कि डेढ़ लाख तक ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वो पूरी की पूरी राशि माफ हो जाती है लेकिन, मंत्री जी, अभी 2023-24 से यह योजना बन्द है और अगर 2023-24 में किसी की भी मृत्यु हुई है तो उस किसान को किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा और एक मैं इसमें कहना चाहता हूं कि यह जो योजना है इसमें प्रिमियम बहुत ज्यादा आता है। इसको आप

दिखवायें, प्रिमियम कम हो और यह बीमा योजना आप बन्द न करें। बीमा से किसान को भी फायदा है, बैंकों को भी फायदा है कि उनकी बकाया राशि डूबती नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना यह गम्भीर चोट लगने, अंग भंग होने और दुर्घटना में मृत्यु होने पर दस लाख का इसमें प्रावधान है और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें आवश्यक नहीं है कि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो यदि गम्भीर चोट भी लगी है तो भी दस लाख का बीमा उसे मिलेगा। यह योजना बहुत पुरानी है और मैं आपको बताऊं कि 2019-20 और 2023-24 में यह योजना बन्द है और अभी भी योजना बन्द है। यह बहुत पुरानी योजना है, कांग्रेस के समय पचास हजार रुपये इसमें मिलते थे, हमने इसको बढ़ाया पहले तीन लाख किया और उसका प्रिमियम रखा बारह रुपये, फिर हमने इसको बढ़ाया छह लाख, उसका प्रिमियम रखा 54 रुपये। फिर हमने इसको बढ़ाया दस लाख और उसका प्रिमियम जब हम सरकार में थे पिछली भाजपा सरकार में तो 188 रुपये 80 पैसे इन्क्लूडिंग सर्विस टैक्स। इतना कहीं भी बीमा नहीं हो रहा है। अगर बैंक भी कर रहे हैं, मैंने खुद ने मेरा दुर्घटना बीमा करवाया है एस.बी.आई. में, तो वो एक हजार रुपये लेते हैं तो, मंत्री जी, इसको आप आगे जारी रखें और जो दो वर्ष नहीं हुआ, ऐसी समस्या वापस नहीं आनी चाहिये। यह किसानों के हित की बीमा योजना है और इससे विभाग को भी लाभ होता है कि आपका पैसा नहीं डूबता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपके समय जो भी बीमा की एजेंसी है एल.आई.सी. कम्पनी जिसके द्वारा आप बीमा कराते हो, मेरा यह कहना है कि जब गत भाजपा सरकार थी तो हमने इसको बहुत पारदर्शितापूर्ण बनाया था। हम केवल तीन डाक्यूमेंट लेते थे। एक तो एफ.आई.आर., दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर की रिपोर्ट की किस तरह से गम्भीर चोट लगी या मृत्यु हुई और तीसरा मृत्यु प्रमाण पत्र और हमने यह पाबन्द किया था कि इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिये और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि दो महीने के अन्दर-अन्दर उसके परिवारजन को वह राशि मिल जाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पालड़ीकलां गांव में रामलाल व्यक्ति है किसान जिसने बीमा करा रखा था पांच वर्ष पूर्व उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, गम्भीर चोट लगी हुई है, वो चल भी नहीं सकते। अभी तक उनको ये मुआवजा नहीं मिला, इसका क्लेम नहीं मिला है आप दिलवायें।

माननीय सभापति महोदय, राजफैड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की फसलें खरीद की जाती है। प्रायः यह देखा गया कि हर मौसम में हर वर्ष खरीद के समय आपका बारदाना खत्म हो जाता है और वह बारदाना खत्म होने के कारण से 15-20 दिन आपकी खरीद बन्द हो जाती है। आप पहले से ही यह टेन्डर करवा लें और ऐसी स्थिति न आये कि भविष्य में बीच में इसको बन्द करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा यह आग्रह है कि श्री अन्न अर्थात् बाजरे की खरीद अभी तक नहीं हुई। गत कांग्रेस सरकार ने भी इसको बार-बार उठाया लेकिन आपने भी नहीं

की। भाजपा सरकार के समय में भी यह नहीं हुई। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बार इसकी खरीद की जानी चाहिये। यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और इस बाजरे को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं के साथ राशन में आप इसको दे सकते हैं और मैं मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजस्थान में बहुत होता है और जो फसल आपके ज्यादा होगी तो उसका केन्द्र सरकार भी आपको खरीद का लक्ष्य भी ज्यादा देगी, तो इसका भी आपको प्रयास करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, कई बार यह बात आती है कि पच्चीस क्विंटल फसल खरीदी जाती है, इसमें भी हमें प्रयास करना चाहिये कि हम ज्यादा लक्ष्य लें और कम से कम चालीस क्विंटल एक काश्तकार से हम इसकी खरीद करें तो अच्छा होगा। सहकारी बैंक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे प्रदेश में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं सी.सी.बीज और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। भूमि विकास बैंकों की स्थिति बड़ी दयनीय है और 36 में से 27 बैंक तो बहुत जबरदस्त घाटे में हैं, इसको आप देखें, जो बकाया है उसकी अच्छी तरह वसूली करें। मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी जिस तरह का भी आप लोन देते हैं चाहे दीर्घकालीन और जो यह शॉट टर्म है इसका तो आप बीमा कर ही रहे हैं, जो दीर्घकालीन आप ऋण देते हो उसमें बीमा कम्पलसरी करें, ताकि जब बीमा अगर कम्पलसरी कर देंगे तो वह किसान के परिवार को भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और सरकार का भी पैसा नहीं डूबैगा, तो इसका आप ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी को मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी एम.डीज आप लगात हैं बहुत सोच-समझ करके लगायें उनको ज्यादा लम्बे समय तक एक पद पर न रहने दें, बार-बार उनको चैंज करें और प्रयास हो तो उस जिले का एम.डी. आप न लगायें, समय पर इसकी ऑडिट करें और इसके कुछ कोर्सेज भी करायें आप। एम.बी.ए. के जिस तरह के कोर्सेज होते हैं, ताकि वो उसमें एक्सपर्ट हों और वो अच्छा काम करें। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपका जो विभाग है एपेक्स बैंक, आपकी कई देनदारियां हैं अभी। आप केन्द्र सरकार से पैसा मांग रहे हो, राज्य सरकार से पैसा मांग रहे हो और वो आपको दे नहीं रहे हैं और यह संख्या करोड़ों में होती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो ऋण माफी की योजना लागू की थी उसमें ही देखा जाए तो करीब नौ सौ करोड़ से ज्यादा का पैसा आपको लेना है तो जब आपके पास इतना पैसा जब आयेगा नहीं तो किस तरह से आपके बैंक लाभ में रहेंगे?

माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों की कितनी हिस्सेदारी आपके पास में है और यह पूरी हिस्सेदारी आठ परसेंट आप लेते हो, ज्यों ही वह बैंक का आपको ऋण देता है, आठ परसेंट काट लेते हो फिर अगर उसको और बढ़ा कर देगा तो फिर आप आठ परसेंट काट लोगे। यह आपके सी.सी.बीज में जमा है। यह वहां नहीं रहनी चाहिये। यह आप समितियों को दो ताकि समितियां लाभ में आये। तो इसको आप पूरा दिखवायें कि कितना पैसा है और वह किसानों को किस तरीके से काम आ रहा है अगर

उसके ऊपर ब्याज भी मिल रहा है तो वह तो बैंकों को मिल रहा है इससे लोगों को क्या फायदा है जो हमारे किसान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी, मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि, 'ज्यादा ख्वाहिशें मत रखिये जिन्दगी से, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिये।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिये भी तीन-चार मांग मंत्री जी से करना चाहूंगा। एक तो नागौर जिला रसद अधिकारी का पद रिक्त है इसको आप जल्दी ही भरें। जिले में जिन राशन की दुकानों पर राशन डीलर नहीं हैं उन्हें आप शीघ्र भरें और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में बी.पी.एल. परिवार जो शादी के बाद में माता-पिता से अलग रहने लग गए उनका भी आप नाम इस लिस्ट में जुड़वायें ताकि वो भी इस योजना से जुड़ सकें।

माननीय मंत्री जी, जिला कलेक्टर, नागौर के निर्देशानुसार डेगाना विधान सभा क्षेत्र में मांझी ग्राम में राशन डीलर के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई, 2020 में 76/2020 और उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफ.आर. लगा दी गई है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाता हूं कि इसको वापस दिखवायें, अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच इसकी हो। मेरा एक और कहना है मंत्री जी से कि इसी माह नागौर में जिला रसद अधिकारी द्वारा पोषाहार हेतु गेहूं के परिवहन हेतु अभी टेन्डर हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं आप इसको दिखवायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 और 55 पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, कुछ ही समय पहले काफी वाद-विवाद शुरू कर दिया। आपको मालूम है मैं कभी भी, मेरी 44 साल की राजनीति हो गई, कभी विवादित शब्द नहीं बोलता हूं और सब जानते हैं, जोगाराम जी भी हमारे साथ रहे हैं, जूनियर हैं पर ऐसी कोई बात नहीं होती कभी कि मैं कभी किसी के लिए, मैं जी कह कर बोलने वाला आदमी हूं लेकिन वो वाद-विवाद शुरू कर दिया।

Kas/rtm/25.07.2024/15.10/2k

बात कुछ नहीं थी, मैंने तो यह कहा कि आप मुख्य मंत्री बनना चाहते थे और बनाया नहीं मंत्री भी। यह तो मजाक की बात है, डेली कहते हैं जिनको मंत्री नहीं बनाते हैं, लेकिन इन बातों पर कभी भी हमने गंभीरता महसूस नहीं की। यह सदन बड़ा पवित्र है, भाईचारे की भावना से यह चला है, इसमें गर्मी करना मानवता के अधिकार में नहीं आता है।

श्री सभापतिः आपके स्थान पर खड़े होओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सीधा खड़ा हूं। गर्मी हो जाये तो फिर क्या फायदा बोलने का। ...(व्यवधान)... एक ही चल रहा है, माइक मैं कौन होता हूं चलाने वाला, माइक तो

ऊपर से ही चलता है। यह समय पहले था कि माइक चालू ही रहता था, आप लोगों ने और जोशी जी ने माइक एक पर आधारित कर दिया, बटन दबेगा तो चलेगा, नहीं तो बैठे-बैठे आप बात करते रहो। ...(व्यवधान)... इनका चल गया क्या? इनका कहां चल गया, इनका तो बंद और हो गया, इनका तो चला ही नहीं।

ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है,

ना हारूंगा हौसला जिंदगीभर, यह वादा किसी से नहीं, खुद से मैंने किया है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सभापति महोदय, पहले जो इन्होंने बोला है, उस बात का स्पष्टीकरण दें कि इन्होंने क्या बोला था, फिर यह सदन में बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोल तो दिया, और क्या बोलूं? ...(व्यवधान)... +++ के प्रति बड़ी पवित्र भावना है, कहां अंधेरे में हो? जो +++ जेल में पड़े हैं, उनके लिये दुर्भावना है। ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश।)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो इनको बाधित क्यों किया जा रहा है, आप बोलने दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप पहले बैठो तो सही, फिर सुनोगे कैसे?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप यह भी समझाइए कि किसी भी माननीय सदस्य को बोलना है तो वह अपने आसन पर जाकर बात करें। अपनी सीट पर गये बिना, जहां मर्जी आये वहां से खड़े होकर बोल रहे हो। आपने आज्ञा दी है, बोलने दें उन्हें, आप बाधित क्यों कर रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

गिरते हैं दरिया हजारों समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं मिलता।

...(व्यवधान)... आप दरिया हो, नदियों में मत मिलो, आप दरिया ही रहो। हालात को तो शांति मिल ही गई होगी? मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे पर कोई नाराज नहीं हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सहकार पर अपनी बात रखिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ठीक है। कृपलानी जी ने कह दिया, बहुत अच्छा लगा। सहकारिता विभाग की स्थापना ..

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, हमने जो बात रखी कि हमें इनके श्रीमुख से सुनना है कि जो कल इन्होंने शब्द बोले हैं, उसके बारे में यह क्या मानते हैं? यह उन्हीं पर अटल हैं और ये यही मानते हैं कि सनातन धर्म, +++ यह अपने श्रीमुख से स्पष्ट करें, तब बोलने देंगे, नहीं तो आप देख लेना आपकी विधान सभा से लेकर आपके घर तक पूरे देश भर का +++ समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। मैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं और आपका सम्मान करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चैलेंज कर रहे हो क्या? चैलेंज कर रहे हो क्या?

महन्त बालकनाथ (तिजारा): आप स्पष्टीकरण दें कि आप क्या मानते हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सदन में चैलेंज कर रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाएं आप। यह आसन की जिम्मेदारी है, आप हाउस को ऑर्डर में लाएं। वह कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, यह अधिकार है क्या इनको?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सदन चला रहे हो या लोगों को बदनाम कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अध्यक्ष महोदय असंसदीय शब्दों को विलोपित कर के गये हैं।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): सभापति महोदय, कल के विषय पर श्रवण जी क्या कहना चाहते हैं, एक बार इनका वक्तव्य ले लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः जो असंसदीय बात कही है, उसको विलोपित किया जा चुका है! अतः आप अपनी अपनी जगह पर विराजिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): कल जो आपने कहा, उस पर आप आज क्या वक्तव्य देना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धमकी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): खड़े हो जाओ सब। जो +++ के साथ हैं, वह खड़े हो जायेंगे। जो +++ के साथ हैं, वह खड़े हो जायेंगे, खड़े हो जाओ। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)...

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): श्रीमान्, कल जो आपने कहा, कृपया पहले उस बारे में बता दीजिए, उसको स्पष्ट कर दीजिए, आपने किसके लिये बोला था और क्यों बोला था? आपने संपूर्ण देश के अध्यात्म +++ पर यह आरोप लगा दिया ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): व्यवस्था को नहीं मानते, अध्यक्ष को नहीं मानते। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि हम किसी +++ समाज का अपमान नहीं करें। उनके बारे में हमारी भावना पवित्र रहें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। आप भी विराजिए, दोनों विराजिए। प्लीज विराजिए, आप भी विराजिए। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं चलेगी, यह मेरा आप सभी से कहना है। आप बोलिए। ...(व्यवधान)... अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। विराजिए, विराजिए प्लीज। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था दे कर गये हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी मैं सहकारिता पर बोल रहा हूं, इसके बारे में अपन

बाद में बात करेंगे, एक बार बैठें। ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं है। दादागीरी करोगे क्या, दादागीरी करोगे क्या, दादागीरी नहीं चलेगी। मैं हारना पसंद करता हूं, दादागीरी पसंद नहीं करता हूं। यह क्या तरीका है, बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपकी भावना आ गई है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा दायित्व है, मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। ...(व्यवधान)... मेरा अधिकार आप छीन नहीं सकते। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप सभी की भावना आ गई है और माननीय आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब कृपया सभी सदन को शांतिपूर्वक चलने दें। विराजिए, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसन जो आदेश देगा, वह मानेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिए। ...(व्यवधान)...बैठिए आप, बैठिए आप, आप भी विराजिए। यह कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े मत होइए। विराजिए आप, विराजिए आप। प्लीज आप विराजिए माननीय सदस्य। आसन ने व्यवस्था दे दी है और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आसन की व्यवस्था होगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी कोई शिकायत है तो मेरे से बैठकर बात करना, पर आप जो सदन में मुझे चैलेंज कर रहे हो ना कि जीने नहीं दूंगा, मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूं। जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका है क्या?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप सहकारिता पर बोलिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह लोग बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापतिः आप और अनर्गल बातें मत कीजिए, आप सिर्फ सहकारिता पर बात कीजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए, उनका अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह क्या तरीका है?

श्री सभापतिः आप अपनी बात कहिए। बोलिए आप, उनका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस को आर्डर में लीजिए।

श्री सभापतिः सब ऑर्डर में है, उनका अंकित नहीं हो रहा, आप बोलिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 और 55 पर मैं बोलना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ...(व्यवधान)... यह आसन की व्यवस्था थी। मेरा आपसे निवेदन है आप अपने स्थान पर विराजमान हों और सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलने दें, परम्पराओं से चलने दें। ...(व्यवधान)... यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी देकर गये हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सहकारिता विभाग का नारा है एक सबके लिये, सब एक के

लिये। सहकारिता की स्थापना 1957 में हुई थी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिए, मैं बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... अभी बात कर रहे हैं, आप विराजिए! आप अपने स्थान पर विराजिए, मैं बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, मान रहा हूं ना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए, अगर किसी को ठेस पहुंची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए और वैसे आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): व्यवस्था दे दी ना। ...(व्यवधान)...

msk/rtm/25.07.2024/1520/2l

महोदय, वास्तविक स्थिति यह है कि आज सहकारिता विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश।)

श्री सभापति: इस सदन को हमें सबको मिलकर चलाना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लेकिन धरातल पर बात करें तो इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को न होकर समृद्ध व्यक्ति को मिल रहा है।...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, आज अपन बात करें तो सहकारिता में 41 हजार 556 सोसाइटियां संचालित हैं, सक्रिय 24 हजार 924 हैं, 14 हजार 90 निष्क्रिय हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश।)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आसन ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि पुन: ऐसी बात नहीं करेंगे और उनकी सारी बातें विलोपित हो चुकी हैं। अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करें, सब अपने स्थान पर शांति से बैठ जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): महोदय, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी गरीब, मजदूर, किसान के हक के लिए है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और ये सब आवश्यक चीजें जो गरीब को नहीं मिलती हैं, इस बात की मेरी लड़ाई है।

श्री सभापति: विराजिये। आप भी बैठिये। सभी अपने स्थान पर विराजें।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश।)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है। आप गुजरात ट्रेंड के ऊपर जाइये। गुजरात में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाइये...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिये, जब माननीय अध्यक्ष यहां से अपनी व्यवस्था देकर गये हैं, उसके बाद नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... गुजरात की जो सहकारिता है, उसके ट्रेंड पर

हमें राजस्थान को चलाना चाहिए। राजस्थान में सहकारिता निष्क्रिय होती जा रही है।

श्री सभापतिः सभी माननीय सदस्य, सुन लें। आप भी अपने स्थान पर विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे निकटवर्ती प्रदेश गुजरात में सहकारिता के द्वारा फैक्ट्रियां चलायी जा रही हैं, बड़े-बड़े उपक्रम चलाये जा रहे हैं। हजारों-लाखों आदमी गुजरात में काम करते हैं। ...(व्यवधान)...

आप मत पूछो, यह आसन पूछता है। यह आसन बोलता है। मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आसन बोलता है, वह मैं मानता हूं। आप मेरे से मत पूछो। आसन पूछेगा। आसन ही सर्वमान्य होता है। यहां जो कार्यवाही करते हैं, वह हम मानते हैं।

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.22 बजे 15.37 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mdp/rtm/25.07.2024/15:30/2m

(समयः 15.37 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री संदीप शर्मा, सभापति पदासीन)

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार। कुमारी रीटा चौधरी। कहां पर हैं वह?

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सर, आ रहे हैं।

श्री सभापतिः ऐसे इंतजार थोड़े ही होगा। श्री प्रताप भील गमेती।

आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.38 बजे 16.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Ans/rtm 16.00 2p 25.07.2024

(समयः 16.08 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कागज कहां गए?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह बीजेपी वाले तो नहीं ले गए, आपके कागज निकालकर?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई बात नहीं ले जाए तो, यह अपने ही आदमी है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कुछ तो बोलो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 व 55 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जैसा नाम, वैसा काम होना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ना-ना, ऐसा नहीं करेंगे। बाबूसिंह जी आप मुझे बुलाना चाहते हो, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: प्रारम्भ करे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

नजर को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं,
नजर को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने आज सहकारिता पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सहकारिता, 'सबके साथ हम-सब हमारे साथ' का एक नारा है। सब हमारे लिए। सहकारिता की 1957 में स्थापना हुई। उसके बाद विभिन्न भागों में इसको राजफैड़, तिलमसंघ में, हज़ारों भागों में इसको बांटा गया।

VPS-RTM-25.07.2024-16.10-2q

राजस्थान में 24 हजार से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। वैसे ये कुल तो 41-42 हजार हैं जिसमें से 24 हजार तो काम कर रही हैं और 14 हजार सिक यूनिट हो रही हैं तो इसका कारण यह रहा कि इसका नियंत्रण और इसका कोई रखवाला नहीं रहा। जो भी इसका मंत्री बना, अपने पांच आदमी बैंक में लगा दिये, पांच आदमी सहकारिता में लगा दिये और दस आदमी लगाकर छुट्टी कर दी। ...(व्यवधान)... डेयरी में ही नहीं, बैंकों में लगा दिये। बैंकों में लगा दिये, डेयरी में लगा दिये, यह तो खुला राज था और कोई उसकी सम्भाल करने वाला नहीं था। आप जानते हो कि जिस घर का, जिस देश का, जिस प्रदेश का, जिस समाज का, जिस विभाग का कोई मालिक नहीं होता है, वह डिपार्टमेंट कभी पनप नहीं सकता है। आपने यह देखा होगा कि पंचायती राज और सहकारिता को तो एक नजराना बनाकर ही छोड़ दिया। जैसे कोई राजा-महाराजाओं के टाइम में कोई राजा नाराज हो जाता था तो उसके लिए सोचते थे कि यह क्या बात हुई, ये कैसे नाराज हो गये? तो उसको नजराना दे देते थे। वह नजराना क्या था? पचास गांव, बीस गांव, दस गांव उसको दे देते थे। इसी तरह से हालात यह हो गये कि कोई भी छोटा नेता नाराज हो जाता है तो बड़े नेता उसको नजराना देता है कि पंचायतों को खा लो, नगरपालिकाओं को खा लो और सहकारिता को खा लो तो इस वजह से इस डिपार्टमेंट को पनपने ही नहीं दिया। पंचायतों की हालात आप सबको मालूम है। नगरपालिकाओं की हालात आप सबको मालूम है। सुबह हमारी माननीय सदस्या इन्द्राजी कह रही थीं कि नगरपालिकाओं में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है तो इसका कारण ही यह है कि उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्री निष्क्रिय हो जाते हैं और जनता फिर किसको कहे? मंत्री निष्क्रिय हो गये तो फिर जनता अपने आप रोती रहेगी और बड़े नेता अपने आप सक्रिय हो जाते हैं

कि मेरा तो काम चल रहा है और नीचे वाले उसके लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि सहकारिता के अन्दर बहुत सारी योजनाएं लागू की गईं। तिलम संघ की तो हालत यह हो गयी कि बंद ही हो गया झुन्झुनूं जिले का तो। पांच जिले ऐसे हैं जिनमें तिलम संघ को बंद ही कर दिया है और सहकारिता की फैक्ट्रियां चलाई गईं, कपड़े की जो मिल्स थीं, गंगापुर सिटी, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ ये सब भी बंद हो गईं। कर्मचारियों की छुट्टी कर दी और कुछ का मर्जर कर दिया तो जो हालत राजस्थान में सहकारिता के साथ हुई, यह बहुत ही दयनीय और शोचनीय विषय है। आप यह देखिये कि जिस डिपार्टमेंट में कोई मालिक नहीं हो, एक अधिकारी लगा दिया रजिस्ट्रार और उसके नीचे बगैर कोई आई.ए.एस., आर.ए.एस. दूसरा कोई अधिकारी भी नहीं लगाया। केवल एक रजिस्ट्रार लगा दिया और वह इसका नियंत्रण नहीं कर पा रहा है।

आप यह देखिये कि हमारे निकटतम प्रदेश गुजरात में जो सहकारिता चल रही है, उसके कमाल है। वह इतनी बड़ी इसको इंडस्ट्री बनाकर काम में ले रहे हैं कि गुजरात में दुग्ध की इतनी इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं और आज गुजरात की सहकारिता इतनी सक्रिय हो गयी, डवलप हो गई कि वहां पर हजारों-लाखों आदमी काम कर रहे हैं पर हमारे प्रदेश में मालूम ही नहीं चलता कि सहकारिता डिपार्टमेंट चल रहा है क्या? पांच लाख रुपये बांटे, सब लोग राज का वेट करते रहते हैं कि राज आयेगा तो ब्याज माफ कर देंगे, रुपये माफ कर देंगे। यह इतना बड़ा पैरासिटिक बना दिया, कोई स्कीम नहीं दी, किसान को स्कीम देनी चाहिए थी जिससे वह किसान उससे हजारों, लाखों रुपये कमाता और वह समृद्ध बनता। आप एक बात सोचिये कि चार हजार रुपये में अगर कोई व्यक्ति अपना काम चला लेगा, बीज ले आयेगा, यह तो बहुत अच्छी बात है पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको न कोई बीज का मतलब है, वे सोसाइटी के सदस्य बन गये, पचास हजार रुपये ले लिये और जब राज आयेगा तो आने वाले बी.जे.पी. वाले आएंगे तो बी.जे.पी. वाले माफ कर देंगे और कांग्रेस वाले आएंगे तो वे माफ कर देंगे। आप माफ मत करो, स्कीम दो। आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। अगर कोई आदमी पैरासिटिक बनाता है, वह चाहे काई पार्टी हो, चाहे देश प्रदेश का कोई व्यक्ति हो, वह उसको अपनी आदतों से लाचार करता है तो मेरा सोच यह है कि आप सोसाइटी के माध्यम से बड़े से बड़ा काम करो जिसमें हजारों आदमी काम करेंगे। आप तो बनिये हो। बनिया तो बहुत सयानी चीज होती है, बनिया को मंत्री बनाया है तो अबकी बार भाग्य सुधरेगा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब बनिया को क्यों बीच में लाते हो? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): +++ तो सर्वमान्य है, +++ की बात मत करो। अब +++ की बात मत करो, अब तो बनियों की बात करो। ...(व्यवधान)...

माननीय गहलोतजी, एक बार क्या हुआ कि हमारे एक +++ को पुलिस ने पीट दिया था, हम उस विधान सभा में थे। उस विधान सभा में थे तो क्या हुआ कि जब जैनी खड़े होने

लगे तो वे सारे के सारे एक साथ खड़े हो गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को मर्यादाओं में कहें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने कहा कि कोई धारीवाल था, कोई दूसरा था, सब जैनी ही है क्या? तो हमने यह सोचा कि भाई, जाति के ऊपर लोग टूट कर पड़ते हैं लेकिन अशोकजी, आप तो हमारे यहां पर दो-तीन ही होंगे। यह जो बात करते हैं बनियों की तो हम बनियों को उस रूप में नहीं कहते, बनिया व्यापार की कुंजी होता है और वह कुंजी कब चलती है जब बनिया की तलपट मिलती है, रोकड़ पोते यह नाम और यह रोकड़ पोते जमा तो हमारे सहकारिता में नाम ही नाम लिखा है, रोकड़ पाते जमा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जमा जब नहीं हुआ तो नाम लिखते-लिखते तो वह कागज खाली हो जायेगा तो मेरा कहने का आशय यह है कि आप सहकारिता को संबल दीजिए, मजबूत बनाइये और रोकड़ पोते जमा भी करवाइये। चूंकि, हमारी सोसाइटीज का कोई चुनाव नहीं होता है, कोई हिम्मत ही नहीं करती है सरकार की चुनाव करवाने की, कृषि उपज मंडी के भी चुनाव नहीं होते हैं। कृषि उपज मंडी का हो या चाहे सहकारिता को, वहां पर अध्यक्ष बनेगा, सैक्रेटरी बनेगा, नीचे से ऊपर तक तारतम्य सही होगा तो मैं यह समझता हूं कि सोसाइटी अपने आप मजबूत हो जायेगी।

दुनियाभर के यह बैंक खोल रखे हैं सहकारिता के, बैंकों से लोगों ने लोन ले लिया और जमा नहीं करवाया तो बैंक फेल हो गये। ट्रैक्टरों का लोन ले लिया, अभी थोड़े दिनों पहले यह कहा कि सहकारिता विभाग देगी ट्रैक्टर वालों को कृषि यंत्र, हल देगी, रोटावेटर देगी, ट्रॉली देगी तो कुछ नहीं किया। केवल उसमें बीस हजार रुपये ही देते हैं तो वह तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। जहां पर किसान का मतलब आता है वहां पर तो ऊँट के मुंह में जीरा और जहां पर फैक्ट्री वालों का मतलब आता है तो उनको करोड़ों रुपये सिक यूनिट के नाम से माफ कर देते हैं। देखिये, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, उसकी हालत क्या है? किसान का बेटा जो अन्न पैदा करता है गर्मी में उसको पचास डिग्री तापमान में जाना पड़ता है और जीरो टेम्परेचर में उसको सींचता है और उसके बाद में भी उसका बेटा अगर रोटी मांगता है तो वह दे नहीं पाता है। बनिया उसका अनाज ले जाता है और गरीब का बेटा जब अपनी मां से रोटी मांगता है कि मां मुझे रोटी दे तो मां उसको थप्पड़ मार कर सुला देती है। बेटा बोलता है कि मां, मुझे क्यों पीटा? मां दिल की आवाज में यह बोलती है कि बेटा, मुझे बड़ा दर्द है, मुझे यह बड़ा खेद है कि मेरे बेटों को रोटी की जगह मुझे थप्पड़ मारना पडा क्योंकि पीपे में आटा नहीं था। देखिये, इस देश की विडंबना, गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है, उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है और बड़े नेताओं और अफसरों के कुत्ते तक बिस्कुट खाते हैं इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता पर यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश की विडंबना ऐसी है कि जब नेता चुनते हैं तब यह नहीं देखते कि आदमी की हैसियत क्या है? आदमी का दायित्व क्या बनता है? आदमी की नीयत क्या है? यह उस पार्टी का है, यह

उस पार्टी का यह, यह अच्छा पैसा खर्च करता है तो मैं लोगों को यह कहता भी हूं कि आप यह मत देखो। गरीब के प्रति जो आस्था रखेगा, गरीब के प्रति जो भावना रखेगा वह हमारा समाज का सबसे बड़ा नेता होगा। यह भावना जब आ जायेगी तो देश का विकास हो जायेगा।

जो नेता यह सोचने लग जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं तो वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह कभी भी नेता नहीं बन सकता।

निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर सम्भलते रहे।

हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में फिर भी जलते रहे।

मेरा यही आशय है माननीय सभापति महोदय, मैं दिल से बात करता हूं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में आने के बाद जनता के साथ अगर धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है और जनता को केवल असत्य झांसे देता है और गुमराह करता है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। जब हमने दुनिया में आकर यह काम करने का सोच लिया तो उसके बाद धोखा किस बात का? आज मुझे यह खुशी है कि जब शादी में जाते हैं तो बनड़ा अच्छा होता है तो सारा गांव खुश होता है तो हमारे आज माननीय खाद्य मंत्रीजी, एकदम सजधज कर आये हैं, बनड़े आज के ये ही हैं। कभी ये साफा नहीं बांधते हैं, आज कौनसी क्रीम लगाकर आये हैं मालूम नहीं, क्रीम भी अच्छी लगा रखी है और कपड़े भी नये पहन रखे हैं और साफा बांधकर आये हैं। ...(व्यवधान)... स्प्रे की सुगंध हमारे पास में आ नहीं रही है, स्प्रे की सुगंध तो आपके पास ही आती है। स्प्रे की सुगंध आपके पास आती है, हमारे पास नहीं आयी है, क्या करे? ...(व्यवधान)...

परिंदों को मंजिल मिलेगी, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं।

लोग खामोश रहते हैं अकसर, जमाने में उसकी हुनर बोलती है।

यही तो हम कहते हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आज कोई कवि सम्मेलन है क्या?

SSY/RTM/25.07.2024/16:20/3a

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया सर?

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): कवि सम्मेलन है।

श्री सभापति: कवि सम्मेलन में भाग लेना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कवि सम्मेलन नहीं है। आप लोगों के दिल की भावनाओं को जगाने का सम्मेलन है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, श्रवण जी एक मिनट। श्रवण जी, एक मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं जगा रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): श्रवण जी, एक मिनट। सभापति महोदय,

फैशन हो गया है, वक्ताओं का कविता सुनाने का। इसलिए उस पर मैंने चार लाइनें अभी-अभी लिखी हैं,

बात हदों से पार हो गयी, कविता खुद बेजार हो गयी, परेशान हो गयी,

असली कवि गुमनाम हो गये, नकली की भरमार हो गई।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब श्रवण जी, आपका हो जाये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप देखिये, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): यह दुनिया तेरी उड़ान देखना चाहती है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं।

श्री थावर चन्द (धरियावद): मेहनत से होते हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं। आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र हम जानते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कह दो आंधियों को कि अपनी औकात में रहें।

श्री सभापति: आप सहकारिता पर वापस आ जाओ। शेरो-शायरी रहने दो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौंसले भी बुलंद हों तो एक अख़बार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति जी, एक बात मैं भी कहूंगा, शायरी आती नहीं है, शायरी करने लगे, शायरी चारा समझकर सब गधे चरने लगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाह रहा था कि सहकारिता एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है।

श्री सभापति: सहकारिता पर आ जाइये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिसमें हमारे सहकारिता मंत्री जी, मैं यह कहूंगा कि किसान को, मेरा मकसद यह करना नहीं है कि मैं कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ हूं। मेरा आशय एक है कि गरीब, बेसहारा जो वास्तव में जरूरतमंद है, उसको बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा मुहैया कराने से हमारे राजस्थान की सोच अपने आप बदल जायेगी।

ना संघर्ष, ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में,

बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में।

हमारा आशय यह है, हमारे दिल में आग है। हमारे दिल में भावना है कि गरीब व्यक्ति एक-एक पैसे के लिए तरस रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पैसे के पीछे ईडी घूम रही है। यह क्यो? गरीब का बेटा है उसको भी कुछ दीजिये ना। देश में समानता लानी पड़ेगी और गरीब लोगों के प्रति आपको उदारता पैदा करनी पड़ेगी।

मैं सोसायटी के बारे में कहना चाहता हूं कि इसको नजारा मत बनाइये। इसको एक

डिपार्टमेंट की तरह संबल दीजिये। अभी 5 मिनट बाकी हैं। गुजरात की तर्ज पर आप काम करिये। राजस्थान को बताइये कि सोसायटियां क्या होती हैं।

सहकारिता की 1957 में स्थापना हुई थी। उसके बाद 57 वर्ष के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 77 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि आप इस पर ध्यान देंगे।

अब आना चाह रहा हूं मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पर। खाद्य एवं नागरिक मंत्री जी की बात करना चाहता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह गुजरात मॉडल आजादी के टाइम से है। यह मोदी के टाइम से नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं मोदी जी की नहीं, गुजरात मॉडल की बात कर रहा था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। आगे और बात करो ना। सदन का जो सदस्य नहीं होता उसके बारे में बात करना व्यर्थ होता है। सुन रहे हैं क्या वह? इनको भी समझाओ, इनको भी समझाओ।

राजस्थान में 28 हजार डीलर हैं। माननीय मंत्री जी, 28 हजार, और आपकी सरकार ने, हमारी सरकार की बात भी कर रहा हूं, इन्होंने जो खाली सीट पड़ी थी वह क्यों नहीं भरी? नहीं भरने का कारण मुझे मालूम नहीं है। खाली सीटों पर एक-एक आदमी, 2-2 आदमी कर रहे हैं। कौनसे? एक साइड का डीलर उसी पर काम कर रहा है। 34 करोड़ रुपया आप घर-घर राशन बांटने पर खर्च कर रहे हो। यह व्यर्थ खर्च कर रहे हो। जो विकलांग हैं, असहाय हैं, उन लोगों को देना तो आपका दायित्व बनता है। लेकिन जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, उनके लिए 34 करोड़ रुपया नाजायज खर्च कर रहे हो।

आप देखिये, आपकी पॉश मशीनें थी। पुरानी मशीनें भी आपने 90 हजार की, नई मशीन मार्केट में 30 हजार की आती है। आप दे रहे हो 10-10 हजार, वह डीलर्स बोल नहीं सकते। आप देखिये, उनको जो बोनस दे रहे हैं, डीलर को जो कमीशन दे रहे हैं, वह जीरो है। महंगाई बढ़ गयी। उनके भी बच्चे हैं। वह भी अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो आप उनका बोनस बढ़ाइये। एक आप छीजत 2 परसेंट भी नहीं देते हो। जब माल उठकर 4 जगह से जायेगा, पड़ेगा, गिरेगा फिर बांटेंगे तो आप 6 परसेंट छीजत दीजिये। छीजत नहीं देंगे तो मर जायेंगे।

आप देखिये, सबसे बड़ी बात कि पॉश मशीन लगाई थी, उस मशीन का रुपया 90 हजार किया। एक बार तो हमारे खाद्य मंत्री था, उसने कहा गेहूँ पीसकर देंगे, आटा। मैंने कहा आटा क्यों देंगे? बोला, आपको क्या पीड़ा है? मैंने कहा, हो सकता है वह बाकली बनाकर खाये तो कहां से खायेगा? वह बाकली बनाकर खायेगा तो कहां से खायेगा? गेहूं होंगे तब तो बाकली भी बना लेगा और आटा बना लेगा। आप वह कच्चा आटा बनाकर दोगे तो क्या कच्चा आटा खायेगा? बोला, आपको पीड़ा है? मैंने कहा, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मैं कोई डीलर नहीं, मेरे कोई घर में डीलर नहीं। डीलर वह आदमी है जिसने वास्तव में सब कुछ किया।

श्री सभापतिः समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उसको कुछ नहीं मिला। एक हमारे डीलर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं कि उनकी भी जरूरत है। आप मेहरबानी करके एक काम कर दो, उनके पैसे बढ़ाने हैं ना, एक तो पैसे बढ़ाओ। एक यह जो पॉश मशीन है, इसको कम से कम आप उसके लिए हुए पैसे वापस दिलाओ।

एक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा एजेंटों के माध्यम से, यह सहकारिता को क्यों नहीं देते हो? क्रय-विक्रय को क्यों नहीं देते? आप जबरदस्ती प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हो। हमारे पास सोसायटी है। हमारे पास क्रय-विक्रय है तो वह अपने आप डालेंगे नीचे आकर के। वह पूरा सामान जायेगा। आप इसमें मेहरबानी करके, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, सर, एक मिनट, एक मिनट,

उजाले हमारी यादों के साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात होगी,
मुसाफिर तो तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं,
किसी ना किसी मोड़ पर मुलाकात तो जरूर होगी।

धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री प्रताप भील गमेती। श्री प्रताप भील (अनुपस्थित) श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सहकारिता की बात करता हूं तो हमारे राज्य में त्रि स्तरीय सहकारी ढांचा कार्यरत है। लेकिन समय के साथ कदम ताल नहीं करने के फलस्वरूप गतिमान सहकार की धार कमजोर होती जा रही है। सरकार की तरफ से सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाये जाने अपेक्षित हैं। इसके अंतर्गत सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाये इसके अभिन्न अंग हैं साख संरचना, दूसरा दीर्घकालीन साख व्यवस्था, समर्थन मूल्य पर खरीद, उपभोक्ता व्यवसायी, निर्वाचन, सहकारी भर्ती बोर्ड और जांच, इसके तहत जिस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में अल्पकालीन व दीर्घकालीन साख सुविधा के लिए त्रि स्तरीय ढांचा विद्यमान है, उसमें अल्पकालीन सुविधा के उपलब्ध करने के लिए राज्य स्तर पर, शीर्ष सहकारी बैंक जिला स्तर पर, 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 8 हजार सहकारी समितियां काम कर रही हैं।

राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना है। नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाने पर पुरानी समिति के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नवीन समिति में साख सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। साख सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने के मुख्य कारण पर्याप्त फंड्स की अनुपलब्धता बतायी जाती है। अतः राज्य सरकार के स्तर से फंड्स उपलब्धता के लिए कारगर उपाय किये जाने अपेक्षित हैं।

नवीन समिति के गठन किये जाने से पूर्व समिति की वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गठन किये जाने के लिए उचित व सार्थक होगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में पूर्व में कार्यरत समितियां भी अपना अस्तित्व खो देंगी। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली वर्ष 2014-15 से लागू की गई थी। जिसके फलस्वरूप सहकारी बैकों की कार्य प्रणाली भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष आई।

Spp/Rtm/25.07.2024/16:30/3b

वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे बदलाव के दृष्टिगत नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा जाना अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये आवश्यक हो गया है। अतः सरकार का ध्यान इस ओर अपेक्षित है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में स्वीकृत स्टाफ स्ट्रैंथ के विरुद्ध आधे से भी कम स्टाफ कार्यरत हैं, जिसके फलस्वरूप बैंक में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी स्थायी व्यवस्थापक नहीं होने के कारण कृषकों को सहकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों का जिला स्तरीय कैडर गठित करने की घोषणा पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा की गई थी, जिस पर गत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से के.सी.सी. योजनान्तर्गत पूर्व सरकार ने लगभग 22 हजार करोड़ रुपये लगभग 30.00 लाख कृषकों के मध्य वितरित किया जा रहा है। जिसमें अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये तक निर्धारित है। इस सीमा को बढ़ाया जाकर हमारी सरकार द्वारा डेढ़ लाख से 3.00 लाख रुपये किया जाना अपेक्षित है।

सहकारिता के माध्यम से सामाजिक कल्याण हेतु दो बीमा योजनाएं- यथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना व राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। हमारी गत सरकार के कार्यकाल में राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत बीमित राशि 50 हजार से बढ़ाकर क्रमशः 3 लाख और 5 लाख, 6 लाख व 10 लाख रूपये तक की गई। 6.00 लाख का बीमा मात्र 54 रूपये व 10 लाख का बीमा मात्र 187.50 रुपये प्रीमियम दर से करवाया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में संचालित बीमा योजना की मोड में छेड़छाड़ करते हुए ब्रोकर नियुक्त किया गया। ब्रोकर के माध्यम से कम्पनियों के प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए। ब्रोकर की नियुक्ति व क्रियान्वयन प्रक्रिया में छेड़छाड़ सन्देहास्पद प्रतीत होने पर उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ व आमेर के तत्कालीन विधायक, श्री सतीश पूनियां द्वारा 20 प्रतिशत तक कमीशन लिए जाने की बात उठाये जाने पर सरकार ने ब्रोकर नियुक्ति आदेश रद्द किए। वर्ष 2019-20 में कृषक सदस्यों का बीमा नहीं हो पाया एवं इस अवधि में हजारों कृषकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा राशि से वंचित होना पडा।

माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में निर्धारित प्रीमियम दर 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा करवाया गया था। लेकिन कालान्तर में बीमा कम्पनी के साथ मिलीभगत कर

प्रीमियम राशि को बढ़ाकर दुगुने से अधिक करवाया गया। अतः राज्य सरकार प्रीमियम दर दुगने से भी अधिक का भुगतान कर बीमा कराने की जांच करवाकर मिलीभगती को उजागर करने के लिए कारगर कदम उठावें व दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

दीर्घकालीन साख व्यवस्था-दीर्घकालीन साख व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व जिला स्तर पर 36 जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए कृषकों की भूमि की नीलामी पर रोक लगाई गई है। जबकि गत सरकार के कार्यकाल में किसानों की भूमि नीलाम की गई है। नीलामी पर रोक लगाना सरकार का सराहनीय कदम है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2014 से दीर्घकालीन ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया है, जोकि इस वर्ष कृषकों के हित में बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है जोकि सरकार की किसान हितैषी चिंतन को दर्शाता है, लेकिन भूमि विकास बैंकों की वर्ष 2014 के पूर्व के ऋणों की अवधिपार वसूली नहीं होने के कारण तथा नाबार्ड का पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण भूमि विकास बैंक वित्तीय कुचक्र में फंस गई है और आज 600 करोड़ का असंतुलन हो गया है। इसी वजह से भूमि विकास बैंक आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 127 व 128 द्वारा भूमि सुधार हेतु 100 करोड़ के ऋण दिए जाने, साथ ही दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की सफल क्रियान्विति हेतु बैंकों को सॉफ्ट लॉन एवं पुराने ऋणों की वसूली हेतु विशेष एकमुश्त समझौता योजना को लागू किया जाना कृषक हित में होगा, ताकि ये बैंकें वित्तीय कुचक्र से बाहर आकर कृषक कल्याणकारी योजनाओं को सफल बना सके।

अब मैं इसको कैसे मजबूत किया जाये, इसके बारे में कहना चाहूंगा। वर्तमान में बैंक में ए.टी.एम सुविधा तथा ए.टी.एम. कार्ड सुविधा सुचारू रूप से संचालित किया जाना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में चल रहे बैंकिंग सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया जाना आवश्यक है ताकि ग्राहको को त्वरित सुविधा का लाभ मिल सके। केन्द्रीय सहकारी बैंक में टेक्नोलॉजी यथा मोबाईल बैंकिंग, यू. पी.आई. आदि संचालित नही है जबकि उक्त बैंकों द्वारा सुविधाएं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० में संचालित है। अतः समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० में मर्ज कर समस्त टेक्नोलॉजी संबंधी सुविधाओं का दुरूपयोग नहीं किया जाये। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा केन्द्रीय सहकारी बैंको में भी लागू किया जावे ताकि बैंक के ग्राहक उक्त सुविधा से भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही बैंक में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जावे ताकि टैक्नोलॉजी का दुरूपयोग न किया जा सके। बैंक में खाता खोलते समय ही आधार कार्ड तथा पैन कार्ड का सत्यापन आधार के सर्वर तथा पैन कार्ड के सर्वर से किया जाना चाहिये ताकि आर.बी.आई. के KYC के नियमों की पालना खाता खोलते समय ही की जा सके। इससे हमारा सहकारी

बैंक मजबूत होगा और भूमि विकास बैंक को भी मजबूती प्रदान की जा सकेगी।

मांग संख्या 55 पर पूर्ववर्ती सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल बन्द कर रखा था, जिसके कारण गरीब लोगों के नाम नहीं जुड़े और प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर हजारों की संख्या में आवेदन पेंडिंग हैं। अतः पोर्टल को शीघ्र खोला जावे और पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर तीव्र गति से यह काम करवाया जाये। KYC हेतु नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण KYC करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया को आसान बनाया जावे। साथ ही गरीबों को दिये जाने वाला गेहूं अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का उपलब्ध कराया जावे। गोदामों में जो गेहूं पुराना हो गया है, स्टॉक नहीं होने के कारण बहुत सी बार यह गेहूं वितरण के लिये काम में लेते हैं, जो गलत है। राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर लाभ दिया जाये और उनका जो कमीशन है, कोरोना काल के समय का, वह तुरंत प्रभाव से उनको दिया जाये। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 55 और मांग संख्या 50 सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग 'एक सबके लिये और सब एक के लिये' मेरा आपके माध्यम से सदन को और मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग की रीढ़ की हड्डी ग्राम सेवा सहकारी समिति है। ग्राम सेवा सहकारी समिति हमारे ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी इकाई है और उसका चुनाव आम किसानों के द्वारा किया जाता है। उसमें एक अध्यक्ष होता है, 15 लोगों की वह कमेटी होती है, उसमें व्यवस्थापक भी होता है और सभी आम किसानों की सहमति से उसका संचालन होता है। आज उनकी हालत बहुत जर्जर है। सहकारी समितियों को अगर हम आत्मनिर्भर करेंगे तो राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर होगा। सहकारी समिति खाद्य का व्यापार कर सकती है, कपड़े का काम कर सकती है, साबुन व तेल सभी कामों को वह करने के लिये सरकार से अधिकृत है। पर पैसे के अभाव में और बजट के अभाव में आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का मैं अध्यक्ष भी रहा हूं 17 साल तक और मैं सोसाइटी का व्यवस्थापक भी रहा हूं। मुझे बहुत लम्बा अनुभव सहकारिता का है। मेरे समय में तो मेरी सोसायटी क्रेडिट कार्ड की सोसायटी थी और मिनी बैंक का काम भी करती थी। माननीय मंत्रीजी, ऐसा नहीं है कि जो आदमी काम करने वाला होता है तो अच्छा काम करता है और मेरे जब व्यवस्थापक ने गबन किया तो मैंने उसको जेल भेजा। ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता।

सहकारिता डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सहकारिता पर पूरी सरकार निर्भर रहती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि सहकारी डिपार्टमेंट को अगर हम बढ़ावा देंगे, सोसाइटीज को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी

सरकार ने 21 लाख किसानों को 15 हजार करोड़ रुपये के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ किये। उसके साथ-साथ कर्जे माफ करने के बाद हमारी सरकार ने आपके पूर्ववर्ती सरकार के 6 हजार करोड़ रुपये जो छोड़ गये थे, उसको भी हमने उसमें माफ किये।

MLS/RTM/25.07.2024/16:40/3c

इसके साथ ही, राष्ट्रीय बैंकों के कर्जों को भी हमारी सरकार माफ करना चाहती थी। किसानों का एक साथ सैटलमेंट हो, उसके लिए भी हमने भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे, पर वह हो नहीं पाया। भारत सरकार की मंशा नहीं थी। आपने उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किये, किसानों के कर्जे माफ नहीं किये। उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्जे तो माफ कर सकते हैं, पर आप किसानों के कर्जे माफ नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने 2006 में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने विदर्भ का दौरा किया था, उस वक्त 72 हजार करोड़ के कर्जे माफ किये थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सत्य वचन बोलने हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, सत्य ही बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिकता किसानों के साथ होनी चाहिये। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान हमें अन्न पैदा करके देता है। 90 परसेंट लोग किसानों के घर में पैदा हुए हैं। यह पीड़ा होनी चाहिये कि हम कैसे किसानों की आय दुगनी करें। आपकी सरकार ने नारा दिया था, ''किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे'', पर उसकी बजाय आप ऐसे तीन काले कानून ले आये, जो पास नहीं हो पाये। आपने एक एमएसपी का वादा किया था, आज वह भी लटका हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, किसानों की एमएसपी का कानून आना चाहिये। किसान को सरकार के द्वारा उचित मूल्य मिलना चाहिये।

गांवों में हम कैम्प लगाते हैं, खरीद केन्द्र लगते हैं, वे खरीद केन्द्र भी हम उचित समय पर नहीं लगा पाते। तहसील, ब्लॉक हैडक्वॉर्टर पर लगते हैं तो 2 महीने, 3 महीने बाद वे लगाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता, वे कभी कहते हैं कि हमारे पास बारदाना नहीं है तो उसके अभाव में हम खरीद नहीं कर पाते तो किसान उसमें सफर करते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा, उससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है। एमएसपी पर हम ज्यादा से ज्यादा खरीद कराएं और टाइम पर कराएं। टाइम पर कराने से निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि 29 जुलाई को जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो राजस्थान के किसानों के लिए अलग से कोई पैकेज होना चाहिये। वे एमएसपी पर भी बोलें और ऋण माफी पर भी बोलें। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार द्वारा 64 लाख विद्यार्थी और 46 लाख आंगनबाड़ी विद्यार्थियों के घर पर मिड डे मील के कॉम्बो पैक्स हमने उपलब्ध कराये थे, इस तरह की योजना भी हमें...

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): श्रवण जी तो मना कर रहे थे कि ऋण माफी नहीं होनी चाहिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): श्रवण जी कह रहे थे, यह उनका मत है। मेरा मत यह है कि किसानों के कर्जे माफ होने चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माफ कीजियेगा, कांग्रेस के दो साथियों के दो भिन्न-भिन्न और अन्तर्विरोधी मत हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अन्तर्विरोधी नहीं हैं, अपनी-अपनी राय है किसानों के हित में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सदन के पटल पर तो राय एक रखें। बाहर जो चाहें, करते रहें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): चलिये, मैं आपसे सहमत हो जाता हूं, पर एक बात बताएं आप, जब 10 लाख करोड़ रुपये... ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 10 लाख करोड़ रुपये हम उद्योगपतियों के और बड़े लोगों के माफ कर सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं कर सकते? हम किसानों के घरों में पैदा हुए हैं। आप उद्योगपतियों के भी माफ मत करें, किसानों के भी माफ मत करे, पर जब आप इतने बड़े लोगों के माफ कर रहे हैं जो देश में लाखों-करोड़ों के गबन-घोटाले कर रहे हैं, जो देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनके कर्जे माफ हो जाते हैं और किसानों के कर्जे माफ नहीं होते। यह मेरी एक पीड़ा है। किसानों के कर्जे माफ करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हमने जो किया, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में, कई जगह भ्रांति हो रही है, हमारे यहां सवाई माधोपुर में केन्द्रीय सहकारी बैंक है, उसमें तीन जिले आते हैं- करौली, गंगापुर और सवाई माधोपुर, तो आप जिला हैडक्वार्टर पर अलग-अलग केन्द्रीय सहकारी बैंक बनाएं। को-ऑपरेटिव बैंक जिला हैडक्वार्टर पर होगा तो उससे एक सुविधा हो रही है तीन-तीन जिलों के 1-1 बैंक बन रहे हैं। आप आरबीआई से परमिशन लेकर एक-एक जिले में एक-एक बैंक का निर्माण करें। जो किसानों की हिस्सा राशि हम जमा कराते हैं, पहले 1 हजार होती थी, फिर हमने 500 कर दी, फिर 300 रुपये कर दी। हिस्सा राशि किसान की कम से कम होनी चाहिये और जो ऋण हम जमा कराते हैं, तो कहीं तो आप 25 हजार रुपये दे रहे है, जैसे हमारे जिले में 10 हजार का है, पूरे प्रदेश में सबको बराबर होना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, अभी सभापति जी ने घण्टी बजा दी, पांच मिनट और दे दें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गहलोत साहब ने इसे को-ऑर्डिनेट करके एक प्रयास किया था कि राजस्थान में कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे। इसके साथ ही, कोविड जैसी महामारी में हमारी सरकार ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। इंदिरा गांधी रसोई के तहत 8 रुपये में

हमने फूड पैकेट उपलब्ध कराये, खाना उपलब्ध कराया। इसके साथ ही, कोविड 19 के प्रकोप से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जरूरतमन्दों को फूड पैकेट/ड्राय सामग्री उपलब्ध करायी थी। ड्राय सामग्री में पांच किलो आटा, आधा लीटर तेल, आधा किलो नमक, एक किलो दाल और एक किलो चावल उपलब्ध कराये थे।

41 लाख लोगों को ड्राय पैकेट उपलब्ध कराने का काम भामाशाह एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से हमने किया था। मैं भामाशाह और स्वयं सेवी संस्थाओं को भी इस सदन से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में उन्होंने देश और प्रदेश के लोगों की मदद की, वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही, 1.97 करोड़ रुपये भामाशाहों के द्वारा हमें मिले और 1.77 करोड़ पैकेट स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा बांटे गये। इसके साथ ही, जो चयनित लाभार्थी परिवार हैं, अप्रैल, जून 2020 में निःशुल्क गेहूं वितरण का जो सराहनीय कार्य सरकार ने किया, उसके लिए मैं हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

286.39 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय सरकार पर आया और लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं वितरित किया गया। कोविड के दौरान 3.39 लाख गरीब परिवारों को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में चयनित नहीं थे, फिर भी उन परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 10 किलो गेहूं प्रतिव्यक्ति एवं 2 किलो चना उपलब्ध कराया गया था। यह बहुत ही सराहनीय काम था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 34 लाख चयनित परिवारों को माह अप्रैल व मई 2020 से 34 हजार मीट्रिक टन गेहूं क्रय करके निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जो एक बहुत ही सराहनीय काम था।

गहलोत सरकार ने एनएफएसए, बीपीएल, अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को 2 रुपये किलो की जगह 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध कराने का कार्य सिंगल इंजन की सरकार ने किया। अब आपकी डबल इंजन का गाना गाने वाली सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं। यह भी मैं मंत्री जी से चाहता हूं। गहलोत सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की लोकप्रियता को देखते हुए उस घोषणा में आपने 450 रुपये की घोषणा की, जिसे आप आम लोगों को देना चाहते हैं या नहीं? इसके साथ ही, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहां ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो गाय-भैंस का ऋण देते हैं और उसमें एक जो बीज डालने की प्रक्रिया है, उस बीज को निश्चित तापमान पर रखना चाहिये, वरना वह खराब हो जाता है। उसी बीज को गाय-भैंसों में डाल दिया जाता है। उससे इन्फेक्शन हो जाता है और पशु बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोग तो इसे जानते नहीं हैं और आये दिन इस तरह की समस्या गांवों में आती रहती है। माननीय सहकारी मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में हम यह व्यवस्था कराएं। वह जो बीज गर्भाधान हो रहा है, उसे निश्चित तापमान पर रखा जाये और यदि वह खराब हो गया है तो उसे पशुओं को नहीं डाला जाये। उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं। पशु बीमार होकर मर जाते हैं तो किसानों को नुकसान होता है। आम आदमी उसका इंश्योरेंस भी गांवों में नहीं कराता है। यह एक बड़ी समस्या हमारे

सामने वहां आयी है।

mkd/rtm/25.07.2024/16:50/3d

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदता हैं, सहकारी समिति उपलब्ध नहीं कराती है। उस कट्टे के साथ वे कुछ और पैकेट उपलब्ध कराते हैं। एंजाइम वगैरह देते हैं, किसानों को जबरदस्ती खरीदना पड़ता है। वह उनके कोई काम नहीं आता है और उसका पैसा बेकार जाता है। अपनी ग्राम सहकारी समितियों में भी खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी समितियों को आप पहले से निर्देश दें, उनको एडवांस पैसा दें, ताकि वे डीएपी, यूरिया खाद पहले से खरीद कर रखे और किसानों को उपलब्ध करायें। प्राइवेट दुकानों पर किसानों के साथ भारी धोखाधड़ी होती है, नकली खाद बेच रहे हैं और उस खाद से किसान परेशान रहते हैं।

इसके साथ ही, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में दो मार्केटिंग सोसायटीज हैं, एक टोडाभीम में है और एक नादौती में है।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य। श्री देवेन्द्र जी जोशी। श्री देवेन्द्र जी जोशी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक में 40 लाख रुपये बकाया हैं। दूसरी मार्केटिंग सोसायटी पर 20 लाख रुपये किसानों के बकाया हैं। ऐसी स्थिति में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये दोनों का भुगतान कराया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अमृत लाल जी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 - सहकारिता विभाग पर चर्चा हो रही है। मांग संख्या 55 - खाद्य सुरक्षा पर भी। दोनों ही विभाग बहुत बड़े हैं। मान लो, एक बार रोड नहीं बनेगा तो चल जायेगा, लेकिन खाद्य विभाग के द्वारा अनाज नहीं मिलता है तो काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़े विभाग हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही सहकारिता विभाग भी है। यहां दोनों माननीय मंत्री जी बैठे हैं, सुलझे हुए भी हैं और दोनों कलाकार भी हैं। ऐसे हमारे खाद्य एवं सुरक्षा विभाग और सहकारिता के मंत्री जी हैं। हम आपके बीच में यह कहना चाहेंगे कि राजस्थान का सदन चल रहा है। सबसे पहले में सहकारिता विभाग पर चर्चा शुरू करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि सहकारिता विभाग बहुत पुराना है। खाद, बीज भी मिलता है, सारे किसानों की आखें वहां लगी हुई हैं। खाद समय पर मिले, अभी बारिश का समय है, कई बार ग्रामीण क्षेत्र में देखने में आया है कि पूरा सीजन चला जाता है, गर्मी आ जाती है, तब तक आपके जो केन्द्र खोले जाते हैं, उनकी कार्यवाही नहीं होती है।

दूसरा, सहकारिता विभाग में परिवार के सदस्यों को नियुक्ति दी जाती है। हमारे वहां एक ऐसा मामला आया है, पिताजी अध्यक्ष है और बेटा सचिव है और उसके पूरे परिवार के सदस्य बने हुए हैं, पोते का भी इन्तजार ही है, वो भी शायद वह बाप डोकरा होने लग गया

है, तो वही होगा।

ऐसा का ऐसा ही खाद्य सुरक्षा विभाग में भी है। मान लो, मैंने लाइसेंस ले लिया, मेरे बाप ने लिया, फिर मैंने लिया, बाप की मृत्यु हो जाती है, मेरे नाम आ जाता है, मेरे से मेरे पोते के नाम आ जाता है। इन दोनों कानूनों में प्रावधान करने की जरूरत है।

दूसरा, व्यवस्थापकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी चाहिए, तब हम इधर से उधर चैंज कर सकेंगे, नहीं तो सम्भव नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और हमारे सहकारिता मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने तय कर रखा है, लक्ष्य रखा है कि 5 लाख किसानों को अब इस बजट सत्र में जोड़ा जायेगा। 35 लाख से अधिक किसानों को ऋण दिया जायेगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा है, आप बिलकुल एक लाइन में ही देख रहे हो, थोड़ा समय देना, घंटी कम बजाना।

श्री सभापतिः आप तो जल्दी बोलो, बोलिये इतनी देर में तो दो पाइंट बोल देते।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): उधर बजा देना, इधर मत बजाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार, माननीय सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच में बेठै हैं, आपने 100 से 500 मैट्रिक टन के गोदाम बनाये जाने की बात भी कही।

अभी श्रवण जी ने कहा था 42 हजार से ज्यादा सहकारी समितियां राजस्थान में काम कर रही हैं, जिनमें से 14 हजार ऐसी हैं, जो काम ही नहीं कर रही है। भाई- भतीजावाद से, परिवार के सदस्यों की वजह से, बाप अध्यक्ष है, बेटा सचिव है, परिवार के सारे सदस्य हैं। उन्हीं का ही ऋण, उन्हीं को ही मिलता है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कही, हमारे सभी सदस्यों को ध्यान नहीं थी, सहकारिता विभाग के द्वारा उस परिवार के सदस्य का अंग-भंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने की व्यवस्था है, जानते ही नहीं हैं, पूछने जाओ, तो व्यवस्थापक नहीं बतायेगा, अधिकारी नहीं बतायेगा, अन्य नहीं बतायेंगे। यह राजस्थान में किसानों के लिए बहुत लाभदायक है।

हम अध्यक्ष नहीं रहे, घनश्याम जी की तरह, मुझे आज तक सदस्य बनने का मौका नहीं मिला है। राजफैड से किसानों की फसलें खरीदी जायें। एमडी जिले से नहीं लगना चाहिए। आपकी और मेरी लड़ाई यही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे एक जांच अधिकारी प्रेम, प्रबन्ध निदेशक हैं, उनके खिलाफ मैंने मुख्य मंत्री को लैटर दिया। ये-ये अधिकारी इसमें बदमाश है। हर पांच साल में मौका बदलकर वापस उदयपुर आ जाते हैं। इन 10 अधिकारियों को छोड़िये, मुख्य मंत्री के जाने के बाद जिसके खिलाफ आरोप है, ये प्रेमचन्द प्रबन्धक, मंडोत है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार है, उसके खिलाफ आरोप है और वही आज जांच अधिकारी बन गया है। यहां कैसे न्याय होगा? उसके लिए मैंने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी दी। उसको हटाने के लिए हम 9 एमएलएज ने लिखकर दिया, उसको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये। इसकी पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। यह पहले की बात है, पहले की। अभी इनके राज की नहीं है। गहलोत साहब की बात है। मैं बोल दूं, ये अधिकारी हैं, उस समय हमने बहुत प्रयास किया और

ट्राइबल के सारे एमएलएज ने लिखकर दिया, उदयपुर से थे, उन्होंने दिया, उसमें यह कहा कि प्रेमचन्द को हटाया जाये और जयदेव देवल को भी हटाया जाये। इसके अलावा यह जो रजिस्ट्रार है, आपका राजकुमार, इसको भी हटाने के लिए हमने कहा। हटा दोगे ना, आलोक जी एक बहुत बड़े चौधरी हैं, धनश्याम जी की तरह चौधरी हैं, आलोक जी। वह वहां का प्रबन्धक है, जिन्होंने..। मेरा समय नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है, इस प्रकार मत करिये।

खाद्य सुरक्षा विभाग के मंत्री जी हमारे बीच में हैं। खाद् सुरक्षा में 2011 के बाद नये नाम नहीं जुड़े हैं, कैसे भी करके पूरे राजस्थान की पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, सभी परिवारों की पीड़ा है, उस पोर्टल को खोला जाना चाहिए। आप यहां से खोलें या दिल्ली जाकर के खोलें।

Bhs/Rtm/25.7.24/17.00/3e

या आपके घर बैठ करके खोलें लेकिन खोलना बहुत जरूरी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम समर्थन करते हैं आपकी बात का।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सब समर्थन कर रहे हैं, मजबूरी है आपको टिकने नहीं दे रहे हैं वहां। मुझे पता है, अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): वो ये कह रहे हैं कि सेन्टर से खुलवाओ। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): दूसरा, मेरा यह कहना है कि खाद्य सुरक्षा में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई जगह सिंगल व्यक्ति भी हैं उनकी समस्या है उनके फिंगर प्रिन्ट का मामला है।

श्री सभापति: एक मिनट में पूरी बात समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): राशन डीलरों द्वारा कम अनाज राशन दिये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग की जाये। समय हो गया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के सदस्य...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कुमारी रीटा चौधरी जी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 पर बोलने का मुझे अवसर दिया। इस सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए और यह एक भावना है सभापति महोदय, मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय से और अन्य सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि सहकारिता का मुद्दा बहुत गम्भीर मुद्दा है और हम लोग जब यहां बात करते हैं चाहे मंत्री जी अपना रिप्लाई दें, पूर्ववर्ती सरकारों को हम यहां कोसना बन्द करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी सरकारों ने सहकारिता के अन्दर अपने-अपने हिसाब से काम किया और एक प्लेटफार्म तैयार करके दिया है। हमें यह चाहिये कि उस प्लेटफार्म पर उस

इमारत को और कितना हम मजबूत कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों से प्रत्यक्ष रूप से लगभग सवा करोड़ लोग जुड़े हुए हैं यानी राजस्थान की कुल आबादी का पन्द्रह प्रतिशत सीधे तौर पर सहकारी समितियों से और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगी और मेरा आग्रह है कि जब आप रिप्लाई करें तो उसके अन्दर उन बिन्दुओं को लें क्योंकि यह बहुत जरूरी है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है और पूरे देश का तकरीबन पन्द्रह प्रतिशत दुग्ध उत्पादन राजस्थान में होता है। जिस तरीके से गुजरात में अमूल, कर्नाटक में नन्दिनी, केरल में मिल्मा जैसी डेयरी ब्रांड को सहकारी समितियों से जोड़ते हुए इस पर एक व्यापक स्तर पर काम किया है लेकिन राजस्थान के अन्दर आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप विशेषज्ञों की एक टीम बनायें, उनको केरल, गुजरात और कर्नाटक भेजें। आपसे यह भी आग्रह रहेगा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे भी आप मिलें और हम लोग जितना ज्यादा बजट ला सकते हैं वो हमें इस प्रदेश के लिए सहकारी समिति में लाना चाहिये और विशेषकर डेयरी उत्पादकों के लिए।

मंत्री महोदय, उसके दो फायदे होंगे एक तो जो किसान दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो पशुपालक उससे जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी और उन्हें अपने दूध का उचित मूल्य मिलेगा और दूसरा, जिस तरीके से मिलावट डेयरी प्रोडक्ट्स में चल रही है चाहे वो पनीर हो, दूध हो, दही हो उस मिलावट से हमें कहीं न कहीं राहत मिलेगी उस पर हम लोग रोक लगा सकेंगे तो यह मुद्दा एक अहम मुद्दा है इससे सहकारी समितियों में भी आय बढ़ेगी।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगी कि राजफैड एक सहकारी संगठन है और राजफैड किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और इसी वर्ष अप्रेल में राजफैड ने चना और सरसों खरीदा और मेरे हिसाब से उसकी खरीद की सीमा दस प्रतिशत उन्होंने बढ़ाई लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूंगी कि किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है। हम या तो पांच प्रतिशत पर या दस प्रतिशत बढ़ा कर उसकी खरीद की सीमा हम लोग दस प्रतिशत-पांच प्रतिशत तक रखते हैं, लेकिन किसान कड़ी मेहनत करके अपने खेत के अन्दर उत्पादन बढ़ाता है। हमें एक नोर्म सैट नहीं करना चाहिये कि दस प्रतिशत खरीदेंगे, पांच प्रतिशत खरीदेंगे, क्योंकि आज का समय बदल गया है। कड़ी मेहनत और नये तरीकों से उत्पादन हो रहा है तो खेत के अन्दर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है तो वह चाहेगा किसान कि उसका सारा का सारा अनाज बिके तो इसके लिए जो हम लोगों ने पहले पुराने टाइम से ही लगाते हैं कि दस प्रतिशत खरीदेंगे या पांच प्रतिशत खरीदेंगे वो आप उसका हटा दें और इसमें चूंकि किसानों की कोई गलती नहीं है वो उत्पादन करता है, मेहनत करता है। देश के लोगों का पेट पालना चाहता है तो उसको पूरा समर्थन मूल्य के साथ जो वह पूरा अनाज बेचना चाहता है उसको

हमें खरीदना चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को खरीद केन्द्रों पर फसल के अन्दर नमी बता कर उसकी मात्रा कम कर देते हैं या तो वो खरीदते नहीं हैं या उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये क्योंकि किसान की गलती नहीं होती है, उसका कम भुगतान होता है नमी आती है लेकिन फिर भी हमारी जो संस्थाएं हैं उनको उनका अनाज खरीदना चाहिये ताकि उनकी मेहनत का भरपूर पैसा उनको मिल सके।

सभापति महोदय, तीसरा मुद्दा मैं रखना चाहूंगी कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने नयी सहकारी समितियों का गठन किया। बहुत सी पंचायतें नयी बनी। पंचायतों में बहुत सी पंचायतें ऐसी थी जिनमें सहकारी समितियां नहीं थी लेकिन वो सहकारी समिति उसके अन्दर लेकर आये। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो ग्राम पंचायतें सहकारी समिति विहीन हैं उनमें नयी सहकारी समितियों का गठन किया जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और ग्राम सहकारी समितियों को हम डेढ़ लाख रुपये तक ऋण देने के लिए एक प्रावधान, हम लोगों ने सीमा तय कर रखी है और मुश्किल से किसानों को पचास हजार रुपये वहां मिलते हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान दें क्योंकि ग्राम सहकारी समिति का काम सिर्फ यह नहीं है कि ऋण दे दिया और उसको वसूल लिया। हम उसको मल्टी टास्क के अन्दर भी ले सकते हैं उसको हम लोग बजट ज्यादा दें, बजट का आवंटन करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और जो किसान जाकर शहर से खाद और बीज लेता है वो वहीं पर उसको सहकारी समिति जो ग्राम स्तर पर है वहां उसको मिल जाए। एक मिनी बैंक के रूप में आप उसको बढ़ायें सहकारी समितियों को ताकि लोगों को दूरदराज नहीं जाना पड़े और वहीं पर उनको बीज, खाद वगैरह जो मूलभूत सुविधाएं जो किसान को मिलनी चाहिये वो वहीं पर मिल जाये इसलिये आपसे गुजारिश है कि उनको आर्थिक तौर पर और मजबूती दें, उनको फंड और ज्यादा दें।

सभापति महोदय, मैं कुछ बात अपने जिले की अपने मण्डावा विधान सभा क्षेत्र की कहना चाहती हूं हालांकि यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है, कि जिलास्तर पर स्थापित भूमि विकास बैंकों से किसानों को मिलने वाले दीर्घकालीन ऋणों के लिए बिचौलिये बीच में होते हैं जिससे उनका पूरा फायदा किसान तक नहीं पहुंचता है तो बिचौलियों की भूमिका को आप समाप्त करें, जहां पर व्यवस्थापक नहीं हैं वहां पर आप व्यवस्थापक की भर्ती करें, व्यवस्थापक लगायें क्योंकि उनके बगैर काम नहीं चल सकता है।

सभापति महोदय, तीसरा, मैं कहना चाहूंगी कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की उपज के भण्डारण के लिए ग्राम सहकारी समितियों के अन्दर गोदाम की व्यवस्था करें। अभी आपने बजट में भी कुछ घोषणाएं की हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर गोदाम होंगे हर सहकारी समिति पर तो किसानों से जो अनाज लिया जाता है उनका संरक्षण हो सकता है उनका भण्डारण वहां हो सकता है। उसके बाद सभापति महोदय, जिन सहकारी समितियों से किसानों ने ऋण लिया और अपनी समयावधि के अन्दर ऋण वापस दे

दिये हैं उनकी जो ब्याज दर है जो उनके ऋण की सीमा है उसको आप बढ़ायें ताकि एक उदाहरण स्थापित कर सकें और किसानों को यह रहेगा कि हम लोग समय पर अगर अपना ब्याज चुकाते हैं, पैसा वापस देते हैं तो हमें और अधिक ऋण मिल सकता है।

सभापति महोदय, यह सहकारिता विभाग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सहकारी आन्दोलन किसानों से सम्बन्धित है और किसान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो उनको मजबूत करने के लिए सभापति महोदय, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें क्योंकि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा लेकिन वर्तमान में हमें चाहिये क्योंकि हम लोग कोविड महामारी से निकले हैं उस समय सारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, किसान बिलकुल पेंदे में बैठ गए थे, हमारे व्यापारी वगैरह सभी लेकिन यह समय है कि हम वापस उनको उठायें, किसानों को एक मजबूती दें।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Kas/rtm/25.07.2024/17.10/3f

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप जी लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 - सहकारिता और 55 - खाद्य एवं आपूर्ति पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सहकारिता के लिये कहना चाहूंगा कि सहकारिता का मूल उद्देश्य है सब एक के लिये और एक सबके लिये। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान में सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सहकारिता के महत्व को समझा और केन्द्र में भी सहकारिता विभाग का गठन हुआ और हमारे माननीय गृह मंत्री जी को सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख 8-10 समितियां गोदाम विहीन हैं, इनमें भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, जिससे इन सभी समितियों पर खाद, बीज भंडारण की व्यवस्था हो और किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इनमें प्रमुख हैं, बिचोलिया, जसवंतपुरा, जेठाना, कालेसरा, मकरेडा, केसरपुरा, मेवाडिया, पगारा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर इसी वित्तीय वर्ष में गोदाम निर्माण कराने की स्वीकृति जारी करावें। साथ ही रामपुरा डाबला, गोविंदगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समितियों का भी नवीन गोदाम भवन का निर्माण करावें।

सभापति महोदय, बजट में 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की घोषणा की गई है, इससे नये किसानों को लाभ मिलेगा। इसकेलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा 25 हजार से बढ़ाकर आने वाले समय में 50 हजार रुपये

करावें, जिससे किसानों को खाद-बीज के समय और ज्यादा लाभ मिले। भूमि सुधार के लिये सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए 50 करोड़ के स्थान पर 100 करोड़ रुपये किया गया है। इससे भी किसानों को फायदा होगा। साथ ही 500 नये एफपीओ बनाये जाने की घोषणा की गई है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण भी आने वाले समय में कराया जायेगा, इसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कस्टमर हायरिंग सेंटर के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ट्रेक्टर समेत कृषि यंत्र खरीदे जा सकेंगे, जिससे किसानों को कृषि उपकरणों की सहायता निःशुल्क मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में पीसांगन समिति के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। पूर्व में समिति के बारे में दैनिक नवज्योति के माध्यम से खबर उठी थी, समिति के बचत बैंक जमा सम्बन्धी गबन में सदस्यों द्वारा एफडीआर पेटे 9 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। सेविंग बैंक अकाउंट में 4 करोड़ आर.डी. पेटे, जो व्यक्ति 100-100, 50-50 रुपये रोजाना जमा कराते आये हैं, इसमें कुल राशि 13 करोड़ रुपये का गबन बताया गया है। इसमें सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक भी स्टॉक राशि 2 करोड 39 लाख रुपये दर्शाया गया है। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर के माध्यम से जांच हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी प्रोपर जांच की जाये। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी 20/6 एवं 22/7 को पत्र लिखा है। इसमें पूरी गंभीरता से राज्य स्तरीय जांच हो और चाहे सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक के कोई बड़े अधिकारी हों, चाहे और कोई हों, दैनिक भास्कर में भी यह मामला उठा है। अजमेर सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक की पीसांगन शाखा की जांच रिपोर्ट में 19.60 करोड़ का गबन सामने आया है। यह सब जमा उसमें दशाई गई हैं और जमा होने के बाद भी जमा नहीं है, तो इसमें जो भी दोषी हो, उन पर कार्यवाही हो। यह पूरी फाइल पीड़ित उपभोक्ताओं की है, उनके नाम सहित इसमें दर्ज हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने यहां रखना चाहूंगा और आपके समक्ष टेबल करना चाहूंगा, जिससे इन पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय मिले और इनकी जमा पूंजी, भले ही ब्याज नहीं दे पाये, लेकिन मूल पूंजी इनको मिले, ऐसी व्यवस्था हो और जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, केसीसी कार्ड में 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी देते हैं, राज्य सरकार आने वाले समय में इसको और बढ़ाये। 8 हजार से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त हैं, इनमें भी आने वाले समय में भर्तियां हो, जिससे आम किसानों को, उपभोक्ताओं को लाभ मिले।

एक मैं कहना चाहूंगा कि कॉनफैड ने बिना अनुज्ञा पत्र के ही पशु दवाओं की आपूर्ति कर अनियमित कृत्य किया है और इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसमें भी जो दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही की जाये। सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से यह भर्तियां करें,

जिससे हमें टैलेंटेड लोग मिल सके और जिससे इस तरह की लापरवाहियां न हों। राजस्थान सहकारी समितियों में अनियमितताओं के कारण हानि की जांच राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में प्रवाहित है, लेकिन अधिकारियों द्वारा समय पर जांच नहीं की जाती है, जिससे ऐसे परिणाम हमारे सामने आते हैं। सरकार समयबद्ध यह जांच करवाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सहकारी संस्थाओं का नियंत्रण लोकतांत्रिक प्रक्रिया अनुसार होता है लेकिन विगत वर्षो से सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन नहीं होने के फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र नेतृत्व अभाव परीलक्षित हो रहा है। अतः राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं में पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्धारित समय पर कराने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा समर्थन मूल्य की खरीद राजफैड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। खरीद व्यवस्था में ठेकेदारों का हस्तक्षेप बढ़ने के कारण वेयर हाउस में माल जमा होने में विलंब व कम जमा होने के कारण विवाद बढ़ते हैं। इसमें भी किसानों को फायदा हो, ऐसा काम हो। राजफैड द्वारा बारदाने की व्यवस्था उचित समय पर नहीं किये जाने पर खरीद बाधित होती है व किसानों को अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यह व्यवस्था भी हमें समय पर करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में सरकार कारगर कदम उठाकर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये उचित प्रयास करें।

सभापति महोदय, उपभोक्ता व्यवसाय में जिले में कार्यरत भंडारों व राज्य स्तर पर कार्यरत कॉनफैड के माध्यम से किया जा रहा है। गत सरकार के कार्यकाल में मिड-डे मील पोषाहार वितरण में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। इसी प्रकार आईसीडीएस के प्रिक्योरमेंट में आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करते हुए फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये सारी प्रक्रिया की गई है। टेंडर प्रकिया क्रम में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर भी कार्यवाही हो।

सभापति महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे राशन डीलर्स के बकाया का समय पर भुगतान हो और जो भी उनकी मांगें हैं, उसके अनुसार आने वाले समय पर कार्यवाही हो और आम उपभोक्ताओं को लाभ मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री सी.एल.प्रेमी।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 सहकारिता और मांग संख्या 55 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में केशोरायपाटन के नाम से एक शुगर मिल थी। 2001 में वह बंद हो गई। नतीजा यह रहा कि वहां के किसान आज भी उस शुगर मिल को चलाने के लिये प्रयासरत हैं, आपको पता होगा सहकारिता मंत्री जी? सहकारिता के उस

क्षेत्र में वह सबसे बड़ी शुगर मिल थी।

msk/rtm/25.07.2024/1720/3g

लाखों किसान लोग उससे जुड़े हुए थे। लोग गन्ना बोते थे। बहुत अच्छा एरिया है। नतीजा यह हुआ कि शुगर मिल बन्द हो गयी। शुगर मिल के पास कम से कम 1 हजार बीघा जमीन थी। 2008 में उसके एम्प्लॉइज को दूसरे डिपार्टमेंटों में दे दिया गया। कुछ को ग्रामीण विकास के डिपार्टमेंट में दे दिये, कुछ पशु विभाग में दे दिये, कुछ चिकित्सा विभाग में दे दिये। उनको इधर-उधर करके उनकी नौकरियां बचा ली गयीं। उसके बाद उसकी कम से कम 600 बीघा जमीन ऊर्जा विभाग ने यह कहकर खरीद ली कि हम यहां पर एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगायेंगे, लेकिन उस टाइम वह प्लांट नहीं लगा। उस टाइम मैं एमएलए था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम वह प्लांट नहीं लगा सके। वहां पर आपके पास कम से कम 170 बीघा जमीन शुगर मिल की है, कम से कम 91 करोड़ रुपये शुगर मिल के खाते में पड़े हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम 91 करोड़ रुपये खर्च करके, कुछ पैसा आप खर्च करें तो वहां पर दिल्ली की नेशनल शुगर फैडरेशन के विशेषज्ञों की एक टीम बुलायी गयी थी। उन्होंने इसके पक्ष में दिया था कि इसको चलाया जा सकता है। मैंने भी जाकर शुगर मिल की मशीनरी देखी है, आज भी अच्छी स्थिति में है। यदि हम उसको चलाना चाहें तो मैं समझता हूं कि पैसे वहां पड़े हैं। आपकी थोड़ी-सी सहायता हो जाये, सरकार सहायता करे तो मैं समझता हूं कि वह शुगर मिल चल सकती है। शुगर मिल चलाने के लिए वहां के किसान बार-बार, मैं समझता हूं कि दो-चार महीने में एक आन्दोलन कर देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको दुबारा चलाने की आप कोशिश करें, ताकि वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिले। पहले तो पानी की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज तो इर्रिगेटेड एरिया आ गया है। पानी की सुविधा आपको मिल जायेगी। पिछली बार थी, अच्छा चलेगी तो मैं समझता हूं कि वहां के किसान बहुत लाभान्वित होंगे।

मेरा दूसरा निवेदन है कि उस शुगर मिल को एक मात्र पिऑन चला रहा है। वहां पर एक पिऑन की पोस्टिंग है, प्रेम चन्द नाम कर पिऑन है। जो पहले पिऑन था, वही वहां का संचालक मण्डल का अध्यक्ष बना हुआ है और कोई नहीं है। अकेला चला रहा है। सहकारी विभाग का कोई मतलब नहीं है। बूंदी का कोई अधिकारी उसको देखने वाला नहीं है, न राजस्थान से कोई देख रहा है। अकेला चला रहा है। 91 करोड़ रुपये को वही संचालित कर रहा है। आप इस पर ध्यान दें, ताकि वहां असिस्टेंट स्टार रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का आदमी लगे और उसको वह ढंग से संचालित करे एवं उस पैसे की देखरेख करे।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की 29 शाखाएं हैं, जो विभिन्न जिलों में बनी हुई हैं। शायद 35 या 37 भू-विकास बैंक है। जब मैं एमएलए था तो मैंने उस टाइम भी क्वेश्चन उठाया था कि भू-विकास बैंक को सेंट्रल बैंक में मर्ज कर दिया जाये। एक तो लॉग टर्म लोन देता है, भू-विकास बैंक ट्रेक्टर के लिए, डीपीए के

लिए लोन देती है। लेकिन सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के माध्यम से लोन देती है। यदि हम दोनों को मिला दें। मैं आपसे यह स्पेशल निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप दोनों को मिला दें तो आपके एम्प्लॉइज की पोजिशन, जो स्थिति बन रही है कि हमारे पास कम एम्प्लॉइज हैं। यदि दोनों को मिला देंगे तो आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी और लोगों को भी बहुत फायदा होगा एवं कर्मचारियों का भी फायदा होगा। आपके जो को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी फायदा होगा। (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा कस्बा है, जहां सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा नहीं है। मैंने उसके लिए लिखा है कि करवर में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक खुलना चाहिए। हमने रिजर्व बैंक को भी लिखा। हमने बूंदी के एमडी को भी लिखा। एमडी ने रिजर्व बैंक को भी लिखा है। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि करवर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया है। वहां पर यदि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक खुल जाती है तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, गरीबों को फायदा हो। यह बहुत अच्छा फायदा होगा। मैं किसानों की बात सोसाइटी के माध्यम में आपसे करना चाहूंगा कि आप डेढ़ लाख रुपये तक का लोन 7 परसेंट पर देते हैं, 3 परसेंट भारत सरकार देती है, 4 परसेंट राजस्थान सरकार देती है। लेकिन यदि लिमिट बढ़ायी जाये तो इसकी लिमिट 3 नहीं, 5 लाख रुपये होनी चाहिए। क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंकों से कम्पीटशन करने के लिए आपको इंस्पेक्टर देना पड़ेगा, आपको कम्प्यूटर देने पड़ेंगे, आज की टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी ये सोसाइटियां और को-ऑपरेटिव बैंक में सुधार आ सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी एक तो लिमिट सीमा बढ़ायी जाये। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि को-ऑपरेटिव बैंक के लोन देने में और नेशनलाइज्ड बैंकों के लोन देने में बहुत फर्क है। वे एक बीघा पर 50 लाख का लोन देते हैं और हम एक बीघा पर 1 लाख भी नहीं दे पाते हैं। जो कस्टमर है, वह डायरेक्ट नेशनलाइज्ड बैंकों की तरफ या प्राइवेट बैंकों की तरफ दौड़ जाता है।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): साहब, मेरे को मेरी एक बात तो कह लेने दें, मुझे दो मिनट तो दें। अभी तो मेरा बहुत काम बाकी है।

श्री सभापतिः आपका आठ मिनट पूरे हो गये। रविन्द्र सिंह जी भाटी। अंकित नहीं होगा।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): 000

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आज मांग संख्या 50 और 55 पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज दोनों ही माननीय मंत्री जी यहां विराजे हैं। शुरूआत में, जब मैं ये मांगें देख रहा था तो लगा कि इस पर चर्चा की जरूरत ही कहां है? खाद्य आपूर्ति एवं सहकारिता, मैं नया हूं, पहली बार आया हूं। जब धीरे-धीरे इन तमाम कटमोशंस को पढ़ा। तमाम बड़े भाइयों को सुना, तब लगा कि वाकई यह तो बड़ा ईश्यु है। खाद्य एवं आपूर्ति, जब पढ़ते हैं तो हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं। रोंगट खड़े हो जाते हैं।

इसमें उस वर्ग की बात हो रही है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वे हमारे भाई हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनके पास जीवनयापन के लिए अनाज नहीं है, हमारे जो बीपीएल भाई हैं, उनकी बात है। मुझे लगा कि इस मौके पर मुझे बोलना चाहिए। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पर मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा।

मुझे खाद्य एवं आपूर्ति की जो मुख्य समस्या दिखी कि राशन की नयी दुकानें खुलनी चाहिए। हमारे कई सारे ऐसे भाई हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। नाम हम कैसे जोड़ें, उस व्यक्ति तक, उस आखिर में बैठे हुए व्यक्ति तक अनाज कैसे पहुंचाएं, ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवनयापन कर सके, इसके लिए आप काम करेंगे, आप संवेदनशील होकर काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। राशन की दुकान, आज से नहीं, हमेशा से देखते आ रहे हैं। मुझे आज भी वह वक्त याद है, जब कोई छोटा-जरिकेन लेकर कैरोसीन लेने के लिए लोग आया करते थे। साहब, लाइटें तो अब आयी हैं। लाइट की डिमांड तो हम अब कर रहे हैं। वह दौर जब कैरोसीन से दीया जलाया करते थे, उस दौर में भी सहकारिता और खाद्य आपूर्ति की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। आपके पास संवेदनशील डिपार्टमेंट है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप राशन की नयी दुकानें खुलवायेंगे। वे तमाम लोग जिन्हें आज अनाज की जरूरत है। आप वहां तक अनाज पहुंचायेंगे।

हमारे जो भी राशन के डीलर हैं, उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं। चाहे मानदेय की हो, चाहे तमाम दूसरी जो समस्याएं हैं, मेरा विशेषकर माननीय मंत्री जी निवेदन रहेगा कि आप इस बारे में सोचें। कई बार अखबारों में पढ़ा करते थे कि जो गेहूं या अन्न आ रहा है, इसकी क्वालिटी पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। जब शुद्ध अन्न होगा तो निश्चित रूप से हमारे भाई स्वस्थ रह पायेंगे। मैं बात करुंगा, माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट सहकारिता की। सहकारिता मेरे लिए वाकई नया सब्जेक्ट है। अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे, कई सारी चीजें बतायीं। हमें सीखने को मिला। मैंने पूछा कि माननीय जी आज सहकारिता पर इतनी चर्चा क्यों नहीं है तो कहा कि काफी लोग जानते भी नहीं है। वाकई मैं भी नहीं जानता था। वाकई जब सहकारिता को पढ़ा, तब समझ में आया कि साहब, यह हर किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

mdp/rtm/25.07.2024/17:30/3h

जमीन स्तर तक जाने वाला यह डिपार्टमेंट है। मैंने इसके उद्देश्य पढ़े। मैंने कई सारी सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर का ये वार्षिक प्रतिवेदन मैंने पढ़ा। इसके जब उद्देश्य मैंने पढ़े तो सुपर मार्केट से लेकर, जिम से लेकर, गोदाम से लेकर तमाम चीजें जो किसान के रोजमर्रा की चीजें हैं, वह इसके अन्दर पायी जा रही है। आप वहां तक पहुंचा भी रहे हैं। परंतु क्या वाकई धरातल तक वह पहुंच पा रहा है? जो समितियां बनी हुई हैं, क्या वाकई वह सही तरीके से काम कर रही है? जो व्यवस्थापक हैं, क्या वाकई वे सही तरीके से उन चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस विषय पर हम सभी

को चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है।

साथ ही साथ अभी कई हमारे भाई थे, उन्होंने कहा कि मंत्री जी के सामने रखिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में कार्यरत निरीक्षकों की पदोन्नति का जो अनुपात 70:30 का है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार पदों पर किया जाए, जैसा कि शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। उनकी एक मांग है, वह भी मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो सहकारिता विभाग है, इसकी प्रोपर मोनिटरिंग हो।

श्री सभापतिः श्री भागचन्द जी टांकड़ा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बाड़मेर, जैसलमेर के बारे में कई सारी और चीजें हैं, कई सारी और घटनाएं हैं, मैं आपसे मिलकर आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मजबूती से कड़े एक्शन लें। ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो योजनाएं हैं, वे धरातल तक पहुंचे। बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र जी (128)।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 एवं 55 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले मैं मांग संख्या 55 पर बोलना चाहूंगा। यह एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा सबसे नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है। सरकार का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बीपीएल या अन्य को मिलनी चाहिए, वह गरीबों को अभी तक नहीं मिल पा रही है। कई बार हम जन-प्रतिनिधि क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं तो निश्चित रूप से आम जनता हमको यह कहती है कि जब भी हम डीलर की दुकान पर जाते हैं तो डीलर सबसे पहले राशन देने के बजाय हमसे अंगूठा लगवा लेते हैं। उसके उपरांत भी डीलर को उस गरीब व्यक्ति को जो सुविधाएं देनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप इस ओर ध्यान दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में अभी जब चुनाव आचार संहिता लगी थी विधान सभा की, उससे दो दिन पहले ही करीबन आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में, जैसे महवा, बालाहेड़ी और औडमीना, आनन-फानन में वहां वेकेंसी निकाली और वहां पर जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपने चहेतों को फॉर्म भरवा कर डीलर बनाने का काम किया। जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी हुई, उस दिन वर्किंग डे भी नहीं था, रविवार था। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी एक बार जांच कराए तो निश्चित रूप से, क्यों कि यहां पर बहुत जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, आप इसकी जांच करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा। मेरी सरकार यह भी मांग है कि प्रदेश के डीलर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि गुजरात सरकार ने भी डीलरों का मानदेय बढ़ा रखा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2003 से 2007 के बीच में मेरे आदरणीय अंकल और मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक आदरणीय किरोडी लाल जी भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। उस समय निदेशालय का गठन किया गया था। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस विभाग में

काम किया। हमारी पार्टी की सरकार है और माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से वह राजस्थान में इस विभाग की एक अलग पहचान बनाने का काम करेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह पूरे राजस्थान में करें कि आपदा के समय खाद्य सामग्री का अतिरिक्त कोटा सभी जगह बढ़ाया जाए ताकि कोई ऐसी विपत्ति आए तो हम उन गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचा सके। मैंने पहले भी 295 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को खुलवाने की मांग की थी। मैं पुनः सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी खोले ताकि लोगों को फायदा मिल सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा सूची में नये नाम जोड़ने केलिए विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में यह अधिकार जिला रसद अधिकारी को भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी उपखण्ड अधिकारी को इसमें अधिकृत कर रखा है।

सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय, से मैं कहना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग के मामले में मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र में करीब एकदर्जन कस्टम हायर सेंटर की स्थापना किये जाने की आपसे मांग करता हूं, खोचपुरी, ठेकडा, सीसवाड़ा, तालछिडी, बड़ागांव, खेड़ला, लोटवाड़ा, बैजूपाड़ा, डगारिया, भीम, जटवाड़ा, केसरा, कोट, बालाहेड़ा और खोरामुल्ला। इसके साथ ही नवीन गोदाम कार्यालय का भी निर्माण करवाने की आवश्यकता है, ग्राम पंचायत खोचपुरी, ठेकडा, लोटवाड़ा। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदामों की मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। एक दर्जन गोदामों की स्थिति ठीक नहीं है।

इसके अलावा केन्द्रीय सहकारी बैंक में अधिकृत स्टॉफ स्ट्रेंथ के विरूद्ध कार्यरत कर्मी बहुत कम है, जिससे बैंक का सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा। अतः केन्द्रीय सहकारी बैंक में शीघ्र नवीन भर्ती की जाए। नवीन सरकार के गठन के बाद सहकारिता विभाग को कस्टम हायर सेंटर खोले जाने हेतु भेजे गये सभी प्रस्तावों को मैं स्वीकृत करने की मांग करता हूं। सरकार के गठन के पश्चात सहकारिता विभाग को भेजे गये सभी नवीन गोदामों का निर्माण भी बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय, जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2022-23 में एक सितम्बर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की प्राप्ति से शेष चार प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि का भुगतान तथा 2023-24, 31 मार्च, 2024 तक की संपूर्ण चार प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र किया जावे। भविष्य में सरकार द्वारा देय ब्याज राशि त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जावे, जिससे समितियों को आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न नहीं हों और नवीन काश्तकारों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कैश क्रेडिट, नगद ऋण साख के अतिरिक्त खाद हेतु भी कम्पोनेंट की सुविधा भी दी जाए, जिससे समिति द्वारा किसानों को बाजार दर से कम दर पर खाद बीज उपलब्ध कराया जा सके। जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिन पर पीडीएस का लाइसेंस नहीं हैं, अनिवार्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्यवसाय हेतु लाइसेंस जारी किया जाए। जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिसमें गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं

है, नि:शुल्क भूमि आवंटन कराया जाए।

अंतिम, जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जिनमें चार दीवारी बनी हुई हैं, में अनिवार्य रूप से चार दीवारी हेतु निर्माण उपलब्ध कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय, से कहना चाहूंगा कि दोनों विभाग की किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इस बजट में इन दोनों विभागों के लिए बहुत कुछ दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर दीन, हीन, गरीब के लिए लगातार काम करने में सक्षम है और आन वाले पांच वर्षो में हमारी सरकार किसान हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए बहुत कुछ करने को तत्पर है। आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विकास जी चौधरी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय जी। मांग संख्या 50 सहकारिता विभाग, मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, मैं सदन के नेता, प्रतिपक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जो निरंतरता के क्रम में मुझे किसानों के विषय पर बार-बार बोलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

सभापति जी, इस अवसर मैं दोनो बैठे हुए मंत्रियों को भी किशनगढ़ की जनता की तरफ से, किशनगढ़ के किसानों की तरफ से राम-राम कहता हूं। 'कुछ तुम करो, कुछ हम करें,संग साथ सब बढ़े', उक्त वाक्य सहकारिता की मूल भावना को दर्शाता है, मूल भावनाओं को प्रतीत करता है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान, मजदूर, महिलाओं, श्रमिकों की स्थिति आजादी के 70 वर्ष बाद भी चिंताजनक है। हम भलीभाँति जानते हैं कि राजस्थान में सहकारी आंदोलन जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पाया है।

Ans/rtm 17.40 3j 25.07.2024

मेरा यह मानना है कि आज किसानों, व महिलाओं, लघु उधोगों की स्थिति सहकारिता के बिना सुदृढ नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते है कि समूह संगठन में ही शक्ति है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी तो इस बात को बार-बार दोहराते हैं। सहकारिता विषय को लेकर कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

हर्फ-हर्फ अर्थ बिन, बस महज हर्फ है। संग हुए तो शब्द है, वाक्य और निबंध है। अलग है तो पृष्ठ है, फूंकने से जो उड़ें किताब क्यूं न हम बनें ?

हमारा यह मानना कि कृषि प्रधान देश है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल बहुत ही प्रासंगिक है। जहाँ प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है। इसी भावना को देखते हुए इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू जी ने सहकारिता को पंच-वर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है। राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में राजनीतिक दुर्भावना और गुटबाजी के कारण आज किसानों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा

है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यहां बैठे मंत्रियों से, समितियों के सदस्य बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑटो किया जाए। आज प्रदेश में भूमि विकास बैंकों की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। ना आज वह ऋण दे पा रह हैं, ना उनके ब्याज अनुदान का फायदा किसानों को मिल पा रहा है।

आज प्रदेश में सहकारी समितियों में कुप्रबंधन के कारण लगातार गवन- घोटाले बढ़ रहे है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं सहकारी भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति निरन्तर गिरती जा रही है। किसानों को मात्र 15 हजार से 50 हजार तक का ही ऋण दिया जा रहा है। बाकी रसूखदार वाले लोगों को यह ऋण ज्यादा अवेलेवल कराया जा रहा है।

आदरणीय सभापति जी, आज समय की मांग है कि कृषि ऋण समितियाँ, पैक्स को मजबूत बनाया जाए। लेकिन यह सरकार किसानों को अपना माने तब। आपने देखा होगा 700 किसानों ने बोर्डर पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी।

आज मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से मेरे किसान भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप सरकार के मंत्रियों को हमारी आवाज पहुंचा दो। हमारी किसान काकी के द्वारा, हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने उनको फोन दिया, उस फोन से मुझे चार लाइनें भेजी, सरकार को सुनाने के लिए।

खेत अर किसान दोन्यु दुःख पारिया छ, फेर भी किसान माटी करज चुका रिया छः, सूती सरकारा जागो, खोलो आंख्या झांको सूती सरकारा जागो, खोलो आंख्या झांको। हेलो पाड र मुलकरा पहरी, आवाज लगारिया छः, खेत अर किसान दोन्यु धूल पारिया छः। खेत अर किसान दोन्यु धूल पारिया छः।

आज बे-मौसम और बीमा कम्पनियों की मनमानी से किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। 6 जुलाई, 2021 को तत्कालीन सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय से अलग करके सहकारिता मंत्रालय बनाया गया।। गृह मंत्री जी उस मंत्रालय को लेकर आए। आदरणीय सभापति जी, मैं भी अंध भक्तों की श्रेणी में था, मुझे लगा कि राजस्थान में बड़े-बड़े सहकारिता के सम्मेलन हो रहे हैं, किसानों का कल्याण होगा, लेकिन ये लोग किसान की सुनने वाले नहीं है।

आदरणीय सभापति जी, समितियों द्वारा इफको विभाग से डीएपी व यूरिया खाद मांगने पर चार कट्टो के साथ किसानों से 250-600 रुपये ले रहे है और यह इफको नैनो डीएपी तरल पदार्थ जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों को खाद डीएपी समय पर उपलब्ध कराए और कालाबाजारी को रोका जाए। जब किसानों को इसकी आवश्यकता होती है, तब तो मिलता नहीं है। मिलता है तो उनको नैनो डीएपी दिया जाता है। आदरणीय सभापति जी, अभी मेरा टाइम 15 मिनट का है, आप घंटी नहीं बजाएं। ज्यादा नहीं बोलूंगा केन्द्र सरकार के खिलाफ।

श्री सभापतिः प्लीज, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायत

मुख्यालय पर किसान उत्पादक संगठनों का गठन हो एवं इन केन्द्रों पर गोदामों का निर्माण करवाया जाए। सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान का सबसे ज्यादा मूंग व चना देने वाला क्षेत्र कोई है तो हमारा किशनगढ़, दूदू, अजमेर क्षेत्र है। अच्छी दलहन देने वाला क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अराई, हरमाड़ा, काशीर, भामोलाव, टीकावड़ा, बोराड़ा, जगहों पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां, खरीद केन्द्र बनाकर सहकारिता के ढाँचे को बुनियादी ढांचा किया जाए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति जी, केन्द्र का नाम लेते ही थोड़ी खलबली होती है। किसानों को खेती सम्बन्धी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए बोराड़ा अराई, हरमाड़ा में कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना की सरकार जल्दी घोषणा करें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में समितियों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। किसान को चाहिए क्या और देते क्या हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा सहकार को अपना कर ही पूर्ण हो सकती है। अतः सहकारी समितियों को पेट्रोल पम्प, एलपीजी वितरण, अनाज भडारण, डेयरी, मत्स्य में प्राथमिकता देने का सरकार को कार्य करना चाहिए।

आदरणीय सभापति जी, मैं जब रात को इस सहकारिता विषय पर पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक वाक्य याद आया, मैं मंत्री जी से भी यह निवेदन करुंगा कि सरकार के अब साढ़े चार वर्ष और बचे हैं।

श्री सभापतिः श्री चन्द्रभान जी आक्या।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): सरकार से मेरी विनती है कि पांच वर्ष के कार्यकाल में एक सरकारी संस्था को इतनी सशक्त करे..

श्री सभापतिः मैंने दो मिनट पहले घंटी बजाई थी और फिर एक मिनट का पूरा हो गया।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): एक मिनट।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। श्री चन्द्रभान जी आक्या।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): OOO

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। आप बोलिए, आपका समय चालू है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सहकारिता में सब एक के लिए, एक सबके लिए है। सहकारिता का काम जिस प्रकार महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार गुजरात में है, जिस प्रकार गोवा या दूसरे राज्यों में है, उस प्रकार का सहकारिता का काम राजस्थान में कैसे हो उसके लिए, मंत्री जी मेरे ज़िले के हैं, एक बार वहां विधायकों की कमेटी बनाकर भेजना चाहिए कि सहकारिता का काम कैसे होता है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूं, उसमें सहकारिता का बहुत बड़ा आर्शीवाद है, क्योंकि मैं लंबे समय तक केन्द्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा हूं। उसी कारण आज उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 29 सहकारी बैंक हैं। 36 भूमि विकास चेयरमैन

हैं। परन्तु भूमि विकास बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। काफी केन्द्रीय सहाकारी बैंकों की हालत भी खराब है। खराब होने का कारण, जो ऋण माफी हुई है, उस ऋण माफी में उन बैंकों को पैसा वापस नहीं मिला, भले ही सीसीपी का हो, भले ही भूमि विकास बैंक का हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, मंत्री जी विचार रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि भूमि विकास बैंक नहीं डूबें, केन्द्रीय सहकारी बैक नहीं डूबें। वहां जो ऋण माफी हुई थी, ऋण माफी का पैसा आज दिन तक बाकी है। वह पैसा उन बैंकों को मिले। आने वाले दिनों में उन बैंकों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मंत्री महोदय, उन बैंको का पैसा, अपन सरकार से वापिस ब्याज सहित लौटाएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, सभी पंचायत हैडक्वाटर पर पैक्स और लेन्स खुलनी चाहिए। सभी पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर मार्केटिंग खुलनी चाहिए। क्योंकि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर, हर पंचायत पर पैक्स और लेंस होगी तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काफी काम होगा।

आज मैं व्यवस्थापकों की बात करूँ। काफी लंबे समय से व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। स्क्रीनिंग पहले 2013 से 2018 के बीच हो पाई थी, वापस नहीं हो पाई। उसमें काफी लकूरे लगाए गए थे। सरकार यहां से कर रही थी।

सभापति महोदय, वहीं अध्यक्ष और कलक्टर को बनाकर, वहीं उन समितियों की, व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि व्यवस्थापक को कभी भी अध्यक्ष हटा सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग हो जाए। बैंक के कर्मचारियों की हर साल डीपीसी होनी चाहिए। बहुत से बैंकों की डीपीसी होती है। राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का टॉप मोस्ट बैंक चित्तौडगढ़ का है। राजस्थान में भूमि विकास बैंक भी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सी योजनाएं चित्तौड़ के नाम से चलती है।

VPS-RTM-25.07.2024-17.50-3k

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आप सब लोगों से यह अनुरोध है और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्यवस्थापकों के बारे में सोचें, उनके कर्मचारियों के बार में सोचें, काफी कर्मचारियों की जगह भी खाली है इसलिए उनकी भी पूर्ति करें क्योंकि बैंकों में एक-एक, दो-दो कर्मचारी होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है और बैंक तो ऑनलाइन हुए हैं अगर सहकारी समितियां भी ऑनलाइन हो जाये, मार्केटिंग बोर्ड भी ऑनलाइन हो जाये, भण्डार भी सारे ऑनलाइन हो जाये, अगर वे सारे ऑनलाइन हो जायेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, लोन में पहले यह डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दे रहे थे, अभी डेढ़ लाख रुपया नहीं मिल रहा है। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस हजार रुपये ही मिल रहे हैं तो उनको भी डेढ़-डेढ़ लाख रुपये मिले। पिछली सरकार ने यहां पर पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये ही दिये थे इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक किसान को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लोन मिले। माननीय

सभापति महोदय, आज उनका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। किसी भी किसान की अगर डैथ हो जाती है तो इंश्योरेंस नहीं हो रहा है इसलिए स्वैच्छिक ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट का टाइम और दे दीजिए। उनका इंश्योरेंस होना चाहिए कि जो चाहे वह इंश्योरेंस करवा ले और जो चाहे वह नहीं करवाये पर इश्योरेंस तो होना चाहिए। उनकी प्रीमियम भी बहुत ज्यादा आ रही है तो उनकी प्रीमियम भी कम हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि पैक्स और लैम्प्स के चुनाव भी कंटिन्यू होने चाहिए अगर चुनाव होंगे और मार्केटिंग भंडार के भी कंटिन्यू चुनाव होंगे तो उसकी सुध भी अच्छी तरह से हो जायेगी और वह मार्केटिंग भी अच्छी चलेगी, भंडार अच्छा चलेगा, बैंक अच्छा चलेगा इसलिए जहां-जहां चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि जहां पर भी पिछली सरकार में चुनाव हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में भले ही भूमि विकास बैंक का चुनाव हो, मार्केटिंग का चुनाव हुआ हो, भंडार का चुनाव हुआ हो, सभी चुनाव हम लोगों ने कोर्ट से करवाये हैं और कोर्ट के आदेश से ये चुनाव हुए हैं इसलिए कोर्ट से चुनाव नहीं हो और सरकार वहां पर एक पर चुनाव भी करवा दे, इस प्रकार की मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा वाला जो पोर्टल बंद है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हम सब क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री, ...(व्यवधान)... एक मिनट का समय और दीजिए। सहकारिता मंत्री बहुत ही अच्छे हैं, अमित शाह जी हैं इसलिए वह पोर्टल भी चालू करें।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): खाद्य सुरक्षा में अगर नाम जुड़ जायेगा तो अच्छा होगा। जिन लोगों की जरूरत है उनका तो खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया और जिनको जरूरत नहीं है, उनका नाम जुड़ गया इसलिए आप इसको करें।

एक राशन डीलर का भी मानदेय तय करें क्योंकि आज अपन नरेगा में जो आदमी है, उसको भी चार सौ, पांच सौ रुपये देते हैं तो कैसे न कैसे आप उनका भी मानदेय तय करें तो ईमानदारी से वे काम करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः गोविन्द प्रसादजी। (अनुपस्थित)

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और। उनको मानदेय भी दे और ट्रांसपोर्टेशन में एक-दो परसेंट की छीजत होती है तो उसका भी ध्यान रखें।

श्री सभापतिः श्री देवेन्द्रजी जोशी। (अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लालजी जीनगर।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): नई राशन दुकानों के लिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, एक

मिनट, अर्जुनजी। मंत्री महोदय, वहां पर प्रत्येक पंचायत पर राशन की दुकानें हो जाये, गेहूं और जो राशन का सामान मिलता है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 50 - सहकारिता एवं

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, ये बोलने के लिए खड़े हो गये?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, विभाजन संख्या 12 है या 13 है?

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 50- सहकारिता एवं मांग संख्या 55- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर चर्चा हो रही है, यह दोनों मांगें बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं। सहकारिता के पहले भी मंत्री चित्तौड़गढ़ जिले के थे और वर्तमान में भी चित्तौड़गढ़ जिले के हैं लेकिन दोनों मंत्रियों में कितना फर्क है यह मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सहकारिता का अर्थ ही यह है कि -'एक सबके लिए और सब एक के लिए', हम लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस देश और प्रदेश को और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। सहकारिता का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संरक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सुविधा, जैसे अंश पूंजी, ऋण, ऋण गारंटी तथा अनुदान आदि सुलभ करवाना है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

वर्तमान अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र का अपनी भूमिका का निर्वहन, आर्थिक, सामाजिक उन्नयन में सक्षमता के साथ उनको आगे बढ़ा रही है, ऐसी हमारी सहकारी समितियां और सहकारिता विभाग काम कर रहा है। सहकारी समितियों का प्रमुख जो उद्देश्य और काम है, उनमें सहकारी फसली ऋण योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं उनमें गोदाम का निर्माण करना, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, हमारे

सहकारिता मंत्रीजी ने अभी सब जगह पर ये सेंटर खोले हैं और सब को ट्रैक्टर देने का काम अनुदान पर किया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ये करते हैं। सहकारी समितियों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यह सहकारी समितियां अभी ढुलमुल चल रही हैं। वर्षों वर्ष हो गये, राजस्थान में ऐसे ही चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भ्रष्टाचार का बोलबाला तगड़ा यानी कि व्यवस्थापक बेईमानी करता है। अधिकारी, कर्मचारी बेईमानी कर लेते हैं और मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो बेईमानी करते हैं उन पर सख्ती के साथ काम करने की आवश्यकता है और सहकारी समितियों में चुनाव भी पारदर्शी होने चाहिए। अभी चुनाव ही पारदर्शी नहीं होते हैं। इसका मैं एक उदाहरण बताऊं कि पिछली सरकार में हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के सहकारिता मंत्री थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक डेयरी के चुनाव हुए चित्तौड़गढ़ जिले में और उन चुनावों में इतनी धांधली की कि जो पात्र व्यक्ति थे उनके फार्म निरस्त करवा दिये और अपने चहेते व्यक्ति को डेयरी का चेयरमैन बना दिया। जब मुझे ऐसा लगा कि यह डेयरी के चेयरमैन बनने के बाद वह चेयरमैन तो नाम का ही हो गया लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर राजस्थान प्रदेश के सहकारिता मंत्री उस डेयरी के चेयरमैन को चलाने लग गये। जितनी भी योजनाएं थीं डेयरी के अन्दर, उसमें ऐसा लगता था कि वे राजस्थान के सहकारिता मंत्री नहीं है, वे डेयरी के चेयरमैन बन गये हैं और इस प्रकार से उन्होंने उस डेयरी का भट्टा बैठाकर आज उसको दस गुणा नुकसान में पहुंचाने का काम किया है। जो आज यहां पर नहीं हैं, अपने-अपने कर्मों से गये हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की आज आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अब में शॉर्ट में ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज सहकारिता के साथ-साथ हम खाद्य आपूर्ति पर भी चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा देवी को नमन करता हूं और अन्नपूर्णा देवी से यह प्रार्थना भी करता हूं कि हमारे प्रदेश में अन्न-धन के भंडार पूरे भरे रहे, सबको खाद्यान्न समय पर मिले और देश को शुद्ध अन्न मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज हम जहां पर भी देखें तो चारों तरफ, सरकार किसी की भी रही हो लेकिन सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में रही है। यह 'शुद्ध के प्रति युद्ध' होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में यदि यह सोच ले कि कितना घी पडा होगा, जितना हमारे पास पशुधन नहीं है, जितना हमारे पास दूध नहीं होता है, जितना हमारे पास तिलम नहीं है, जितनी हमारे पास में मूँगफली नहीं है, उससे ज्यादा गोदामों के अन्दर घी पडा हुआ है, तेल पडा हुआ है, कॉस्मेटिक पडा हुआ है। यह सब दो नम्बर का कारोबार करने वाले, बड़े-बड़े मगरमच्छों पर कब शिकंजा कसेंगे? यह सरकार की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि शक्तिशाली सरकार है तो ऐसे बईमानों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। वैसे पूरे प्रदेश में

यह देखूं कि जब भी 'शुद्ध के प्रति युद्ध' चलता है, तो कोई मेरा जैसा विधायक कोई सिफारिश कर देगा, कोई कभी किसको कह देगा कि मेरा सैम्पल ले लिया, मेरा सैम्पल ले लिया। हम सैम्पल भी लें लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम छोटी-छोटी दुकानों पर सैम्पल लेते हैं, तेल का सैम्पल लिया, घी का सैम्पल लिया, सैम्पल तो आपने ले लिया लेकिन आप उसकी जड़ तक पहुंचने का काम करें, जहां से यह उत्पादन हो रहा है, जहां से यह बईमानी हो रही है, जहां यह नकली माल पैदा हो रहा है, वहां तक तो कोई नहीं पहुंचता है और खाली खाना-पूर्ति करके इस अभियान की पूर्ति करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे मार्केट में मिलावटी सामान मिल रहा है, शुद्ध कहीं पर मिलता नहीं है। असली चीज को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? घी में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, गुड़ में मिलावट, शक्कर में मिलावट, शहद में मिलावट, पेय पदार्थों में मिलावट, जहां पर जाओ सब नकली ही नकली और इन नकली के कारण इस प्रदेश में यह हार्ट अटेक की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, यह सारी बीमारियों की जड़ यह हमारा अशुद्ध खान-पान है। हम किसके प्रति जिम्मेदार है? हम हमारे शरीर के प्रति भी जिम्मेदार नहीं हैं। हम क्या खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हम पिज्जा और बर्गर के पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने अन्न दिया है, खाद्यान्न दिया है हमको, वह खाद्य पदार्थ हम नहीं खा रहे हैं। हम ऐसी-ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे हमारा शरीर खराब हो रहा है।

SSY/RTM/25.07.2024/18:00/3I

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक कि डीजल, पेट्रोल में मिलावट, बॉयो डीजल, कास्मेटिक, साबुन, पेस्ट सबमें मिलावट हो रही है। हमारे चित्तौड़ जिले में तो पिछले 5 वर्षों में बॉयो डीजल के अवैध पंप लग गये। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में अवैध बॉयो डीजल के पंप लगे और मैं विधान सभा में बार-बार बोला हूं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका नतीजा यह रहा कि एक माफिया गिरोह चित्तौड़ जिले के अन्दर और पनपा। उसी कारण से यह मिलावटी सामान पर जो लगाम हमको कसनी चाहिए थी, वह कस नहीं पाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम शुद्ध के प्रति युद्ध चलायें और इस कारोबार को ठीक करें। हम सब कहते हैं कि राशन डीलर बेईमान हैं। गेहूं खा जाता है, शक्कर खा जाता है। पहले घासलेट था, केरोसीन खा जाता था। केरोसीन बंद हो गया। राशन डीलर का यदि पेट नहीं भरेगा तो खायेगा क्या? 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। उसका 3 साल कमीशन का भुगतान बाकी है। वह कमीशन सरकार ने दिया ही नहीं। उसका एक तो कमीशन बढाओ ताकि उसका पेट भरा रहेगा तो उसको बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पुराने जितने भी राशन डीलर हैं, उन राशन डीलर को सशक्त एवं मजबूत करने की जरूरत है। गोदाम अच्छे बनाने की जरूरत है। उनसे हर महीने अवैध वसूली होती है। कोई हजार रुपये ले जायेगा, कोई 2 हजार ले जायेगा, कोई 3 हजार रुपये ले जायेगा। उससे क्या खा रहे हो? इस प्रकार से इस विभाग के अन्दर दीमक लगा हुआ है। इस दीमक के लिए दवाई छिड़कने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जितनी भी दुकानें हैं, जिन राशन डीलरों की मृत्यु हो जाती है, वह विभाग के चक्कर लगाता रहता है, आप उनसे चक्कर नहीं लगवायें और समय पर उनके परिजनों को, बेटे को जो भी मांग करें, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।

बड़े-बड़े कस्बों में अन्नपूर्णा योजना के स्टॉल लगने चाहिए। यह अन्नपूर्णा के स्टॉल लगेंगे तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी खाना मिल पायेगा। हमारी अन्नपूर्णा योजना फिर चल करके इंदिरा गांधी योजना हो गयी, वापस अन्नपूर्णा हो गयी। मैं तो यह चाहता हूं कि वह योजना सुचारु रूप से लागू रहे ताकि गरीबों को अन्न मिल सके।

एक निवेदन और करुंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में, अभी किसी ने कहा था उधर से, घनश्याम जी बोले थे शायद या श्रवण जी बोले थे, श्रवण जी ने साफ कहा, उन्होंने कहा हम गेहूं दे रहे हैं। एक नेता आये, मंत्री आये, उन्होंने कहा कि आटा पीसकर दे दो। क्यों उसमें कमीशन खाना है? आटे में भी घाटा? उसमें भी कमीशन खा रहे हैं। कमीशन खाने के चक्कर में उसको आटा पीसकर देने की क्या नौबत आ गई?

फिर अभी देखो आप, अभी पिछली सरकार की बात बताऊं, फूड पैकेट दे दिया। आपने तेल दे दिया। आपने मिर्ची दे दी। आपने पाउडर दे दिया। आपने मिर्ची में हल्दी दे दी। ऐसी हल्दी दे दी जिसका रंग गायब, मिर्ची ऐसी दे दी जिसका दो दिन में रंग गायब, तेल ऐसा दे दिया जो नकली, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बेईमानी के धंधे को मत करो।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज, आपका नंबर आये तब बोलना।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सदस्य, एक ही लाइन में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम वह बेईमानी के कारोबार सरकार द्वारा नहीं चलायें जिसमें बेईमानी की परतें खुलती हों।

खाद्य सुरक्षा के पोर्टल अभी बंद हैं। कम से कम गरीब लोगों को वास्तव में खाद्यान्न मिले, उनके नाम जुड़ें। एक मिनट और लूंगा। अपात्र लोग भी हैं। जो पात्र हैं उनको मिले और जो अपात्र हैं उनके नाम कटे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब मिलकर के पुनः इस देश के अन्दर शुद्ध के प्रति युद्ध चालू करके, शुद्ध खाद्यान्न हम सबको मिल सके, हम सभी निरोगी रह सकें और हम सबको अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे सुना, आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामनिवास जी।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 और 55 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आज सदन में सहकारिता और खाद्य आपूर्ति को लेकर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यह ऐसा विभाग है, जिससे इस प्रदेश की दो तिहाई आबादी सम्बन्ध रखती है। हम सब लोग अगर भारत की असली तस्वीर देखना चाहते हैं तो सहकारी समिति या राशन की दुकान पर जाकर हम लोग यह देख पाते हैं कि हमारा भारत, हमारा राजस्थान कहां है।

माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की सरकारों ने एक आम व्यक्ति के जीवन को किस तरह से हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, इस बात पर चर्चा की। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे नियम सरकार लागू करती है लेकिन धरातल पर हम लोग अगर जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राज्य के सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार और क्रय-विक्रय समिति द्वारा ऐसी कई मेडिकल चलाई जाती है जिनमें आरजीएचएस या पेंशन धारकों को दवाइयां मिलती हैं। आज स्थिति यह है कि कई समितियों की जो कैपिटल शेयर है, उसको जमा करने के बावजूद आज उन मेडिकलों का भुगतान नहीं हो रहा है। उस वजह से एक आम व्यक्ति या पेंशन धारक है, वह वहां दवाई लेने जाता है तो उसको वहां दवाई उपलब्ध नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर कुछ प्राइवेट मेडिकल भी इस योजना से जुडी हुई हैं, जिनका समय पर भुगतान होता है। यह जो आप लोगों ने 2 अलग-अलग नियम बना रखे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा सुधार करें। एक आम व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसको लेकर हम सब लोगों को ज्यादा संवेदनशील बनना चाहिए।

साथ ही रबी एवं ख़रीफ़ की फसल की बुआई के समय हम लोग डीएपी और एनपीके की डिमांड रहती है और बुआई के बाद यूरिया किसान को चाहिए। जब समिति से वह लेकर आता है तो उसके साथ में उसको नैनो यूरिया का और नैनो डीएपी का बैग टैग करके दे दिया जाता है। जब किसान को पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे साथ में यह बैग दे दिया। अब जब समिति को यह कहते हैं तो वह कहते हैं कि इफको से हमारे यहां जो वितरित की जाती है, उसके साथ में वह नैनो डीएपी और नैनो एनपीके भेज दिया जाता है। यह जो मनमानी इफको द्वारा की जा रही है, इस पर नियंत्रण आप लोगों को करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि आपकी सरकार के बारे में प्रदेश में बाहर यह चर्चा है कि आप ब्यूरोक्रेसी के आगे नतमस्तक हो रखे हैं। यह सच है कि चीफ सेक्रेटरी के आगे तो इनके मंत्री, विधायक सब लोग नतमस्तक रहते हैं। राजफैड एक ऐसी संस्था है जिसका अध्यक्ष होता है। जिसके कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए। उसके मुख्य प्रशासक के रूप में आज यहां प्रदेश के मुख्य सचिव बने बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह मंत्री जी कुछ कर पायेंगे उस चीफ सेक्रेटरी के सामने। जिसके सामने पूरी

सरकार नतमस्तक रहती है। कम से कम अपनी इच्छा शक्ति दिखायें और किसान के प्रति कोई फैसला लेने के लिए कोई उचित कदम उठायें।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही, खाद्य सुरक्षा को लेकर आज सदन में सब लोगों ने चर्चा की। यह एक बड़ा मुद्दा है। आज गांवों में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य जब क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, सब जगह हम लोगों को जाना पड़ता है। किसी के दु:ख में भी शरीक होने जाते हैं। कई जगह केस देखे हैं जहां किसी के पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी विधवा है, लेकिन जब सरकार के या उपखंड अधिकारी के यहां, पंचायत समिति में उसके द्वारा अपील की जाती है कि मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा जाये तो उनका एक सीधा सा आंसर होता है कि एनएफएसए का केन्द्र सरकार की तरफ से ऑप्शन बंद है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस डबल इंजन की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि केन्द्र में आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप हर बार ऐसा ही कहते हो कि हमारी डबल इंजन की सरकार आयेगी तो हम यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन यह तो एक जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर तो हम सब लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। इस मुद्दे के लिए आप लोग केन्द्र सरकार में बात करें और इस ऑप्शन को खुलवायें। अगर नहीं खुलवा सकते तो एक ऐसी व्यवस्था करें कि सम्बन्धित उपखंड अधिकारी या कलेक्टर के यहां कुछ प्रोब्लम ऐसी होती हैं आम व्यक्ति के सामने, उसको लेकर अगर वह एप्लाई करे तो उसको जोड़ा जाये।

Spp/Rtm/25.07.2024/18:10/3m

माननीय सभापति महोदय, यह 69:31 का मेन्टेन सुरक्षा में किया जाता है, इन अधिकारियों के द्वारा बार-बार एक आम आदमी को ही इसका उलाहना देकर यह कहा जाता है कि आपका नाम नहीं जोड़ा जायेगा। पिछले कई वर्षों में जो लोग अपात्र थे और इसमें जुड़े। आज वर्तमान में वह पात्र हो गये तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाये ताकि वह 69:31 का जो रेशो आप लोग यहां बताते हो, उसको कम से कम मेन्टेन किया जाये।

राशन डीलर का कमीशन जब से आपकी सरकार बनी है, तब से उन लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है। उनका भरण-पोषण केवल उस कमीशन के भरोसे होता है। वह भी एक गरीब परिवार से होते हैं। गुजरात में आपकी सरकार है, वहां 30 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं उनको। आप भी यहां लागू करो। आप अपनी इच्छाशक्ति दिखाओ। आपकी डबल इंजन की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही पोस मशीनों के नाम पर 2016 से करोड़ों रुपये की जो वसूली की गयी है, उसका आज तक कोई बिल नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ताकि हम सब लोगों को पता लगे कि कितने करोड़ रुपये की आप लोगों द्वारा उसमें वसूली की गयी है।

इसके साथ ही हमारे भंडार से जो गेहूं आता है राशन डीलर की दुकान पर, पोस मशीन से उसका वितरण किया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि भंडार से कम आता है, पोस मशीन से जब वह तोलकर देता है तो वह किसान के पास या एक आम व्यक्ति के पास कम पहुंचता है और उसका ठीकरा कई बार उस राशन डीलर पर फोड़ दिया जाता है। इसकी मोनिटरिंग होनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि राशन डीलर गड़बड़ी नहीं करता। बहुत बार ऐसा भी होता है कई केस में राशन डीलर भी गड़बड़ी करते हैं, लेकिन आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हर जगह आप लोगों ने अलग अलग व्यवस्थापक जो लगा रखे हैं, तीन-तीन समितियों का चार्ज उसको आप लोगों ने दे रखा है। एक आम आदमी जब ऋण लेने जाता है या अन्य कोई सुविधा लेने जाता है तो उसको यह कह कर भेज देते हैं कि आज मैं उस समिति पर नहीं हूं, दूसरी समिति पर गया हूं। अब आप लोगों ने भर्ती बोर्ड भी बना दिया, लेकिन आज तक किसी भी व्यवस्थापक की भर्ती आप लोगों ने नहीं की है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस प्रदेश की जनता को, सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है, उस विभाग के आप मंत्री हो तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुये हम लोगों को कोई कदम उठाना चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंहजी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-50 सहकारिता और 55-खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात, दोनों ही मामले हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और सहकारिता और साहूकार, इन दोनों की एक राशि है। साहूकारी रहेगी तो ही सहकारिता चलेगी। लेकिन किसानों की साहूकारी तो थी, फिर सहकारिता कैसे लोस में जा रही है? मैं जैसलमेर क्षेत्र से आता हूं और वहां की भूमि विकास बैंक, जो किसानों से जुड़ी हुई थी और एक को-ऑपरेटिव सोसायटी बैंक, जो भी किसानों से जुड़ी हुई है, यह दोनों ही बैंकों में एक तो कंगाल हो गयी, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं कि उसके उल्टे ताले लग गये। आज कोई भी उस बैंक में नहीं जाता है। बैंक में कार्यरत कर्मचारी है, वह भी बन्द है, उनकी भी तनख्वाह पता नहीं कौनसे फण्ड से आती है और दी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी को-ऑपरेटिव की बात कर रहा हूं जिसमें बहुत सारी अनियमिततायें हैं। मैं मानता हूं लोकतंत्र के हिसाब से उसमें भी अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष ही उसी व्यवस्थापक को चुनता है और व्यवस्थापक उस हिसाब से आते रहते हैं। वैसे देखा जाये तो व्यवस्थापक भी, यह परिवारवाद चलता रहता है। अध्यक्ष चाहेगा उसको व्यवस्थापक लेता है। फिर उसमें मोनोपोली चलती रहती है और किसान ठगा जा रहा है। किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता है। माननीय समस्या है। आज इन को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा इकट्ठा करके किसी जरूरतमंद को देना और वापस कम ब्याज पर लेकर उस को-ऑपरेटिव को चलाना, को-ऑपरेटिव का मतलब तो यही है। सभी का सहयोग और सबको लेकर चलाना ताकि यह को-ऑपरेटिव बैंक चलती रहे। यह बैंक लोस में नहीं थी। इसमें किसी प्रकार का लोस नहीं था, मिल रहा था। मैं दो बार पहले भी इस पवित्र सदन में आ चुका हूं। बैंक की व्यवस्था

ठीक थी। लेकिन वर्तमान समय में आज कोई नरेगा में मजदूरी करता है और उसका अकांउट को-ऑपरेटिव बैंक में है तो उसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है। कोई क्लेम आ जाता है तो क्लेम का पैसा भी उस किसान को नहीं मिलता है। यदि लोन लेना चाहता है तो वह तो स्वाभाविक ही नहीं मिलता। यह हालात चल रहे हैं। सभी को सहयोग करने की जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष ने नहीं किया और हमने नहीं किया। अपन दोनों कर रहे हैं। किसान कैसे मजबूत हो? किसान को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह अनाज पैदा करेगा तभी तो अपन लोग खा पायेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, इस बैंक के अन्दर सबसे बड़ी समस्या है।

मेरे जैसलमेर का मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरी मांग है कि किसानों को अल्पकालीन ऋण की लिमिट बढ़ायी जाये। लिमिट नहीं बढ़ेगी तो मंहगाईवाड़ा तो चलता आ रहा है, फिर कैसे खेती होगी? उसकी लिमिट तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी तनख्वाह बढ़ रही है, गवर्नमेंट कर्मचारियों की बढ़ रही है, उनके भत्ते बढ़ते हैं तो किसान के क्यों नहीं बढ़ते? किसान को तो मिलना ही चाहिये। मंहगाईवाड़ा आया है, बढ़ा है न तो उसका अल्पकालीन ऋण की सीमा बढ़नी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात कहना चाहूंगा कि वहां पर बैंक का ATM लगा हुआ था, लोग आते थे, कार्ड डालते थे और पैसा ले जाते थे। वह कई महीनों से बन्द करके रखा है। मेरा निवेदन है कि उस ATM को भी चालू किया जाये जैसलमेर में और साथ ही जो पैसा आता है, वह सीधे ही उस किसान के खाते में जाना चाहिये, सोसाइटी में नहीं आना चाहिये। सोसाइटी में आता है और फिर सुविधा शुल्क चलता रहता है, नहीं बोलना चाहिये मुझे। सीधे खाते में आयेगा तो आटोमैटिक काम हो जायेगा।

इसके अलावा अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति हेतु जमीन रिकार्ड है, उसका वैरीफाई तहसील के थ्रू होना चाहिये। तहसीलदार खुद आता है, बिलकुल वह सही तरीके से फैसला करेगा। आदरणीय, यह होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, विशेषकर साहूकार किसान है, जो समय पर दे रहे हैं। लेकिन उनको भी उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, वह गीली क्यों जले सूखी के साथ? जिन किसानों ने अनियमितता की है, अपना समय पर लोन का पैसा नहीं भरा है तो उसको एक तरफ करो, लेकिन सबको साथ में मत करो। किसानों के क्लेम आने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। आदरणीय मेरा निवेदन है इसके अलावा भी किसान के खाते में कोई क्लेम आ जाता है तो वह पैसा भी नहीं मिलता है। किसान का कोई दुर्घटना बीमे का पैसा आता है तो वह भी नहीं मिलता है। प्रीमियम राशि कट रही है लेकिन क्लेम मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है।

इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नहीं कहना चाहिये मुझे, आपके 27 जून, 2023 में मेरे जैसलमेर जिले के नाचना का है समर्थन मूल्य पर चना और सरसो दोनों तुलवा दिये। इसको करीब 13 महीने हो गये हैं। 13 महीने पहले तो, आदरणीय, सरकार आपकी थी। 13

महीने पहले 60 किसानों ने अपना चना-सरसो तुलवाया और इस फर्म का नाम है एस.के.ट्रांसपोर्ट, और इसका मालिक है जीतू नाम से प्रोपराइटर है, 13 महीने से माल चला गया, उधर से तोल दिया और रसीद किसानों को दे दी। आदरणीय, रसीद देने के बाद में जो ट्रांसपोर्टर था, उसने माल को बेच दिया। वह किसान आज तक भटक रहे हैं कि हमें पैसे कौन देगा? उस पर्ची से तो पैसा मिलता नहीं है। पर्ची तो पड़ी है, उसमें लिखा है इतने क्विंटल सरसो तोल दी, इतने क्विटंल चना तोल दिया। किसान आता है और कहता है कि यह पैसा लायेगा कौन? इसका कौन जवाबदेह है? पैसा कौन देगा? मेरा निवेदन है कि यह किसान की समस्या है। वह पैसा उनको किस तरह से मिले, आदरणीय मंत्रीजी, इसका आप जवाब दें। 13 माह हो गये हैं। किसान ने मुश्किल से थोड़ा-थोड़ा जुटाकर दिया होगा और साहूकार जाकर बेचकर आ गया और उसका अता-पता भी नहीं है। राज के अन्दर यह कायदा ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, छोटे से व्यापार में भी इस तरह नहीं होता है। यह बहुत बड़ा राज है। इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। मेरा निवेदन है इसके साथ में और भी बहुत समस्याएं हैं। हमारे यहां आपने MD को चेंज कर दिया और पांच साल के पूर्व MD को भी आपने चेंज किया। व्यवस्थापकों के हिसाब से भी काम हो रहा है और उस MD के पेपर में सबने पढ़े होंगे कि उसके क्या हाल हुए हैं। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैंक कैसे सुधरेगी, किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? आदरणीय, मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं। आज हालात यह है कि किसान अपना क्लेम लेने चले जाये तो उसको पता चलता है कि बैंक में पैसा नहीं है। पैसा बैंक में नहीं है तो आपने बड़ा-बड़ा लोन कैसे पास कर दिया?

MLS/RTM/25.07.2024/18:20/3n

कुछ आदमी जो बड़े लोग थे, उन्हे गाड़ियां दे दीं, ट्रैक्टर्स दे दिये और उन्होंने जमाखर्च में पीछे प्रॉपर्टी में केवल झोंपा बता दिया, केवल झोंपा बता दिया। हम से क्या लेगा, झोंपा लेकर चला जायेगा। मतलब इस टाइप का काम हो गया।

माननीय, ऐसे कई हमारे लोग हैं जिन्होंने केवल हड़पने का काम किया। भूमि विकास की बैंक देख लें, चाहे को-ऑपरेटिव बैंक देख लें। उन्होंने यह कहा, हम तो लोनिंग ले लेंगे, भरने का तो काम नहीं है, ऐसी कई लिस्ट्स आदरणयीय मंत्री महोदय, आपके पास आयी होंगी जैसलमेर की। यही का यही हाल उपभोक्ता का भी हो रहा है। डॉक्टर आपको मैडिसिन लिखता है, उसके लिए, साहब, कि यह तो अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्टर ने लिख दी और आपका शॉप लग गया तो फिर आप मंगवाएं न। क्यों नहीं आ रहा है, किसलिए नहीं लिया, वह चीज तो मिलनी चाहिये न।

माननीय, पेंशनर्स के भी ये हाल हैं। गरीब तबके के लोग भी जाएंगे तो उनसे कहेंगे, यह मैडिसिन ले जाओ, यह क्यों ले जाएं। मेरी भी मैडिकल आती है। मैं जाता हूं, मेरा ऑपरेशन

हुआ है, मेरे स्टेंट लगा हुआ है, यह दवाई चाहिये, यह तो है ही नहीं। यह सब नहीं होना चाहिये। गरीब आदमी के साथ यह नहीं होना चाहिये। उपभोक्ता है, को-ऑपरेटिव के हिसाब से बना है, सबको हिसाब से देनी चाहिये।

यही नहीं माननीय, एक और लफड़ा चल रहा है। चाहे आप किसी भी शॉप में जाएं, उपभोक्ता में जाएं, मैग्जिमम रिटेल प्राइस, बेचान होता है तो 20 परसेंट लैस कर दे, तो वह एमआरआई किस बात का है, वह रेट क्यों लिखा गया है और उसके बाद में रेट कम कैसे हुआ?

श्री सभापतिः अपनी बात समाप्त करें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय, यह बहुत बड़ा मामला है और सदन में डिस्कस होना चाहिये। मैग्जिमम प्राइस लिखी हुई है, उसका ज्यादा होता है तो खराब है और कम होता है तो कैसे हुआ? साहब, यह मामला जो 60 किसानों का है, यह 27 जून 2023 का है। इन किसानों की पीड़ा इतनी है कि हम सबको उसके बारे में सोचना है। इन लोगों को पैसा तो देना है न। किसी ने पांच क्विंटल तोला होगा, किसी ने 10 क्विंटल तोला होगा, और उन लोगों को नहीं मिल रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय, माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री सोहन लाल नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितनी भी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके व्यवस्थापकों की हालत बहुत खराब हैं। समितियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि जितना भी ऋण का ब्याज आना था, वह ऋण माफ करने के बाद ब्याज मिला नहीं। इस वजह से उनकी तनख्वाह तक नहीं निकल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन समिति के व्यवस्थापकों को आप सहकारी बैंकों से जोड़ें। चाहे उनका वेतन सहकारी समितियों से ही दिलाएं, लेकिन उनके ऊपर जो आये दिन समिति बोर्ड का दबाव बना रहता है, तुम्हें हटा देंगे और हम अपने परिवार के लोगों को लगा देंगे, उनकी बहुत बुरी हालत है। उनके परिवार चल नहीं रहे।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुराने व्यवस्थापक जो कम पढ़े-लिखे थे, आज के नौजवान कम्प्यूटर जानते हैं, ऑनलाइन सब काम करते हैं। आपको बहुत बढ़िया कर्मचारी मिलेंगे। उनके कैडर का किया जाये। उनको सरकारी बैंकों में कर्मचारी माना जाये, यह मैं आपसे सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की ऋण माफी की थी।

वह की तो मात्र 10 हजार रुपये थी, परन्तु उसमें एक लाइन डाल दी कि पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी, हालांकि, वे सरकारी कर्मचारी नॉन टैक्स के ही थे, छोटे-छोटे कर्मचारी थे, पेंशनर्स वे थे, जिनके 25-30 हजार रुपये पेंशन आती थी, उनकी ऋण माफी नहीं की गयी,

जिससे आज उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन आ चुका है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, उस लाइन को हटाया जाये, क्योंकि एक बार जो गाइडलाइन बन जाती है, उसे हर सरकार चलाती रहती है।

पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसी गाइडलाइन को माना। मेरा निवेदन है, उस गाइडलाइन को हटाकर जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें आप ऋण माफी नहीं दें, लेकिन जिनके छोटे-छोटे पैतृक कृषि उनके खाते में आ गयी, उन्होंने लोन लिये, उसको माफ किया जाये, या फिर जो दीर्घकालीन लोन हैं, उन किसानों को कृषक सम्बल योजना के नाम पर लोन दिया गया, उनके ब्याज माफ करें, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ब्याज माफ करके एकमुश्त उनसे राशि ली जाये। इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और किसान ऋण भर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे गंगानगर-अनूपगढ़ जिले की जो सहकारी भूमि विकास बैंक है, इसमें पूर्ववती सरकार ने 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की थी और उस व्यवस्था पर आपने 2 परसेंट और बढ़ाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, परन्तु इस बजट में 2 परसेंट बढ़ाने के बाद, 7 महीने हो गये, आपने किसी बैंक को यह राशि नहीं भेजी। उन किसानों की ऋण की फाइलें लम्बित पड़ी हैं। उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी उन किसानों को वह राशि उपलब्ध करायी जाये। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि नाबार्ड द्वारा राज्य भूमि विकास बैंकों की जो निरन्तर कटौती की जा रही है उनको आवंटित राशि में, उसे न करवाकर उनका जो हिस्सा है, उन्हें दिया जाये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि प्राथमिक सहकारी भूमि पर वैद्यनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उन्हें लागू किया जाये। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स का जो आप मार्जिन मनी 2.5 लाख रुपये के आसपास लेते हैं 10 लाख के अन्दर, वह वापस उनको जल्दी नहीं मिलता, इसलिए वे ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके ब्याज के अन्दर ही मारी जाती हैं। उनको कोई फायदा नहीं मिलता उसका। वह जो मार्जिन मनी है, वह जल्दी ही उनको वापस लौटायी जाये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, मांग संख्या 55 पर, खाद्य सुरक्षा में जो उचित मूल्यों की दुकानें हैं, वे जियो टैग के कारण एक जगह बनने लगीं और गांव 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसलिए जब भी वे लोग 5 किलोमीटर की दूरी से जाकर उस दुकान से राशन लेने जाते हैं, कभी तो कहते हैं साहब, अब तो बंट गया, दुकानदारों को एक्स्ट्रा दुकानों के चार्ज दिये हुए हैं, कभी वे नहीं मिलते। मेरा निवेदन है कि 5 या 6 किलोमीटर की दूरी के गांवों में उसी गांव में जाकर बंटवाये जाएं, जो पहले व्यवस्था थी, परन्तु इस जियो टैग की वजह से ये व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा, जितनी भी सहकारी सिमतियां हैं, वे पहले उचित मूल्यों की दुकानों का काम करती थीं, राशन बांटने का काम करती थीं, पिछले समय में वह बन्द कर दिया गया। अगर प्रत्येक

सहकारी समिति को आप यह लाइसेंस दे देंगे तो गांव वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

(समयः बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले दिनों बजट भाषण में पूर्व के हमारे को-ऑपरेटिव मंत्री जी ने कहा था कि 2018 में हमने ऋण माफी की। उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का को-ऑपरेटिव का जो ऋण माफ किया था, वह 84,152 किसानों का 272.69 करोड़ किया था, जबकि 2019 में कांग्रेस की अशोक जी की सरकार ने 79,595 किसानों का कुल 455.98 करोड़ माफ किया था। इससे करीब 89,592 किसान लाभान्वित हुए थे। इस प्रकार का जो ऋण है, उसकी भी अवधि बढ़ायी जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री भैरा राम जी।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 50 - सहकारिता के मूल मंत्र ''एक सबके लिए, सब एक के लिए'', को मजबूत करने के लिए, आम व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मैं अपनी ओर से विभाग को ओसियां विधान सभा के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

mkd/rtm/25.07.2024/18:30/3o

ओसियां विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक-एक नवीन ग्रामीण सहकारी समितियां बने। जीएसएस का गठन हो तो आपके इस श्लोक की सार्थकता होगी। ओसियां क्षेत्र में संचालित अभी भी बहुत से ऐसे जीएसएस हैं, जो भवनविहीन हैं, वहां पर नवीन भवनों की आवश्यकता है। उसके साथ ही गोदामों और भण्डारों का निर्माण हो तो इससे किसान को फायदा हो सकता है।

एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जीएसएस में काफी अड़चन आ रही है। प्रदेश के राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 35 और 37 के तहत एवं राजस्थान सहकारी सोसायाटी नियम, 2003 के नियम 45 में संशोधन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें संशोधन की जरूरत है। इसमें संचालक मंडल में आपके कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 12 होती है, जिसमें से आपके 11 सदस्य ऋणी होते हैं और आपका केवल एक सदस्य अऋणी होता है। खासकर हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर और खासकर ओसियां विधान सभा क्षेत्र में पार्टी विशेष के कुछ लोगों का जीएसएस के ऊपर कब्जा है। वे लोग अपने चहेते लोगों को ही रहने देते हैं और अपने चहेते लोगों को ही ऋणी बनाते हैं और बाकी तो सदस्य के नाम पर बस सदस्य

हैं।

उनके नाम का उपयोग होता है। संचालक मंडल में 12 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य के अन्दर सिर्फ अऋणी के ऊपर मात्र एक सदस्य चुना जाता है। इससे उनके हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। मैं समझता हूं, एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस नारे की भी बहुत बड़ी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

इसमें मेरा निवेदन है कि संचालक मंडल में निर्वाचित होने वाले ऋणी और अऋणी के सदस्यों की असमानता को, इनकी भिन्नता को मिटाते हुए, एकरूपता को रखते हुए और समान रूप से ऋणी तथा अऋणी के सदस्यों की संख्या समान रूप से रखते हुए पांच-पांच सदस्यो का ऋणी और अऋणी सदस्य के रूप निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि इसके अन्दर जो व्यवस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो जिनके चहेते हैं, उन्हीं को ही ऋण देते हैं और वो ही वोटिंग करते हैं। हमारे जीएसएस पर इतने वर्षों से काबिज हो गये।

मुझे याद आ रहा है 2013 से 2018 के बीच में, जब दो दिनों के लिए आपकी विधान सभा स्थगित रही है और आपके ओसियां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपसे 84 करोड़ रुपये मुआवजा मिला था। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के समय में सहकारी समितियों के मार्फत उन किसानों को मुआवजे का बंटवारा हुआ। किसान का एक खेत इस ग्राम पंचायत में था और दूसरा खेत और किसी गांव में था और एक खेत किसी और ग्राम पंचायत में था। इन जीएसएस वालों ने उन भोले भाले किसानों को यह बोला कि आप एक जगह से मुआवजा ले सकते हैं। उन जीएसएस वालों ने उस किसान को एक जगह से मुआवजा दे दिया, लेकिन उन्हीं जीएसएस के व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष ने, जो दूसरी जगह की किस्त आई हुई थी, वह उन्होंने फर्जी साइन करके किस्तें उठा लीं। उसके अन्दर भी करोड़ों रुपये का घोटाला है। यदि आप जांच करवायेंगे तो उसके अन्दर भी बहुत सारा घालमेल निकलेगा।

जीएसएस के अध्यक्ष का कार्यकाल अन्य सहकारी बैंकों की तरह, आपके जिला सहकारी बैंको में, सीसीबी में, दो बार से ज्यादा नहीं हो ताकि अन्य सदस्यों की भूमिका व भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। इन जीएसएस के अधिकांश अध्यक्ष और व्यवस्थापकों के बीच में जो समन्वय और सामंजस्य है, वह नहीं होने के कारण आपके सहकारिता के सिद्धान्तों व उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जीएसएस के ऊपर कार्यरत व्यवस्थापक को, आपके सीसीबी और आपके जिला सहकारी बैंकों को राज्य सरकार के अधीन किया जाये, ताकि नई भर्ती की प्रक्रिया के साथ-साथ में पदोन्नति आदि का सरलीकरण किया जा सके।

मेरा निवेदन है कि जीएसएस पर जो व्यवस्थापक हैं, उनके ऊपर सरकारी कंट्रोल होना चाहिए। चाहे उन्हें आपके सहकारी विभाग में एम्प्लॉय कर लें। यदि सरकार के नियंत्रण में होंगे तो वे गबन भी नहीं करेंगे और गड़बड़ भी नहीं करेंगे। मैं यह बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है।

एक बात बोलना चाहता हूं, उनको इनता-सा मिनिमम वेजेज देते हैं। वह इतने न्यूनतम वेज के अन्दर गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यह आपके लिए, हमारे लिए,

सबके लिए सोचने का विषय है।

ओसियां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नवीन कस्टम हायरिंग केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें। ग्राम सेवा सहकारी समितियों से पार्टी विशेष के राजनीतिक हस्तक्षेप व दखल को कम करने के लिए और आमजन की भागीदारी और भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रदेश के राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत चुनावी प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करना जनहित में बहुत जरूरी है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि आपकी जो चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली है, इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके 11 सदस्य ऋणी में आते हैं और 1 सदस्य अऋणी में आता है। लोन देने वाले आपके पर्टिकुलर कुछ ही संख्या में लोग हैं, जिनको लगातार जीएसएस से लोन मिलता है, उन्हें अपने व्यवस्थापक और अध्यक्ष की सेटिंग से मिल जाता है और अऋणी हमेशा ही अऋणी ही है। वह सिर्फ सदस्य ही रहता है और सिर्फ संचालक मंडल में अपना एक सदस्य आता है, तो वह कुछ कर नहीं सकता है।

आपकी मांग संख्या 55 है। उसमें माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारे ओसियां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपके गेहूं के डीलरों को, कम से कम पांच-सात डीलरों को आपके इंफोर्समेंट ऑफिसर ने रंगे हाथ गेहूं की चोरी करते हुए पकड़ा।

इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपने ऐसा कोई नियम कर रखा है कि इंफोर्समेंट ऑफिसर पुलिस थाने के चक्कर काटता है। वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हो रही है कि इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में रख दिया।

वह आपके पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है। आपके पुलिस थाने वाले भी कह रहे हैं कि आप एसीबी में जाओ और आपके एसीबी वाले बोल रहे हैं कि आप तो पुलिस थाने में जाओ। इसलिए आपके विभाग से मेरा यह निवेदन है कि आपका इंफोर्समेंट ऑफिसर यदि पुलिस थाने में जाये या एसीबी में जाये, आपके जो डीलर दुकान पर रंगे हाथ गेहूं को चोरी करते हुए पकड़े गये, उनके ऊपर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। हमको यह कार्यवाही करनी पड़ेगी।

इसलिए आप कठोर नियम बनायें। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप कठोर से कठोर नियम बनायें और उन गरीब आदमियों को जो अन्न है, जिस पर उनका हक है, वह मिलना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: गणेश घोगरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सहकारिता पर बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, सहकारी समितियां सरकार ने इसलिए खोली हैं कि किसान को उचित समय पर खाद, बीज मिले और उसको उचित समय पर ऋण मिले। किसान यह नहीं चाहता है कि वह सहकारी समितियों से ऋण ले, लेकिन

किसान की मजबूरी है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए वह सहकारी समितियों से लोन लेने की बात करता है, लेकिन उनको समय पर ऋण भी नहीं मिलता है।

अगर किसी किसान को ऋण मिल भी गया तो उसमें व्यवस्थापक या जो भी कर्मचारी है, मिलीभगत से जो 25 हजार का ऋण उसको देना चाहिए, उसको 25 हजार का पूरा ऋण नहीं मिलता है। उसको आधा ऋण मिलता है, यह आप भी जानते हैं। उसके बाद दुबारा उसी किसान को ही ऋण मिलेगा, नये किसान को ऋण नहीं देंगे।

जो कॉ-ओपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक हैं। वह वसूली के लिए कर्मचारियों को कहेगी तो वे कर्मचारी, वह किसान नहीं भर सकता है तो दूसरा लोन पास करके वह पैसा वापस वसूली में दिखा देंगे और उधर किसान का लोन बोल ही रहा है। यह भ्रष्टाचार काफी हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि ऐसी जो सहकारी समितियां हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिन्दुस्तान में, आज पूरे राजस्थान में या हमारे सबके जिलों में सहकारिता से यूरिया, डीएपी और कैमिकल वाला अनाज दे रहे हैं।

Bhs/Rtm/25.7.24/18.40/3p

वो ही किसान उगा रहा है, तो मैं मांग करता हूं कि डीएपी, यूरिया को बन्द करके क्यों न जैविक खाद दिया जाये उनको, जिससे यह केन्सर की बीमारी और बीपी वगैरह जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो कम हो। आपने भी मिलावट की बात की तो वास्तव में ऐसा होना चाहिये कि जैविक खेती पर जोर देना चाहिये तब तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तब तो यह हमारे मंत्री भी बनेंगे और एम.एल.ए. भी बनेंगे और प्रधान मंत्री भी बनेंगे, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो क्या करोगे मंत्री और एम.एल.ए. बन कर और अच्छे अधिकारी बन कर।

आज मिलावटखोरी इतनी हो गई है, ...(व्यवधान)... बहुत हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत ढाणा, ग्राम पंचायत चूंडावड़ा, ग्राम पंचायत पाल देवल, ग्राम पंचायत सतीरामपुर, ग्राम पंचायत कनबा, ग्राम पंचायत घूघरा, ग्राम पंचायत रामपुर मेवाड़ा और दोवड़ा की बस्सी सहकारी समिति लैम्प्स वहां पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनका भी माफ हुआ है तो मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों की जांच होनी चाहिये और जो भी व्यवस्थापक हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि ग्राम पंचायत मझोला और ग्राम रोहनवाड़ा में सहकारी समिति नहीं है तो आप जल्दी वहां पर सहकारी समिति

खोलें जिससे किसानों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मिड डे मील की बात, जो स्कूलों में पोषाहार वितरण हो रहा है, उसमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और मिड डे मील भी प्रशासन की मिलीभगत से इनके ही लोगों को मिल रहा है तो मिड डे मील में जो टेंडर किया है आपने उनको निरस्त करायें। एक ही समाज के व्यक्ति को मिल रहे हैं टेंडर, यह कैसे हो गया? मतलब एम.डी. और विभाग की सबकी सांठगांठ चल रही है तो इसमें भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिये और जो अभी टेंडर हुए हैं उनको निरस्त किये जायें और कॉऑपरेटिव बैंक में जो एम.डी. वगैरह जो भी लगे हुए हैं उन सबका कमीशन रहता है माननीय मंत्री महोदय, यह जांच कराइये आप और इनके खिलाफ कार्यवाही करें। डबल इंजन की सरकार ऐसा काम करेगी तो मानेंगे हम कि डबल इंजन की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से हमारे खाद्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में 77 साल हो गये देश को आजाद हुए लेकिन कागजों में वहां पर लिखा जा रहा है कि राशन की दुकान किसके नाम, उमेश भील के नाम, रामलाल डामोर के नाम, हीरा लाल भील के नाम, लेकिन वहां मौके पर वह भील राशन की दुकान नहीं चला रहा है वहां कोई और दूसरे वर्ग का राशन की दुकान चला रहा है और यहां खाली हम जान रहे हैं कि एसटी को आरक्षण मिल रहा है, एसटी को फायदा मिल रहा है तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो राशन की दुकान आदिवासियों के नाम है वो आदिवासी ही चलायें उनको ही मिलनी चाहिये और जो दूसरे नाम से चला रहे हैं उनका लाइसेंस निरस्त करें उनको तुरन्त हटाया जाये। यह माननीय मंत्री महोदय, आपसे मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा में जो अपात्र लोग हैं, टी.एस.पी. में कौन से अपात्र लोग हुए, टी.एस.पी. में तो सभी पात्र लोग हैं। वहां पर लघु सीमान्त कृषक हैं। एक बीघा, दो बीघा जमीन हैं और पथरीली पहाड़ी जमीन हैं, वहां तो सभी पात्र हैं। पात्र और अपात्र क्या होता है टी.एस.पी. क्षेत्र में तो सभी पात्र हैं, सभी का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाये। पहले जो एक राशनकार्ड था बाप के नाम तो बाप के चार बेटे थे, चार बेटों की शादी हो गई, छोटा बेटा हमारे समाज में बाप के साथ माता-पिता के साथ रहता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सर, एक मिनट। तीन बच्चों का तो घर अलग-अलग बनाया, उनके बच्चे भी शादी करने लायक हुए लेकिन उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, तुरन्त पोर्टल खुलवायें, दिल्ली जायें, मोदी जी के पास जायें और तुरन्त पोर्टल खुलवा कर जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाये और उनको फायदा दिया जाये।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि एक व्यक्ति को अभी पांच किलो गेहूं मिलते हैं और हम मेहनत करने वाले हैं खेतों में पांच किलो गेहूं हम महीना भर नहीं चला सकते हैं। चार-चार रोटी खाते हैं, वो पूड़ी वाली रोटी नहीं खाते हम। वो भी वज़न वाली खाते हैं। आपका तो खाली दो-दो पूड़ी में पेट भर जाता है लेकिन मेहनत करने वाले किसान का

पेट नहीं भरता है, चार रोटी वह भी मोटी खाता है तो मैं मांग करूंगा कि प्रति यूनिट व्यक्ति का दस किलो गेहूं किया जाये। ...(व्यवधान)... प्रति यूनिट दस किलो गेहूं किये जायें।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह भी मांग करूंगा कि आजकल गांवों में बिजली बिलकुल गुल हो गई है शाम को आठ बजे आयेगी तो सुबह...।

श्री सभापतिः सब्जेक्ट। सब्जेक्ट।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं मांग कर रहा हूं। वो बता रहा हूं। सब्जेक्ट यह है सभापति महोदय, कि केरोसीन चालू करें। सभापति महोदय, केरोसीन चालू करें, केरोसीन मिट्टी का तेल चालू करें तो हमारे बाप-दादा पहले चिमनी जलाते थे, लालटेन जलाते थे तो उजाले में रह सकते थे इसलिये बिजली नहीं मिल रही है तो वापस हम चिमनी तो जला सकें कम से कम, इसलिये मांग करना चाहूंगा कि आप केरोसीन वापस चालू करें।

माननीय मंत्री महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत एक किलो शक्कर, गेहूं जो भी सामग्री थी, फ्री में दी थी लेकिन आपकी सरकार ने वो खाली थेली मोदी जी की दे दी है। हमारी तो थेली भर कर दी थी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने लेकिन आप अभी राशन की दुकान पर खाली थेली दे रहे हो, तो खाली थेली में कुछ भर कर भी तो दो क्या एडवर्टाइज ही कर रहे हो क्या?

माननीय मंत्री महोदय, आपसे मांग करना चाहूंगा कि यह मेरी मांग पूरी की जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, इस बजट 2024-25 में गांव, गरीब, किसान के लिए, सहकारिता के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी ने बजट दिया है। किसानों को ध्यान में रखते हुए 23 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा। पांच लाख किसान नये ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 736 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे। दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जायेंगे। नये गोदाम निर्माण 150 जी.एस.एस. के लिए बनाये जायेंगे। ब्याज भण्डारण के लिए भी 2,500 किसानों को 22 करोड़ की सब्सिडी दी जायेगी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गांव, गरीब, किसान के लिए अंत्योदय, आपको ध्यान होगा फसल बीमा योजना लागू की तो भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी ने के.सी.सी. कार्ड से लगा कर जो कार्य किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी प्रदेश में और भारत में शासन मिला है तो गांव, गरीब, किसान के लिए कल्याणकारी योजना लाकर ढाणी तक पहुंचाने का कार्य किया है।

मांग संख्या 50 एवं 55, सहकारी समितियों द्वारा जो नवीन सदस्यों की साख सीमा बनाई जाती है वह अपने आप जनरेट होती है अधिकतम पच्चीस हजार और बड़े किसान होते हैं उनको ज्यादा मिलने चाहिये। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय, कि महाराष्ट्र, गुजरात जहां सहकारी समितियां, गुजरात में जाने का अवसर

मिलता है तो पता लगता है कि सही तरीके से दूध डेयरी से लगा कर चलती है तो मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की भी टीम जाकर उनका आकलन करके उस बारे में सुझाव लेकर सही ढंग से अपने यहां भी राजस्थान में अच्छी तरह से व्यवस्था बने तो किसानों के लिए और सबके लिए ठीक रहेगा।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग रखूंगा। भाटा सिणधरी, फूलन समदड़ी एवं भूखा भगतसिंह जी में गोदाम नहीं है तो गोदाम बनाने के लिए मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा और पंचायतवाइज जी.एस.एस. होना जरूरी है। एक निवेदन और करूंगा कि हमारा पश्चिमी क्षेत्र है भू-भाग बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर आप जी.एस.एस. सहकारी समिति होती है ...

Kas/rtm/25.07.2024/18.50/3q

कई लोगों को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर खाद्य लेने के लिये जाना पड़ता है। अगर यह व्यवस्था भू-भाग को देखते हुए रेवेन्यू विलेज तक भी हो जायेगी तो किसानों के लिये सहूलियत रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, फसल बीमा योजना होने के बाद व्यवस्थापक द्वारा कई जगह किसानों का बीमा काट लिया जाता है और उनकी साख सीमा का भी ध्यान नहीं रहता है। पिछले समय एक व्यवस्थापक ने 5-6 करोड़ की गड़बडी की थी तो उनको तत्कालीन मंत्री जी ने सस्पेंड किया था। पोकरण विधान सभा क्षेत्र में फलसून, राजमताई, दांतल में 2021-22 में लगभग 10 हजार किसानों के खाते से 30 करोड़ के आसपास का मैनेजरों ने फर्जीवाड़ा किया था। इसकी एसओजी से जांच कराकर किसानों को न्याय दिलाने की मंत्री महोदय व्यवस्था करें। ऐसे कई मामले पोकरण और जैसलमेर में हैं। अभी माननीय सदस्य छोटू सिंह जी भी बता रहे थे कि वहां किसानों को पता ही नहीं है, किसानों के नाम पर फर्जी लोन लेकर फसल बीमा योजना के तहत फायदा उठाया गया। आप इसकी भी जांच करवाएं और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, बीपीएल खाद्यान्न सुरक्षा योजना के परिवारों के साथ, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि एपीएल परिवारों को भी नॉमिनल मूल्य पर खाद्यान्न मिलना चाहिये। प्रदेश में राशन डीलरों को वेतन कम मिल रहा है। पोस मशीनें पुरानी हो गई हैं, उनको चेंज किया जाये। हम गांव-ढाणी में देखते हैं तो कई परिवार इससे वंचित रह गये और कई सम्पन्न परिवार जुड़ गये। वह अपनी इच्छा से कटाये या नहीं कटाये, पर गरीब परिवार को खाद्यान्न मिले, इसके लिये सर्वे करवा कर उनके नाम जोड़े जाएं। पहले हर किसान लोन के लिये साहूकार के पास जाता था, अब सहकारिता से लोन मिल जाता है तो खेती के लिये थोड़ी आसानी हो जाती है। यह अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है, इसे और मजबूत करें। वैसे हमारे दोनों मंत्री युवा हैं, सरल हैं और काम करने का माद्दा भी रखते हैं। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह इन दोनों विभागों में अच्छा काम करेंगे। सभापति

महोदय, उम्मीद और आशा के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 व मांग संख्या 55 सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति पर बोलने का अवसर दिया। आज देश में बैठी यह सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि आज हम पूरे 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क गेहूं दे रहे हैं, लेकिन शायद यह भूल गये कि आप दे नहीं रहे, आपकी यह मजबूरी है, क्योंकि यूपीए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अधिनियम लेकर आई थी, उसके तहत गरीब परिवार को यह निशुल्क गेहूँ देना आपकी मजबूरी बन चुकी है। चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो, यह तमाम व्यवस्था देश में यूपीए सरकार ने दी, जिससे कि पंक्ति के अंतिम छोर पर जो दलित, किसान, मजदूर बैठा है, उसका भला हो सके। आज इस मगरमच्छी आंसू बहाने वाली सरकार ने क्या दिया, जीएसटी लगाने का काम किया, नोटबंदी लाने का काम किया।

श्री सभापतिः यह सब्जेक्ट कहां है?

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, यह सब्जेक्ट ही है।

श्री सभापतिः सब्जेक्ट पर बोलो, वरना सब्जेक्ट की बात रह जायेगी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आपने समय दिया, मैं उसी हिसाब से बोलूंगा। इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया है। इस सरकार ने किसानों को कुचलने का काम किया है। इस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को पनपाने का काम किया है।

आज हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से कैप लगा रखी है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवार का उसमें नाम नहीं जुड़ रहा है। आज सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि उसमें नाम जुड़ना चाहिये। कोई नई विवाहिता आती है, या बच्चे का जन्म होता है, उन परिवार के सदस्यों का नाम भी इस खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा। एक गरीब को राहत देने के लिये मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी गरीब का चूल्हा जलाने के लिये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आये थे। आज इस भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को उस गरीब का जो चूल्हा जल रहा था, वह उनको रेवड़ी नजर आ रही है और उस योजना को बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में राशन डीलरों की भी मांग है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में चाहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण करने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केन्द्र में सामग्री वितरण करने की बात हो, चाहे प्रवासी योजना के तहत गेहूं वितरण की बात हो, उनका आज भी कमीशन बकाया है। यह सरकार उनका कमीशन नहीं दे रही। समय रहते उनका कमीशन देना चाहिये और उन राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने का काम भी यह सरकार करे।

आज हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं कि मिलावट के लिये हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन मिलावट के खिलाफ सरकारें गंभीर नहीं है। आज कार्यवाही तो होती है, लेकिन वह

गांव में बैठे छोटे व्यापारी पर होती है, बड़े मगरमच्छ हमें नजर नहीं आते। आज पशु धन घट रहा है, पशु पालकों की संख्या कम हो रही है। चाहे हमें कितना भी घी लेने की जरूरत हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, वह कहां से आता है? हमें आज उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की जरूरत है, जिन्होंने बड़े-बड़े राजनेताओं के संरक्षण में पूरे देश में इसको व्यापार बना रखा है। खाद्य सामग्री में जो मिलावट का काम कर रहे हैं, जब तक बड़े मगरमच्छों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक छोटे व्यक्तियों पर कार्यवाही करने से कुछ नहीं होगा।

आज माननीय सदस्य बहुत बोल रहे थे, कोई तो कह रहा था मैं तो किसान का बेटा हूं, कोई कह रहा था मैं खुद किसान हूं, मैं किसान के रूप में इस विधान सभा में आया हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब किसान के सम्मान की बात आती है, जब बात आती है किसान के स्वाभिमान की, जब बात आती है किसान के दुख-दर्द दूर करने की, जब बात आती है किसान के आंसू पोछने की, तब उसी माननीय सदस्य के मुंह पर ताला लग जाता है। कोई भी किसान के समर्थन में बात नहीं करता। कोई भी किसान के समर्थन में आवाज नहीं उठाता। 700-700 किसानों ने शहादत देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उन किसानों के समर्थन में नहीं आया। मात्र मगरमच्छी आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, किसानों के लिये धरातल पर काम करना होगा। किसानों के लिये आपको आवाज उठानी होगी।

जब हम पांच वर्ष तक सत्ता पक्ष में थे, आप जब विपक्ष में थे, आप रोजाना बोलते थे कि आपने किसानों के लिये क्या किया? आपके नेता ने दस दिन की गिनती चालू कर के कही थी, लेकिन हमारे कांग्रेस के शासन काल में सहकारी बैंकों के 15 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया और आपके नेताओं ने क्या कहा, कि किसान की आदत खराब ना करें, किसान खराब हो जायेगा, लेकिन किसान वह व्यक्ति है जो देश का पेट भरता है, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाये, लिया हुआ कर्ज वापस चुकाने का काम किसान करता है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने बार-बार विपक्ष के साथियों को कहा था, सांसदों को कहा था कि मैं आपके साथ दिल्ली चलने के लिये तैयार हूं, सैटलमेंट समझौते के तहत आप राष्ट्रीय बैंकों का लेकर आइए, हमारे किसान के हिस्से की राशि राजस्थान सरकार भरेगी, लेकिन पूंजीपतियों को पनपाने वाली यह सरकार किसान के दुख-दर्द को समझ नहीं सकती। आज तक आपने कर्ज माफी की बात नहीं की, आपको 8 महीने सरकार में आये हुए हो गये। हमने तो 10 दिन में कर्ज माफ किया था, आप बताइए, कितने किसानों का कर्ज माफ करेंगे? आपके मुख से किसान, दलित की आवाज मगरमच्छी आंसू की तरह है। आज पूरे प्रदेश में किसान संकट में है, उसको बिजली नहीं मिल रही, लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी विधायक किसानों के समर्थन में इस सदन में यह नहीं बोला कि उन्हें समय पर बिजली देनी चाहिये, जिससे कि वह फसल पका सके। आप भी जब अपने क्षेत्र में जाओगे तो आपको भी किसान पूछेगा, मजदूर पूछेगा, दलित पूछेगा कि हमने आपको पार्टी

का गीत गाने के लिये नहीं भेजा था, मोदी चालीसा पढ़ने के लिये नहीं भेजा था, हमने आपको सदन में इसलिए भेजा कि आप किसान की आवाज उठायेंगे, आप मजदूर की आवाज उठायेंगे, आप दलित की आवाज उठायेंगे। आप तो 24 घंटे मोदी चालीसा पढ़ने में रहते हो। 24 घंटे पार्टी के गीत गाने में रहते हो। जो बजट आया, आप बता दें कि राजस्थान को उस बजट में क्या मिला? जो आप 24 घंटे मोदी चालीसा पढ़ते हो, उस मोदी जी ने राजस्थान के लिये क्या किया है, राजस्थान को क्या दिया है?

msk/rtm/25.07.2024/1900/4a

हमने दो बार 25-25 सांसद देकर भेजे, लेकिन एक भी काम आपकी सरकार ने नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, किसानों को मात्र 5 हजार रुपये का ऋण सहकारिता के माध्यम से दिया गया है। पुराने किसानों को भी डेढ़ लाख तक ऋण नहीं मिल रहा है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप उन किसानों को ऋण देने का काम करें, जिससे कि किसान फसल की बुआई कर सके। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अभी टाइम नहीं हुआ है। आप मुझे टाइम दें।

श्री सभापति: अभी दस सदस्य और बोलने बाकी हैं।

श्री अमित चाचाण (नोहर): किसानों की बात शायद सदन को पसंद नहीं है। इसलिए मेरा समय काट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है।

श्री सभापति: किसानों पर सब बोलेंगे।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं माननीय सहकारिता मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारी जो सहकारी समितियां गोदामों से वंचित हैं, उन गोदामों को भी बनाने का काम करें। कल हमारे जोगाराम जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक भी मृत गाय को पैसा नहीं दिया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिले के अन्दर 7 करोड़ 36 लाख रुपये, लंपी रोग से जो गाय मृत हुई थीं, उनका क्लेम हनुमानगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने दिया है। मैं तो इतना ही कहूंगा:-

पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही,
हो आग कहीं भी, आग जलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
अब तो ये सूरत बदलनी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने के लिए समय देने पर आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही, मैं बताना चाहूंगा कि मैं धरियावद के उस इलाके से आता हूं, जहां पर जाखम का पानी हमको उपलब्ध होता है। वहां के किसान

पूरे संभाग में सबसे अच्छी पैदावार देते हैं। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जैविक खाद उपलब्ध करायें। जब तक करवायें तब तक डीएपी यूरिया की डिमांड रहती है। वहां पर हर साल किसानों में बहुत जबरदस्त मारामारी रहती है। वहां पर कालाबाजारी इस हद तक होती है कि 277, 280 के नाम पर जो खाद की प्रिंट रेट है, उसके अलावा 400-450 ली जाती है। मैं एक बात इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो किसान मेहनत करके, जमीन चीरकर अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान इस खाद, बीज, यूरिया एवं दवाइयों के लिए लाइन में लगता है और रोते हुए वापस घर जाता है। छोटे बच्चों को घर पर रखकर माता-बहनें वहां पर लेने आती हैं।

साथ में, यह बताना चाहूंगा कि मंत्री जी भी उस इलाके से वाकिफ हैं और डबल इंजन की सरकार भी है। आप बड़ी सादड़ी के एक पाइंट लगायेंगे तो पूरे इलाके के अन्दर खाद बीज आसान हो जायेगा। साथ में, धरियावद ब्लॉक स्तर क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्वीकृत है, उसकी जमीन भी स्वीकृत है और बजट भी है, लेकिन अभी तक, या तो अधिकारियों की लापरवाही है, वहां पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति अभी तक नहीं बनायी गयी है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनवायें, ताकि वहां के लोगों को आसानी से मिल सके।

वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ किया गया था। कई लैम्प्स में ऋण माफी में घोटाला हुआ। जिन लोगों ने कभी लोन नहीं लिया, उनका भी लोन माफ हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि धरियावद विधान सभा के अलावा प्रतापगढ़ जिले की समस्त लैम्प्स की ऋण माफ की जांच की जाये। प्रतापगढ़ में सहकारिता विभाग का भूमि विकास बैंक संचालित है। भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली की जा रही है। कई किसान जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनके पोते-पोतियों से भी वसूली की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए।

साथ ही, मैं नागरिक उपभोक्ता पर बताना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया के अन्दर हमारे लोगों के घर कई दस किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, इधर- उधर हैं। वहां पर नियम बना हुआ है कि 500 राशनों के साथ में एक नयी राशन की दुकान खोली जा सकते हैं। हमारे इलाके के अन्दर रियायत दी जाये और 400 लोगों के बीच में एक राशन की दुकान खोली जाये। 70 वर्ष के आसपास जो बुजुर्ग हैं, उनको घर-घर जाकर राशन बांटा जाये। साथ में, बहुत सारे परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कोई पात्र भी है तो पंचायतवार उसकी सूची बनाकर नये सिरे से खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाएं। नयी राशन की दुकान हमारे इलाके में खोलने की जरूरत है। साथ में, राशन की सप्लाई घर-घर पर देने का जो प्रस्ताव है। यदि हम मोहल्ले-वाइज बांटने जाएं तो उन लोगों के लिए और बेहतर हो सकता है। कभी-कभी यह भी होता है कि अंगूठा तो लगवा दिया जाता है, लेकिन उसे अगले महीने तक राशन नहीं दिया जाता है।

राशन डीलरों की भी एक मांग है। गोदामों से जब माल तोलकर आता है तो 2 परसेंट

छीजत होती है तो उनके लिए माल कम पड़ जाता है। उनको 2 परसेंट अधिक भेजा जाए। वहां पर राशन डीलरों का मानदेय फिक्स होना चाहिए। उनके साथ में जो एक्स्ट्रा कार्मिक लगता है, उसका भी मानदेय फिक्स होना चाहिए। साथ में, मैं यह बताना चाहूंगा कि उपभोक्ता मामलात के अन्दर हम कब और कितनी जांच करते हैं? क्योंकि गांव के अन्दर कोई डॉक्टर है, कोई बीमार है तो एक दवाई के साथ में आठ से दस प्रकार की दवाएं बिना जांच के लिखवाते हैं। जितने भी मेडिकल है या जितने भी इलाके हैं, वहां पर इन दवाइयों की भी जांच की जाये। साथ में, मार्केट के अन्दर जितनी भी बड़ी दुकानें हैं, सोना-चांदी की, इसमें हमारे इलाके के अन्दर 30 से 40 परसेंट की मिलावट पायी जाती है। इसलिए मिलावट की जांच की जाए। साथ में, जो आंगनबाड़ी और स्कूल हैं, वहां पर टेण्डर के माध्यम से कई बार जो अनाज दिया जाता है। मैंने खुद दो साले पहले इसको देखा हुआ है। कभी-कभी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, दो-चार, छह-छह महीने की, उसके बाद भी वह अनाज गांवों में बच्चों को बांटा जाता है। कभी-कभी हालत यह होती है कि बच्चे तो नहीं खाते, भैंसों को अनाज देते हैं तो भैंसें भी उससे मुंह फेर लेती हैं, कभी-कभी इतना गंदा मिलता है। हम लोगों को इसकी जांच करनी चाहिए। गांव के अन्दर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वे पढेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। इसलिए बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में, एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार ने एमएसपी भाव पर सारी चीजें खरीदने का वादा किया था। आपकी सरकार में एक वादा बाजरे को लेकर भी था, लेकिन बाजरे की खरीद एमएसपी भाव पर नहीं की जा रही है, जिससे पूरे राजस्थान के किसानों में थोड़ा-सा आक्रोश है। इसे देखते हुए आप किन-किन चीजों को एमएसपी भाव पर खरीदेंगे? आपने जो वादा किया है, वह पूरा होना चाहिए। मैं इतना कहूंगा:-

चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोते हैं,
हम किसान के बेटे हैं, चैन से कभी सोते नहीं हैं।

धन्यवाद।

श्री सभापतिः पितराम सिंह काला।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50-सहकारिता व मांग संख्या 55-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। माननीय सभापति महोदय, पहले जो सहकारी बैंक थे। उनमें खेतों के अन्दर आवास योजना के तहत 5 प्रतिशत ऋण योजना चालू थी। उसको जारी रखा जाये, वह बन्द कर दी गयी है। किसानों को इस हेतु अनुदान दिया जाये। अतः मैं मांग करता हूं कि खेतों में आवास योजना, जो बन्द कर दी गयी है, वह चालू की जाये।

कांग्रेस की सरकार द्वारा सहकारिता विभाग में 06.10.2023 को भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी थी, जिस पर रोक लगा दी गयी है। अतः मेरी मांग है कि भर्ती नवीनतम एवं

वास्तविक पदों के अनुसार नया स्टाफ स्ट्रेन्थ निर्धारित कर शीघ्र ही भर्ती की जाये। झुन्झुनू जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी है। हर शाखा में कार्मिकों की कमी है। सहकारी बैंक किसानों को ऋण वितरण करता है। स्टाफ की कमी से किसानों का अनावश्यक विलम्ब होता है। इससे किसान ऋण से वंचित रह जाते हैं और उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए वेयरहाउस के निर्माण हेतु सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाये। पिछले दिनों देखा होगा कि जब प्याज निकला था, तो 10-15 रुपये था और आज वह 60-70 रुपये चला गया है। वेयरहाउस वालों की व्यवस्था होगी तो किसान को उसका फायदा होगा।

राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा संवर्ग के निरीक्षकों की पदोन्नति व कैडर स्ट्रेन्थ में वृद्धि की जाये तथा इसकी प्रक्रिया को सरल किया जाए। जो राजस्थान स्टेट सर्विसेज है, उनकी पदोन्नति होती है, वह तो समय पर हो जाती है। लेकिन सबोर्डिनेट सर्विस वालों की पदोन्नति नहीं होती है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उनकी भी पदोन्नति निश्चित समय पर की जाये।

इसी के साथ सहकारिता विभाग के कार्यालय हेतु जिला मुख्यालय पर सहकार भवन का निर्माण करवाया जाये। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी सहायता जारी करवायी जाये। इसी के साथ केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं हेतु नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में नि:शुल्क भूमि आवंटित की जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनी हुई है। पिलानी ब्लॉक में क्रय-विक्रय सहकारी समिति नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि पिलानी ब्लॉक में भी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनायी जाएं।

mdp/rtm/25.07.2024/19:10/4b

सभापति महोदय, एक-एक राशन डीलर के पास, दो-दो तीन-तीन राशन डीलर का चार्ज है, इस कारण वितरण कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। मैं मांग करता हूं कि राशन डीलरों की संख्या बढ़ाई जावे। उनका जो कमीशन बकाया है, वह भी तुरंत दिलाया जावे। अभी आप सरकार की बात कर रहे थे, केन्द्र की और राज्य की भाजपा सरकार ने, दोनों ने रिकॉर्ड पर कहा था कि ऋण माफ करने से किसानों की आदत खराब होती है। किसान फिर जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाते। ये तो आपकी मानसिकता दर्शाती है। शायद ये सरकार भूल जाती है कि किसान इतने स्वाभिमानी होते हैं कि कर्ज न चुका पाए तो अपनी जान तक दे देते हैं। उन किसानों का आपने अपमान किया है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि वह खुद किसान रहे हैं। उन्होंने हल जोते हैं। अगर सच में ऐसा है तो उन्होंने कभी ऋण लिया होगा, उनको जवाब देना चाहिए कि क्या किसान ऐसी सोच रखता है?

हमारी मांग है कि 29 जुलाई को जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें, तब वे राजस्थान में

किसानों की कर्ज माफी की घोषणा करें। कोविड के दौरान 64 लाख विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ियों के 46 लाख विद्यार्थियों के घर तक मिड-डे-मील के कॉम्बो पैक उपलब्ध करवाए थे। अब आठ महीने से विद्यालयों के अन्दर और आंगनबाड़ी के अन्दर जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उनको ये कॉम्बो पैक नहीं मिले हैं, न ही दूध मिला है। उनको वह उपलब्ध करवाए जाए।

सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि उपज मंडी समितियों की समस्त पुरानी बकाया राशि वसूली व प्रकरणों के निस्तारण हेतु ब्याज माफी योजना, 2023 चलायी गयी थी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मापदंडों में शिथिलन प्रदान करते हुए हिस्सा राशि 5 लाख रुपये से कम कर 3 लाख रुपये एवं सदस्य संख्या 500 से कम कर 300 किया जाए। 1141 ग्राम सेवक सहकारी समितियों में नये गोदामों का निर्माण किया जावे। 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाए। चुनाव आयोग, 17602 सहकारी सोसायटीज में से 15582 सोसायटीज के निर्वाचन करवाए जाए। 12 मिनि बैंक खोले गये, उसमें 2036 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक-दो बात और कह देता हूं। एक ही कागज है। हमारी सरकार ने जनता के साथ फ्रॉड करने वाली क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटीज जैसे आदर्श, संजीवनी आदी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। संजीवनी केस में तो कौन-कौन आरोपी हैं, पुलिस डायरी में किस-किस के नाम हैं, वह सबको पता है। सरकार से निवेदन है कि सत्ता बदलने के बाद उन कार्यवाहियों को कमजोर नहीं किया जावे। जो दोषी हैं, उन्हें जेल में डाला जाए एवं पीड़ितों का पैसा वापस दिलाया जावे। सभापति महोदय, जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद है, उसे तुरंत खोला जाए। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। आपने बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भीम। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री सुरेश धाकड़।

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी किसान के ऊपर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। माननीय नोहर से आने वाले सदस्य बहुत किसान-किसान कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे सामने बैठे हुए सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि मैं खुद किसान हूं। किसान का बेटा भी हूं। इस सदन में किसान की बात भी करूंगा। अगर किसी को लगे कि खेती का काम करने में कहीं संशय हो तो मैं उसकी परीक्षा देने को तैयार हूं कि खेती का कौनसा काम करने में, आप किसी भी काम में मुझसे फर्स्ट नहीं आ सकते, इस बात की भी मैं चुनौती देता हूं। केवल हल्ला गुल्ला करना, नोटबंदी की बात आ गयी। नोटबंदी की बात, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करूंगा कि मैं जब पिछली बार विधायक था, उस समय हमने जावदा क्षेत्र में बैंक खुलवाया था। उस बैंक की ऐसी स्थिति थी कि बैंक मैनेजर मुझे कहते थे कि आपने रिकमंड की, बैंक खुल गया, लेकिन ये बंद हो रहा है। जैसे ही नोटबंदी हुई, सारे लोग उस बैंक में पैसे जमा कराने लगे, उस बैंक मैनेजर ने

मुझको धन्यवाद दिया और वह बैंक आज की तारीख में स्टेबल है। ऐसे ही सहकारी समितियों में लोगों ने बहुत सारी जगह पैसा जमा कराया और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

सभापति जी, अभी कर्ज माफी की बात चल रही थी। पिछली बार जब हमने कर्ज माफी की थी। जब हम सरकार में थे वसुन्धरा जी के समय पर, तो हमने उनको साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया कि आपको इतने रुपये तक का लोन माफ किया जाता है ताकि व्यवस्थापक, अध्यक्ष या कोई भी गड़बड़ नहीं कर सके। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा की थी कि हम सारा ऋण माफ कर देंगे, लेकिन उस समय जनता, किसान भोला होता है। झांसे में आ जाता है और आपको बटन दबाकर के सरकार बना दी। लेकिन जब आपके काले कारनामे उनको पता लगे तो अभी आपकी संख्या सिमट कर कितनी रह गयी, वह आपके सामने हैं।

सभापति जी, एक लम्पी बीमारी की बात भी माननीय सदस्य ने की थी। मुझे जिला प्रमुख रहने का मौका मिला, सभापति महोदय, उसमें आपका भी बड़ा योगदान था, क्योंकि मैं दूसरी बार चुनाव हार गया था 1500 वोट से। उस समय सरकार तो लफड़े में थी, पता नहीं इधर-उधर, कोरोना में, लम्पी में आप लोग तो गायब थे। आपकी सरकार होटलों में निवास कर रही थी। उस समय इनके ज्वाइंट डायरेक्टर मेरे पास आए कि आप जिला प्रमुख हो, कुछ दे सकते हैं क्या? मैंने कहा कि दस लाख रुपये से लेकर आपको जितने चाहिए बीस, तीस, चालीस, पचास लाख, मैं इस लम्पी बीमारी केलिए देना चाहता हूं। बाद में दिक्कत ये आयी थी कि कानूनी रूप से जिला प्रमुखों को अनुमत नहीं कर रखा था। अब मैं इस सदन में आ गया हूं तो मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई बीमारी आए तो उस समय जिला परिषदों को भी दस, बीस, पचास लाख रुपये, क्योंकि एमएलए के पास एक फिक्स फंड होता है और जिला परिषद में पैसा होता है। अगर ऐसी कोई बीमारी आए तो सरकार इसमें अनुमत करे ताकि जो बोल नहीं सकता है, जानवर के लिए अगर पैसा मिल जाएगा तो बढ़िया काम रहेगा।

सभापति जी, अब जो समर्थन मूल्य पर खरीद की बात आती है तो सब सरकारें खरीद करती हैं। आप ने भी की होगी, इस सरकार ने भी की। समर्थन मूल्य की हमेशा बात चलती रहती है। मेरा इसमें आग्रह है कि किसान अपनी पैदावार पैदा होने के बाद इकट्ठा करके क्रय-विक्रय केन्द्र पर ले जाता है या बाजार में ले जाता है तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद उसी जीएसएस पर ही हो और बारदान में, जैसा मध्य प्रदेश में होता है, वहां बारदान के भी पैसे जोड़ दिए जाते हैं। उनको भुगतान कर दिया जाता है और किसान अपने घर से बोरी भरकर, पैक करके फिक्स तोलकर लाता है और समिति के वहां जमा करा देता है, जिसका पेमेंट उसको मिल जाता है विथ बारदान। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में लागू होनी चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से यह भी आग्रह रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जहां जीएसएस नहीं खुली, आप बड़ा मन रखकर सब जगह सदस्य बना दीजिए। बहुत सारी बार

सरकारें डरती भी है कि सदस्य समिति के चुनाव होंगे, किसका अध्यक्ष बनेगा, क्रय-विक्रय में कौन बनेगा? लेकिन जैसे राजनीतिक पार्टियां चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हों, जैसे अपना सदस्यता अभियान चलाकर फिर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारी प्रक्रिया करती हैं, ऐसे ही समिति के अन्दर आप भी किसानों को सदस्य बनाने के लिए आप भी खुली छूट दीजिए। चाहे सामने बैठने वालों के सदस्य बनें या हमारे बनें, लेकिन सदस्य मेम्बर बनने चाहिए। किसान मेम्बर बनेगा तो सहकारी समितियां और मजबूत होगी। उनके चुनाव का कार्यक्रम भी व्यवस्थित अंतराल में जैसे विधान सभा, लोक सभा के चुनाव होते हैं, लेकिन सहकारी समितियों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। विभिन्न समितियों के चुनाव कोर्ट के माध्यम से कराए जाते हैं। कोर्ट में नहीं जाना पड़े और आप एक नियमित अंतराल में इनके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दें तो बढ़िया कार्यक्रम रहेगा।

सभापति महोदय, बहुत सारी बार आदमी बीमा करा देता है समिति को और बीमा के पैसे भी जमा हो जाते हैं, लेकिन कर्मचारी या व्यवस्थापक की वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं तो बाद में जब कोई केजुअल्टी हो जाती है तो लोग हमारे पास में आते हैं। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और पूरे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था हो कि जो किसान है, उसने पैसा जमा करा दिया, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसको पता नहीं होता कि उसने रिसिप्ट ली या नहीं ली। इतना ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं तो आपके माध्यम से एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका निश्चित रूप से बीमा है तो उसको वापस पैसा मिलने में, क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

खाद्य सुरक्षा की बात भी मैं करना चाहूंगा। बहुत सारी जगह, अभी किसी माननीय सदस्य ने भी कहा है कि डमी राशन डीलर बहुत सारी जगह देखने में आता है। जहां कहीं भी डमी राशन डीलर ध्यान में में आता है, अगर हम लोगों के ध्यान में भी आता है तो हम आपको शिकायत करेंगे। डमी राशन डीलर कहीं नहीं रहना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के अधिकारी बहुत बार सेम्पल लेने जाते हैं। वह सेम्पल लेने इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। उनका मकसद कुछ और होता है। मेरा यह मानना है कि ठीक है, थोड़ी कमी उनकी भी रहती है, थोड़ी दुकानदार की भी रहती होगी, लेकिन कम से कम आप इन अधिकारियों को इतना मजबूत करें कि वह जाकर सेम्पल लेकर आएं और वापस विड्राल नहीं करें। कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इससे आने वाले समय में जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उन पर भी कंट्रोल होगा और अवैध वसूली कोई अधिकारी करता है तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो बड़े लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं, उनको पकड़ने का काम ज्यादा होना चाहिए।

सभापति जी, जो राशन डीलर हैं, इनका कमीशन भी बंटना चाहिए। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें छोटा-मोटा जो लीकेज वाला सिस्टम रहता है, उसमें इनके थोड़े कमीशन की बढ़ोत्तरी करते हुए, राशन कार्ड बंट गये हैं। अभी राशन कार्ड तो सबके बना दिए, हम कभी जन सुनवाई में जाते हैं तो वे राशन कार्ड लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि

मुझे भी गेहूं दिलाइए।

Ans/rtm 19.20 4c 25.07.2024

फिर अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। सही बात है, यह ओलमा भी मिलता हैकि डबल इंजन की सरकार है। मैं भी आपस कहूँगा कि आप दिल्ली की सरकार में बात करके, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है, वह पोर्टल भी खुले। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रतिबंध लगा हुआ है, उसका एक रेशो तय है। लेकिन इसमें जैसे पहले प्रधान मंत्री जी ने अपील की थी, कि जो गैस की सब्सिड़ी छोडेंगा तो दूसरे आदमी का फायदा मिलेगा। ऐसी अपील हम राजस्थान के सारे विधायक मिलकर कर सकते हैं। जो सक्षम आदमी है, उसको लगता है कि मेरा इसमें नाम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, वास्तव में हकदार है, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं जब वह मांग करता है। तो उसके लिए यह एनएफएसए का पोर्टल खुला रहना चाहिए। एक, दो दिन या पांच दिन खोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुला रहना चाहिए। वहां का अधिकारी इसकों मेंटेन करे और जो जरूरतमंद आदमी है, उनके नाम जुड़ने चाहिए। जाक अपात्र लोग हैं या स्वेच्छा से अपनी सब्सिड़ी छोड़ना चाहते हैं, उनके वहां से नाम हट सकते हैं।

जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां राशन डीलर एक और गांव ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट भी है, दूर-दूर गांव है, जंगलों में है। वहां विकेन्द्रीकरण करके, एक है तो दो होने चाहिए, तीन होने चाहिए। 300-400 पर एक वितरण केन्द्र खुल जाए। वहां चोरी होने की संभावना भी कम रहेगी। आम नागरिक है, जिसको यह सुविधा लेनी है, उसको बढ़िया ढंग से सुविधा मिल जाएगी। रेशों भी मेंटेन हो जाएगा। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि प्रत्येक जगह, जहां ऐसी संभावना है,वहाँ यह केन्द्र खुलने चाहिए। मंत्री जी दोनों जवान है, युवा है। एक तो आज तैयार होकर आए है, जैसे दुल्हा तैयार होकर आया है। दोनों मंत्रियों का हृदय से धन्यवाद भी करुंगा। कुछ कमियां रह गई है उन कमियों को ठीक करते हुए आप इसको बढ़िया से करने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे दोनों मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 सहकारिता व मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी को वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अल्पकालीन ऋण, किसानों के लिए 23 हजार करोड़ ऋण की घोषणा की। पूर्व की सरकार में, आपने देखा होगा, किसान ऋण के लिए जाता था, ऋण मांगता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको 5 हजार, 10 हजार, 12 हजार, अधिकतम 15 हजार से ज्यादा नहीं मिलता था। जिस प्रकार से

माननीय मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी ने 23 हजार करोड़ की घोषणा की है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद व शुभकामना देता हूं।

भूमि संवर्द्धन के लिए दीर्घकालीन ऋण जो पहले 50 करोड़ दिया जाता था, उसकी जगह 100 करोड़, यानी दुगुना किया है, मैं मुख्य मंत्री जी को खूब-खूब धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों की खूब चिंता की है और लगातार कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछली सरकार में घोषणा की थी, दस हजार एफ.पी.ओ. बनाए थे। इस बार भी सहकारिता विभाग द्वारा 500 एफ.पी.ओ. की घोषणा की, मैं माननीय धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने इतने अच्छे काम करने की पहल की है।

मैं कुछ विषय आपके बीच सहकारिता विभाग के बारे में रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी हमेशा सजग व सचेत है, हर विषय पर आप जिस संजीदगी से जवाब देते हैं, आपके काम करने की जो स्टाइल है, वह सबको भा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिछला ऋण, कम ऋण दे रहे थे, मुख्य मंत्री जी ने जिसप्रकार से बजट में घोषणा की है, करीब 35 किसान लाभान्वित होंगे लेकिन 5 लाख नये किसानों को भी ऋण देंगे। यह बहुत बड़ी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नये किसान ऋण लेने आते हैं कहते हैं कि ऋण नहीं मिलता, हम बार-बार फोन करते हैं लेकिन किसानों को ऋण नहीं मिलता लेकिन अब की बार 5 लाख नये किसानों के लिए ऋण की घोषणा की, इसके लिए आपको धन्यवाद।

मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता विभाग, सोसाइटी खोलने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कई किसान, बड़े गांव है, आबादी भी 4-5 हजार हैं, वह ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है और किसानों की संख्या बहुत है, लेकिन वहाँ सहकारी समिति नहीं खुल पा रही है। इसकी पहल करते हुए, जिस गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है, वहां पर आपका जितना मापदण्ड है, 300 किसानों की संख्या होनी चाहिए, 3 लाख रूपये जमा होने चाहिए, वहां के किसान वह पूर्ति करते हैं, तो ऐसी जगह भी सोसाइटी खोलने का आपको विचार करना चाहिए। मेरे देलगिरी में किसान, ऐसे कई गांव है, मेरे विधान सभा में करीब 20 गांव ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय जैसे स्थान रखते है, लेकिन वह ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है, वहां 3-4 हजार की आबादी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह भी सोसाइटी खोली जाए, सहकारी समिति खोली जाए, जिससे आने वाले समय में सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय सभी सदस्यों ने भण्डारण के लिए बात रखी। बजट घोषण भी है। नई सोसाइटी के लिए बजट घोषणा आप कर रहे हैं और बजट भी दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भण्डारण नहीं है, वहां देने से पहले कई जगह कागज मांग रहे हैं भूमि आवंटन का। मैं निवेदन करुंगा कि विभाग की तरफ से भी कोई पत्र निकालकर, ऐसी पहल करके,

अधिकारियों को निर्देशित करे कि वहां भूमि आवंटन के लिए आप जगह सलेक्ट करे, जिससे वहां के किसानों में यह मैसेज जाए कि सक्रिय संवेदनशील मंत्री जी हमेशा किसानों के हित के लिए, ऐसी सोसाइटी खोलने के लिए, अपने लैटर द्वारा, जमीन आवंटन करने का भी प्रयास करते हैं। नहीं तो क्या होगा आप बजट तो दे दंगे लेकिन जमीन नहीं होगी तो समस्या आएगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। मेरे अजीतपुरा, दयालपुरा, बीबलसर जहां नई सोसाइटी हुए है, मैंने आपको कागज भी दिए हैं। मैं चाहूंगा कि वहां बजट आवंटित हो जाए। आने वाले समय में वहां बड़े भण्डारण बने और किसान लाभ ले सके।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री जी विराजे हुए हैं। मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जैसे किसी एनएफएसए में नाम जुड़ा हुआ है1 पूरे परिवार का राशन कार्ड में नाम जुडा होता है। अगर घर में नया बच्चा पैदा होता है या नई पुत्रवधू आती है वह वहां से एनओसी लेकर आ जाते हैं, एनओसी आनेके बाद राशन कार्ड में नया नाम एनएफएसए, परिवार में जुड़वाना चाहते हैं, वह नाम नहीं जुड़ता है। उधर से तो एनओसी ले ली लेकिन वहां जाने के बाद वह नाम नहीं जुड़ता है। इसकी पहल करते हुए माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करुंगा कि एनएफएसए में जो परिवार जुड़े हुए हैं, उनके राशन कार्ड में, नई दुल्हन आती है, नया बच्चा होता है,उसका नाम नहीं लिखते। ऐसी विभागीय पहल करके आप इसमें एक आदेश निकाले। ऐसे जो नाम नहीं जुड़ रहे, उनको जुड़वाए। इस सुविधा से जो वंचित रह रहे हैं, उनको भी सुविधा मिले। मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अपने कट मोशन में भी आपके लिए कुछ विषय लिखकर दिए हैं, उस विषय को भी आप पूरा करेंगे, उसका जवाब देंगे, उस पर कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे, मुझे विश्वास है। जिस प्रकार शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है, उसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है,किसी दुकानदार को परेशान करने का काम करते हैं, ऐसा नहीं हो। अगर वास्तव में वह गलत काम कर रहे हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कभी-कभी अधिकारियो द्वारा जानबूझकर उसी जगह पर जाना सैम्पलिंग लेना, परेशान करना, इस तरह से काम नहीं हो। आने वाले समय में उनको भी यह भय नहीं हो कि हमें जानबूझकर परेशान किया जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध होना चाहिए, जान से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता। आप इस काम के लिए बढ़ रहे हो, मैं शुभकामना दूंगा।

मंत्री जी, गेहूँ खरीद में कई बार देखा है, गेहूँ खरीद कर आते हैं, चेक करते हैं तो गेहूँ की क्वालिटी चेंज होती है। कहीं ना कहीं भण्डारण वाले उसमें बदलाव करते हैं। आप लोग गेहूँ तो अच्छा खरीदते हैं लेकिन बीच में ही गाड़िया बदली जाती है। ऐसे जो गाड़ियां बदलते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे। बार-बार लोग इसकी शिकायत भी करते रहते है। आप ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करे। जिला स्तर पर ऐसे लोग बैठे है, पुरानी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनका टेंडर निरस्त करके नये टेंडर करवाने के प्रयास करे।

VPS-RTM-25.07.2024-19.30-4d

ऐसे कई विषय मैंने जो इस डिमांड पर लिखे हैं, मुझे विश्वास है कि आप उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: श्रीमती शिमला देवी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया। सहकारी समिति सर, जो हमारे किसानों से जुडी हुई है, लगभग जिस क्षेत्र से हम आते हैं वह किसानी पर निर्भर करता है लेकिन किसान फसल बोता है उससे लेकर जब तक उसकी फसल का पकाव नहीं होता है, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि क्योंकि यह खेती संभावनाओं का खेल है और किसान अपनी फसल बेच भी देता है तो वह अपनी बेची हुई फसल के पेमेंट के लिए दर-दर ठोकरें खाता है, मुकदमे झेलता है तो सहकारिता मंत्रीजी, आपसे मेरा यह निवेदन है कि मेरी बात आप ध्यान से सनिये कि मेरा जो रावला मंडी का क्षेत्र है, वर्ष 2023 के अन्दर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा रावला के लगभग 2493 किसानों की फसल खरीदी गयी थी और इसके बाद समिति के अन्दर जो अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी ने एक तरफा जांच की। मेरी बात ध्यान से सुनिये मंत्रीजी, जांच करने के बाद वह रिपोर्ट जो जांच कमेटी ने कलेक्टर को दी और कलेक्टर ने वहां के तहसीलदार रावला को भेजी 10 जुलाई, 2023 को और उसके बाद राजफैड ने सर, जो किसानों की फसल का, जो हमारी सरसों का भुगतान था वह रोक दिया। सर, उसके बाद पुन: एक कमेटी बनी 17 जनवरी, 2024 को और उसके अन्दर हमारे प्रबंधक जो हनुमानगढ़ के थे, केन्द्रीय सहकारी बैंक के, उनको जांच देकर यह कहा गया कि सम्पूर्ण प्रकरण की आप जांच करके रिपोर्ट सब्मिट कीजिए तो उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच की। जो किसानों के दस्तावेज थे, वह लेकर उन्होंने पूरी जांच की और जो राजफैड के सम्बन्धित अधिकारी है उनको भेजी। उन्होंने यह कहा कि यह पात्र किसान हैं, इनको भुगतान किया जाये। अभी तक राजफैड ने, लगभग उसको एक साल हो गया, किसानों का भुगतान नहीं किया है जबकि राजफैड ने जो किसानों से सरसों खरीदी थी वह नेफेड को दे दी और नेफेड ने पूरे सरसों का भुगतान राजफैड को कर दिया। लगभग 950 किसानों का 17 करोड़ 50 लाख रुपये का पेमेंट आज हमारा राजफैड के पास पडा है तो राजफैड इसका भुगतान क्यों नहीं कर रहा है? किसान तो सर, एक सज़ा किसी दोषी व्यक्ति को मिलती है लेकिन मेरे क्षेत्र के किसानों पर मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो अभी तक राजफैड ने इसका भुगतान नहीं किया है। किसान की फसल थी, खेत की फसल थी, वह कोई चोरी करके नहीं लाया था, कोई किसान हिस्से पर खेती करता है, कोई ठेके पर खेती करता है लेकिन आज राजफैड के पेमेंट नहीं करने के कारण वह किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है तो माननीय सभापति महोदय,

आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि जब आप जवाब दें तो यह मेरे किसानों की पीड़ा है, इस पर आप ध्यान दें और मूल समेत हमारे किसानों का पेमेंट राजफैड करे और अगर वह पेमेंट नहीं करता है तो जो हमारी सरसों है, वह किसानों को वापस लौटाई जाए। सर, यह मेरा महत्वपूर्ण विषय है। यह बहुत ही भारी समस्या है। दो साल से मेरे किसान भटक रहे हैं इस चीज के लिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ समर्थन मूल्य पर जो गेहूं है, हमारी जो सरकारी एजेंसी है, वह प्रतिवर्ष इसको खरीदती है, धान मंडी के व्यापारियों के माध्यम से खरीदती है और सरकारी एजेंसी उसकी एवज में आढ़त/कमीशन देती है तो वह कमीशन जो हमारी सरकारी एजेंसी है, वह 41 रुपये 40 पैसे देती है और जो राजस्थान मंडी एक्ट है उसके हिसाब से प्रति क्विंटल का 54 रुपये उसका बनता है तो मैं यह आपसे निवेदन करती हूं कि जो हमारे व्यापारी हैं, उनको जो आढ़त/कमीशन है, वह मंडी एक्ट के तहत दिया जाये ताकि सर, हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य का जो हमारा टार्गेट है, वह भी पूरा हो, किसानों को लाभ मिले, किसान खुले में अपनी फसल नहीं बेचे। इसके साथ-साथ जो ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से हम जो फसल उठाते हैं वहां से तो गेहूं के लिए वहां ट्रैक्टर और ट्रॉली पर यह पाबंदी लगायी गयी है कि आप चालीस क्विंटल से ज्यादा वजन नहीं भर सकते हैं जबकि 14 क्विंटल तो ट्रैक्टर और ट्रॉली का वजन आ जाता है तो मात्र ट्रॉली के अन्दर 26 क्विंटल वजन भरा जाता है तो मैं मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि 60 क्विंटल ट्रॉली के अन्दर आप माल भरने की अनुमति दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो राज्य सरकार ग्राम सेवा सहकारी बैंक के माध्यम से बिना ब्याज फसली ऋण किसानों को देती है तो वह नाम मात्र का देती है। इसमें जो लिमिट, किसान की जो जमीन की लिमिट बनती है, मैं यह मांग करती हूं कि उसके अनुसार पूरा किसानों को फसली ऋण दिया जाये क्योंकि इसके अन्दर मानिये कि डेढ़ लाख रुपये का ऋण है तो एक बार में बीस या पच्चीस हजार रुपये ही देते हैं और बाद में छह महीने बाद इसके अन्दर पांच या दस परसेंट राशि बढ़ाकर ही देते हैं तो किसान की जो जमीन की लिमिट है, उसके अनुसार किसान को पूरा ऋण दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ राज्य सरकार से बीमा प्रीमियम से सम्बन्धित मामला भी है, उसके प्रीमियम का भार किसानों पर 400 करोड़ रुपये पड़ता है तो मेरा यह मानना है कि जो केरल में किसान राहत फंड बना है, उसी हिसाब से आप यहां पर भी लागू करें।

इसके साथ-साथ जो हमारे एम.एस.पी. पर हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के अन्दर हमारे धान की फसल खरीदी गयी थी तो इसका दायरा बढ़ाया जाये और इसको संगरिया और अनूपगढ़ तक किया जाये क्योकि यह राइस बैल्ट है और इसका केन्द्र भी बनाया जाये और पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर यह खरीदा जाये।

सर, इसके साथ-साथ हमारी जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन सहकारी समितियों

का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतों में होना चाहिए लेकिन बहुत सी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत के बाहर भी है। यह अगर वहां पर रहेगा तो वहां के लोग जुड़ सकेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा।

सर, एक मिनट। एक जो हमारे समर्थन मूल्य की खरीद पर जो क्रय-विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उसके द्वारा पिछले दो सालों से राजफैड से खरीद की गयी है तो इसकी एवज में कमीशन अभी तक भी नहीं दिया गया है और इसके साथ-साथ सर, सहकारी उपभोक्ता भंडारों को जो आज.जी.एच.एस. की योजना में दो करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, सरकार ने वह अभी तक नहीं दिये हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में दो परसेंट ब्याज अनुदान नहीं मिल रहा है तो अनुदान नहीं मिलने के कारण से जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, उनको लगभग एक से दो साल हो गये, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है, उनको भी वेतन दिलायें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सहकारिता मंत्रीजी से मैं पुन: निवेदन करती हूं कि मेरे रावला सरसों की पेमेंट से सम्बन्धित जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका आप जरूर समाधान करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं और वास्तव में हमारे ट्राइबल एरिया से मैं आता हूं और मैं ही नहीं यहां पर पूरा सदन, सभी सदस्य इस समस्या से अवगत है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक महिला तो राशन लेती है और दूसरी महिला मुंह देखती है और वह हमारे पास आती है। जैसा कि मेरे से पहले वक्ता सुरेशजी धाकड़ साहब ने कहा कि वह महिला यह कहती है कि साहब, मेरे घर में खाने को नहीं है। दिन दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को आटा, दाल, चावल लेकर आती हूं, इनको जब आप राशन देते हैं तो हमारे को क्यों नहीं? यह पोर्टल खुलवाकर वास्तव में जो गरीब है, उनको जुड़वाये। हमने पहले भी जुड़वाया था मगर उसमें से इतने आदमियों का नाम कटा है, पहले एक क्राइटेरिया रख दिया कि एक पंचायत के अन्दर इतने राशन कार्ड कम होने चाहिए तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन इसके लाभ का हकदार है और कौन नहीं है? टेबल पर बैठकर जो मर्जी आया उसका उड़ा दिया तो मैं मंत्री महोदय को, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि जो सक्षम है, कार लेकर आता है, बंगले में रहता है और वह राशन उस गाड़ी में डालकर लेकर जाता है और वह गरीब परिवार आज भी राशन से वंचित रहता है इसलिए मैं सदन को भी यह अवगत करवाना चाहता हूं कि जो सक्षम है उनका सर्वे करवाकर हटाया जाये और जो गरीब है उसको राशन दिया जाये, ऐसा मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। पक्ष हो या चाहे विपक्ष मगर उस गरीब

को राशन मिले ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है क्योंकि सक्षम तो कहीं से भी ला सकता है मगर वह गरीब आदमी वास्तव में ट्राइबल एरिया के अन्दर, चाहे वह बीज वितरण करवाओ या चाहे राशन की वास्तव में यह सप्लाई हो, उसमें उस गरीब को मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। सारा सदन, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो सब एक बार टेबल बजाकर मंत्री महोदय को यह अवगत करायें। मंत्री महोदय, यह पूरे सदन की मांग है कि सक्षम आदमी का सर्वे करवाकर उसको इसमें से हटाया जाये और गरीब को राशन दिया जाये। ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/25.07.2024/19:40/4e

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह वाले नाम कब कटे थे यह और बताओ?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वह गहलोत साहब की सरकार में। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आग्रह करता हूं कि LAMPs and PACs जो राशन वितरण का काम देते हैं, वह 10-10 राशन डीलरों का मालिक बनकर बैठा रहता है। वह मर्जी माफिक करता है। उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान लायें कि जो वह वास्तव में अनियमितता करता है, तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही करके, कम से कम जिस गांव में वह राशन दे रहा है, उसको पूरे को नहीं हटायें, मगर उस गांव के अन्दर तो कम से कम राशन की दुकान किसी और को दें।

वर्षों से राशन की दुकानें चल रही हैं और जिसके पिताजी की अगर डैथ हो गई है तो उसके बेटे को दें या दूसरे को दें, कम से कम वहां पर राशन का एक-एक आदमी के पास 5-5 दुकानों को चला रहे हैं। दूसरे राशन डीलर का अलॉटमेंट करवाकर उनको भी देवें।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंत्री महोदय, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि जो सक्षम हैं, उनको हटायें और जो इस राशन का हकदार हैं, उनको दें। विपक्ष का और इधर सभी सदस्य गणों का बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय आपका और मंत्री महोदय आपके जवाब में इस बात का जिक्र जरूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भगवाना राम सैनी।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सामान्य बात जो किसान के सीधे हित की बात है, क्रय-विक्रय सहकारी समिति से खाद, बीज और दवाइयों का वितरण होता है। लेकिन वह वितरण कब होता है जब किसान बिजाई कर लेता है। तब सोसायटी में खाद और बीज आता है तो वह किसान के लिए किस काम का? सिंपल सा निवेदन है कि किसान की बिजाई के समय उसको खाद और बीज मिले। यह सरकार सुनिश्चित करे।

इसी के साथ जब किसान धान पैदा कर लेता है और क्रय विक्रय पर जाता है तो वहां पर भी हालात यही होते हैं। किसान जब धान निकाल लेता है, समय पर उसकी बिक्री नहीं होती

है तो वह किसान अपने धान को बाजार में ले जाकर बेचता है। जब खुलता है तो हालात यह हैं कि किसान जब धान को क्रय-विक्रय पर लेकर जाता है तो वहां सामान्य किसान ट्रोले में या ट्रेक्टर में भरकर ले जाता है तो जाने के बाद वहां की जो क्रय समिति है, वह धान में कई कमियां निकालती है। काला धान आ गया, इसकी सफाई नहीं है, इसमें नमी है, तो फिर वह कहां लेकर जाये। या तो वहां उसके भंडारण की, डालने की जगह सुनिश्चित करें, नहीं करते हो तो उसके सफाई की करें, सफाई का भले ही उससे चार्ज ले ले। लेकिन उनको वहां कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर पाती है।

हमारे उदयपुरवाटी में केवल एक ही क्रय-विक्रय समिति है। जबकि हमारे गुढ़ागौड़जी बड़ा सेंटर है। अनाज प्रोडक्शन का बड़ा सेंटर है। एक क्रय-विक्रय समिति गुढ़ागौड़जी में भी खोली जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रत्येक गांव में जीएसएस गोदाम बनें। या तो पुराने गोदाम हैं, उनमें छत टपक रही है उनकी रिपेयरिंग करें। क्योंकि यह सीधा किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक जीएसएस हर गांव में नहीं होगा तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। हर गांव में जीएसएस खुलना चाहिए। वहां से उनकी व्यवस्था की जाये।

अभी बात आ रही है कि एक-एक व्यवस्थापक के पास 4-4, 5-5 गांव हैं, तो किसानों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि व्यवस्थापक का ट्रांसफर नहीं होता है। वह गांव में ही मनमानी करता है। कम से कम और नहीं तो जिले लेवल पर तो उनका ट्रांसफर हो। थोड़ा-बहुत तो भय हो। अगर काम ठीक से नहीं करे तो उनको यह भय होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर हो जायेगा। लेकिन उसको कतई भय नहीं है। वह उसी गांव में लगता है और उसी गांव से रिटायरमेंट होता है। उसके लिए कोई नकेल होना जरूरी है। मेरा यह निवेदन है कि उसका ट्रांसफर हो।

दूसरा, क्रय-विक्रय में जो लोग बैठे हैं, वह बहुत मनमानी करते हैं। सामान्य किसान जाता है तो उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लांट है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत को जिन्होंने बबाई में डेयरी का बड़ा, साढ़े 5 सौ करोड़ रुपये खर्च करके डेयरी का प्लांट बनाया है। वह उदयपुरवाटी विधान सभा, खेतड़ी और नीमकाथाना के मद्दे नजर, वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां दूध की सोसायटियां खुलें और आम आदमी को लाभ मिले।

लेकिन अभी वर्तमान में उसका संचालन पलसाना डेयरी के अधिकारी कर रहे हैं। वहां दूध की कमी नहीं है। वहां सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि उस डेयरी को सुचारु रूप से चलायें। जिससे वहां की डेयरी उदयपुरवाटी, नीमकाथाना और खेतड़ी के किसान, गरीब, मजदूर, एक आदमी को नहीं, हजारों परिवारों को रोजगार मिलेगा। वहां दूध की सोसायटियां खुलेंगी तो पूरे गांवों में सुविधा होगी। उसके प्लांट में सारी सुविधाएं हैं। दूध पैकिंग की, छाछ की, दही का, पनीर का, पूरा प्लांट लगा हुआ है। बड़ा प्लांट है। आप इसको गंभीरता से लें क्योंकि वहां अगर एक डेयरी खुलती है, सबको सुविधाएं वहां हैं। इससे हमारे

उदयपुरवाटी, खेतड़ी और नीमकाथाना के लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा हमारे डीलर हैं, उनके कुछ पद खाली हैं। कुछ के पास मौके पर नहीं है, तो उनको किया जाये।

इसके साथ ही हमारे यहां पोर्टल वाली बात आती है। यह हकीकत में सभी लोगों की पीड़ा है। यह खाद्य पोर्टल खोलें और लोगों के नाम जोड़ें जिससे लोगों को सुविधा मिले।

श्री सभापति: विराजें।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मैं यही निवेदन करता हूं कि यह जो पोर्टल है इसकी सुविधा जल्दी से जल्दी करें। सभापति महोदय, मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गुरवीर सिंह। (अनुपस्थित) श्री शंकर सिंह। (अनुपस्थित) श्री ललित यादव। (अनुपस्थित) श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी। अगला कर दिया। बैठिये आप। एक सेकण्ड विराजें।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने जो मुझे मांग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

वर्तमान में, प्रदेश में लगभग 27 हजार अधिकृत राशन डीलर हैं। वर्ष 2016 में इन राशन डीलरों को पोस मशीनें दी गई थी। उक्त पोस मशीनों की कीमत का कहीं भी कोई लिखित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह मशीनें देने के पश्चात लगातार राशन डीलरों के कमीशन से 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की जा रही है। पोस मशीनों के पेटे राशन डीलरों से लाखों रुपये वसूले जा चुके हैं। अब राशन डीलरों को पुन: नई पोस मशीनें दी जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि पोस मशीनों के पेटे राशन डीलरों के कमीशन से वसूली तत्काल बंद की जाये। यदि राशन डीलरों को नवीन पोस मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं तो इन पोस मशीनों के पेटे राशन डीलरों के कमीशन से किसी प्रकार की वसूली या कटौती नहीं की जाये।

यह सर्व विदित है कि कोई भी खाद्य सामग्री परिवहन या वितरण के दौरान कुछ प्रतिशत वेस्ट होती है। तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि राशन डीलरों द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में भी छीजत होती होगी इसलिए सरकार इन राशन डीलरों के द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री में कम से कम 2 प्रतिशत छीजत का प्रावधान करायें।

अन्य कुछ राज्यों में राशन वितरकों को एक निर्धारित मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि राजस्थान प्रदेश के राशन विक्रेताओं को भी कम से कम 30 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाये। राशन डीलरों को 6-6 महीनों तक इनके द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री का कमीशन तक नहीं दिया जाता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं टोक नहीं रहा हूं। लेकिन

नेता, प्रतिपक्ष को याद दिला रहा हूं कि लिखित भाषण पढ़ना मना है, यह आपने ही कल कहा था।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): राज्य सरकार हर महीने यथा समय राशन डीलरों को कमीशन दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

Spp/Rtm/25.07.2024/19:50/4f

सरकार राशन डीलरों से लिये जा रहे अतिरिक्त कार्य जैसे प्रवासी योजना के तहत राशन वितरण का कमीशन व KYC के बदले उचित मेहनताना समय पर देने का काम करें। प्रदेश के राशन डीलरों की महीनों से बकाया कमीशन की राशि एकमुश्त दी जाये। हमारी सरकार ने मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य की दुकानें शिथिलन के आधार पर आंवटित की थी। मैं वर्तमान सरकार को कहना चाहती हूं कि प्रदेश के मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उचित मूल्य की राशन की दुकानों का आवंटन किया जाना जारी रखा जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के राशन डीलरों का वर्ष 2018 का गेहूं वितरण का कमीशन आज भी नोखा तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पास बकाया पडा है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के नोखा राशन डीलरों का वर्ष 2018 का बकाया कमीशन देने के निर्देश सहकारिता विभाग को प्रदान कर इनका बकाया कमीशन दिलवाने का काम करें।

विगत सरकार के गरीब परिवारों को सम्बल प्रदान करने के लिये मुख्य मंत्री ने नि:शुल्क फूड पैकेट योजना शुरू की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को उनके रसोई की जरूरत का तमाम सामान उपलब्ध करवाया जाता था। उसे वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार उक्त योजना को तत्काल पुन: प्रारम्भ करावे। हमारी विगत कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 5 लाख 31 हजार नये परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का काम किया है। मैं वर्तमान सरकार को इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को योजना के साथ जोड़े जाने का कार्य पुन: प्रारम्भ करवाये। वंचित रहे शेष परिवारों को भी योजना से जोड़ा जाये। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: बिराजें माननीय सदस्या। धन्यवाद। श्री ललित यादव।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 50 - सहकारिता एवं

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर विचार

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता का धन्यवाद करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोग आज चर्चा कर रहे हैं। एक बात सभी सदस्यों ने कही है कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला जाये। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सब लोग उसकी मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि जब सभी लोग और पूरा सदन इस बात की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको, जब आपका भाषण हो, उसमें आपको भी आज यह कहना चाहिये कि हम इसको तुरंत प्रभाव से खोल रहे हैं और प्रदेश में जो वंचित लोग हैं, उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश में 4.46 करोड़ लोगों को एन एफ एस ए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं वितरण किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको इसका गेहूं मिल रहा है और जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, उन तक वह चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से खोलने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे जो राशन डीलर हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाये। इसके साथ ही नई राशन की दुकानें भी खोलने का काम हमको करना चाहिये। मैं किसान की बात करूंगा। आज खाद्य सुरक्षा की बात चल रही है तो किसान की बात तो जरूर होगी। यह घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, हजारों किसानों को शहादत देने के लिये मजबूर करने वाले लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर आपकी पार्टी के नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी से कुचल देने का काम आप ही के लोगों ने किया था। आज आप किसान के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाने की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो राशन किट देने का काम किया था, आपकी सरकार बनते ही आपने उसको बन्द करने का काम किया है। मैं यह भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार उसको तुरंत प्रभाव से चालू करे जिससे कि गरीब आदमी को सूखी रोटी नहीं खानी पड़े। वह दाल, चीनी, आटा, चावल, हल्दी, मिर्च, धनिया उसको उपलब्ध हो पाये जिससे वह भी अपने घर पर बढ़िया खाना खा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे पहले सिलेण्डर पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने किया और 500 रुपये में चालू करने का काम किया। आपने भी उस योजना को देखकर उसकी पापुलरिटी को देखते हुये आपने उस सिलेण्डर को 450 रुपये करने की बात कही। लेकिन उज्ज्वला योजना

के तहत जो जुड़े हुये लोग हैं, उनको देने की बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़ा मन करके सब लोगों के लिये उसको खोलना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को 450 रुपये में सिलेण्डर मिले, यह बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में आपने 450 रुपये में सिलेण्डर देने की बात कही उज्ज्वला योजना में, लेकिन जो आपके भाजपा शासित प्रदेश हैं हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, जिनमें वह लोग भी कल्पना करते हैं कि 450 में सिलेण्डर मिले तो मेरा निवेदन है कि यह आपकी जो डबल इंजन की सरकार का बड़ा इंजन है, उससे निवेदन करें और यह काम जरूर करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है MSP पर आप लोगों ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि बाजरे की फसल हम MSP पर खरीदेंगे। आप उसको भी खरीदने का काम करें जिससे कि किसान को फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में आदर्श संजीवनी जैसी सोसायटियां, जिनके माध्यम से मल्टी स्टेट फील्ड को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने कितना बड़ा गबन किया, कौन लोग उसमें शामिल हैं? आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं की गयी, क्योंकि जो भी सहकारी समितियां हैं, जिनमें गबन हो रहा है, बड़ा-बड़ा गबन जिनमें हो रहा है, उनमें बड़े लोग साथ में बैठे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार ED और CID (CB) का उपयोग हो रहा है, कृपया इन पर करवा देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के उन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: बिराजें। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मेरा आपके माध्यम से एक और निवेदन है। मैं कोई काम की बात कर रहा हूं जब मैं खिलाफ बोलता था, आप तुरंत बिठा देते हो। दो बात सुन तो लो। इन सहकारी समितियों के द्वारा किसान को क्रेडिट के आधार पर खाद और बीज मिलता था, जिसको हमने बन्द कर दिया। उसको उधार मिल रहा था और वह मार्च-अप्रेल में उस पैसे को चुका रहा था। हमने उसको बन्द कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको दुबारा चालू किया जाये जिससे किसान को फायदा हो सके। उसके किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और उसको हमारी तरफ से पैसा मिले तो उसको फायदा हो पाये। माननीय सभापति महोदय, सहकारी समिति में पहले 40 क्विंटल गेहूं फसल खरीदने की बात थी। आज हम लोग 25 क्विंटल खरीद रहे हैं। मेरा सुझाव है सरकार से, कि सरकार ऐसा काम करे कि प्रत्येक व्यक्ति की वह फसल खरीदे। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप बिराजें। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका हृदय से आभार। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा में जिस प्रकार राशन विक्रेताओं को सामग्री वितरण के लिये देते हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ने के लिये नाम पिछली सरकार में जो हटाये गये थे सर्वे में और सर्वे सही

नहीं होकर अपने चहेते लोगों के नाम जोड़ दिये गये और काफी लोगों का नाम हटा दिया गया। इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि पुनः सर्वे करवाकर उसमें सब गरीबों का नाम जोड़ा जाये। इसके साथ ही उन राशन विक्रेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिये भी आपसे पहले भी काफी लोगों ने चर्चा की है। मेरी भी आपसे उसमें विनती है कि उसमें निश्चित रूप से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य के अन्दर तेल, घी और दूध इस प्रकार की काफी चीजें हैं, इसमें मिलावट हो रही है और हमारी सरकार, पिछली सरकार जैसे 'शुद्ध के लिये युद्ध' चलाया। उस युद्ध के अन्दर पता नहीं कितने लोग पकड़े गये। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनके सैम्पल लिये गये हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज हुये हैं, उन पर क्या कार्यवाही हुई है? सिर्फ अधिकारियों ने मिलीभगत करके उस पर विराम लगा दिया। यह अभियान सिर्फ कागजों में चलता है।

MLS/RTM/25.07.2024/20:00/4g

इसमें वास्तविकता में विराम लगना चाहिये। जिस प्रकार से आज नकली तेल खाया जा रहा है, उसकी वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। उस पर विराम लगे। जहां-जहां पर भी, अपने यहीं तो बनता है, कोई दूसरे देशों से थोड़ी आ रहा है, नकली बनाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिये ताकि ये जो नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिनका नाम भी नहीं सुना था, कैंसर जैसी दुनिया भर में बीमारियां बढ़ रही हैं, उस पर विराम लगना चाहिये। ''शुद्ध के लिए युद्ध'' जो चला रहे हैं, अधिकारियों को कहना चाहिये, नहीं तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिये। सरकार को यह काम हाथ में लेना चाहिये।

किसानों के नाम पर पिछली सरकार में घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कह रहे हैं कि उनके कारनामे कैसे थे, किसानों को ठगा गया है। उनसे असत्य बोलकर वोट बटोरने का काम किया गया। उन्हें सिर्फ वोटों की मशीन की तरह यूज किया गया। इन काश्तकारों के साथ न्याय होना चाहिये। इन्हें समय पर खाद मिले, बीज मिलें और ऋण मिले, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिये। इन्होंने घोषणा कर दी कि उन्हें एक नहीं 10 तक गिनती बोलकर सारे काश्तकारों का सम्पूर्ण कर्जा राजस्थान में माफ हो जायेगा। ऐसे असत्य बोलकर इन्हें ठगा गया है।

आदरणीय वसुन्धरा जी की सरकार में 50-50 हजार रुपये एक ही दिन में सबके माफ करके उनको प्रमाण पत्र भी दे दिये गये। किसी भी जाति का हो, गांव का हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। यह काश्तकारों का भला किया है। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो काम किया है काश्तकारों के लिए, 6 हजार रुपये उनके खातों में भेजने का काम और हमारे मुख्य मंत्री जी ने यहां से 2 हजार रुपये और बढ़ाकर उसे 8 हजार कर दिया है। अभी पहली किश्त चली गयी, दूसरी और जायेगी। यह भला काम कर रहे हैं।

अभी एक भाई बोल रहे थे, आप लोग तो मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी चालीसा नहीं, मोदी जी का नाम लें, आपका पूरा दिन, चौबीस घण्टे आराम से निकलेंगे। इस देश में उन्होंने एक अवतारी पुरुष के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार का वे काम कर रहे हैं। उनके काम को देखिये। किसी जाति को नहीं देखते हैं, किसी धर्म को नहीं देखते हैं। सबको देखकर, मेरे देश की 140 करोड़ जनता का भला कैसे हो, इस प्रकार का वे रात-दिन चिन्तन करते रहते हैं। और आप बोल रहे हैं ''मोदी चालीसा'', माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहता हूं, ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिये और उन्हें डिलीट करना चाहिये।

असत्य बोलकर पूरे राजस्थान को ठग लिया, अब देश को ठगने के लिए पाकिस्तान की वाह-वाही करने वाले लोगों का आप गुणगान गाते रहते हैं और मोदी चालीसा का नाम लेते हैं। अच्छे लोगों का, देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों का नाम लेना चाहिये। ''मोदी है तो मुमकिन है''। माननीय सभापति महोदय, आज आपने कम समय में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चेतन पटेल। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 ओर 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अभी-अभी हमारे साथी विधायक बोल रहे थे कि वसुन्धरा जी ने कर्जा माफ किया। वसुन्धरा जी ने घोषणा की, पैसे हमने दिये 6 हजार करोड़ रुपये। आपने सिर्फ बातें की बातें। घोषणाएं कीं। 6 हजार करोड़ रुपये कांग्रेस की सरकार ने दिये। बातें करने से काम नहीं चलता है। सुबह से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, यह खाद्य सुरक्षा की गारंटी, यह खाद्य सुरक्षा का कानून 2006 में मनमोहन सिंह जी लेकर आये। सोनिया गांधी, यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर आये, तब जाकर यह खाद्य सुरक्षा की गारंटी बनी और हर आदमी को राशन का अधिकार मिला।

आप जो राशन दे रहे हैं न, नोट पर लिखा रहता है, ''मैं धारक को सौ रुपये अदा करने का वचन देता हूं'', ऐसे ही यह गारंटी कानून बनाया है मनमोहन सिंह जी ने। आप मना नहीं कर सकते हैं। आपको राशन देना ही पड़ेगा। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने इसे कानून की शक्ल इसलिए दी कि आप जैसे लोग सत्ता में आएं तो कभी मना नहीं कर सकें। आप लोगों ने पिछले टैन्योर में क्या किया, मैं बताता हूं। कोरोना जैसी महामारी में 50 लाख लोगों का राशन देने से मना कर दिया। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी थे यहां, उन्होंने कहा कि किसी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जायेगा और 50 लाख का, यह सब डॉक्यूमेंटेड है मंत्री महोदय, जवाब दें तब बताना, तब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि 50 लाख आदमियों को राशन हम देंगे, आप दें न दें।

अगर केन्द्र सरकार मना करती है तो भी यह राशन स्टेट गवर्नमेंट देगी और वह आज तक देते आ रहे हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, खाद्य सुरक्षा पर चर्चा हो रही है और जयपुर राशन के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे कम कवर्ड है। गरीब आदमी तिल-तिल

मरने को तैयार है, मजदूर को राशन नहीं मिलता है, गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता है। अभी यहां फूल सिंह जी कह रहे थे, हम सबने तालियां बजाकर स्वागत किया, सही कह रहे थे। जयपुर का रेशो 20 परसेंट से भी कम है। इतनी ज्यादा जरूरत का काम और जयपुर शहर का आपका एक विधायक सदन में मौजूद नहीं है। खाद्य सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं आप। आप कितने सीरियस हैं, इससे नजर आता है।

आपका एक विधायक जयपुर का मौजूद नहीं है सदन में। आप लोग कितने सीरियस हैं इस बात को लेकर, भूख है, गरीबी है, पर वह आपको नहीं दिखती है।

एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है,
तुमने देखा ही नहीं आंखों का समन्दर हो जाना।।

गरीबों की आंखें सूज गईं रो-रोकर। आपको नहीं दिख रही हैं, आपको नहीं नजर आ रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आप जवाब दें, जयपुर में जो कवर्ड रेशो है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जयपुर में 9 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनमें से सिर्फ 1 लाख 47 हजार को राशन मिलता है। जब भी आप जवाब दें, राशन पोर्टल खुलवाएं। केन्द्र सरकार से बात करें और जयपुर शहर का जो रेशो मेंटेन नहीं है, उसे मेंटेन करें, कम से कम जयपुर में 50 परसेंट लोगों को राशन दें। गरीब आदमी रहता है, मजदूर रहता है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मत करें। इसमें जातिवाद, भेदभाव मत करें। इसमें बहुत सारी बातें लोग करके गये।

अभी ये बोल रहे थे कि जाति की बात नहीं होती है। आप लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या ऑर्डर कर रही हैं? आपकी सरकारें ऑर्डर कर रही है कि ठेले वाला नाम छापे, स्ट्रीट वेंडर नाम छापे कि उनके नाम पता लगने चाहिये सामान खरीदने से पहले।

लगा दो जाति का लेबल खून की बोतल पर भी
और फिर ये कहना कि मैं यह खून चढ़ाना नहीं चाहता हूं।।

मैं यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं, फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जातिगत जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वे क्यों कर रहे हैं?

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

मेरी जबां से मेरी दास्तां सुनो तो सही,
यकीं करो न करो, मेहरबां सुनो तो सही।।

जयपुर के लिए अर्जी लगा रहा हूं। मेरी आवाज सुनें और जयपुर के लोग जो खाद्य सुरक्षा में कवर्ड नहीं हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा में कवर करें, उनको राशन दें। 450 रुपये का गैस सिलेंडर। कैसे हुआ जरा बताएं? राहुल गांधी आये थे राजस्थान में ''भारत जोड़ो यात्रा'' में।

उन्होंने गहलोत जी से कहा, मैं चाहता हूं कि 500 रुपये में सिलेंडर दें। ...(व्यवधान)... आप देते न, क्यों नहीं दिया यूपी में? क्यों नहीं दिया आपने मध्य प्रदेश में? क्यों नहीं दिया गुजरात में? क्यों नहीं दिया महाराष्ट्र में? राजस्थान में 50 रुपये कम करके नाम लिखा रहे हैं।

mkd/rtm/25.07.2024/20:10/4f

नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हो, ऐसे नहीं लिखा जाता है, काम करना पड़ेगा, तब आपका नाम लिखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय जी आ गये हैं। मेरे अधिकारों की रक्षा तो अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान में आपने 450 रुपये में सिलेंडर लागू कर दिया, वैसे पूरे देश में लागू कर दो, घोषणा कर दो। क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो? क्यों भेदभाव करते हो? यह कह दो डबल इंजन, डबल इंजन चिल्ला रहे हो। डबल इंजन, डबल इंजन, वह इंजन तो बिहार मुड़ गया। तुम्हारा डबल इंजन बिहार और आंध्र प्रदेश मुड़ गया। राजस्थान के लिए कुछ ले पाये? न खाद्य सुरक्षा में ले पाये, न किसानों के लिए ले पाये। आप ईआरसीपी योजना की बात कर रहे थे, न ईआरसीपी योजना में ले पाये।

डबल इंजन का सारा वो बिहार वाले और आंध्र प्रदेश वाले नकेल डालकर ले गये। दे नहीं रहे थे, वे नकेल डालकर उधर ले गये। मैं तो इतनी सी गुजारिश करता हूं, सुन लो भाई जी, एक बार फिर पढ़ देता हूं, मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो न करो, मेहरबां सुनो तो सही। जयपुर वालों को देना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 50 पर सदन में सार्थक चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह से चर्चा में भाग लिया। अपनी मांग के साथ उन्होंने अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। इन सबके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, यथा सम्भव इन सुझावों एवं मांगों को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आज 67 सदस्यों द्वारा कुल 207 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनका जवाब हम निर्धारित समय में माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा देंगे। सहकारिता की बात हो रही है। हम सहकारिता का अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण देखना चाहें तो वह है मानव का शरीर। जिसका प्रत्येक अंग एक दूसरे को सहयोग देता और सहयोग लेता है। यदि शरीर का प्रत्येक अंग अलग-अलग कर दिया जाये तो शरीर की क्या स्थिति होगी?, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उक्त शरीर की समस्त व्यवस्थाएं ईश्वर प्रदत्त हैं। ईश्वर की रचना में सहकारिता का स्पष्ट सन्देश है। हमें इसे जरा समझने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा

कि उन्होंने सहकारिता विभाग का, राजस्थान के किसान का, राजस्थान के आम जन का इस बजट में ध्यान रखते हुए सहकारिता विभाग के लिए अनेक घोषणाएं कीं, नवाचार किये।

मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 2021 में सहकारिता विभाग, जो कहीं न कहीं कृषि विभाग के अन्तर्गत आता था, उसको एक पृथक विभाग बनाकर, यह सहकारिता, जिस पर दिन भर बड़ी चर्चा हुई कि यह इतने महत्व का विभाग है। इस महत्व को समझने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। एक पृथक विभाग बनाकर, आपने देखा होगा देश के सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, जिस गुजरात मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने इस विभाग के महत्व को समझते हुए, जो नये नवाचार किये हैं, वह हम सबके सामने हैं। 54 नये नवाचार लाकर कैसे हम एक को-ऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं, इसकी चिन्ता यदि किसी ने की है तो देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने की है।

राजस्थान के सहकारिता आंदोलन की भी इस अवसर पर चर्चा करना चाहूंगा। सहकारिता आंदोलन की तारीख भी अभी कुछ सदस्यों ने बताई है, इतने समय पुराना हो गया है। मैं इस सदन में सबको यह बताना चाहूंगा कि गांव का गरीब, आदिवासी, किसान, हर जरूरतमन्द व्यक्ति कहीं न कहीं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है।

अभी जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में 41 हजार सहकारी समितियां हैं और सीधे-सीधे 1 करोड़ 35 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उनकी पूंजी की यदि हम बात करें तो केवल हिस्सा राशि ही 21 हजार 480 करोड़ रुपये है। यदि इनकी कार्यशील पूंजी की बात करें तो 1 करोड़ 1 लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपये है। इस कार्यशील पूंजी से यह विभाग काम कर रहा है। इस विभाग का महत्व हम इसी से समझ सकते हैं कि लगभग 20 परसेंट आबादी प्रदेश की कहीं न कहीं को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है।

मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में चर्चा की थी कि सहकारिता में नये लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। उनको ऋण भी नहीं दिया जाता है। इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो किसानों की अल्पकालीन जरूरतें होती हैं, उन्होंने उसके लिए इस बजट में 23 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण देने की बात की है।

साथ ही, ओसियां से आने वाले विधायक भैरा राम जी कह रहे थे कि इसमें नये सदस्यों को नहीं जोड़ा जाता है तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख नये सदस्यों को भी सहकारिता से इस आंदोलन से जोड़ने की घोषणा की है।

मैं सदन को जानकारी भी देना चाहूंगा कि कल 24 तारीख तक लगभग 24 लाख किसानों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों और उनकी आय बढ़ाने के

लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सदैव प्रयासरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने स्वयं अपने उद्बोधन में भी कहा थाकि मैं किसान परिवार से आता हूं, किस तरह से मैंने पशुपालन किया है।

कल जब डूंगरपुर से आने वाले विधायक गणेश जी कह रहे थे कि इस बजट में इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लेखानुदान मांगों में ही राजस्थान के पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का गोपाल क्रेडिट कार्ड 5 लाख नये किसानों को इस बार देने की इस बजट में घोषणा की है, बिना ब्याज से। उस राशि का उपयोग आप चाहे नये पशु लेना चाहें, चाहे कैटल शेड, आप छाया की बात कर रहे थे, वह आप अगर करवाना चाहें, चाहे आप खेली का निर्माण करना चाहें, चाहे आप डेयरी सम्बन्धित कार्य करना चाहें तो उसके लिए आप उस राशि का उपयोग कर सकते हैं।

इस गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए शीघ्र ही हम आवेदन भी स्वीकार करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांव के गरीब किसान की चिन्ता की है। अभी किसानों की बहुत सारी बातें हो रही थीं, लेकिन आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने किसानों की चिन्ता की है तो देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। उन्होंने 2019 में किसान सम्मान निधि के नाम से आजादी के बाद पहली बार तीन-तीन किश्तों में 6 हजार देने की घोषणा की है, सीधा उनके खाते में देने का काम यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है।

Bhs/Rtm/25.7.24/20.20/4j

2019 में उन्होंने किसान सम्मान निधि के नाम से आजादी के बाद पहली बार तीन-तीन किश्तों में 6 हजार देने की घोषणा अगर किसी ने की है, सीधे उनके खाते में देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। आदरणीय मोदी जी के नक्शेकदम पर आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी भी इससे पीछे नहीं रह रहे, उन्होंने भी अपने पहले ही इस बजट में किसानों को मुख्य मंत्री सम्मान निधि योजना के माध्यम से दो हजार रुपये प्रति वर्ष अपने बजट से प्रावधान करके और 1400 करोड़ का प्रावधान इस साल राजस्थान के किसानों के लिए उन्होंने किया है। 30 जून को टोंक में पैंसठ लाख किसानों को साढ़े छः सौ करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। ...(व्यवधान)...

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): 12 हजार के लिए कहा था।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): चरणबद्ध रूप से उनको भी 12 हजार तक ले जायेंगे हम।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): चरणबद्ध तो बोला ही नहीं आपने। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): चरणबद्ध तरीके से अब कह रहे हैं हम आपको। हमने 12 हजार कहा है हम 12 हजार देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, जब कोई रिप्लाई हो रहा हो तो बीच में प्रश्न नहीं पूछते हैं।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले रोहित जी नहीं विराज रहे दिखते हैं, रायसिंहनगर से आने वाले सोहन लाल जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे और कल रोहित जी यह बता रहे थे कि सहकारिता का बजट कम हुआ है, विभाग का बजट कम हुआ है, किसानों के लिए बजट कम हुआ है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमने हर योजना में कहीं दुगुना किया है, कहीं तिगुना किया है, हम गारंटी से कह सकते हैं कि राजस्थान में किसानों के लिये अगर किसी ने सोचने का काम किया है तो वह हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने किया है।

दीर्घकालीन ऋणों की बात अभी सभी माननीय सदस्य कर रहे थे। गत वर्ष पिछली सरकार ने पचास करोड़ का दीर्घकालीन ऋण दिया था। हमारी इस सरकार ने इस बजट में उसको दुगुना करके सौ करोड़ का प्रावधान भी रखा है और जो पूर्व में पांच परसेंट दिया जाता था उसको दो परसेंट और बढ़ा करके उसको सात परसेंट करके राजस्थान के किसानों को और आमजन को उससे कहीं न कहीं राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं राजस्थान के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा और कहीं न कहीं हमारे बैंक भी इससे मजबूत होंगे। इसकी चिन्ता भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सभी माननीय विधायकों ने यह मांग की कि नये गोदाम होन चाहिये हमारे यहां भण्डारण क्षमता बढ़नी चाहिये इसकी भी चिन्ता हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी ने की और बजट में प्रावधान रखा है। पिछले साल का जो आपका बजट था उसमें सौ मीट्रिक टन के ही गोदामों की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, सौ गोदाम और सौ मीट्रिक टन तक। हमने सौ मीट्रिक टन से बढ़ा कर के पांच सौ मीट्रिक टन तक का गोदाम बनाया और जो पिछली बार आपने बारह करोड़ का प्रावधान इन गोदामों के लिये रखा था उसको बढ़ा करके हमने तीन गुना करके उसको पैंतीस करोड़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कस्टम हायरिंग सेन्टर की बात भी आ रही थी, प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि हमारे यहां भी कस्टम हायरिंग सेन्टर खोले जायें, गोदाम खोले जायें तो आपकी भी चिन्ता हमारी सरकार ने की है और इस बार के बजट में एक हजार नये कस्टम हायरिंग सेन्टर, किसानों को कैसे अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हो सके, संसाधन उपलब्ध हो सके और कैसे हमारा को-ऑपरेटिव सेक्टर मजबूत हो सके, इसकी चिन्ता करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इधर बात करें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): निश्चित रूप से आपकी मांगों को भी हम ध्यान में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक मंत्री का जवाब न हो, इस तरह से बीच में बार-बार बोलना, यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप खड़े क्यों हो रहे हो, आपको दो बार टोका है मैंने। बैठिये। नये आये हो और ऐसे ही, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं बता रहा हूं। भले ही पुराने हो, व्यवहार तो नये जैसा भी नहीं कर रहे। उत्तर आ रहा है। कृपया चुप रहें। यहां कोई नहीं बोलेगा। माननीय।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने समितियों एवं अन्य स्तरों पर जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी भी सबने चर्चा की। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमने इन 6 महीनों में हर महीने समीक्षा करके ऐसे जो कर्मचारी जो कहीं दोषी हैं, अनियमितताओं में गबन में जो पाये जाते हैं उनको हमने बर्खास्त करने का काम किया है। ए.पी.ओ. करने का काम किया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का काम किया है और जीरो टोलरेंस पर आगे बढ़ते हुए अन्य जो भी शिकायतें हैं आज आपने जो सदन में कही, आप निश्चित रूप से हमें भी दीजिये उन पर हम जीरो टोलरेंस की नीति रखते हुए उन सब पर कार्यवाही करते हुए निश्चित रूप से दोषी लोगों को जेल भेजने का काम हमारा विभाग करेगा, हमारी सरकार करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में अनियमितता की बात होती है इसको दूर करने के लिए हम कार्यवाही तो करेंगे ही साथ-साथ में इसमें पारदर्शिता कैसे आये इसकी चिन्ता भी हमारी सरकार ने की है। हमने इसमें पूर्ण पारदर्शिता रहे इसके लिए, पहले समितियों में सारे काम ऑफलाइन होते थे, हमने सारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड करके कैसे वो जो समितियां हैं वो कंप्यूटराइजेशन से गोलाइव पर आये और हमने आज दिनांक तक 1231 समितियों को गोलाइव की स्थिति पर ला दिया है अब उसमें अनियमितता की सम्भावना लगभग शून्य सी हो जायेगी। हम केवल बात ही नहीं करते, काम करने में भी विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से, जो ये बात कर रहे थे अनियमितताओं की, घोटालों की लेकिन इन पैक्स और लैम्प्स में अभी घनश्याम जी ने भी इस विषय पर बात की थी कि हमारे वहां समिति में, गणेश जी ने, सभी ने लगभग-लगभग काफी माननीय सदस्यों ने इस पर कहा था कि हमारी समितियों में इस तरह से घोटाले हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जब सारी समितियां और यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम जितनी भी प्रदेश में पैक्स हैं उन सबको हम कंप्यूटराइजेशन करके उनको गोलाइव करके उनको ऑनलाइन करके किसान को यह पता रहे और यह साथ-साथ में उसको मेंडेटरी करेंगे कि किसान को उसके लेन-देन के साथ में उसको पास बुक भी उपलब्ध करायी जाये और उसको सारा डेटा वो जब चाहे, अगर वो ई मित्र पर चाहे तो भी उसको मिल सके ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारी

सरकार करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि व्यवस्थापक जो है पीढ़ियों से काम कर रहा है, उस पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है, मैं स्वयं एक सहकारी समिति का सदस्य हूं लम्बे समय से, फादर मेरे सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं इस को-ऑपरेटिव सेक्टर में बहुत लम्बे समय से जुड़ा हुआ भी हूं उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझने का मैंने प्रयास भी किया है। यह जो समितियों से जिस प्रकार से गबन होते हैं, घोटाले होते हैं अगर वहां का संचालक मंडल जागरूक होता है तो वह अगर एक्टिव होता है तो वह समिति निश्चित रूप से कहीं न कहीं व्यापार में भी आगे होगी। वहां की समिति का हर काम श्रेष्ठ भी होगा और उसमें किसी तरह के गबन और घोटाले की शिकायत नहीं रहेगी।

Kas/rtm/25-7-24/2030/4k

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने इस साल से यह प्रयास किया है कि राजस्थान में जितने भी अध्यक्ष होते हैं, संचालक मंडल के सदस्य होते हैं, इनको नियमों और प्रक्रियाओं की थोड़ी जानकारी नहीं होती है। इनको हम अपडेट करेंगे और एक क्वालिटी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। हमारी रायसम संस्था के माध्यम से इस साल हमने लक्ष्य रखा है 25 हजार ट्रेनिंग दिवस, लगभग 25 हजार लोगों को हम प्रशिक्षण देकर उनको नियमों व प्रक्रियाओं की जानकारी देकर, वह कैसे जागरूक होकर अपने पैक्स और लैम्प्स कैसे मजबूत कर सकें, इसकी चिंता हमने की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि यह जो गबन होते हैं, जो लेकुनें हैं, इसमें भी कहीं न कहीं सुधार करने की जरूरत है। मैं जयपुर में भी महसूस करता हूं कि बहुत सारी गृह निर्माण सहकारी समितियों में हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से कानून में कहीं न कहीं लेकुने रह गये। इसके लिये भी हमारी सरकार ने चिंता की है और इस बजट में घोषणा भी की है कि जो गैप्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको दूर करके नया को-ऑपरेटिव कोड लाकर इस को-ऑपरेटिव मूवमेंट को और सशक्त करने का काम हम करेंगे।

अभी सभी माननीय सदस्यों नये लैम्प्स और पैक्स खोलने की बात की। हमारा संकल्प है कि हम हर पंचायत मुख्यालय पर सरकारी समिति का गठन करें और महिलाओं को आगे रखते हुए, उनके लिये भी हर ब्लॉक स्तर पर कोई न कोई एक समिति उनकी भी हो, यह पैक्स उनके लिये भी हो, ऐसा काम हमने किया है। हमारी सरकार बनने के बाद 51 नये महिला पैक्स बनाकर, उनको तीन लाख रुपये जो इनकी हिस्सा राशि होती है, उनको ट्रांसफर भी कर दी है और महिला समितियों को एक्टिव करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन।)

मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष है कि सभी ने बैंक और राजफैड की चिंता की है। पिलानी से आने वाले पितराम जी, महवा से आने वाले हमारे राजेन्द्र जी ने कहा कि हमारी बैंकिंग कुछ कमियों की वजह से सफर कर रहा है। उसके लिये भी हमारी सरकार ने चिंता करते हुए, राजफैड में तो राजफैड बनने के बाद पहली बार और बैंक में पिछले पांच सालों से कोई भर्ती नहीं हुई थी, उस भर्ती को चालू करते हुए शीघ्र ही इस प्रक्रिया को हमने प्रारम्भ कर दिया है, जल्द ही 700 पदों पर आईपीबीएस संस्था के माध्यम से भर्ती करने का काम हम करेंगे। इन भर्तियों से बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन संस्थाओं की क्षमता भी निश्चित रूप से मजबूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने 11 जुलाई को, बजट के अगले दिन ही सभी विभागों की बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, इस हेतु निर्देशित किया था। विभाग द्वारा भी कार्य योजना बनाकर घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अन्नदाता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसकी चिंता सरकार को है। अभी जैसलमेर से आने वाले छोटू सिंह जी और टोडाभीम से आने वाले घनश्याम जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मूंगफली, मूंग, सरसो, चना, इनकी लगभग 4,34,140 मैट्रिक टन की फसल खरीदी है और लगभग 2587 करोड़ रुपये का भुगतान हमने किसानों को कर दिया है।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस खरीद में हुई कुछ अनियमितताओं की चर्चा की। कुछ पुराने प्रकरण, चाहे नाचना हो, रावला हो, रतनगढ़ से आने वाले विधायक ने भी दो दिन पहले सदन में प्रश्न रखा था। इन तीनों जगह हमने कमेटियां भी बना दी हैं। वैसे यह गड़बड़ियां तो पिछली सरकार में हुई थीं, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो वाजिब किसान हैं, उनको पैसा मिलेगा और दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये अनियमितताएं आगे से न हो, इसकी चिंता भी हमने की है। समस्याओं को हमने ऑबजर्व किया है, गैप्स को भी हमने समझने का प्रयास किया है। इनको ठीक करते हुए, चाहे वह परिवहन में हो, चाहे जो सेंटर्स गड़बड़ी करते हैं, उन पर विशेष निगाह रखने की बात हो, इन सब कामों को करके हम कैसे किसानों को अधिक से अधिक राहत दे सकें, कैसे उचित समर्थन मूल्य पर खरीद कर सकें, इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि हम इसमें और कमी लाकर अधिक से अधिक समर्थन मूल्य पर खरीद भी करेंगे। अभी एक माननीय सदस्य ने 10 परसेंट, 5 परसेंट की बात की थी। वैसे भारत सरकार द्वारा, जितनी भी उपज होती है, उसमें से 25 परसेंट खरीदने के लिये हमें लक्ष्य दिये जाते हैं। हमने इस साल और भी प्रयास किया है, हमने केन्द्र सरकार से आग्रह भी किया है कि इस

खरीद का टार्गेट बढ़ाकर 50 परसेंट किया जाये। केन्द्र में डबल इंजन की सरकार है, किसानों के लिये निश्चित रूप से वह कोई नया संदेश लेकर आयेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।

सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय श्रवण जी ने भी कल आयुर्वेद की चर्चा पर थोड़ी सी चिंता व्यक्त की थी कि उत्पाद कहीं न कहीं रासायनिक खादों से होते हैं। हमारे सहकारिता विभाग ने इस पर भी चिंता की है। हमने जवाहर कला केन्द्र के शिल्प ग्राम में एक ही छत के नीचे एक मसाला मेले का आयोजन किया। उसमें पूरे देशभर के प्रोडेक्ट्स को यहां बुलाया और कैसे ऑर्गेनिक और जैविक पदार्थों का प्रचार-प्रसार हो, जैविक खेती कैसे बढ़े, इसके लिये हमने यहां ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया और इस मसाला मेला के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण सामान कंजुमर को मिले, इसकी चिंता भी हमारे विभाग ने की है।

msk/rtm/25.07.2024/2040/4l

माननीय सभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने भण्डार की चिन्ता भी की थी। राजस्थान में कॉनफैड के हर जिले में भण्डार हैं, उनकी दुकानें भी हैं। जिस तरह से बात कर रहे थे कि हमें गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलें, जिस तरह से नकली सामान मिलता है या मिलावट वाला सामान मिलता है। हम यह प्रयास करेंगे कि हर जिला स्तर पर भण्डार का मॉर्डनाइजेशन करके, रिलायंस है। आज से हम 10 से 15 सालों पहले देखते हैं तो निश्चित रूप से भण्डार से कोई खरीद करता था तो उसको लगता था कि मैं अच्छी चीज लेकर आ रहा हूं। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि हम धीरे-धीरे करके, एक के एक करके, हम उन भण्डारों का मॉर्डनाइजेशन भी करेंगे और उन पर गुणवत्तापूर्ण सामान आपको मिले, इसकी चिन्ता भी हम करते हुए हर जिला स्तर पर हम कॉनफैड के माध्यम से भण्डार खोलने का काम करेंगे। सहकारिता के इस आन्दोलन को हम मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि समृद्ध सरकार खुशहाल किसान हमारी प्राथमिकता है। सहकारिता के विकास के लिए हम राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग लेकर कैसे इस सहकारिता के आन्दोलन को हम मजबूत करें, इसके लिए इस सदन में हम सब मिलकर प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा की गयी सभी घोषणाओं को हम समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50-सहकारिता पारित की जाए।

श्री सभापतिः श्री सुमित जी गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी, प्रथमतः पक्ष-विपक्ष के समस्त माननीय सदस्यगण को उनके बहुमूल्य सुझाव, जो उन्होंने दिये, उनका स्वागत करता हूं। कुल 66 विधायकों ने 161 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, 31 माननीय

सदस्यों ने खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग पर अपनी मांग और विचार रखे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम अन्न की महत्ता, गुणवत्ता और उसकी सर्वोपरि सत्ता पर आपका ध्यान चाहूंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं - अन्नाद्भवन्ति भूतानि, अर्थात सम्पूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण सुभाषित पर भी सदन का ध्यान चाहूंगा कि इस धरती पर तीन ही रत्न माने गये हैं। अन्न, जल और तीसरा, महापुरुषों के वचन। माननीय सभापति जी, यह विभाग धरती के पहले और सबसे महत्वपूर्ण रत्न अन्न की गारंटी के साथ गरीब और निर्धन तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उनके पोषण का कार्य करता है। उसको जीवनयापन के लिए संबल प्रदान करता है। मैं यह भी मानता हूं कि जिसमें निर्धन और धनवान शब्द का हिस्सा है, सबसे बड़ा तो छोटी-सी रोटी का किस्सा है। महाकवि धूमिल की ये पंक्तियां कहती हैं:-

आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताता हूं,
जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है,
इस दुनिया में भूखे को सबसे बड़ा तर्क रोटी है।

इसे यूं भी कहा जा सकता है, ये ही मंत्र महान है, रोटी ही भगवान है। दुनिया का कोई भी काम इस अन्न के बिना सम्भव नहीं है और मुझे प्रसन्नता है, इस अन्न की आपूर्ति का कार्य यह विभाग अपने संकल्पबद्धता, प्रतिबद्धता और समयबद्धता के साथ निर्बाध करता जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें राजस्थान के चार करोड़ छत्तीस लाख लोगों को सरकार अन्न दे रही है। जिसमें अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो और 05 किलो प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व भी होता है कि डबल इंजन की सरकार के मुखिया माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बजट जारी किया, उसमें देश की सर्वोच्च 20 योजनाओं की घोषणा की गयी, जिनके लिए 10 करोड़ 76 लाख रुपये दिये गये। उसमें यदि किसी योजना के लिए सर्वाधिक राशि दी गयी, वह प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के लिए दो करोड़ पांच लाख रुपये दिये गये। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याणकारी योजना, जिसमें जयपुर के आदर्श नगर से आने वाले विधायक ने कहा कि कोरोना में कहां मिला, वे भूल गये कि किस तरह कोरोना काल में मोदी जी ने अन्न दिया, दालें भेजीं, दिल्ली से। जिसे आज भी लोग गांवों में याद करते हैं कि वैसी दाल हमने आज तक खायी नहीं, जो प्रधान मंत्री मोदी जी ने कोरोना में भेजी थी। यह हकीकत है। ...(व्यवधान)... आप गांवों में नहीं रहते, आप जयपुर में रहते हो, कभी गांव में जाते नहीं हो, गांव छोड़े बहुत साल हो गये, अब व्यापारी हो गये हो। आप कभी मिलेंगे तो मैं आपको गांव की दाल खिलाऊंगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की इस कल्याणकारी योजना को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गौर करिये।

इस दुनिया में भूख से, नहीं बड़ा संताप,
और इसी कारण होते हैं, जग में सारे पाप,
इसी पाप के मूल को, जड़ से किया समाप्त,

निर्धन करते रहेंगे, निशुल्क अन्न को प्राप्त,
और भूख के भय से ये, सदा करेगी त्राण,
अगले पांच बरस भी होगा मोदी जी का ग़रीब कल्याण।

माननीय सभापति जी, हमारा विभाग समयबद्ध आपूर्ति करता रहे और पारदर्शिता पूर्ण मात्रा और माप-तौल के साथ गेहूं का एक-एक दाना उपभोक्ता के पास पहुंचे, इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पर Digital Weighing Scales लगाये जा रहे हैं, लगा भी दिये हैं और थोड़े जो बाकी हैं, वे भी लग जायेंगे। साथ में, आईरिस की नयी तकनीक को भी लगाया गया है। जिसके तहत थम प्रिंट नहीं हो रहे थे, आईज के द्वारा उनकी पहचान की जा रही है, वह कार्य सुनिश्चित किया गया है। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नवाचार के तहत 1 मई, 2024 से रूट ऑप्टीमाईजेशन का कार्य शुरू किया है, जिसके तहत कम दूरी पर खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचे ताकि उसमें राशि भी बचे और उसके संसाधन कम समय पर भी पहुंचे और राशि कम लगे।

माननीय सभापति जी, मैं चार पंक्तियां कहकर आगे बात रखूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में, जिन्होंने शानदार ऐतिहासिक काम हमारे विभाग में जो किया, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश में:-

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में,
तू जरा हिम्मत तो कर,
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में,
तू जरा कोशिश तो कर।

यह कोशिश की है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने। जो उनका निर्देश था कि डोर-स्टेप-डिलेवरी योजना हम लेकर आये हैं, जो 1 जुलाई से लागू कर दी गयी है। जिसमें 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ऊपर, जो दिव्यांग जन हैं, विशेषयोग्य जन हैं, निराश्रितों को घर-घर जाकर राशन की सामग्री 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को और उसके परिवार को उसके घर पर जाकर देना शुरू किया है। आज तक कभी यह योजना नहीं आयी थी।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश में जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए, कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लेकर आये। उसका यह लाभ मिला कि राजस्थान का व्यक्ति, आज कोई गांव का व्यक्ति, चाहे डूंगरपुर का हो, चाहे बाड़मेर का हो, वह भारत में कहीं बैठा है, वह अपने राशन कार्ड का उपयोग करके वहां से राशन ले सकता है। ऐसी योजना लेकर आने वाले माननीय प्रधान मंत्री जी को ह्रदय से आभार। माननीय सभापति जी, मैं सदस्यों को यह भी बताऊंगा, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जब चर्चा हो रही थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का एक समय वह भी था, जब यह विभाग प्रसिद्ध नहीं, बल्कि कुप्रसिद्ध था। इस विभाग की प्रथा बदली। मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन में डिजिटल इंडिया का आह्वान किया, उस डिजिटल इंडिया का यदि सबसे अच्छा प्रयोग भारत में अगर किसी विभाग ने किया वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राजस्थान में किया।

जब 2015 में हमारी सरकार थी तो उन्होंने पोस मशीन से लाकर शुरूआत की, उससे उपभोक्ता को लाभ मिलने लगा और जो चोरियां होती थीं, बदमाशियां होती थीं, वे सारी की सारी बन्द हुईं। वह श्रेय माननीय प्रधान मंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को जाता है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्रान्ति लेकर आया।

नोहर से माननीय सदस्य चले गये। उन्होंने नोटबंदी की बात कही। उस पर मैं एक बात जरूर कहूंगा। नोटबंदी 2016 में आयी। बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि नोटबंदी का क्या प्रभाव रहा। छोटा-सा जिक्र करूंगा कि 2016 में भारत में सिर्फ 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे और नोटबंदी आने के बाद पिछले छह सालों में कितनी बड़ी क्रान्ति आयी है कि भारत में 26 बिलियन यानी 2600 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ पूरी दुनिया में आगे है तो वह भारत है। भारत का पूरी दुनिया लोहा मानती है। आप देखिये कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आते हैं। वे भी यूपीआई पेमेंट को लेकर जाते हैं।

mdp/rtm/25.07.2024/20:50/4m

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य, आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी। ...(व्यवधान)... सुनिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुन कोन पारिया कै, सच्चाई है कि देश आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है ...(व्यवधान)... भारत दुनिया में नंबर एक है, इससे आपको परेशानी हो रही है। आपको तो मेजें थपथपानी चाहिए कि हम दुनिया में डिजिटल क्रांति में नंबर एक है। खड़े क्यों हो रहे हैं? ...(व्यवधान)... आपको गर्व होना चाहिए कि आपके नेता, पूर्व वित्त मंत्री कहते थे, जब डिजिटल इंडिया, आप खड़े मत होइए।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आप विराजिए। ...(व्यवधान)... नेता, प्रतिपक्ष नोट कर रहे हैं ...(व्यवधान)... वे जवाब दे देंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति जी, परेशानी यही है कि भारत जब भी, पीडीएस में नंबर एक है तो इनके परेशानी है। भारत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, दुनिया में, विश्व में ताकत बनता है, प्रधान मंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं तो भी इनको परेशानी। ये चाहते हैं कि भारत गरीब ही रहे, भारत आगे नहीं बढ़े। इनकी मानसिकता ऐसी ही है। इनकी नेता इंदिरा गांधी कहती थी कि कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ। ये पचास साल तक उस गरीब के नारे को लेकर चले, गरीब कल्याण कभी नहीं किया। गरीब कल्याण किया हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से काम किया।

माननीय सभापति जी, हमारे विभाग के द्वारा 4 करोड़ 36 लाख जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए ई-केवाईसी की जा रही है। मुझे सदन में बताते हुए बड़ा हर्ष है कि लगभग 3.51 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो गयी, जो कि 80.20 प्रतिशत है। हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा ई-केवाईसी हो। इससे यह भी लाभ होगा कि जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे ई-

केवाईसी से, वह स्थान भी रिक्त होंगे तो उसमें जो वंचित लाभार्थी हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

राज्य की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये वह पार्टी है जो कहती है वह करती है। तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार तीसरी बार दिल्ली में आयी है। आगे भी लगातार आती रहेगी यह पार्टी, क्योंकि हमने जब संकल्प पत्र में कहा था कि गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे तो एक महीना भी नहीं हुआ था, उससे पहले 450 रुपये में गैस सिलेंडर हमारी सरकार ने शुरू कर दिया।

अभी यहां पर कुछ सदस्य कह रहे थे गैस सिलेंडर के बारे में कि हमारी सरकार ने दिया। गलत तथ्य दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो लेकर आये, मुझे वह दिन भी याद है और सबको याद होगा यहां पर जितने भी विधायक हैं, उन सबको याद होगा, ज्यादा पुराना समय नहीं है, जब घर में गैस खतम होती थी तो गैस वाले के हम जाते थे, चक्कर पर चक्कर निकालते थे। किसी रिश्तेदार के जाते थे और गैस नहीं मिलती थी, वह भी हाल था, लाइसेंस राज, कांग्रेस का समय था। मुझे वह समय भी याद है 1998 से 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो गैस की दिक्कत खतम हो गयी। 2004 से 2014 तक जब मनमोहन जी की सरकार आयी तो वापस गैस की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई थी। आपकी बातें याद हैं। मोदी जी की सरकार आयी तो उज्ज्वला योजना के तहत जो हमें सिलेंडर दिये गये ...(व्यवधान)... थ्हारे सूं देश की तरक्की सुनी कोनी जाय, थोड़ा गौरवान्वित महसूस कीजिए, proud to be Indian. जब उज्ज्वला योजना आयी तो यही कांग्रेस सदस्य कहते थे, गांव में हम जाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे कि गांव की महिलाएं कठे चलासी सिलेंडर, क्योंकि इनकी धारणा यही थी कि गांव आगे नहीं बढ़े। ये चाहते थे कि गांव की महिला, हमने कहा कि भारत की महिला सबसे सक्षम है। वह नारी है और शक्ति का रूप है। देखिए, भारत में मोदी जी ने 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शन दिए हैं, जिसमें 73 लाख राजस्थान में दिये गये। गैस सिलेंडर से लाभ क्या हुआ? डॉक्टर स्टडी है कि एक महिला एक घंटे पर चूल्हे पर जो करती है, थै शहर मायन आ गया, चूल्हा जानो कोनी, चूल्हा गांव म्ह आज भी चाले हैं, जब वह थेपड़ी के, लकड़ी के चूल्हे पर काम करती है, 400 बीड़ी-सिगरेट के बराबर शरीर को धूम्रपान का जितना नुकसान होता है, उतना उसको नुकसान होता है। कितनी बीमारियां होती हैं। सारा का सारा इलाज मोदी जी ने गैस सिलेंडर गांव में भेजकर कर दिया।

सभापति जी, आप गैस की रेट की बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजस्थान के सदन में बैठकर बात हम राजस्थान की कर रहे हैं तो यह बात भी मालूम होनी चाहिए, जब सिलेंडर की बात आप कहते हो तो मैं गांव का एक उदाहरण बताता हूं। एक गरीब परिवार था। उसके सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत आया। बात चली सिलेंडर बढ़ने की तो उस महिला ने जो बात की, उसकी आपके आगे जरूर चर्चा करूंगा। उस महिला ने कहा कि यदि सिलेंडर 800 का जो जाए, 900 का हो जाए, चाहे 1000 का हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि ये बाई कैसे बोली? वह बोली मैं और मेरा पति मजदूरी करने

जाते हैं। सुबह 7 बजे जाते हैं। गैस में दस-पन्द्रह मिनट में रोटी बनती है। साथ लेकर जाते हैं और दो बजे आते हैं। दिन में 1500-1600 रुपये कमाते हैं। महीने में हमारे 700-800 का सिलेंडर लगे तो हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी को बार-बार धन्यवाद देते हैं। यह हकीकत बात है। यह आप नहीं सुन पाएंगे। ...(व्यवधान)... आपने दिए नहीं तो आप नहीं सुन पाएंगे।

ये जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सब्सिडी की बात, मान लीजिए जिस भी शहर में मिल रही है, भारत में जितने भी उज्ज्वला योजना के तहत हैं, 300 रुपये सब्सिडी नरेन्द्र मोदी दे रहे हैं। ये बात आप नहीं बोलेंगे। नरेन्द्र मोदी जी दे रहे हैं 300 रुपये सब्सिडी। आज यदि जयपुर में 806 का सिलेंडर है, 450 में सरकार दे रही है तो 300 रुपये हमारे मोदी जी की सरकार दे रही है, बाकी हमारे भजन लाल जी की सरकार दे रही है। यह हमारे डबल इंजन की सरकार की ताकत का आप अहसास कर रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे किसान केसरी के रूप में मुख्य मंत्री जी, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया, किसानों के लिए उन्होंने सरकार बनते ही, पहले केबिनेट में निर्णय लिया कि हम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेंगे। सवा सौ रुपये क्विंटल का बोनस यदि देश में किसी ने पहली बार दिया तो राजस्थान की सरकार ने दिया। 2275 समर्थन मूल्य और 125 रुपये क्विंटल बोनस 2400 रुपये क्विंटल में राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीदा। 2700 करेंगे, आप देखना 2800 भी करेगी हमारी सरकार। आप चिंता मत कीजिए। इस वर्ष लगभग तीन गुना, गौर कीजिए तीन गुना अर्थात 12.05 लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान की सरकार ने खरीदा। पिछली साल जो आपकी सरकार थी, उससे तीन गुना ज्यादा खरीदा, वह राजस्थान की सरकार ने खरीदा और 48 घंटे में भुगतान करके दिया। राजस्थान सरकार द्वारा 150.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग में नवाचार। उपभोक्ता विभाग में हम राज्य को कंज़्यूमर फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य आयोग एवं जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के 56 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति करने जा रहे हैं। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सार्वकालिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए मध्यस्थता (मिडियेशन) की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के प्रकरणों का सरलता एवं सुगमता से निवारण होगा।

माननीय सभापति जी, मैं उपभोक्ता शिकायतों के वैकल्पिक निवारण के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर (18001806030 एवं वाट्सऐप नम्बर 7230086030) की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान चाहूंगा कि इस हैल्पलाईन पर माह जनवरी, 2024 से अब तक कुल 3200 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2400 का निस्तारण हमारे विभाग द्वारा किया गया है। हमने इसके सुदृढ़ीकरण के लिए यह पहल की है कि, जो सम्पूर्ण भारतवर्ष में पहली बार है कि राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपभोक्ता के चाहे जाने पर आयोग

में भी परिवाद दर्ज कराया जायेगा। पूरे भारत में पहली राजस्थान सरकार बन रही है कि उपभोक्ता के कहने पर कर्मचारी भी अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर उसका परिवाद दर्ज करा सकेगा। मैं इस हैल्पलाईन को उपभोक्ता केन्द्रित अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित कॉल सेंटर में परिवर्तित करने की घोषणा करता हूँ।

विभाग के नवाचारों के अन्तर्गत अब राज्य में बीपीएल और अन्त्योदय उपभोक्ताओं के परिवाद राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा आयोग में दायर किये जायेंगे।

हमारी सरकार ने लाईसेंसिंग और निरीक्षण प्रकिया को सरलीकृत करते हुए कम्प्यूटराइज्ड करने के निर्देश दिये हैं। विधिक माप विज्ञान के अन्तर्गत विर्निमाता, व्यवहारी और मरम्मतकर्ताओं के लाईसेंस का नवीनीकरण स्वतः कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था से हो सकेगा। स्वतः कम्प्यूटराईजड व्यवस्था से हो जाएगा। आप अपनी पिछली सरकार का भी रिकॉर्ड देखिए कि आपकी सरकार में क्या हुआ था? कम्प्यूटराइज्ड होने में उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस सिलेण्डर से होने वाले हादसों के लिए हमारी सरकार चिंतित है और इसी क्रम में घरेलू गैस के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ हम विशेष अभियान चलाएंगे ताकि जिस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं, उस तरह की घटनाएं नहीं हों। इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

माननीय सभापति जी, मैं उपभोक्ता विषयक, प्रचार-प्रसार, प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के लिए युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, ये पुरस्कार पिछले 20 साल से राजस्थान में बंद है। इसमें राजस्थान सरकार जो उपभोक्ता क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, उसको प्रथम को 15 हजार, द्वितीय को 10 हजार और तीसरे को 5 हजार का राजस्थान सरकार देती थी। पिछले 20 साल से बंद था। हम इसको पुनः प्रारम्भ करने जा रहे है। इसका हमने निर्देश दे दिया है, ताकि इससे राजस्थान में युवाओं में उपभोक्ता जाग्रति ज्यादा से ज्यादा आए।

महोदय, हमारी सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन को अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया है। इसके तहत हमने हाल ही में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की है तथा शीघ्र ही प्रत्येक सम्भाग पर उपभोक्ता संरक्षण विषयक कार्यशालाओं का आयोजन करने जा रहे है।

Ans/rtm 21.00 4n 25.07.2024

माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों द्वारा कई विषय आए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोलकर नये लाभार्भियों को जोड़े जाने का आया। इस क्रम में निवेदन करूंगा कि 1 लाख 65 हजार व्यक्तियों को, जो विशेष योग्यजन पेंशनधारी हैं, उनको गत सप्ताह शामिल कर लिया गया है। 1 लाख 65 हजार विशेष योग्यजनों को जोड़ दिया गया है। ।

पी.वी.टी.जी., पर्टिकूलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप सहरिया के 23 हजार हैं, वे भी जोड़ रहे हैं। बाकी जो वंचित आठ लाख रिक्त स्थान है, उसमें जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है और आगामी दो-तीन महीने में वह रिक्त स्थान भी हम पूरे के पूरे भर देंगे।

माननीय सभापति जी, उचित मूल्य दुकान खोलने के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने निवेदन किया। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे, आपके सुझाव आएंगे उस हिसाब से दुकान खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। सतर्कता समितियों का भी हम गठन कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, राशन डीलर के बारे में बहुत सदस्यों ने बात रखी। कई तरह के प्रश्न चिन्ह लोग लगाते रहे, लेकिन इसका दूसरा पहलू, राशन डीलर ने, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे कैसा भी समय रहा हो, उसने भी कोरोना वॉरियर के रूप, आम आदमी को राशन मिले, उसके लिए हमेशा संघर्षशील रहे ऐसे राशन डीलर भी रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन राशन डीलर्स को भी कहीं ना कहीं, उनको भी कुछ अच्छा मिले, आगामी समय में हम इसके लिए प्रयासरत है।

माननीय जितने सदस्य हैं, उनके कटौती प्रस्ताव हैं, उनको भिजवा दिए जाएंगे। मैं माननीय बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य, सुरेश जी धाकड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही शानदार सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधान मंत्री जी ने आहवान किया था गिव-अप सब्सिड़ी गैस सिलेंडर में, 1 करोड़ 10 लाख भारतीयों ने की, तो हम सबका भी एक यह निवेदन है कि हम भी अपने क्षेत्र में, फूलसिंह जी मीणा जो उदयपुर से आते हैं उन्होंने सक्षम लोगों का बाहर करने का विषय रखा। यह विषय सबके सामने आता है। आज हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं, आप और हम जब क्षेत्र में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो हम देखते हैं। पक्ष-विपक्ष सब छोड़िए। हमारे पास ऐसे गरीब व्यक्ति आते है जो इससे वंचित हैं और दूसरी तरफ ऐसे सक्षम व्यक्ति आते हैं जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वह इससे जुड़े हुए हैं। अगर सदन इजाजत दे, सदन के हम सब तैयार हैं, तो एक अभियान चलाकर, जो सक्षम लोग हैं, उनको बाहर किया जाएगा और जो वंचित हैं उनको जोड़ने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हम बिलकुल इसको टारगेट अभियान के रूप में करेंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसमें कोई पक्ष-विपक्ष नहीं, क्योंकि सभी के सदस्य हैं। गांव में हम जाते हैं, गरीब आदमी है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विभाग में जीरो टोलरेंस और भ्रष्टाचार के तहत, आपको इस अभियान के तहत, अगली बार जब बजट होगा उस बजट में आप खुद कहेंगे कि यह संख्या जुड़ी है। जो वंचित हैं उन्हें जोड़कर आपके बीच आएंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए,

उपभोगी पूर्ण प्रसन्न हों, चहुँ ओर सुख पर्याप्त हो,
खाद्यान्न शुद्ध पवित्र हो, सुख सभी में व्याप्त हो,
विनिमय या व्यापार हो, आकंठ धर्म निमग्न हो,
कितना सुखद यह युग रहे, कितना सुख हर लग्न हो ।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मेरी बात का तो जवाब दे दीजिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं डूंगरपुर से आने वाले सदस्य को बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में जिस विधान सभा में सबसे ज्यादा एनएफएसए के लोग जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा लाभार्थी का आंकड़ा आपके डूंगरपुर विधान सभा में है।

दूसरा, आपने बिजली की समस्या की बात रखी, आपसे निवेदन है कि वह दो खम्भे जो पिछली बार आप कांग्रेस राज में धरने पर बैठे थे, वे लगे या नहीं लगे, नहीं तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी को कहें, वे लगा देंगे। लग गए क्या वे? पिछली बार धरने पर बैठे थे। पुलिस का वह कांस्टेबल जिसके लिए आप एसपी ऑफिस में धरने पर बैठे थे, आपका वह काम हुआ या नहीं हुआ? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पारित की जाए।

मांग संख्या 50 - सहकारिता का पारण

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50 - सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,80,29,71,000/- (उन्नीस अरब अस्सी करोड़ उनतीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,61,68,20,000/- (नौ अरब इकसठ करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.06 बजे शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1
मांग संख्या 50 - सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 50 - **सहकारिता** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

1. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)

2. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ग्रा.वि.स. समितियों की व्यवस्थाओं की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

3. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लेम्पस (Large Area multipurpose societies) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय सलूम्बर में सहकारी ''उपभोक्ता भण्डार'' को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के खाद व बीज का भण्डारण केन्द्र झाड़ोल (जयसमंद) रोड़ पर गोदाम बनाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का पुर्नगठन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले फसली व खाद-बीज के ऋणों की राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

8. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पुरानी व नई सहकारी समितियों में गोदामों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं. 101)

9. जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल पुनः शुरू करने एवं लम्बित आवेदनों का निस्तारण कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने एवं GSS (ग्राम सहकारी समिति) गोदाम रहित ग्राम सेवा सहकारी समिति नाथड़ाऊ, ठाडिया, पदमगढ़, सोइन्तरा एवं शेरगढ़ में गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति सोलंकिया तला में अनियमितता की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

13. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में यूरिया खाद की ब्रिकी LAMPS द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम सेवा सहकारी समिति भाटा (सिणधरी), फुलण (समदड़ी) एवं भूका भगत सिंह (सिणधरी) में भण्डार (गोदाम) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम पंचायत वार G.S.S. गठन के आदेश की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सहकारी समिति सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बाड़मेर में नवीन सदस्य बनाने की आवश्यकता एवं नये सदस्यों की साख सीमा फीक्स किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक से G.S.S. के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण के अलावा सामान्य ऋण किसानों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. बाड़मेर सहकारी कॉपरेटिव बैंक लि. बाड़मेर के अधीन लगभग सभी जी.एस.एस. पर सौर ऊर्जा प्लेटों की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

19. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति के गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की ऋण माफी के संबंध में चर्चा के लिए।
21. प्रदेश में सहकारी समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
22. केशवरायपाटन सहकारी शुगर मील को चालू करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नवीन ग्राम सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुराने व जर्जर गोदामों की मरम्मत एवं नए खाद्य बीज गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा भूमि धारक किसानों को फसल ऋण साख सीमा के अनुरूप वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा पुनः पशु चारा ऋण योजना चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)

28. विधान सभा क्षेत्र भीम में भूमि सुधार हेतु किसानों को ऋण वितरण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

29. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नवीन सहकारी समितियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

30. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सहकारी समिति खोलने, किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने एवं इनमें अनियमितताएं रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

31. अजमेर में पडाव स्थित सहकारी उपभोक्ता भण्डार की एक शाखा आदर्श नगर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कॉ-ऑपरेटिव सोसायटियों में निवेशकों की राशि की रक्षा हेतु बनाये गये कानून को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. अजमेर अरबन कॉ-ओपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देने हेतु उनकी जमा राशि ब्याज सहित लौटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में कॉ-ऑपरेटिव सोसायटियों के चुनाव निश्चित समय पर किसी स्वतन्त्र एजेन्सी से कराये जाने के लिए कानून में नये संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)

36. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उप खंड कार्यालय मेड़ता पर भूमि विकास बैंक स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

37. गंगापुरसिटी जिले में सहकारी समितियों के चुनाव करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पुराने गोदामों की मरम्मत करवाये जाने एवं नये गोदाम बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं. 132)</u>

40. विधान सभा क्षेत्र निवाई की को-ऑपरेटिव सोसायटियों की अनियमितताओं की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं. 30)</u>

41. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की विधान सभा नगर, धौलाई, जयपुर की आवासीय कॉलोनी का JDA की बीपीसी बैठक में अनुमोदित मानचित्र के अनुसार संशोधित भूखण्ड संख्या के अनुसार भूखण्डधारियों को मौके पर 30 वर्षों के उपरान्त भी विभाग/अवसायक द्वारा डिमार्केशन कर कब्जा/नियमितिकरण एवं पट्टे जारी नही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)</u>

42. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक को नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ मुख्यालय पर शाखा हेतु भूमि आवंटन करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

43. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अजीतपुरा, दयालपुरा एवं बीबलसर में सहकारी समिति के लिए भण्डारण एवं कक्ष की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र आहोर में विभाग द्वारा किसानों को ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं. 135)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र लालसोट की ग्राम पंचायत ढ़ोलावास सहित भवन विहीन सहकारी समितियों के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं. 95)</u>

46. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम पंचायत जाहोता की बहुउद्देशीय कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति को नि:शुल्क भूमि आवंटन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से समन्वय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम पंचायत जालसू में क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के भवन व गोदाम हेतु भूदान बोर्ड से समन्वय कर भूमि आवंटन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र आमेर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

49. प्रदेश में विभाग द्वारा किसानों को ऋण समय पर दिये जाने, नये किसान को ऋण राशि बढाई जाने एवं क्रय-विक्रय सहकारिता समितियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

50. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को सहकारी बैकों के कर्मचारी घोषित किया जाने एवं उनका पे-केडर तय किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में विभाग के 2013 में अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को सहकारी ऋण माफी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों के लाइसेंस ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया जाने तथा घाटे से निकालने एवं व्यवस्थापकों को समय पर वेतन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)</u>

53. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में नयी ग्रामीण सहकारी समितियां स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम सेवा सहकारी समिति धानसिया, मलवानी, लाखेरा, चैनपुरा, 6 RPM एवं नैयासर में अनाज भण्डारण हेतु नवीन गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं. 165)</u>

55. संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर को विधान सभा नगर धौलाई, सांगानेर, जयपुर आवासीय कॉलोनी का JDA की बीपीसी बैठक में अनुमोदित मानचित्र के अनुसार संशोधित भुखण्ड संख्या के भुखण्डधारियों को मौके पर 30 वर्षों की लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा डिमार्केशन कर कब्जा, नियमितिकरण एवं पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

56. विधान सभा क्षेत्र बयाना में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कार्यालय एवं खाद-बीज भण्डारण करने के लिए भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में क्रय-विक्रय सहकारी समिति संचालन के लिए खाद-बीज भण्डार बनाने के लिए भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)

58. प्रदेश में को-ओपरेटिव संस्थाओं की स्थगित चुनाव प्रक्रिया पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)

59. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में "दुग्ध संकलन केन्द्र" की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अनाज के भण्डारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में विभाग का निदेशक/उपनिदेशक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में किसानों को फसल बीमा/फसल ऋण की उपयोगिता/आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सहकारिता बैकों के विकास, भवन नवीनीकरण एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)

64. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा (जोधपुर) में स्थित जी.एस.एस. में भवन एवं गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिफाल्टर सदस्यों के बकाया ऋण का ब्याज एवं पेनल्टी माफ करने एवं किसानों/सदस्यों को प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का समय पर भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर नये खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)

67. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समितियों के गठन एवं गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

68. प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, आम व्यक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिये अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति का केवल दो बार ही निर्वाचित होने के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. RCDF द्वारा झालावाड़ सहित समूचे प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक संबल के लिए प्रति फेट खरीद दर में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. झालावाड़ जिला मुख्यालय एवं खानपुर में सहकारी विश्राम गृह स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ एवं खानपुर ब्लॉक में सहकारी राईस मील की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र खानपुर सहित समूचे झालावाड़ जिले में समग्र सहकारी विकास परियोजना का द्वितीय फेज की स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)

73. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवनों व गोदामों की मरम्मत एवं नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सहकारी बैकों द्वारा किसानों का फसली ऋण माफ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को लाभ प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)

77. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों के खेतीबाड़ी उपयोग हेतु खाद, उन्नत किस्म के बीज, पेस्ट्रीसाइडस, कीटनाशक दवाएं इत्यादि की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम एवं कार्यालय भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को दिए जाने वाले ऋण की लिमिट (साख सीमा) में वृद्धि कर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुकेश भाकर (वि.सं. 118)

82. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में किसानों को फसल बीमा का मुआवजा एवं ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अभिमन्यु (वि.सं. 07)

83. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम तलवाडा, रतनपुरा एवं नुकेरा में हुए सोसायटी घोटाले से किसान वर्ग को हुए नुकसान का भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

84. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के सहकारी बैकों, प्राथमिक ऋणदाता सहकारी समितियों के सभी सदस्यों, अमानतदारों को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जोड़े जाने की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कृषकों को फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकार किसान कल्याण योजना में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को देय ऋण से लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कृषकों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से दिये जाने वाले फसली ऋण को समय पर चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि पर देय अनुदान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्रामीण अंचलो में जेनेरिक दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु GSS के माध्यम से भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों से वंचित गॉवों में नये बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं. 106)

89. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में भवन विहीन एवं गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन तथा गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ब्लॉक बसवा में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापकों की नई भर्ती करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

93. प्रदेश में सभी सहकारी समितियों के लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के लिये सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. प्रदेश में सहकारी दुग्ध समितियों को विपणन समितियों के रूप में विकसित कर सहकारी दुग्ध उत्पादकों को विक्रय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में प्राथमिक ग्राम सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में क्रमोन्नत कर गॉवों में उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपभोक्ता सामग्री एवं सेवायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. प्रदेश में प्राथमिक महिला सहकारी समितियों के गठन एवं राजसमन्द जिले में महिला सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)

98. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ''दुग्ध संकलन केन्द्र'' की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सहकारिता बैकों के भवनों का नवीनीकरण/मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसानों को फसल बीमा/फसल ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में सह निदेशक/उपनिदेशक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज के लिए भण्डारण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

103. प्रदेश की हनुमानगढ़ स्पीनिंग मील को पुन: संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश के कृषकों द्वारा सहकारी बैंक एवं अन्य सरकारी बैंको से लिये गये ऋण को माफ किये जाने पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र नोहर के वंचित ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियॉ खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर जिले में ब्लेक लिस्टेड विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

107. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सहकारी सेवा समिति की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्वयं के गोदाम विहिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्थापित जिन-जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं है, उनको गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कंवरलाल (वि.सं. 26)</u>

112. प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनी सहकारी समितियों के भवनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)</u>

113. जोधपुर में सहकारिता विभाग में पंजीकृत संस्थाओं/ट्रस्टों/समितियों के चुनाव समय पर नहीं होने की लंबित समस्त शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने और पूर्व में ऐसे प्रकरणों को जान बूझकर लंबित रखे जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेहिता निर्धारित करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. जोधपुर में विभाग में पंजीकृत सरस डेयरी एवं उपभोक्ता हॉलसेल भण्डार में नवीन सदस्यता खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विभाग द्वारा संचालित दवा दुकानों में अनियमितताओं एवं ऑडिट अनुच्छेदों के लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के दोषी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पूर्वक त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विभागीय कार्य पद्धति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार व लालफीताशाही को रोकने के लिए एक ही पद और कार्यालय में लंबे समय से पदस्थापित अधिकारियों और कार्मिकों को अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. जोधपुर में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच प्रकरणों, रिश्वत प्रकरणों, विभागीय एवं महालेखाकार के लंबित ऑडिट प्रकरणों को जान बूझकर लंबित रखे जाने की उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं. 02)</u>

118. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की ग्राम सहकारी समिति तिलानेस, भैरूदा, पालियास एवं माण्डल जोधा में गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पीड़ित परिवारों को सहकारिता विभाग की बीमा योजनाओं का बीमा क्लेम दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों का जिला स्तरीय कैडर गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के नये किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं. 39)</u>

123. प्रदेश में लेम्पसों के व्यवस्थापकों द्वारा हिस्सा राशि के नाम पर वसूली रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत मझोला व रोहनवाड़ा में लेम्पस खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को समय पर ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सभी लेम्पसों में अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)</u>

127. प्रदेश में जिला स्तर पर विभाग की सहकारी उपहार की दुकानों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के अन्तर्गत अरबन बैंक बालोतरा में रिक्त पदों को भरने एवं कर्मचारियों को पदोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर एवं भरतपुर स्थित सहकारिता विभाग की खाली पड़ी जमीन के उपयोग, किराये पर दिये गये भवन, दुकानों के रख-रखाव एवं उनसे किराये की वसूली सम्पूर्ण रूप से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130. विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय पर कार्यालय खर्च के नाम पर अनावश्यक खर्च से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. कॉपरेटिव बैंक बाड़मेर, जोधपुर, जालोर द्वारा दिये गये ऋण एवं उसकी वसूली गैर कानूनी रूप से नियम विरूद्ध करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)</u>

132. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की सिंगोली चारभुजा कृषक सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड सिंगोली (एफएसएस सिंगोली) एवं कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड सर्वाइपुर (एफएसएस सर्वाइपुर) के सदस्यों को ग्राम सेवा सहकारी संस्था के

सदस्यों की भांति 4 प्रतिशत ब्याज की राहत दिलाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की सिंगोली चारभुजा कृषक सेवा सहकारी संस्था लि. सिंगोली (F.S.S. सिंगोली) एवं कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्था लि. सवाईपुर (एफएसएस सवाईपुर) को ग्राम सेवा सहकारी संस्था में विलय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर में पदस्थापित सचिव द्वारा लगभग 10 वर्ष से पदस्थापित संविदाकर्मी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद भी दोहरा वित्तीय लाभ देने की मंशा से अन्य पदस्थापित संविदाकर्मियों को बिना सूचना के कार्यमुक्त करने एवं उक्त संविदाकर्मी की मिलीभगत से हो रहे नियम विरूद्ध कार्यों की जांच के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं. 87)</u>

135. जोधपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, प्रधान कार्यालय, जोधपुर में वर्ष 2023-24 में ऋण लेने वाले किसानों के प्रीमियम कटौती पर भी कई किसानों के बीमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. जोधपुर में अपेक्स बैंक के माध्यम से डीबीटी/एनपीसीआई के माध्यम से प्राप्त राशि का गलत भुगतान कर दिये जाने से जनरल मैनेजर प्रधान कार्यालय, जोधपुर, दी जोधपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. जोधपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, प्रधान कार्यालय, जोधपुर द्वारा समय पर आई.टी. रिटर्न न भरने से देय पेनल्टी के कारण दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल डांगी (वि.सं. 21)</u>

138. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में विभाग द्वारा संचालित बैंकों से किसानों को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में सहकारिता बैंकों से के.सी.सी. बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में अनाज के भण्डारण हेतु नये भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (वि.सं. 108)</u>

141. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में संचालित भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भण्डार गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया में संचालक मण्डल के ऋणी तथा अऋणी सदस्यों की संख्या समान रूप से रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 35/37 के तहत राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 45 में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

145. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की मारवाड़ जंक्शन मार्केटिंग सोसायटियों के पास कार्य नहीं होने से बन्द होने के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की विजोवा सहकारी समिति के सभी किसानों के खातों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत झुझाडीं के ग्राम उपरली भबाण में सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं. 62)</u>

148. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लिए बजट आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. प्रदेश में सहकार जीवन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों से अधिक प्रीमियम वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में अल्पकालीन फसली ऋण योजना का ब्याज केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समय पर नहीं मिलने तथा व्यवस्थापकों को पिछले 12 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)</u>

151. भरतपुर के सहकारी बैंक में हुए घोटाले की विशेष जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. भरतपुर में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

153. भरतपुर के किसानों के ऋण माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं. 154)</u>

154. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के मसूदा में क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्वीकृत करवाये जाने एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)

156. प्रदेश में सहकारी बैंक लिमिटेड की 14 करोड़ की राशि 70 हजार किसानों के बचत खातों संबंधी प्रकरण में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने व किसानों को पीएम किसान निधि सही समय पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में किसानों को रियायती दरों पर कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने की सब्सिडी बढ़ाने और काश्तकारों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में सहकारी सोसायटीज के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. प्रदेश में व्यवस्थापकों व सोसायटी अध्यक्ष में समन्वय की कमी से किसानों के कार्यों में रूकावट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. प्रदेश में सहकारी सोसायटियों के भवन व गोदाम निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं. 143)

161. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ततारपुर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. प्रदेश में एम.एस.पी. पर खरीद के लिये पंचायत स्तर पर संग्रहण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (वि.सं. 134)

163. जिला नागौर एवं डीडवाना-कुचामन सहित विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बीमा कम्पनी के द्वारा किसानों को दुर्घटना बीमा व अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाने के सबंध में चर्चा के लिए।

164. नागौर एवं डीडवाना-कुचामन जिले सहित विधान सभा क्षेत्र परबतसर में किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (वि.सं. 93)

165. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सहकारी समिति में गबन राशि की वसूली के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित सहकारी समिति लेकपान के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. उदयपुर के गोगुन्दा स्थित सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को कृषि गौण मण्डी के आसपास संचालित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा का सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक जो सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, में बी.सी. नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की गोगुन्दा सहकारी समिति में गबन की राशि के दोषी अधिकारियों को हटाने व राशि वसूल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

170. विधान सभा क्षेत्र शिव के हरसाणी में को-ऑपरेटिव बैंक की नवीन शाखा की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र शिव में ग्राम सहकारिता समिति और सहकारिता बैंकों में रिक्त पदों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए अतिशीघ्र पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र शिव में ग्रामीण स्तर पर उचित एवं कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त दैनिक उपभोग सामग्री के लिए ग्राम सहकारिता समिति पर सुपर बाजार हेतु भवन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारिता समिति में व्यवस्थापक व ऋण पर्यवेक्षक के लिए आवेदन आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. प्रदेश में ऋण माफी वर्ष 2018-19 में पाई गई अनियमितताओं की जांच व समिति पर होने वाले लेन-देन में व्यवस्थापक के साथ बैंक कोरस्पॉन्डन्ट को भी अनुमति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

175. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में भूमि विकास बैंक को मजबूत कर काश्तकारों को ट्रेक्टर सहित अन्य सुविधाओं के लिए ऋण के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हुए गबन की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

177. शाहपुरा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना कर पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के विस्तार व एटीएम स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में सहकारी विभाग का जिला कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)

180. विधान सभा क्षेत्र कामां में सहकारी संस्थाओं में ऋण के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)</u>

182. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा बटायट में खेती करने वाले भूमिहीनों को भी ऋण दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बीमित व्यक्तियों की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को 2-3 वर्षों से लम्बित बीमा क्लेम राशि दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)</u>

184. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के झिझनीयाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विभाग की नवीन ब्रांच खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. प्रदेश में अल्पकालीन फसली ऋण की अवधिपार बकाया राशि तथा किसानों की अल्प-कालीन ऋण की लिमिट बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. जैसलमेर के को-ऑपरेटिव बैंक जैसलमेर स्थित मुख्यालय में इश्यु किये गये एटीएम को चालू करने तथा किसानों की दुर्घटना बीमा राशि काटे जाने के बावजूद भी किसानों को लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. जैसलमेर जिले में बैंक द्वारा (को-ऑपरेटिव बैंक) अल्पकालीन ऋण की लिमिट बढोत्तरी के साहुकार किसानों को राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)</u>

188. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बोराड़ा एवं हरमाड़ा में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. प्रदेश में किसानों से एमएसपी पर खरीद के लिये पंचायत स्तर पर संग्रहण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)</u>

190. सादुलशहर की ग्राम सेवा सहकारी समिति खाट सजवार की सभी सुविधाओं एवं सहकारिता से जुडी योजनाओं को बहाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं फल-सब्जी सहकारी समिति के बकाया भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की फल-सब्जी सहकारी समिति को कार्यालय हेतु जमीन व भवन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)</u>

194. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम गंडावद में तिलम संघ का कांटा खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

195. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सहकारी भवन की दीवार एवं इंटरलोकिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)</u>

196. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के नये सहकारी भवन स्वीकृत करने एवं पुराने सहकारी भवनों का निर्माण कार्य रूके होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)</u>

197. प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ऋण की माफी के संबंध में चर्चा के लिये।

198. प्रदेश में सहकारी समितियों में किसानों को दिये जाने वाले ऋण की लिमिट वृद्धि के संबंध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में तीनों ब्लॉक गांगड़तलाई, बागीदरा एवं आनन्दपुरी में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक कार्यालय के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में नवीन ग्रामीण सहकारी समितियां स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

202. सहकारिता विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन एवं सेवा निवृत्ति परिलाभ दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. जयपुर में विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर स्कीम में सहकारी विभाग के द्वारा जारी पट्टों पर बसी कॉलोनी में हो रही अनियमितताओं की सम्पूर्ण जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. जयपुर के विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर स्कीम में खातेदारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लगाये गये कोर्ट केसों की सहकारी विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से पैरवी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)</u>

205. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में टोडी, उदावाला, सुराणा, निठारा एवं बिदारा में सहकारी समिति की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में कोर, हनुतपुरा, मामटोरी कलां, पिपलोद नारायण एवं मुरलीपुरा में गोदाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में सहकारी समिति बिलान्दरपुर एवं करीरी में भवन का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 55 - खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

1. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में आबादी के अनुपात में राशन की दुकानों की वृद्धि करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

2. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की उचित मूल्यों की दुकानों में जियो टैग के कारण उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

3. प्रदेश में राशन डीलर की मृत्यु पर उसके वारिस को संचालक बनाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोक्ता भण्डार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश के किसानों को उचित मूल्य की दुकानों से सरलता से बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरण समय पर मिल सके, इस हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर "उचित मूल्य की दुकान" की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में पात्र उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले गेहूँ व चावल के लिए अलग से भवन निर्माण के साथ राशन डीलरों को समय पर कमीशन का भुगतान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की अधिकांश "उचित मूल्य की दुकानें" दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में होने से पोस मशीन नेट से कनेक्ट नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं के फिंगर प्रिण्ट वेरिफिकेशन की हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

8. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव हरदेसर (तहसील-भानीपुरा) में फूड पार्क के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

9. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पात्र व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल को पुनः शुरू करने एवं लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

11. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नई राशन की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में राशन डीलरों की योग्यता में छूट देने व राशन डीलरों को मासिक वेतन (मानदेय) देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

13. प्रदेश में B.P.L. खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों के साथ ही A.P.L. परिवारों को भी नॉमिनल मूल्य पर गेहूँ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. प्रदेश के राशन डीलरों को वेतन देने एवं डीलरशिप अनुकम्पा के रूप में परिवार को ही दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. प्रदेश में सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र एवं अपात्र परिवारों का आकलन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. प्रदेश में नवीन राशन दुकानें आवंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. प्रदेश में अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की योजना की समीक्षा एवं वर्तमान में उक्त श्रेणी की अन्य योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

18. प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. प्रदेश में N.F.S.A. पॉर्टल जो वर्षों से बन्द है, उसे पुनः चालू कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा प्रदेश में B.P.L. का पुनः सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में नए आवेदकों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने के लिए पॉर्टल पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उचित मूल्य की नवीन दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. प्रदेश में निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर सभी राशन धारकों का भौतिक सत्यापन बायोमेट्रिक मशीन द्वारा ई-मित्र कियोस्क पर भी चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

27. विधान सभा क्षेत्र भीम में राशन डीलरों को वितरित लाईसेन्स में से अपात्र लाईसेन्स धारकों के लाईसेन्स निरस्त किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

28. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

29. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में प्रत्येक गांव में नया राशन डीलर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. प्रदेश में खाद्य विभाग में दुकानों का पुनर्गठन करने व नई दुकानें खोलने व पॉलिसी रिफॉर्म (Policy Reform) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

31. प्रदेश में खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र अटरू-बारां में जनसंख्या के आधार पर उचित मूल्य की दुकान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में K.Y.C. भरे जाने में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में समय पर उपभोक्ताओं को राशन की सामग्री उपलब्ध नहीं होने से हो रही असुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)</u>

36. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राशन डीलर्स द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

37. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के गांवों में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों में स्थायी डीलरों की नियुक्ति के संबंध में।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

38. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के पॉर्टल, जो ग्राम पंचायत स्तर पर बन्द पड़े हैं, को खोलने एवं नाम जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

39. जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री यूनुस खान (वि.सं.121)</u>

40. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला रसद अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>महन्त बालकनाथ (वि.सं.114)</u>

41. जिला मुख्यालय खैरथल तिजारा में जिला उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

42. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में वंचित परिवारों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलकर योग्य वंचित परिवार को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्रत्येक राजस्व गांव में राशन डीलर की नियुक्ति एवं राशन सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. जालोर में जिला स्तर पर प्रत्येक राशन डीलर द्वारा की गयी गेहूं की खरीद की क्वालिटी की जांच करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध में अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

47. प्रदेश में राशन डीलरों का अंशदान बढ़ाने, बकाया कमीशन का भुगतान करवाए जाने तथा खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

48. प्रदेश में उपखण्ड स्तर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय खोले जाने व प्रवर्तन निरीक्षकों के लिए कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं.65)</u>

49. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में राशन डीलरों द्वारा सही मात्रा एवं समय पर लोगों को राशन वितरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की तहसील-रामगढ़ गोविन्दगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में मापदण्डों के अनुसार नए राशन डीलर नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

51. प्रदेश में उपभोक्ता कोर्ट में प्रताड़ित उपभोक्ताओं के प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में राशन डीलर की नियुक्ति में योग्यता को प्राथमिकता (मेरिट के आधार पर) तथा N.G.O. से पहले विकलांग के अलावा सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित लोगों को शामिल करने हेतु पॉर्टल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. प्रदेश में राशन डीलरों के बकाया कमीशन का भुगतान करने, खाद्य वितरण में पारदर्शिता अपनाने एवं शिकायतों का निस्तारण शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों के आवेदन-पत्र एस.डी.एम. के पास लम्बित होने के कारण इनका निस्तारण शीघ्र करवाने तथा शेष रहे लोगों से आवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

56. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ व बीदासर तहसील में बहुत से गांवों में उचित मूल्य की दुकान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं नई दुकानें उन गांवों में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पॉर्टल पर नये नाम नहीं जुड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

58. प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं के लिए नये राशन कार्ड बनाने तथा विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में राशन परिवहन के लिए किये गये टेण्डर प्रक्रिया/वर्कऑर्डर देने में की गयी अनियमितता की जांच करने तथा उपभोक्ताओं के K.Y.C. में डिजीटल आईडेन्टीफिकेशन नहीं होने के कारण राशन मिलने में आ रही समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में N.F.S.A. के अन्तर्गत दिए जाने वाले राशन से वंचित लोगों को राशन दिलाने हेतु पोर्टल पुन: खोलकर पंजीयन कर राशन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

61. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राशन वितरण की दुकानों में वृद्धि करने तथा राशन सामग्री का समय पर वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)

62. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन उचित मूल्य की राशन दुकानें खोलने एवं राशन डीलरों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
63. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
64. प्रदेश में विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अवगत कराने हेतु उपभोक्ता क्लब गठित करने एवं नवीन नीति/कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
65. जिला उपभोक्ता आयोग बाड़मेर में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

66. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में लगातार एक ही राशन डीलर द्वारा राशन वितरित किए जाने से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।
67. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लोगों को सूची में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
68. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में "खाद्य सुरक्षा" के तहत लाभार्थियों को मिल रहे लाभ में अनियमितता एवं खाद्य सुरक्षा के तहत कई पात्र लोगों के फिंगर प्रिंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
69. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में दर्ज उपभोक्ता मामलों का निस्तारण शीघ्र कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
70. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित राशन की दुकानों पर वितरित सामान की पौष्टिकता एवं इसमें हो रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

71. प्रदेश के राशन डीलरों का बकाया कमीशन का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिए।
72. प्रदेश में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
73. विधान सभा क्षेत्र भादरा में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
74. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में नये राशन कार्ड जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा का ऑनलाईन पॉर्टल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
75. प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गयी फूड पैकेट योजना का बकाया भुगतान किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

76. विधान सभा क्षेत्र मकराना में आबादी के अनुपात में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अभिमन्यु (वि.सं.07)

77. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम पंचायतों में डिपो के वितरण केन्द्रों के विभाजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)

78. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों का नाम जुड़वाने हेतु पॉर्टल को खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में राशन डीलरों की आमदनी को बढ़ाने हेतु डिजिटल कियोस्क खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश के राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

81. प्रदेश में जनाधार कार्ड को राशन कार्ड मानने की घोषणा से उत्पन्न भ्रम की स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में खाद्य सुरक्षा योजना में विगत 3 वर्षों में नये नाम जोड़ने में हुई प्रगति एवं प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की वस्तुस्थिति पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में खाद्य सामग्री के भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध विगत 3 वर्षों में की गयी कार्यवाही एवं भ्रामक विज्ञापनों की सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में रसोई गैस वितरकों द्वारा कम वज़न के सिलेण्डर देने एवं अन्य अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. प्रदेश में खाद्यान्न वितरण एजेंसियों से उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन व्यवस्था के संवेदकों के विरूद्ध गंतव्य स्थान तक आपूर्ति नहीं करने, अन्य भ्रष्ट आचरण करने तथा खाद्यान्न को अन्यत्र बेचने आदि को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

86. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभान्वितों को जनाधार कार्ड से मेपिंग किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के मापदण्डानुसार नवीन उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु रिक्तियां सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विभागीय आदेश क्रमांक 97(1) खा.वि./साविप्र/20.10.11 दिनांक 11.11.2011 के तहत कोटा जिले में राशन कार्ड से वंचित परिवारों के आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. प्रदेश में आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत जमाखोरी एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए प्रभावी रूप रेखा तैयार कर कार्ययोजना क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित अन्त्योदय परिवार/बी.पी.एल./स्टेट वी.पी.एल./परिवारों, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

91. राजस्थान में राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग व जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के मनोनयन करने के मापदण्ड व उनके कार्यकाल तथा मानदेय के संबंध में चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र नोहर के खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में राशन सामग्री, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण एवं प्रवासी योजना के अन्तर्गत गेहूँ वितरण का बकाया डिलीवरी कमीशन राशि का भुगतान करने एवं राशन डीलरों की डिलीवरी कमीशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

95. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 4000 से अधिक आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश में सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने हेतु नये आवेदन ऑनलाईन करने तथा पॉर्टल शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारों के राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजस्व गांव स्तर पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलर के पद रिक्त होने के कारण एक राशन डीलर द्वारा ही दो से तीन उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन वितरण किए जाने एवं उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन डीलर के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

100. बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने एवं कम सामग्री देने वाले उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
101. प्रदेश के अधिकांश पैट्रोल पम्पों पर निर्धारित आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
102. प्रदेश के राशन विक्रेताओं को समय पर कमीशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
103. प्रदेश की राशन दुकानों की समीक्षा कर पुनः आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
104. बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में मिलावट के नाम पर दुकानों से अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

105. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में राशन कार्ड धारकों को राशन डीलरों द्वारा राशन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (वि.सं.47)

106. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

107. प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों की चयन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
108. प्रदेश में विभाग की पोस मशीनों की गड़बड़ी की शिकायतों का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
109. प्रदेश में राशन दुकानों की अटेचमेण्ट प्रक्रिया हटाकर अन्य व्यक्ति को आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
110. प्रदेश में प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)

111. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में खाद्य सुरक्षा का सर्वर डाउन होने एवं दूर-दराज के गांवों में फिंगर प्रिण्ट वेरिफिकेशन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
112. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में राशन डीलरों के रिक्त पदों पर भर्ती कर लाईसेन्स दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
113. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में 'खाद्य सुरक्षा योजना' से वंचित पात्र लोगों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

114. प्रदेश में राशन डीलरों को एकमुश्त मासिक मानदेय दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

115. प्रदेश में भ्रामक विज्ञापनों एवं आकर्षक पैकिंग मामलात से अमानक एवं अशुद्ध तथा गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के बाजारों में बिक्री पर रोक लगाने एवं ठोस कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पृथक से उपखण्ड स्तर तक एक मजबूत व सुदृढ़ प्रशासनिक तन्त्र बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने हेतु खाद्य सुरक्षा पोर्टल को आरम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. अजमेर में संभाग स्तरीय उपभोक्ता मामलात की एक सर्किट बैंच स्थापित किए जाने के बावजूद आज दिनांक तक भवन व संभाग स्तरीय सर्किट बैंच नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. नागरिकों (उपभोक्ताओं) को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जन जागरूकता के लिए प्रचार के समस्त माध्यम अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

120. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के दूर-दराज के क्षेत्रों में नए राशन डीलर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत बोरीमादा में नया राशन डीलर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

122. भरतपुर में पी.डी.एस. के तहत लम्बित आवेदनों को खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत शामिल करने के संबंध में।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा) (वि.सं.154)

123. प्रदेश में एफ.सी.आई. गोदाम से दिए जाने वाले गेहूँ की शुद्धता की जांच कर उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन समय पर दिलवाने एवं खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र परिवारों को और जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

125. विधान सभा क्षेत्र महवा में विशेष आपदा के समय खाद्य सामग्री का अतिरिक्त कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
127. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची में नये नाम जोड़ने के लिए विशेष परिस्थिति में रसद अधिकारी को भी प्राधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

128. प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा समय पर डिपो खोलने व 50 से अधिक कार्ड वाले राजस्व गांवों में राशन पहुंचाने हेतु पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
129. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को राशन किट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
130. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के पोर्टल को शुरू कर वंचित लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
131. प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध को प्रभावी बनाने एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
132. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुडे लाभार्थियों की समीक्षा कर नए सिरे से पात्र लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

133. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में रिक्त राशन की दुकानों को पुनः चालू करने एवं ग्रामवार राशन की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामनिवास गावडिया (वि.सं.134)</u>

134. नागौर एवं डीडवाना-कुचामन जिले सहित विधान क्षेत्र परबतसर के राशन डीलरों एवं जनता को समय पर राशन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
135. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल को पुन: शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं.185)</u>

136. प्रदेश के राशन विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान व मांगों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

137. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पोर्टल के बार-बार बन्द होने व विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में इसका कोई भी नोडल ऑफिसर न होने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में चर्चा के लिए।
138. शाहपुरा में जिला रसद अधिकारी व बनेड़ा, पुलिया कलां में प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
139. शाहपुरा जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता मामलों की सुनवाई की समस्या का निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।
140. शाहपुरा में उपभोक्ता संरक्षण मंच के गठन के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में राशन कार्ड समय पर न बनने व खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

142. जैसलमेर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं.86)</u>

143. प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में राशन विक्रेताओं को समयबद्ध राशन सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

145. प्रदेश में राशन की दुकानों (जहां अवस्थित है) से दूरस्थ पड़ने वाले गांवों व इलाकों में राशन वितरण की व्यवस्था कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में रिक्त राशन की दुकानों का पुन: आवंटन कर जनसंख्या अनुसार गांवों में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

147. श्रीगंगानगर तहसील के खंरवा (कोढा) में उचित मूल्य की नयी दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. श्रीगंगानगर तहसील में चक 1-C में उचित मूल्य की नयी दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

149. विधान सभा क्षेत्र मकराना में मकराना आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अनुशंषित व्यक्तियों को राशन डीलर नहीं बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

150. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने एवं अपात्र लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)</u>

152. प्रदेश में आदिवासी इलाकों में नियम विरूद्ध राशन डीलर बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में राशन वितरण दुकानों में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

154. N.F.S.A. योजना में पात्र व्यक्तियों को जारी किए गए नए राशन कार्डों में जिनके आधार लिंक नहीं थे, ऐसे वंचित सदस्यों का नए राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लोगों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में राशन कार्डों में नये नाम नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में किए आवेदनों का निस्तारण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

159. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री <u>सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

160. प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें उपयुक्त स्थानों पर आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

161. पिण्डवाड़ा तहसील में उचित मूल्य की नयी दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।